राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 27 वां दिवस [संख्या 19

बुधवार,

दिनांक 14 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन-स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, समाज कल्याण, भू-संरक्षण, आबकारी, गृह, श्रम, उद्योग, शिक्षा, अकाल सहायता, स्वायत्त शासन, पर्यटन व पशु पालन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री लूणाराम।

सरदारशहर तहसील के गांवों का रीजनल स्कीम के लिए सर्वे

482. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील के ग्राम बरजांगसर, जैतसीसर, राणासर, पंवारन, तोलासर, बड़सीसर, राजासर बीकान, बन्धनाऊ से रीजनल स्कीम के लिए मार्च 1972 के आस पास सर्वे की गई थी? यदि हां, तो फिर उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) यदि आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। तोलासर, राणासर, पंवारान, बंधनाऊ ग्रामों को छोड़कर बाकी के ग्रामों के लिए योजना बनाने हेतु सर्वे अप्रेल 72 में किया गया एवं क्षेत्रीय योजनाएं बना ली गई हैं।

(2) योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है। धनाभाव के कारण योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।

Page No 2

(2)

श्री लूणाराम : क्या वर्ष 1973-74 में इन योजनाओं को स्वीकृत कर दिया जाएगा ?

श्री चन्दनमल बैद : अगले वर्ष इन योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा ?

श्री लूणाराम : क्या मन्त्री महोदय उन गांवों को पानी पहुंचाने के लिए ध्यान रखेंगे जिनके लिए योजनायें नहीं है। क्या वे इसको महत्व देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : इन गांवों के महत्व को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सरदारशहर तहसील के गांवों की ओर ही ध्यान दिया जायगा या चूरू जिले की जो अन्य तहसीलें हैं उनके गांवों की ओर भी ध्यान, क्या मन्त्री महोदय देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : सारे राजस्थान में 8 जिले के अन्दर ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत सर्वे किया गया है। इसके लिए 8 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है और उन सभी गांवों का सर्वे किया जाएगा। यह सिर्फ चूरू जिले का ही सवाल नहीं है बल्कि उन सभी जिलों का सवाल है जो कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिए गये हैं।

श्री फूलचन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि रीजनल स्कीम में चूरू जिले के कौन कौन से गांव लिए गए है।

श्री चन्दनमल बैद : यह अलग से प्रश्न है। आप पूछेंगे तो जरूर बताऊंगा।

श्री लूणाराम : जिन गांवों का आपने सर्वे नहीं किया है क्या उन गांवों के लिए भी आप सर्वे कराएंगे और पानी का इन्तजाम करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : जरूर ही सर्वे करने के आदेश दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयकिशनलाल।

रोस्टर प्रणाली

483. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के प्रत्येक विभागों में अलग अलग वर्गवार पदों पर कितनी नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा रोस्टर प्रणाली लागू होने के पश्चात् की गई सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर प्रस्तुत करें :—

विभाग का नाम

अप्रेल 1971 से अब तक की गई नियुक्तियों की संख्या वर्गवार

अ. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भरे गए पदों की संख्या वर्गवार।

(2) क्या उक्त नियुक्तियां करते समय नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्रणाली का ध्यान रखा गया है और संबंधित कोषाधिकारियों को इस संबंधी प्रमाण-पत्र भेजे गये हैं।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रमाण-पत्र के अभाव में भी कोषाधिकारियों ने

(श्री जयकिशनलाल)

वेतन बिल पास किए हैं ? यदि हां तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने सभी नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा रोस्टर प्रणाली प्रथा से नियुक्तियां करने संबंधी रजिस्टर तैयार किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और जिन-जिन विभागों में रजिस्टर अब तक भी तैयार नहीं किए गए हैं उनके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) विभागाध्यक्षों से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 1-4-71 से 30-9-72 तक की गई सीधी नियुक्तियों की सूचना अंकित तालिका (क) में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जिन विभागाध्यक्षों द्वारा रोस्टर प्रणाली लागू की गई है उनकी सूची (ख) सदन की मेज पर प्रस्तुत है। जिन विभागों में अभी तक लागू नहीं की गई है उनकी सूची (ग) सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) इस प्रकार की सूचना राज्य सर-सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(4) जिन विभागाध्यक्षों से रोस्टर प्रणाली चालू करने की सूचना प्राप्त हो चुकी है उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। शेष विभागाध्यक्षों से सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री जयकिशनलाल : यह जानकारी अभी तक प्राप्त क्यों नहीं की गई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है। जहां से जानकारी प्राप्त हो गई है उनकी सूची प्रस्तुत कर दी गई है और जहां यह लागू नहीं की गई है उनको लिखा जा रहा है।

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने 28-4-72 को यह घोषणा की थी कि इसको शीघ्र ही लागू करा दिया जायगा। उसी संबंध में यह मेरा प्रश्न है परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। पदोन्नति के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नियुक्तियों के सम्बन्ध में है। पदोन्नति से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रावतराम (छापर) : यह साधारण सी बात है। डिपार्टमेंट्स द्वारा यह सिस्टम क्यों नहीं लागू किया गया है। आपके पास क्यों नहीं इन्फरमेशन है। सचिवालय ही तो यह सूचना देगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस बारे में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जिन डिपार्टमेंट ने इस पद्धति को अपना लिया है उनसे पूरी सूचना प्राप्त हो गयी है। लेकिन कुछ विभाग इस तरह के हैं, जो कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं, उनसे यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इस प्रकार की प्रणाली को उन्होंने लागू किया है या नहीं किया है। इसके लिए उनके खिला[illegible] करने के लिए भी विचार किया [illegible]

Page No 4

(4)

श्री रावतराम : यह कह कर कि स्वतंत्रता दी जा रही है इस प्रश्न को टाला जा रहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि भविष्य में रोस्टर प्रणाली को पूरी तरह से अमल में लाया जायगा और विभागों द्वारा इसकी पूरी पालना की जाएगी।

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, जो घोषणा की गई थी उसको पूरी तरह से केरी आउट करने के लिए आदेश दिए गए है। जो डिफाल्टिंग डिपार्टमेंट हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा और जिन्होंने इन्फरमेशन काम्युनिकेट नहीं की है उनके एक्सप्लेनेशन लिए जायंगे।

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : No question after the reply of the Chief Minister.

प्रश्न संख्या 484

श्री विट्ठलभाई

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट 485

श्री हाजी जानमोहम्मद।

इन्सपेक्टर एक्साइज भवानी मंडी के विरुद्ध शिकायतें

485. श्री हाजी जानमोहम्मद (पिड़ावा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भावानसिंह ग्राम खेड़ी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ से इन्सपेक्टर एक्साइज भवानी मण्डी ने शराब खींचने के बहाने से 225 रुपये जबरन वसूल किये जिसकी शिकायत मैंने पिछले बजट सेशन में लिखित रूप से आप से की थी? यदि हां, तो क्या उसकी इन्क्वायरी कराई गई? अगर हां, तो क्या नतीजा निकला और नहीं तो क्यों नहीं?

आबकारी मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां प्रारंभिक जांच से पाया गया है कि शिकायत में तथ्य है। संबंधित इन्सपेक्टर को प्रारंभिक जांच के बाद चार्जशीट दी गई है और साथ ही उसे मुअत्तिल भी कर दिया गया है। विभागीय जांच पूर्ण होने पर ही नतीजे का पता चलेगा।

श्री हाजी जानमोहम्मद : शुक्रिया अदा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 486।

थाने में मृत्यु

486. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा के शाहबाद तहसील के गांव सहरोल तरेटी में पुलिस अधिकारी ने मार्च, 1972 में वहां के स्थानीय श्री नाथूलाल नामक कलाल को डाकुओं को आटा दाल देने के आरोप में गिरफ्तार किया था?

(2) क्या यह सही है कि श्री नाथूलाल को थाने में लाकर बुरी तरह से पीटा जिससे उसे पहले खून की उल्टी हुई, हड्डी पसली टूट गई और वह मर गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले को दबाने के लिए केलवाड़ा हास्पिटल में

Page No 5

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

उसे जबरदस्ती भर्ती और बीमार बता कर मर गया बताया गया और डॉक्टर के मना करने पर उसको भी धमकी दी गई ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी नहीं।

(2) इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। एक अधिकारी को जांच करने के लिए नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

(3) इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो थाने पर लाकर पीटा क्यों गया ?, उसको इतना पीटा गया है कि उसकी हड्डी पसली टूट गई, खून की उल्टियां हो गई और उसके बाद उसको अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया। इसकी आप क्या जांच कराएंगी। उसकी मृत्यु पुलिस द्वारा पीटने के कारण हुई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया है कि पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। उसकी मृत्यु के क्या कारण हैं, वास्तव में किन कारणों से वह मरा है, उसके अस्पताल में एडमिट होने के क्या कारण हैं, उसकी जांच के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। पुलिस द्वारा मारपीट करने के कारण वह मर गया है, ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : तो वह अस्पताल में कैसे पहुंच गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पुलिस की मारपीट से वह अस्पताल गया हो ऐसी बात नहीं है। और भी मारपीट हो सकती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पहुंचाया तो पुलिस ने। पुलिस ने ही उसको एडमिट करवाया है और डॉक्टर से सर्टिफिकेट में परिवर्तन कराया है। बाकी उसकी कोई नेचुरल डेथ नहीं हुई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपलब्ध सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करना नहीं पाया जाता है। अस्पताल में किस कारण से पहुंचा और मृत्यु के क्या कारण थे इसकी जांच की जाएगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह आरोप है कि पुलिस ने उसको पुलिस थाने में ले जाकर पीटा, और इतना पीटा कि उसकी हड्डी टूट गई और खून की उल्टी हो गई। पुलिस द्वारा वह अस्पताल पहुंचाया गया और झूठी रिपोर्ट दर्ज करा कर उसको मरा हुआ बताया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने यह बताया है कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही करने पर उसकी मृत्यु नहीं हुई है। यही समाचार मेरे पास उपलब्ध है। मृत्यु की जांच करने के लिए अधिकारी को भेज दिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह मारपीट किस कारण से और किस के द्वारा हुई है। क्या पुलिस उसको पूछताछ के लिए ले गई थी ?

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अस्पताल में किस के द्वारा वह एडमिट करवाया गया है। क्या उस समय पुलिस साथ में थी ?

मुख्यमंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्षजी, जो आफिशियल इन्फर्मेशन आई थी वह यह थी कि पुलिस ने नहीं मारा फिर भी हमारा यह अन्दाजा था कि कहीं इसमें पुलिस का हाथ न हो तो हमने कहा कि जांच होना चाहिए और पुलिस सेटिसफाइ होना चाहिए कि इसमें पुलिस का हाथ है या नहीं डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली, और उसकी जांच हो रही है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जांच कौन कर रहा है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अगर पुलिस वाले जांच कर रहे हैं तो जांच फिजूल है ।

श्री बरकतुल्ला खां : सी. आइ. डी. जांच कर रही है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सी. आइ. डी. और पुलिस वही है ।

श्री बरकतुल्ला खां : सी. आइ. डी. और पुलिस में फर्क है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारी मांग यह है कि इस किस्म के मामले में···

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि कलेक्टर एन्क्वायरी करे । उसमें थोड़ी देर हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम ।

सघन आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण नियोजन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

487. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में कितने कितने ग्रामीण नियोजन केन्द्र कहां कहां खोले जा चुके थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि सघन आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण नियोजन केन्द्र खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र पर कितना व्यय होगा और राज्य सरकार कहां कहां केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो आदिवासी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

श्रममंत्री (श्री औंकारलाल चौहान) : (1) एक भी नहीं खोला गया ।

(2) जी नहीं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने 4-5-72 को यह कहा था इसी सदन में कि दो-चार केन्द्र खोल दिये हैं तो कृपया मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो स्टेटमेंट इसी सदन में दिया था यह कहां तक सत्य था ?

श्री औंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्षजी, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस मांग का प्रश्न पैदा हुआ था तो 2-4 एम्प्लायमेंट ब्यूरो का नहीं बल्कि एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज का कहा था और मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि 70-71 में

(श्री ओंकारलाल चौहान)

डूंगरपुर और झालावाड़ में, 71-72 में जैसलमेर और बूंदी मे केन्द्र दिये थे और दो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज और खोल दिये गये 72-73 में जालौर और टौंक में। तो इस प्रकार सभी जिला मुख्यालयों पर एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज खोल दिये गये हैं।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री नाथूराम : यह प्रश्न गये वर्ष भी पूछा गया था...

श्री अध्यक्ष : इस साल भी पूछिये।

श्री नाथूराम : जब भारत सरकार का इस प्रकार का आदेश है तो आपने ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नही खोले ? भारत सरकार के आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई ?

श्री ओंकारलाल चौहान : भारत सरकार द्वारा एक सक्यूंलर जारी हुआ है अप्रेल 72 में एम्प्लायमेंट ब्यूरो के संबंध में, इस संबध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय हमारे पास मुख्यालयों पर भी नियोजन केन्द्र नहीं थे इसलिए सबसे पहले यह उपयुक्त समझा गया कि सबसे पहले एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज खोले जायं जिससे कि वहां के रहने वालों को सुविधा मिल सके, उनको रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। यह स्कीम एम्प्लायमेंट ब्यूरोज की विचाराधीन है। माननीय सदस्य जानते हैं कि फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी की वजह से अभी तक ऐसा नहीं किया जा सका। राज्य सरकार इस पर जल्दी से जल्दी विचार कर रही है।

श्री मोहनलाल छगाणी : अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह निकल रहा है कि रूरल अनएम्प्लायमेंट इस आधार पर बढ़ रहा है और वे कोई नौकरियों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जबकि नियोजन केन्द्र के लिए भारत सरकार की तरफ से भी पैसा मिलता है और जब कि मंत्री• महोदय खुद एनाउन्स कर चुके हैं कि दो-चार केन्द्र खोले गये हैं बिना इत्तिला हुए तो अभी तक क्यों नहीं ऐसा कार्यक्रम बनाया गया कि जिससे रूरल अनएम्प्लायमेंट का जायजा लिया जा सके और उनको भी नौकरियों में हिस्सा मिल सके ? कोई न कोई योजना इस तरह की विचाराधीन है या नहीं, यह कृपया बताने का कष्ट करें ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष, मैंने निवेदन किया एम्प्लायमेंट ब्यूरो के बारे में यह सरक्यूलर पढ़ कर सुनाता हूं -

"The smallest unit of the employment service will be Rural Employment Bureau, presently called R.E.B. These Bureaus should be set up in all areas where there is a concentration of scheduled caste and scheduled tribe population."

माननीय सदस्य से जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मुख्यालयों पर चूंकि एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज नहीं थे इसलिए पहले उनका खोलना आवश्यक हो गया। जो वह पूरे हो गये तब मैंने निवेदन किया कि इस ओर भी

Page No 8

(8)

(श्री ओंकार लाल चौहान)

ध्यान राज्य सरकार का हैं, लेकिन फाइनेन्सियल पोजीशन खराब होने के कारण इनको खोलने में हमारी असमर्थता प्रकट की जा रही है।

श्री रोशनलाल शर्मा : इस सम्बन्ध में भारत सरकार राज्य सरकार को कितना पैसा देती है ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मैं भी माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज जितने आप चला रहे हैं और आपने कहा कि एम्प्लायमेंट ब्यूरोज का खोलना पासिबल नहीं था तो एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के कार्यों से राज्य सरकार अथवा मन्त्री महोदय स्वयं सन्तुष्ट हैं क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां।

श्री नाथूराम : मैं ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े बताऊं कि बांसवाड़े में 1270. . . .

श्री अध्यक्ष : आपको पूछना है आपको बताने की जरूरत नहीं है।

श्री नाथूराम : मैं पूछ रहा हूं कि एम्प्लायमेंट ब्यूरो खोलने का प्रावधान है क्या ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी हां।

श्री रोशन लाल शर्मा : कितना रुपया भारत सरकार इस सम्बन्ध में देती है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : पूरी योजना है यह विचाराधीन चल रही है। अभी निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है कि किस प्रकार से खोले जायेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : भारत सरकार आपको 50, 60 या 70 पर्सेन्ट देती है यह तो बतायें आप ?

श्री नाथूराम : भारत सरकार की धनराशि होते हुए भी यह नहीं खोले गये हैं जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में यह नियोजन केन्द्र खोले गये हैं। मैं राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के आंकड़े बताऊं . . .

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पैसा नहीं दिया गया है और न इस मामले में कार्यवाही हुई।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है। कितना रुपया भारत सरकार द्वारा दिलाने का प्रावधान है इतना तो हमको मालूम हो जाय ताकि फाइनेन्शियल कान्टिनजेन्सी से राजस्थान सरकार को कितनी धनराशि देना पड़े।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कोई स्कीम आपकी तरफ से गई ही नहीं और आप पैसा नहीं लेना चाहते है तो रुपया कहां से मिलेगा ? स्कीम आपने बनाई या नहीं ?

श्री नाथूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित रखा जाय क्योंकि इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है।

श्री ओंकारलाल चौहान : एम्प्लायमेंट ब्यूरोज खोलने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को कहा है कि खोलें।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

फाइनेन्शियल पोजीशन की वजह से राज्य सरकार इस प्रकार के ब्यूरोज को खोलने की स्थिति में नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : राज्य सरकार ने भारत सरकार को क्या योजना दी है वह बताइये।

श्री ओंकार लाल चौहान : मैंने आपको निवेदन किया कि एम्प्लायमेंट ब्यूरोज नहीं खोले गये हैं धनाभाव के कारण वह इस कारण से नहीं कर रहे हैं कि इसका सारा बोझ राज्य सरकार पर ही पड़ेगा। इस संबंध में अनुदान या धन कुछ भी नहीं मिलने वाला है जहां तक कि भारत सरकार की पूरी जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके अनुसार।

श्री नाथूराम : आदिवासी क्षेत्र के लिए भारत सरकार देती है।

श्री अध्यक्ष : भंवरलाल मदादा।

भीलवाड़ा जिले के सीमान्त कृषक

488. भंवरलाल मदादा (भीलवाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भीलवाड़ा जिले में कितने सीमान्त कृषक हैं और उनमें से अब तक कितनों की ऋण की अर्जियां भूमि विकास बैंक से स्वीकृत हुई हैं और उनमें से कितनों को ऋण मिल चुका है ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : भीलवाड़ा जिले में कार्यरत सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण के कार्यक्षेत्र में कुल 56,550 सीमान्त कृषक हैं। उनमें से भूमि विकास बैंक द्वारा अब तक 777 कृषकों के ऋणों के आवेदन-पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। उक्त स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों में से 451 को प्रथम किश्त एवं 165 को दोनों किश्तें दी जा चुकी हैं।

श्री भंवरलाल मदादा: कुल 56,550 में से 777 कृषकों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए हैं और उनमें से सिर्फ 451 को एक किश्त और 165 को दोनों किश्तें मिली हैं तो माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कितना पर्सेन्टेज हुआ और उन्हें कुल कितनी रकम दी गई है लांग टर्म में कितनी है, मीडियम टर्म में कितनी हैं और शार्ट टर्म में कितनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : पर्सेन्टेज तो नहीं है। कुल 56,550 में से जो बेनिफिशियेरी हैं उनकी संख्या दर्ज है, लेकिन जो अभी इन्फर्मेशन मेरे पास दो मिनट पहले आई है उसके अनुसार उनकी संख्या 777 से बढ़ गई है और यह कुछ संख्या में इन्क्रीज हुआ है। मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर जो लोन दिया गया है वह 26 लाख के आसपास है। उसमें से लांग टर्म जो लोन है वह को आपरेटिव्ज को ईयरवाइज लोन दिया जाता है तो लांग टर्म लोन वह 9 लाख रुपया है। मीडियम टर्म लोन 30-9-72 तक तीन लाख रुपया और 2-9-71 से 1-7-72 और दिसम्बर 72 तक लोन जो मीडियम टर्म दिया गया है वह 3,61,000 रुपया है और शार्ट टर्म लोन दिया गया है 3,19,000 रुपया और इसके बाद शार्ट टर्म और लोन दिया गया है। मीडियम टर्म 6 लाख और लांग टर्म में दिसम्बर 72 तक 4 लाख रुपया और दिया गया है। कुल मिलाकर लोन 30 लाख रुपये के आसपास होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 56550 जो सीमांत कृषक बताये गये है तो कृपया उनके मुकाबले में जो लोन दिया गया है वह कितना कम है इसको ध्यान में रखते हुए अधिक लोन वितरण करने की ओर सरकार ध्यान नहीं देगी क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : मार्जीनल फार्मर्स में जो डिफिकल्टी आ रही है वह यह है कि लांग टर्म, मीडियम टर्म और शार्ट टर्म लोन कोआपरेटिव बैंक की तरफ से मिलता है यह फाइनेन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं और तभी मिल सकता है जबकि कृषक को-आपरेटिव सोसाइटी का सदस्य हों। यहां पर स्टेट लेवल पर एक कमेटी बुलाई गई थी और मीटिंग में रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटीज ने यह सजेस्ट किया है तमाम सीमांत कृषकों को ज्यादे से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया जाय को-आपरेटिव सोसाइटीज का ताकि वह बैंकों से लोन लेने के लिए इन्टाइटल्ड हो सके।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : एक प्रश्न यह है कि मार्जीनल फार्मर्स की जो परिभाषा दी हैं उसमें स्माल फार्मर्स शामिल हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : वह अलग से स्कीम है।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या इस योजना के अन्तर्गत जितने भी काश्तकार आये हैं उनको पूरे कार्यकाल में लोन मिल जायगा जिससे अभी आपकी दो सालों की प्रगति है उसको देखते हुए ?

श्री परसराम मदेरणा : लोन जो लेना चाहते हैं, वह इसमें हैं। शार्ट टर्म और मीडियम टर्म अलग अलग स्कीम है। इसकी तहत म जो जिस काम म लेना चाहते है। एक यह भी दिक्कत थी कि शार्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन वहां की सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक भीलवाड़ा है, वह करती है। लेकिन सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक भीलवाड़ा डिफाल्टर हो गया था।

श्री रोशनलाल शर्मा : जब बैंक डिफाल्टर हो गया था तो उनको रुपया नहीं मिलेगा। तो राज्य सरकार इस पर कुछ विचार करेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यह राज्य सरकार की योजना नहीं थी, भारत सरकार की योजना थी। इसलिए राज्य सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती है। एजेन्सी जो दी जाता है, वह ज्यादातर भारत सरकार देती है। वेनीफिशियल में नहीं देते हैं ? मार्जीनल स्कीम थी। अजमेर भीलवाड़ा में रूरल प्रोग्राम लगाई गई है ताकि लोगों को रोजी मिल सके। लेकिन जहां तक अभी जो स्कीम है, को-आपरेटिव बैंक के जरिये से लोन व्यवस्था हो सकेगी। दूसरी किसी एजेन्सी से लोन दिये जाने का कोई प्रोग्राम राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द सामरिया।

श्री रोशनलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार रुपया देता है लेकिन खर्च नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह कामर्शियल स्कीम के अन्तर्गत आता है। इसलिए

(श्री परसराम मदेरणा)

को-आपरेटिव बैंक की बात कर रहा था। इसके लिए कार्मशियल बैंक भी लोन देती है। वह हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया: 489

मुरली रोलिंग मिल व जयपुर रोलिंग मिल का उत्पादन

489. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लघु उद्योग निगम से 1972-73 में किन किन पार्टीज ने सामान का कोटा लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम द्वारा 1972-73 में किन किन पार्टीज को सामान दिया गया?

(3) इनमें से कितनी यूनिट्स उक्त समय व वर्तमान में चालू हैं और कितनी बन्द है?

(4) मुरली रोलिंग मिल, जयपुर व जयपुर रोलिंग मिल, जयपुर का उत्पादन क्या है और इनमें कब से उत्पादन चालू हुआ? तथा इनको 1972-73 में गर्डर्स-एंगल्स, राउंड्स व अन्य कच्चा माल कितना दिया गया?

(5) क्या जो मेटेरियल प्रोड्यूसर से तैयार होता है उसको दुबारा रोलिंग मिल में काम में लिया जा सकता है? यदि नहीं तो उक्त मिलों को क्यों दिया गया?

राज्य मन्त्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूर्व सूचना नहीं आ पाई है। इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री अजीतसिंह।

जिला टोंक में शंकर बाजरे के खराब बीज का वितरण

490. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में विभाग द्वारा शंकर बाजरे का बीज खराब वितरित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बीज अभी भी पंचायत समिति में पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इस बीज को उसे लौटाने का विचार रखती है जिससे कि यह खरीदा गया? यदि नहीं, तो इसकी क्षति कौन भुगतेगा?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा प्रमाणित पंजीयक उत्पादकों तथा राष्ट्रीय बीज निगम से खरीदा बीज ही विभाग द्वारा वितरित किया गया था जिससे बीज खराब होने की कोई सम्भावना नहीं रहती है।

(2) कुछ पंचायत समितियों में वितरण के बाद कुछ बीज बचा है जो वर्षा के अभाव के कारण बचना सम्भव है। इसको

(श्री परसराम मदेरणा)

आने वर्ष अंकुरण शक्ति की जांच करवा कर वितरण किया जावेगा। क्रय किये हुये बीज को लौटाने का प्रावधान नहीं है।

श्री अजीत सिंह : माननीय मन्त्री जी, यह हमारे यहां कमेटी में भी डिस्कशन किया है। यह बीज बोने के बाद उसमें दाना नहीं उगा। उस फर्म को ब्लेक लिस्ट करने के लिए कहा गया था। वहां के जो आपके प्रोडक्शन आफीसर हैं, श्री टी. एन. चौहरी उनकी जानकारी में लाया गया है। उनकी जानकारी में है इन्होंने यह बात कही थी कि लोग थैलियों में बनाकर गलत बीज दे रहे हैं। वहां के लोगों में शंकर बाजरे के प्रति अविश्वास होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीरियसली लें।

श्री परसराम मदेरणा : बीज के मामले को मैं स्वयं भी सीरियस ही ले रहा हूं। शायद गरम हवा चलने के कारण दाने नहीं पड़े होंगे। यह बीज प्रतापसिंह से लिया गया है। जिसको नेशनल सीड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया ने सर्टीफाइड किया है। वैसे कुछ लोग धोखाधड़ी कर रें वह बात अलग है। यह सूचना मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए मैं इसके जांच के आदेश दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

जोधपुर नगर के अध्यापकों का स्थानान्तरण

491. श्री अमृतलाल गहलोत (जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अध्यापकों के स्थानान्तरण के क्या कोई नियम है? यदि कोई नियम नहीं है तो ये नियम कब तक बन ये जायेंगे?

(2) जोधपुर नगर में 10 वर्ष से कार्य करने वाले अध्यापकों के नाम एवं उनके इस नगर में कार्यकाल की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जोधपुर नगर में दस वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले अध्यापकों का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा?

राज्य मन्त्री शिक्षा (श्री जुझार सिंह) : अध्यापकों के स्थानान्तरण के नियम विभाग ने बना रखे हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) यह आवश्यक नहीं है कि किसी अध्यापक का एक स्थान पर उसकी लम्बी अवधि के कारण स्थानान्तरण किया जावे। स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, वह क्या नियम है, बताइये। हमारे पास जो सूची आपने दी है, इसमें 309 अध्यापक है। ऐसे बहुत से अध्यापक हैं, जिनका 10 साल से ऊपर हो गया है। वह वहीं पर बैठे हैं। एक श्री डी० पी० हैटिंग हैं जो 32 साल से वहां बैठे हैं।

श्री जुझारसिंह : उनमें काम करने की क्षमता होते हुए उनका ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। उनका ट्रांसफर करना जरूरी नहीं समझा है।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं कहता हूं लगातार एक स्थान पर 32 साल से रह रहा है। उसके निहित स्वार्थ हो गये हैं। उनका साइड बिजिनैस हो गया है। इन्स्टी-ट्यूशन खोल रखे है। दूकान खोल रखो हैं। एक व्यक्ति जन्म भर एक जगह रह सकता है जो बाहर का है, और जो वहां का है, वह कभी आ नहीं सकता है। दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से करता रहे। क्या यही लोकतन्त्र है?

श्री जुझारसिंह : दस अध्यापकों का जोधपुर शहर में रहना बताया गया है। उसमें सेडा टीचर भी हैं। बाकी जो हैं, उन्होंने कोई विशेष गलती नहीं की है। नियम यह है कि 3 वर्ष से पहले कोई ट्रांसफर नहीं किया जाये। ज्यादा कितना ही रहे, इसका कोई नियम नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : तो क्या 32 साल तक रह सकता है?

श्री अध्यक्ष : आपकी शिकायत पर ध्यान देंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : कोई नियम नही है?

श्री फूलचन्द जैन : जो अध्यापक वहां रह रहे है, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है, क्या यही कारण है?

श्री जुझारसिंह : कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। स्पेसिफिक शिकायत हो तो आप बतायेंगे तो कार्यवाही की जायगी। ये तो डिपार्टमेंट के रूल्स क्या है, वह बताया है।

श्री फूलचन्द जैन : आपने बताया है कि कोई शिकायत नहीं मिली है। इसलिए नहीं किया है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एक प्रश्न पहले भी आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव नियम तो यह है कि 3 साल के बाद ही किया जाता है। यह टीचिंग स्टाफ को मालूम है। इस पर विचार कर लिया जायेगा। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री रावतराम : प्रश्न यह है कि 3 साल होने पर ट्रांसफर हो या शिकायत होने पर हो।

श्री जुझारसिंह : जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो तभी किया जाये।

श्री फूलचन्द जैन : जिनकी जोरदार सिफारिश हो, मजबूत सिफारिश हो, उनको नहीं हटाया जायेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या राज्य सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अधिक से अधिक कोई अध्यापक किसी जगह कितने दिन रह सकेगा?

श्री जुझारसिंह : 80 हजार टीचर्स हैं। अगर दूसरे डिपार्टमेन्ट की तरह बराबर ट्रांसफर किये जायें तो फाइनेन्शियल बर्डन आजाये। उसकी कोई युटिलिटी नहीं है।

इसलिए नियमों में नहीं रखा गया कि इस तरह की बात की जाय। 90 हजार टीचर का इस तरह कराओगे तो उसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या हो सकते है?

श्री केसरी मल (ब्यावर) : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे……

श्री अध्यक्ष : नो फरदर सप्लीमेन्ट्री। आई विल नॉट अलाउ।

श्री केसरी मल : बहुत आवश्यक है....

श्री अध्यक्ष : आई वोन्ट अलाउ। आइ प्रोसीड फरदर।

श्री केसरीमल : जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : जरूरी होगा।

श्री केसरीमल : एक जगह रख कर उो काले पानी की तरह की सजा देंगे। ...

श्री अध्यक्ष : एक ही सवाल पर इतना ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

राजपत्रित एवं साप्ताहिक अवकाश

492. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निम्नलिखित विभागों के सहायक कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाशों एवं साप्ताहिक अवकाशों के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है :-

(1) देवस्थान विभाग,

(2) जनानी ड्योढ़ी,

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन अधिकतर चिकित्सालयों।

यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : बहुत अच्छा जवाब दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तीनों का जवाब दिया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पूरा सवाल आपने पूछा है, उसमें सात सप्लीमेन्ट्री लगाये हैं, सबका जवाब है-जो नहीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी: बहुत बढ़िया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत बड़ा ही नहीं है। इसको थोड़ा कम करवाना पड़ेगा।

श्री केदारनाथ : बड़ा कम्प्रीहेन्सिव जवाब है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अवकाश नहीं मिल रहा है क्या यह सच है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : [illegible] जवाब मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस पर सप्लीमेन्ट्री पैदा नहीं हो रहा है।

श्री जगमोहनसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सप्लीमेन्ट्री तो, अध्यक्ष महोदय, पैदा कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न यह है कि अवकाश नहीं मिल रहा है इसलिए उन्होंने आन्दोलन किया।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अवकाश मिलता तो आन्दोलन करने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जगमोहन सिंह मौजूद हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति की पंजीकृत सहकारी समिति को गृह निर्माण हेतु ऋण

493. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में जनवरी, 1973 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हो चुकी है ?

(2) कोटा जिले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार रहते हैं और इनमें से कितने परिवारों के पास मकान नहीं हैं और अब तक कितने परिवारों को मकान बनाने हेतु कोई ऋण दिया गया है ? अगर दिया गया, तो राशि बतायें।

(3) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की किसी पंजीकृत सहकारी समिति को गृह निर्माण हेतु ऋण दिया गया है ? अगर हां, तो कितना ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) कोटा जिले में अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की 10 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हो चुकी हैं।

(2) कोटा जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने परिवार रहते हैं और इनमें से कितने परिवारों के पास मकान नहीं हैं, इसका इस विभाग द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है। इस वर्ष दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि० जयपुर ने कोटा जिले की एक सहकारी समिति को जिसके कुल 21 सदस्य हैं, 84,000 रुपये की राशि का ऋण स्वीकृत किया है।

(3) सूचना प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में दे दी गई है।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और जब आपके पास आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों को मकान बनवा कर देना चाहते हैं, कितने लोगों के सामने आवास की समस्या है तो कैसे इस समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह मैं समझता हूं, बड़ा जटिल प्रश्न है, कितने लोगों के पास मकान नहीं है, उनका क्या सर्वे होगा ? यह जरूर है कि जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं वह ज्यादा संख्या में हैं। फाइनेन्स सोसाइटी के आधार पर लोग ऋण लेने की दरख्वास्त करते हैं, जो दरख्वास्त देते हैं उनको कर्जा दिया जाता है।

श्री रावतराम : मंत्री महोदय यह बतायेंगे, जो हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहां कागज

(श्री रावतराम)

आते है तो 25 मेम्बर की सोसाइटी होती है उसमे पांच सौ रुपय लीगल शुल्क जमा करते हैं, 25 से ऊपर एक हजार और फिर दो हजार लीगल शुल्क जमा कराते हैं। यह कहां का न्याय है ? क्या इनकी एक हजार शुल्क देने की स्थिति है ? गरीब आदमी सौ रुपये अपने हिस्से का जुटाता है और तीन सौ समाज कल्याण देता है और फिर वह एक हजार रुपये शुल्क के जमा कराते हैं। तो क्या सरकार विचार करती है कि पांच सौ रुपए एक हजार और दो हजार की फीस ली जाती है यह भविष्य में नहीं ली जायगी ?

श्री औंकरलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोसाइटी के निर्माण में फाइनेन्स सोसाइटी ने एक लीगल फी मुकर्रर कर दी, 25 मेम्बर हैं तो पांच सौ, पच्चीस से ज्यादा हैं तो एक हजार और फिर दो हजार क्योंकि जो सोसाइटी रजिस्टर होती है, उनके टाइटल को वेरीफाइ करने के लिए उनकी प्रोसीडिंग्स को तय करने के लिए, उनका मोर्टगेज डीड बनाने के लिए लीगल फी के नाम से वसूल करते हैं। वास्तव में सही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के पास धन का अभाव होने के कारण वह नहीं करा पाते हैं, लेकिन नियमों के अन्तर्गत यह फाइनेन्स सोसाइटी वसूल करती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्य के खड़े होने पर) एक माननीय सदस्य। One at a time.

श्री श्रीराम गोटेवाला : पांच सौ, एक हजार और पन्द्रह सौ—यह फीस लीगल फीस के नाम पर लेते हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, समाज कल्याण विभाग द्वारा कानूनी सहायता शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी जाती है, क्या मंत्री महोदय इससे सहमत हैं कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से यह पैसा लीगल एड के नाम पर दे दिया जाय ताकि जयपुर में जो कॉस हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर हुई हैं उनके सामने यह सबसे बड़ा संकट है, वह दूर हो। पांच सौ, एक हजार और पन्द्रह सौ की लीगल फीस के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि इस प्रकार लीगल फीस के नाम पर पैसा लिया जाता है वह समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इतना तो होना चाहिए।

श्री औंकारलाल चौहान : समस्या जटिल है। इसमें दो प्रश्न हैं—एक लीगल फीस का, दूसरा जमीन स्थानान्तरित करने का। टाउन एक्ट तहत चूंकि किसी व्यक्ति के द्वारा जमीन ट्रान्सफर नहीं की जा सकती। यह दोनों प्रश्न हैं। मुझे याद है, गत साल डी. एल. बी., सेक्रेटरी और कोऑपरेटिव के व्यक्तियों को बैठा कर मीटिंग की है और तय कर दिया है, जो लीगल फीस शिड्यूल्ड कास्ट्स की सोसाइटी से वसूल की जाती है, वह विभाग मीट करेगा, उसका सारा खर्चा सरकार देगी। दूसरा निर्णय यह भी लिया गया है इस सम्बन्ध में, जहां इस तरह का ट्रान्सफर नहीं कर सकते और पचायत भी बिना हाय, फ्री आफ कास्ट देती है इसलिये वह मोर्टगेज नहीं कर सकते,

(श्री ओंकारलाल चोहान)

इसलिये यह निर्णय लिया गया है, उनके नियमों में संशोधन करना चाहिये, उनको सुविधा मिलनी चाहिए । आगे सुविधा मिल जायगी, यह एक प्रॉविजो लगा दिया जायगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो जमा करा दिया गया है वह वापिस दे दिया जायगा ?

श्री रावतराम: जिन सोसाइटीज ने पैसा जमा कराया है, ऐसा है उनको वापिस किया जायगा ?

श्री नत्थासिंह : जो राशि जमा की है, पांच सो, एक हजार, पन्द्रह सौ जमा कराई हुई राशि को वापिस करेगी सरकार ?

श्री रावतराम: यह और बता दीजिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका उत्तर फरमा दीजिये ।

श्री लूणाराम : यह निवेदन है, मंत्री महोदय ने फर्माया, यह राशि सरकार देगी । हकीकत यह है, दूसरो भी ऐसी संस्थायें हैं, जिस तरह सेन्टर को-ऑपरेटिव बैंक हैं, और-और बैंक हैं, उनके अन्दर लीगल एड-वाइजर के लिए बंधी हुई है कुछ रकम सालाना । इस तरह पांच सौ, हजार और पन्द्रह सौ रुपये सरकार दे तो उधर भी दे क्योंकि यह मार है और लूट है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सरकार को भी नहीं देनी चाहिए ।

श्री लूणाराम : मंत्री महोदय इस पर विचार करें, दूसरी बैंकों में भी इस प्रकार की व्यवस्था हो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मेरा प्रश्न यह है ···

श्री अध्यक्ष : सवाल नोट कर लीजिये, जवाब एक साथ दे दीजिये । आप वेट क्यों करते हैं ? सवाल एक साथ आ जायं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं जानना चाहता हूं, 1973-74 के बजट के अन्दर अनुदान की राशि का प्रावधान किया है, वह बहुत कम है, अध्यक्ष महोदय, उसके कारण से लोगों को जितनी राशि में ऋण मिलना चाहिए था उतनी राशि में ऋण नहीं मिल पाया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो अनुदान की राशि का प्रावधान है, 1973-74 के बजट में, क्या सरकार का उसको बढ़ाने का इरादा है ?

श्री अध्यक्ष : एनी अदर सप्लीमेंट्री?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनका जवाब आ जाय ।

श्री अध्यक्ष : फिर दुबारा सप्लीमेन्ट्री की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हां में जवाब दे देते हैं तो फिर सप्लीमेन्ट्री करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगमोहनसिंह : आपने बताया, एक सोसाइटी को ऋण दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया-इसका क्या कारण है ?

श्री जयकिशन ठोसावड़ा : हाउसिंग की जो कमेटी बनी हुई हैं उनमें ऐसा नियम है, 25 मेम्बर तक हों तो लीगल फीस पांच सौ रुपये देनी पड़ेगी ···

श्री अध्यक्ष : इट हेज बीन आलरेडी आन्सर्ड ।

श्री जयकिशन तोसावड़ा (फागी) : दूसरा यह है कि पच्चीस के आगे बढ़ने पर एक हजार देना पड़ेगा………

श्री अध्यक्ष : आप रिप्लाई दे दीजिए, माननीय मंत्री जी ।

श्री औंकारलाल चौहान : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सोसाइटीज है, उनके लिए पट्टा लेना जरूरी होगा चाहे वह नगर पालिका क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो ।

श्री चेतराम : यही तो मैं कह रहा हूं कि पट्टा देने का जो प्रावधान है, वह समाप्त किया जाये ।

श्री औंकारलाल चौहान : हमारे पास लीगल एड के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान है । क्योंकि जितनी सोसाइटीज अभी भी रजिस्टर्ड हो रही हैं और जिनको कर्जा मिल चुका है, उन्होंने पूरे रुपये जमा करा दिये हैं । और जब जमा करा दिये है तो यह काफी अर्से से पेंडिंग हैं और आगामी वर्ष इसका पालन कर पायेंगे, यही मेरा निवेदन है । 1973-74 का बजट ऐलोकेशन कम है, इसका ध्यान रखा जा रहा है कि अधिक से अधिक प्रावधान रखें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 8 तारीख को आपने मीटिंग में डिसाइड किया है और अब भी आपके पास बजट में पैसा है लीगल एड के लिये । अभी भी कई सोसाइटीज हैं जिनको यू. आइ. टी. ने जमीन हैंड ओवर की है । वहां पर भी 500 से 1000 रु० ले रहे हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 8 तारीख को जो आपने फैसला किया, उसका आदेश उनके पास भिजवाने की कृपा करें ताकि यह कार्यवाही पूरी हो जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह ।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : No please.

श्री दिनेशराय डांगी : केवल एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : Closed, Closed, Closed.

श्री दिनेशराय डांगी : जिन्होंने पैसा जमा करवाया है उनको वापिस मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: Closed. श्री विजयसिंह ।

मांडल तहसील के अकाल राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिक

494. श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांडल तहसील में चल रहे राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों को प्रति श्रमिक प्रतिदिन कम से कम कितनी दर से रकम चुकाई गई है ?

(2) क्या यह सही है कि गोकुलपुरा तालाब पर चल रहे अकाल राहत कार्य पर एक वृद्ध अन्धे व्यक्ति से उतनी ही मिट्टी खुदाई जा रही है जितनी अन्य

(श्री विजय सिंह)

स्वस्थ व्यक्तियों से ? यदि हां, तो ग्रेशस रिलीफ की रकम किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए है ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) विवरण संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि गोकुलपुरा तालाब पर किसी वृद्ध अन्धे व्यक्ति से मिट्टी खुदाई का कार्य लिया जा रहा है। निःशुल्क सहायता ऐसे बेसहारा लोगों को दी जाती है जो स्वयं सहायता कार्य पर जाकर अपनी रोजी नहीं कमा सकते।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री विजयसिंह : यह जो सूची आपने दी है, उसके अन्दर आपने लिखा है कि 1.74 कम मिले हैं, इसका क्या कारण है ? इसको कम क्यों मिला है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह पैसा नवम्बर में मिला है। काम नहीं किया, इसलिए कम मिला।

श्री विजयसिंह : क्या जो फेमिन के काम चल रहे हैं, उनमें इस तरह कम करने का प्रावधान है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री विजयसिंह : लोड और लिफ्ट नहीं दिया गया, इसलिये पैसा कम मिला है। हकीकत यह है कि लोड और लिफ्ट नहीं दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कौन से तालाब पर नहीं दिया गया ?

श्री विजयसिंह : इस तालाब पर।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जांच का आदेश दे रहा हूं।

श्री विजयसिंह : दूसरा प्रश्न यह है कि एक अन्धे और वृद्ध व्यक्ति को काम पर लगाया गया है। उसका नाम जालू है। उसके घर में छः जने हैं जिसमें से तीन अन्धे हैं। वह खुद अन्धा है, उसकी बीवी अन्धी है और उसके बेटे की बीबी भी अन्धी है। उस वृद्ध अन्धे आदमी से काम करा रहे हैं, और आप फरमाते हैं कि काम नहीं कर रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई अन्धा आदमी काम नहीं कर रहा है। मैं तो यह कह रहा हूं कि अन्धा आदमी काम कर रहा है, लेकिन वह वृद्ध नहीं है, बुढ्ढा नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार उसका नाम लक्ष्मण पुत्र जालू है और उसकी उम्र 25 साल है। आप जालू का नाम ले रहे हैं, मेरे पास जो सूचना है उसमें जालू का लड़का लक्ष्मण काम कर रहा है, यह है।

श्री विजयसिंह : 4 तारीख के अखबार में टाइटिल पेज पर उसका फोटो आया है, वह जालू की तस्वीर है।

श्री परसराम मदेरणा : तस्वीर तो उसके घर पर ली गई होगी। मस्टर रॉल पर जिसका नाम है वह लक्ष्मण पुत्र जालू है, जाति गूजर और उम्र 25 बरस। पच्चीस वर्ष का व्यक्ति तो काम कर सकता है। ग्रेशस रिलीफ के लिये तो केवल वही एनटाइटल्ड है जो कि बिल्कुल ही इनवेलिड और इनफर्म है। अगर परिवार के 6 सदस्यों

Page No 20

(20)

(श्री परसराम मदेरणा)

से तीन को काम मिल रहा है तो बाकी के लिये ग्रेशस रिलीफ की बात नहीं होनी चाहिये। और अगर एक अन्धा आदमी भी हट्टा कट्टा है, 25 साल का जवान है और वह अगर मिट्टी की कुटाई कर सकता है तो उसको काम करना चाहिये।

श्री विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सूचना बिल्कुल गलत है। वहां पर 25 साल का आदमी काम नहीं कर रहा। केवल जालू काम कर रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास जो सूचना है उसको मैं डिफेन्ड नहीं कर रहा। लेकिन उसमें यही है कि वह 25 साल का आदमी है जो काम कर रहा है। फिर भी क्योंकि आप वहां के जन-प्रतिनिधि हैं, इसलिये मैं फिर से सही स्थिति की जानकारी करूंगा।

श्री विजयसिंह : आप जांच करा लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूरी सूचना लेकर आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

मत्स्य राज्य के विलय के समय के पंजीकृत उद्योग

495. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) की अनुपस्थिति में] : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में राजस्थान प्रान्त में मत्स्य राज्य के विलय के समय मार्च, 1949 में कौन कौन से उद्योग पंजीकृत थे और वास्तविक रूप में कार्य कर रहे थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पहले पंचवर्षीय योजना द्वितीय एवं तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त अथवा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान अलवर जिले में कौन कौन से नये उद्योग पंजीकृत एवं चालू हुए ? कृपया सूची योजनावार देने का कष्ट करें।

(3) क्या अलवर जिले में इन योजनाओं के दौरान राजस्थान में विलय से पूर्व चालू उद्योग अथवा योजनाओं के दौरान चालू किये गये उद्योग बन्द हुए हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से ? उनके बन्द होने के क्या कारण थे ? कृपया सूची कारणों सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या अलवर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने के बाद इस जिले मे चालू किये जाने के लिये किन्हीं उद्योगों को लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस उद्योग को तथा ये उद्योग क्या क्या कार्य करेंगे ? इनकी रोजगार क्षमता क्या होगी ? इनमें पूंजी नियोजन कितनी होगी ? ये कब से उत्पादन शुरू करेंगे ? कृपया सूची पूरी जानकारी सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राज्य मंत्री, उद्योग)

(3) बन्द उद्योगों की सूची कालम 5 में दर्शाया गया है। उद्योगों के बन्द होने के कारणों का कोई विस्तृत विवरण विभाग में नहीं है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सूची नहीं पहुंची है। आप भिजवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा।

झालावाड़ और झालरापाटन शहरों के मोहल्लों में पानी के नल

496. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालरापाटन और झालावाड़ शहरों में हरिजन व पिछड़ी जाति के मोहल्लों में नल बिछा दिये गये हैं ? यदि हां, तो दोनों शहरों के कौन कौन से वार्डों में नल लगाये गये हैं और कितने वार्डों में अभी तक नल क्यों नहीं लगाये गये हैं ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : झालावाड़ में जिन बस्तियों में नल डाल दिये गये हैं वह निम्नलिखित हैं :

(1) मंगलपुरा (कुम्हार मोहल्ला),

(2) हाइ स्कूल के पीछे (मसान घाट),

(3) मोटर स्टैंड के पास।

झालावाड़ के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

झालरापाटन की जिन बस्तियों में नल डाले जा चुके हैं वे निम्नांकित हैं :—

(1) सूरजपोल बाहर (रेगर मोहल्ला),

(2) सूरजपोल बाहर (हरिजन मोहल्ला),

(3) सूरजपोल बाहर (चमार मोहल्ला),

उपरोक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। झालरापाटन में जिन बस्तियों में नल डालने हैं वह निम्न हैं :

बची हुई लाइन

(1) रंडी मोहल्ला 8 मीटर

एक माननीय सदस्य : कौन सा मोहल्ला ?

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : इसको फिर रिपीट कर लीजिये।

श्री चन्दन मल बैद :

(2) पिंजारा मोहल्ला 10 मीटर

(3) मंगवान गली (कोली बस्ती) 6 मीटर

(4) निम्बावाड़ी मोहल्ला 10 मीटर,

(5) शिवजी मंदिर (भील बस्ती) 10 मीटर

(6) तलाई चौक (जुलाहान मोहल्ला) 30 मीटर

(7) जाटन मोहल्ला (बस स्टैंड) 65 मीटर

139 मीटर

Page No 22

(22)

(श्री चन्दनमल बैद)

कार्य किया जा रहा है और इस माह के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। उक्त बस्तियों के अलावा अब कोई बस्ती नहीं है जहां लाइन डाली जानी है।

श्री राम प्रसाद बोहरा : झालावाड़ में 9 और 10 नम्बर वार्ड में अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसकी आप जांच करा लीजिये और झालरा पाटन के काम आप कैसे कह रहे हैं कि पूरे नहीं हुए तो वह कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री चन्दन मल बैद : इस माह पूरे हो जाने की उम्मीद है। आपने जो प्रश्न पूछा है वह सारे मोहल्लों के लिये पूछा है, केवल इन मोहल्लों के लिये नहीं पूछा है। हरिजन मोहल्लों के लिये झालावाड़ में 1972-73 के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा 12228 रुपये और पी. एच. ई. डी. द्वारा 12122 रुपये स्वीकृत किये गये थे, वह खर्च किये जा चुके हैं और झालरापाटन के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा 10765 रुपये मन्जूर किये गये थे वहां लाइन डाली जा चुकी है और कुछ जगह डाली जा रही है और इस माह के अन्त तक यह कार्य पूरा होने की आशा है। इसके अलावा माननीय सदस्य अगर महसूस करते हैं कि कोई हरिजन मोहल्ला बाकी रह गया है, तो आप उसकी सूचना दे दें, अगले साल तक निश्चितरूप से उसके लिये भी प्रावधान किया जायेगा।

श्री राम प्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो हरिजन मोहल्ले में तेजाजी के मन्दिर के पास है वहां पर व्यवस्था नहीं है उसके लिये भी होगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बता दीजिये मन्त्री महोदय को।

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कुछ स्मरण शक्ति कमजोर है अतः आप लिखकर भिजवा दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 497। श्री रावतराम।

अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों के प्रोमोशन्स में रिजर्वेशन

497. श्री रावतराम (छापर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री ने गत विधान सभा अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन रखा जावेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब जारी हुए ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेश के बाद जिन कर्मचारियों का प्रोमोशन हुआ है क्या उसमें इसकी पालना की गई है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। आदेश निकट भविष्य में जारी होने की सम्भावना है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि पिछली विधान सभा में मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि शेड्यूल्ड कास्ट

(श्री रावतराम)

और शेडयूल्ड ट्राइब के लोगों को राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोमोशन्स देने में रिजर्वेशन रखा जायेगा। लेकिन खेद है कि बावजूद मुख्य मन्त्री की घोषणा के अभी तक आदेश जारी नहीं किये गये हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की उसके अनुसार कुछ भी कार्यवाही नहीं। तो उस घोषणा को क्या मानें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने कहा था कि यह मामला केबीनेट में विचाराधीन है और केबीनेट में शीघ्र ही फैसला होने पर राज्य सरकार के जो शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब के कर्मचारी हैं उन पर लागू हो जायेगा।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने इस सदन में 28-4-71 को घोषणा की थी कि इस प्रश्न पर राज्य सरकार दो महीने में इम्प्लीमेन्टेशन कर देगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है बारह महीने होने को आया है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया में भी सन् 68 से इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। वहां पर प्रोमोशन्स के लिये रिजर्वेशन कर रखा है। लेकिन बावजूद मुख्य मन्त्री के आश्वासन के अभी तक दो महीने में जो काम करना था वह साल भर हो गया नहीं हुआ है। तो इस तरह से तो पांच साल गुजर जायेंगे और आश्वासन की क्रियान्वित नहीं होगी। तो फिर इस प्रकार जो राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया उसके पूरे होने की क्या उम्मीद हो सकती है।

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय मैं कांग्रेस दल के ट्रेजरार का बहुत आभारी हूं और उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सरकार की राय जाहिर की। अध्यक्ष महोदय, हमने शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का इसमें किस प्रकार से प्रोमोशन्स मिले इसके लिये रूल्स बनाये और बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार एग्जामिन करवाये, इसके अलावा जो भारत सरकार ने इस बारे में रूल्स बनाये हैं उनको भी एग्जामिन किया उसके बाद में रूल्स डिपार्टमेंट ने बनाये हैं। अब वे फाइनल स्टेज पर हैं और केबीनेट में है। चूंकि अभी पिछले साल से अकाल की स्थिति राजस्थान में चल रही है, इसलिये राज्य सरकार के पास बहुत ही कम समय इसके लिये मिला इसलिये यह अभी तक बाहर नहीं आये हैं, लेकिन अब जल्दी ही निकल जायेंगे। इसमें जो देरी हुई है उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं।

एक माननीय सदस्य : दूसरी स्टेट्स में लागू कर दिये हैं। वहां पर शेडयूल्ड कास्ट के कर्मचारियों के लिये प्रोमोशन्स में रिजर्वेशन्स है।

श्री बरकतुल्ला खां : इसमें हमने जल्दी इसलिये नहीं की कि कहीं रूल्स बनाये वे गलत नहीं बन जायं कोई गलती नहीं हो जाय इसलिये हमने उन्हें चार जगह एग्जामिन करवाये हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेन्ट हैं उसके अनुसार और गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने जो रूल्स बनाये हैं उसके अनुसार हमने हमारे रूल्स बनाकर एग्जामिन करवाये और उसमें ऐसा देखा गया कि इसमें कितने आदमियों को हम किस प्रकार से प्रोमोशन्स दे सकते हैं उसके अनुसार डिपार्टमेन्ट्स रूल्स बना दिये गये गये हैं अब वे जैसा कि मैंने

Page No 24

(24)

(श्री बरकतुल्ला खां)

कहा कि केबीनेट में फाइनल स्टेज पर पड़े हैं उनको जल्दी तय करके आदेश जारी कर दिये जायेंगे। देरी का कारण तो यह था कि हम अकाल में लगे हुए हैं इसलिये इसमें इतनी देर हो गयी। इसके लिये मैं माफी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : No further question I have closed the question.

श्री रावतराम : अभी जो आश्वासन दिया गया है कि केबीनेट से जल्दी निकट भविष्य में फैसला होकर आदेश जारी कर दिये जायेंगे इसे मैं आश्वासन मानकर चलूं कि राजस्थान में भी दूसरी स्टेट्स में हैं उस तरह से यहां भी व्यवस्था हो जायेगी रिजर्वेशन की।

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल। प्रश्न संख्या 498।

हरिजन बस्तियों में विद्युतिकरण तथा पेय जल हेतु आवंटित धनराशि

498. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा हरिजन बस्तियों में विद्युतिकरण और पेय जल की पाइप लाइन बिछाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में इस वर्ष कितनी कितनी राशि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन से जिले में यह राशि चालू वर्ष में पूर्ण उपयोग में आ सकेगी और कौन से जिले में किस कार्य की राशि क्यों लेप्स होने की सम्भावना है ?

(3) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या किसी जिले में अतिरिक्त धनराशि की भी आवश्यकता है ?

समाजकल्याण मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) इस वर्ष राजस्थान में अनुसूचित जाति वह जनजाति की बस्तियों में पेयजल हेतु पाईप लाईन लगाने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जितनी राशि के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं उसकी जिलेवार सूची सदन की मेजपर रख दी गयी है।

अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों में विद्युतिकरण हेतु समाज कल्याण विभाग के बजट में इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं है। अतः जिलेवार राशि आवन्टन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(2) नल लगाने हेतु 5.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रस्ताव में से कोई राशि लैप्स होने की सम्भावना नहीं है।

(3) राशि की उपयोगिता के लिए विभाग ने समय पर ही प्रस्ताव स्वीकृत कर मुख्य अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य (अभियान्त्रिक) जलप्रदाय विभाग, जयपुर को भेज दिये थे।

(समाज कल्याण मंत्री)

(4) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त बजट में कोई प्रावधान विद्युतिकरण के लिये नहीं रखा गया है दूसरे 13 जिलों में आपने जो समाज कल्याण विभाग ने जो विद्युतिकरण के लिये एवं पेयजल के लिये जो राशि हरिजन बस्तियों के लिये रखी थी उसको आवन्टन करने के लिये आपने क्या प्रावधान रखा था और इसमें आपने पाली जिले का नाम क्यों नहीं रखा।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि जो प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग के पास आते हैं उनके अनुसार हम कार्यवाही करते हैं। जैसे ही प्रस्ताव आता है वित्त मन्त्रालय को लिख कर धनराशि आवन्टन की जाती है। अभी 60 हजार रुपये खर्च किये गये हैं। जहां तक राशि का प्रावधान करने का संबंध है चूंकि पाली जिले से कोई प्रस्ताव नहीं आया इसलिये प्रावधान नहीं रखा गया है। इस समय हमारे पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले से प्रस्ताव गये हुए हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : पाली जिले का का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सूचना है कि पाली जिले की नगरपालिका ने समाजकल्याण विभाग को हरिजन बस्तियों में पेयजल और विद्युतिकरण के लिये मांग कर रखी है। आप इसके बारे में जांच करालें।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय मेरे पास सूचना है। पाली जिले में 69–70 में 65 हजार रुपये खर्च किये गए हैं। 70-71 में 12,120 रुपया सैंक्शन किये गये थे। और 71–72 में 4,930 रुपये स्वीकृत किये गये थे। अब आप प्रस्ताव भेजेंगे तो कार्यवाही होगी।

एक माननीय सदस्य : आपने बिजली के लिए कितनी धनराशि रखी है इस साल।

श्री ओंकारलाल चौहान : 25 लाख रुपये।

श्री रोशनलाल : एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जहां पर विद्युत कम्पनीज हैं वह तो मदद देना चाहती है तो क्या राज्य सरकार हरिजन मोहल्लों में बिजली की व्यवस्था करेगी। जैसे उदयपुर में भोपाल इलेक्ट्रिकल कम्पनी है वह तो चाहती है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अलग से प्रश्न है।

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : वहां बिजली जरूर पहुंचायी जायेगी। चाहे कम्पनी को-आपरेट करे या नहीं करें। हमने पहले ही डिसीजन ले रखा है कि चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन मोहल्लों में और पिछड़ी जातियों के लोगों के क्षेत्र में बिजली लगेगी यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य प्रश्न संख्या 499।

राजस्थान विमुक्ति जाति सेवा संघ

499. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (1) क्या यह सही है कि राजस्थान विमुक्त जाति सेवा संघ का कार्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन चल रहा है ? यदि हां तो कब से ?

(2) इस संस्था के अकाउन्ट्स का ऑडिट कब कब किस के द्वारा हुआ है। कृपया सन् 1964 से लेकर अब तक की ऑडिट रिपोर्ट्स की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन ऑडिट रिपोर्टस में उल्लिखित अनियमितताओं का किस किस प्रकार से निराकरण किया गया है ? कृपया प्रत्येक ऑडिट रिपोर्ट के साथ इस का विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) प्रशासक नियुक्ति करने से पूर्व इस संस्था में किस किस समय में कौन कौन व्यक्ति अध्यक्ष एवं मन्त्री के पद पर रहे हैं।

(5) क्या यह भी सही है कि इस संस्था का गठन करते समय जयपुर के सेवा सदन का कार्य उसकी सम्पत्ति भी इसमें सम्मिलित कर ली गई थी ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या सम्पति ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री औंकारलाल चौहान) : (1) जी हां। दिनांक 12-10-64 से।

(2) वर्ष 1964 से लेकर अब तक संस्था के अकाउन्ट्स का ऑडिट महालेखाकार, जयपुर तथा मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट की एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इन ऑडिट रिपोर्ट में उल्लिखित जिन अनियमितताओं का निराकरण कर दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व इस संस्था में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मन्त्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) इस संस्था का गठन करते समय सेवा सदन, जयपुर की प्रवृति एवं कार्यकर्ताओं को सम्मिलित कर लिया गया था किन्तु उसकी किसी प्रकार की सम्पत्ति इसमें सम्मिलित नहीं की गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमे लिखा हैं कि—

150 bighas of land costing Rs. 5 lakhs.

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरे पास ऐसी कोई नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इधर-उधर मत टालिये। विमुक्ति जाति संघ की यह जमीन जिन पर ऑडिट पैरा बना है यह जमीन कहां हैं ?

(विराम)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

देखिये, सोच कर नहीं। एक दम कह दीजिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया है कि इस सम्पत्ति को शामिल नहीं किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पत्ति कहां है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस संबंध में आपके यहां अकाउन्टेन्ट द्वारा कोई जांच हो रही है ?

(विराम)

बोलिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विस्तार से जवाब दिया है। ऑडिट रिपोर्ट दे दी है। ब्यौरा ऑडिट रिपोर्ट में दे दिया गया है। माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सन्तोष का प्रश्न नहीं है माननीय मन्त्री महोदय।

"Prior to the formation of Vimukt Jati Seva Sangh, Jaipur, an institution under the name of Seva Sadan was functioning at Jaipur, doing some work towards the uplift of backward classes and criminal tribes."

यह सब कुछ इसके नीचे है।

"It was, however, seen that this land of 150 bighas. which must be costing Rs. 5 lakhs at present, was not shown in the balance sheet of the Sangh."

इन्होंने मान लिया है कि चूंकि यह जमीन, मर्जर हो चुकी है इन्स्टीट्यूशन का इसलिए विमुक्ति जाति सेवक संघ के पास चली गई।

"It was admitted that this land was never in the possession of the Sangh."

फिर आपने कह दिया

"It is not known as to why the land was not transferred to the Sangh when the Sadan was taken over. The case is brought to the notice of the Government for investigation as to what happened to this land and why it was not transferred to the Saugh."

68, 69 की यह ऑडिट रिपोर्ट है। आपके डिपार्टमेंट ने टेक अप किया है। अकाउन्टेन्ट इस पर जांच कर रहा है और आप आज तक जांच के प्रश्न पर मौन हैं और जमीन का पता नहीं लग रहा है जो कुछ भी उत्तर है वह स्पष्ट दे दीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह भी बताइये कि 150 में से 125 बीघा जमीन माननीय हरिदेव जी जोशी के पास है वह इसमें से है।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि

Page No 28

(28)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

विमुक्ति जाति सेवा संघ को मान्यता दी इसके पास जमीन नहीं थी। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि कहीं गड़-बड़ है इस सम्बन्ध में तो जांच करा ली जाय। लेखा अधिकारी ने अनियमितता बतायी। उस समय से विमुक्ति जाति सेवा संघ को डिपार्टमेंट में ले लिया और डिपार्टमेंट में काम कर रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक और है। और पढ़ लीजिये आप।

"It was pointed out in paras of part 2-B for 1966-67 that the Government had instituted enquiry into the working of the Sangh in November, 1964, and the Director of Social Welfare and the Chief Accounts Officer, Rajasthan were made responsible for instituting enquires. The results of the enquiries do not appear to have been submitted to the Government so far. Progress of enquiries may be intimated."

इतना स्पष्ट इसमें लिख दिया गया है। आग्रह किया गया है और उसके बाद यह मसला एन्टीकरप्शन को भी दिया गया। 64 से लगा कर अब तक एक्सेप्शनल केस आपने माना है। नतीजा जो कुछ भी है, उसका निकाल दीजिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे न्यायोचित उत्तर दें तो स्पष्टीकरण हो सकेगा अन्यथा माननीय मंत्रीजी से तो आशा नहीं है।

मुख्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां): मेरे पास पूरे फेक्ट्स नहीं है इसलिए जवाब नहीं दे सकूंगा। माननीय सदस्य मेरे दोस्त हैं, उन से बात करूंगा और जो कुछ मुझे देंगे उस की जानकारी कर लूंगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक प्रश्न है मेरा, जो यह जांच हो रही हैं आपके डिपार्टमेंट में उस पर शंका है। डाइरेक्टर सोशियल वेलफेयर की कृपा से बैठे हुए हैं आपका डिपार्टमेंट इसलिए वह पत्र मंगा कर आप सेटिस्फाइड हो जाय तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जायगा।

श्री बरकतुल्ला खां : वह पत्र मंगा लेता हूं और जो रिकार्डस आया है और कार्यवाही हुई है वह देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 502 वाला प्रश्न ले लें। जिन प्रश्नों का सरकार जवाब पोस्टपोन कराना चाहती है उनको कृपा कर पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने सचिवालय को यह आदेश दे रखे है कि जिन प्रश्नों का उत्तर यहां न किया जा सके और लिस्ट में आ गये है तो उनका उत्तर माननीय सदस्यों के पास भिजवा दिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 508 के बारे में जवाब दिला दिया जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लिखित में भिजवा देंगे। लेकिन जो लिस्टेड है और पोस्टपोन्ड हैं उनको आगे लगाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : जिनको पोस्टपोन कर चुके है वह तो पोस्टपोन्ड है ही। दुबारा फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। वह तो लिस्ट में आवेंगे ही।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 508 को भी पोस्टपोन करवा दीजिये।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न भी पोस्टपोन करवा दी जिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बांसवाड़ा में मेड़ बन्दी व एनीकट का कार्य

484. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): क्या भू-संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला बांसवाड़ा में भू-संरक्षण विभाग ने जिले में मेड़ बन्दी व एनीकट का काम सन् 1972 से अब तक किन किन गांवों में करवाया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन गांवों में उक्त कार्य हुआ हैं उनका चुकारा बाकी है ? यदि हां तो किस किस का कितनी कितना चुकारा किया गया है और अब तक कितना बाकी है ? गांव वाईज किस किस कार्य का चुकारा बाकी हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, केवल दो गांवों में 5 काश्तकारों को 734) रुपया का अनुदान व एक ठेकेदार का 9411) रुपया का भुगतान शेष है जो यथाशीघ्र किया जा रहा है। बकाया के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न कार्यक्रमों में व्यय की गई राशि

218. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तीन पंचवर्षीय योजनाओं, सालाना योजनाओं सन् 1966 से सन् 1969 एवं चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में कितनी कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था ? प्रत्येक कार्यक्रम का अलग से विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय हुई एवं लैप्स हुई ? प्रत्येक कार्यक्रम का अलग से विवरण प्रस्तुत करें।

(3) राशि लैप्स होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना का योजना वार प्रावधान उपलब्ध नहीं है। योजनावार केवल व्यय उपलब्ध है, अतः योजनावार बचत व इनके कारण बताना

(उत्तर)

संभव नहीं हैं। द्वितीय एवं तृतीय पंच-वर्षीय योजनाओं, सालाना योजनाओं सन् 1966 से 1969 एवं चौथी पंच-वर्षीय योजना में वर्ष 1971-72 तक समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्य-क्रमों में रखे गये प्रावधान की सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) विवरण सूचियों में अंकित कर दिया गया है।

(3) राशि बचत होने के कारण सूचियों के अन्तिम कालम में अंकित कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति और जन जातियों के भवन निर्माण हेतु पंजीकृत हाउसिंग सोसायटी

219. श्री नत्थासिंह (नदबई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये मकान निर्माण हेतु हाउसिंग सोसायटियां पंजीकृत की है? यदि हां, तो किस किस जिले में कितनी कितनी सोसायटीज पंजीकृत हुई है और इसके क्या क्या नाम है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन सोसायटियों को मकानों के निर्माण के लिये राज्य सरकार ने कोई ऋण की राशि स्वीकार की है? अगर हां, तो कितनी?

(3) सन् 1972-73 में ऋण देने हेतु कितनी रकम स्वीकार की है और इस रकम में से कितनी कितनी रकम किस किस जिले की किस किस समिति को दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति और जन जाति के ग्रेज्यूएट्स के लिये स्टाइपेन्ड की राशि

220. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के ग्रेज्यूएट्स के लिये कितनी राशि स्टाइपेन्ड की अलॉट की है?

(2) इसमें से कितने ग्रेज्युएट्स को यह राशि मिल रही है तथा अब तक कितनी किश्तें दी जा चुकी है?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगार व्यक्तियों के लिये बेरोजगार भत्ता देने हेतु इस वर्ष 9,54,900 रुपये की राशि अलॉट की गई है।

Page No 31

(31)

(उत्तर)

(2) वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति व जन जाति के 633 स्नातक एवं स्नातकोत्तर बेरोजगारों को वृत्तिका देने की स्वीकृति निदेशालय द्वारा दी गई है। इनमें से नौकरी लग जाने, आगे अध्ययन करने अथवा अन्य कारणों से 32 व्यक्ति धन्धों में लग गये। शेष 601 व्यक्तियों को संबंधित जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा वृत्तिका स्वीकृत किया जा रहा है। सामान्यत: वृत्तिका हर माह दिये जाने की व्यवस्था है।

राजस्थान भू-तल जल मंडल की मशीनें

221. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान भू तल जल मंडल के पास ट्यूब वेल (पाताल तोड़) कुएं बनाने की कितनी मशीनें है? ये मशीनें कब से हैं तथा गत एक वर्ष में इनसे कितने कुओं का बोरिंग हुआ?

(2) 150 फीट की गहराई के कुए खोदने में कितना समय लगता है?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-जल विभाग के पास नल कूप बनाने के 46 मशीनें है। जिनमें से 14 रोटरी रिग, 29 परक्यूशन रिग और 3 एयर ड्रिल मशीनें है। यह मशीनें कब से है इसकी विवरण सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। उक्त मशीनों से वर्ष 1971-72 में 370 नल कूप बनाये एवं 260 कुओं में बोरिंग का कार्य किया गया।

(2) 150 फुट की गहराई के कुए खोदने में समय लगना अन्दर के पत्थर की किस्म पर निर्भर करता है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

नलकूपों को चलाने एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर होने वाला व्यय

222. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जन-स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत किस-किस स्थान पर कब कब से कितने कितने नलकूप हैं और उनकी पानी की क्षमता कितनी कितनी है?

(2) इन नलकूपों का क्या उपयोग हो रहा है?

(3) नलकूपों को चलाने एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर सन् 1967 से लेकर प्रति वर्ष अब तक कितना कितना और किस किस प्रकार से व्यय हुआ है?

(स्थगित)

नादोती तहसील के गांवों को पीने का पानी सुलभ कराने हेतु योजना

223. श्री मोठालाल (लालसोट): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नादोती तहसील (सवाईमाधोपुर) के कुछ गांवों को पीने का पानी सुलभ कराने हेतु बनी एक योजना

Page No 32

(32)

(श्री मीठालाल)

पर अब तक ग्यारह लाख छप्पन हजार सात सौ पैंतीस रुपये से अधिक खर्च हो गये जब कि कुल योजना की अनुमानित लागत 20 लाख 66 हजार है ? यदि हां, तो विभिन्न खर्चों का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अभी तक पर्याप्त पानी प्राप्त करने में कोई सफलता प्राप्त नहीं की गई ?

(3) उक्त योजना में अब तक कुल कितने स्थानों पर बोरिंग किया जाकर पानी की जांच की गई ? कृपया स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या राज्य सरकार ने अब कोई निश्चित जगह मापली है जहां से पानी प्राप्त हो सकेगा।

(5) उक्त योजना के लिए सन् 1972-73 में स्वीकृत 6 लाख रुपयों में से किस मद पर कितना खर्च किया गया ?

उत्तर

1. योजना की अनुमानित लागत रु० 20.66 लाख है, जिसके मुकाबले जनवरी 73 तक रुपये 14,42,51.08 व्यय किए जा चुके हैं। विभिन्न खर्चों की विवरण तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पानी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई है।

(3) उपरोक्त योजना में पानी प्राप्त करने के लिए कुल 4 स्थानों पर-बोरिंग कार्य-किया गया जहां 2 बोरिंग किया गया सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, गांव गुड़ाचन्द्र जी।

(5) उक्त योजना के लिये सन् 1972-73 में स्वीकृत 6 लाख रुपयों में से जनवरी 73 तक व्यय निम्न प्रकार किया गया:

कुआ, टैंक व क्वार्टर बनाने पर	रु० 1,12,805.00
पाइप लाइन पर	रु० 2,70,578.00
विभिन्न	रु० 2,147.08
कुल	3,85,530.08

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कन्या विद्या शिक्षण संस्था विद्यावाड़ी को अनुदान

224. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की कन्या विद्या शिक्षण संस्था 'विद्यावाड़ी' रानी में 10 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा शिक्षा मंत्री ने उसके वार्षिक उत्सव पर की थी ? यदि हां, तो किस तिथि को।

(2) अब उक्त संस्था को घोषणा के अनुसार 10 प्रतिशत सहायता अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ? निश्चित तिथि बताने का कष्ट करें।

(3) क्या शिक्षामंत्री की घोषणा के अनुसार पूर्व वर्षों का बाकी अनुदान भी सरकार देना उचित समझती है ?, अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(उत्तर)

(1) जी, हां। दिनांक 10-10-70 को।

(2) वित्तीय कठिनाई के कारण इस समय किसी भी अनुदान प्राप्त संस्था के अनुदान प्रतिशत में वृद्धि नहीं की जा रही है।

(3) अनुदान प्रतिशत में वृद्धि के लिये नियमानुसार संस्था द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अनुदान समिति द्वारा सिफारिश उपरान्त अन्य प्रस्तावों के साथ साथ प्रावधान होने की स्थिति में विचार किया जायेगा।

औद्योगीकरण की गति तीव्र करने हेतु उच्चाधिकार समिति का गठन

225. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने 11 जून, 1972 को बम्बई में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा दिये गये सम्मान में यह घोषणा की थी कि राजस्थान में औद्योगीकरण को गति को तीव्र करने के लिए उनकी स्वयं की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है।

(2) यदि हां, तो उक्त उच्चाधिकार समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को किया गया व उसके कौन कौन सदस्य हैं व समिति का कार्य क्षेत्र क्या है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने उद्योगपतियों को यह भी विश्वास दिलाया था कि उक्त गठित समिति नये उद्योगों को स्थापित करने के संबंध में तीन माह के अन्दर अन्दर अपने निर्णय से अवगत करायेगी?

(4) यदि हां, तो उक्त समिति के गठन होने की तिथि से आज तक समिति की कितनी बैठकें हुई व समिति किन निर्णयों पर पहुंची।

(5) क्या यह सही है; कि वर्तमान में राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होता है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने विलम्ब को दूर करने के लिए क्या समाधान निकाला? यदि नहीं तो, राज्य सरकार इस विषय पर क्या कोई अन्य समिति का गठन करने जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उच्चाधिकार समिति का गठन दिनांक 14-4-72 को किया गया। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) उच्चाधिकार समिति की बैठक अभी तक नहीं हुई है।

यद्यपि नए उद्योगों की स्थापना के संबंध में प्राप्त आवेदन-पत्रों की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश साधारणतः तीन सप्ताह की अवधि में कर दी जाती है, कुछ अन्य प्रकार के आवेदन-पत्रों के निस्तारण में विलम्ब होता है। इस संबंध में माह जुलाई, 72 एवम् जनवरी, 73 में राज्य उद्योग मंत्री

Page No 34

(34)

(उत्तर)

महोदया की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों की बैठकें बुलाई गईं एवम् द्रुतगति से आवेदन-पत्रों के निस्तारण के हेतु निर्णय लिए गए। मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन के पश्चात उद्योग विभाग के अन्तर्गत निदेशालय एवम् राजकीय संस्थानों को समुचित निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक आयोजना एवम् विकास समन्वय समिति (उद्योग) भी औद्योगीकरण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु निर्णय लेती है।

(5) अभी सरकार का किसी अन्य समिति गठन करने का तुरन्त विचार नहीं है।

तत्कालीन जिलाधीश सवाई माधोपुर के खिलाफ शिकायतें

226. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार को जिला सवाई माधोपुर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा तत्कालीन जिलाधीश व वर्तमान विशिष्ट राहत सचिव श्री राजेन्द्र जैन, आइ. ए. एस. के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से सम्बन्धित एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र किस तिथि को प्राप्त हुआ ? कृपया उस शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायत को राज्य सरकार ने गम्भीर मानते हुए श्री जैन का स्थानान्तरण सचिवालय में कर दिया था ? यदि हां, तो श्री जैन का स्थानान्तरण किस तिथि को किया गया ?

(3) उक्त स्थानान्तरण आदेश हो जाने के पश्चात् श्री जैन ने उनके न्यायालय में विचाराधीन कितने मामलों में निर्णय दिया व किस किस तिथि को ?

(4) क्या यह सही है कि श्री जैन ने जयपुर उद्योग लि० से रायल्टी वसूली से सम्बन्धित मामले में खनिज विभाग को बिना पूर्व सूचना दिये सुनवाई की तिथि 4-7-72 से बदल कर 24-6-72 निश्चित कर खनिज विभाग की 57 हजार रुपये की वसूली नहीं करने का निर्णय दिया ?

(5) क्या यह सही है कि श्री कुलश्रेष्ठ ने इस वसूली के न करने के सम्बन्ध में श्री जैन पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप अपने शिकायती-पत्र में लगाया है ?

(6) क्या यह सही है कि 57 हजार रुपये के इस मामले के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच की और मामला सही पाया गया ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(7) क्या यह सही है कि श्री जैन का उक्त कृत्य सेवा नियमों के अन्तर्गत निलम्बन योग्य है ?

उत्तर

(1) जी, हां-श्री कुल श्रेष्ठ द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र दिनांक 21-6-72 का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 29-6-72 को प्राप्त हुआ जिसको प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी, नहीं-श्री जैन का स्थानान्तरण सचिवालय में आदेश दिनांक 19-6-72 के द्वारा प्रशासनिक कारणों से किया गया-- जिसकी पालना में श्री जैन ने अपने नये पद का कार्य भार दिनांक 4-7-72 को संभाला।

(3) केवल दो मामलों में दिनांक 19-6-72 एवं 24-6-72 को।

(4) जी हां, यह सही है कि दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर से लैण्ड रेवेन्यू सरफेस रेन्ट इत्यादि कुल रकम 60184-53 पैसे की वसूली से सम्बन्धित मामले (अपील नं० 49/71) में सुनवाई की निश्चित तारीख 4-7-72 को बदल कर श्री जैन ने पेशी दिनांक 24-6-72 को निर्णय सुनाया व वसूली के विरुद्ध जयपुर उद्योग लि० की अपील को स्वीकार कर केस वापिस तहसीलदार को रिमाण्ड किया व रकम की वसूली स्थगित रखी। दिनांक 24-6-72 की पेशी की सूचना खनिज विभाग को नहीं दी गई।

(5) जी नहीं-श्री. कुलश्रेष्ठ का जो परिवाद दिनांक 21-6-72 का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्राप्त हुआ उसमें ऐसा कोई आरोप नहीं था।

(6) इस मामले में जांच जारी है।

(7) जी, नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

रेल्वे कोलोनी गंगापुर में पुलिस चौकी की स्थापना

227. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रेल्वे कोलोनी गंगापुर में पुलिस चौकी स्थापित करने पर एक अर्से से विचार हो रहा था? यदि हां, तो अभी तक चौकी कायम क्यों नहीं हुई?

(2) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी जिले का सबसे बड़ा नगर है लेकिन ट्रैफिक पुलिस का अभी तक इन्तजाम भीड़भाड़ को रोकने के लिए नहीं है? यदि नहीं, तो अब कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह मामला सन् 1971 से पुलिस मुख्यालय के विचाराधीन है। इस मामले का पुलिस विभाग के पुनर्गठन हेतु गठित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार अन्य मामलों के साथ इस विषय पर भी विचार कर निर्णय लेगी।

(2) जी नहीं। शहर की यातायात व्यवस्था का कार्य पुलिस थाना और चौकी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित बीड़ी का कारखाना

228. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित बीड़ी का कारखाना घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार इस लघु उद्योग में बन रही बीड़ी को फौज, पुलिस या सरकारी कैन्टीनों में भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि उद्योग की प्रारम्भिक अवस्था है तथा दूसरे निर्माताओं के साथ कड़ी स्पर्धा एवं पहले से प्रचलित बीड़ियों के समकक्ष चलाने के लिए प्रचार-प्रसार के खर्च के कारण।

(2) बीड़ी को फौज, पुलिस या सरकारी कैन्टीनों में सप्लाई करने को तत्पर है। निगम बीड़ी को निर्यात हेतु भी प्रयत्नशील है तथा निर्यात का एक आदेश भी प्राप्त हो गया है।

जयपुर शहर का मास्टर प्लान

229. श्री राजेन्द्रसिंह (अतियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर का मास्टर प्लान तैयार हो गया है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इसके अन्तर्गत कब कार्य शुरू करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर अन्तिम निर्णय के पश्चात् मास्टर प्लान के प्रकाशित करने हेतु विज्ञप्ति के प्रचलन के दिनांक से।

(प्रति प्राप्त नहीं हुई)

चुंगी कर

230. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किस किस उद्योग की किन किन वस्तुओं को राज्य सरकार द्वारा कब कब से चुंगी कर से मुक्त किया गया है ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) किस किस नगरपालिका ने चुंगी कर वापिस लगाने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया और इन पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) चुंगी कर से किसी उद्योग को मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

Page No 37

(37)

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगर परिषद, कोटा, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर एवं नगरपालिका भवानी मण्डी ने।

सरकार के विचाराधीन है।

(3) नये उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि उपज मण्डी बयाना के चुनाव

1231: श्री नत्थी सिंह (नदबई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी बयाना के चुनाव सन् 1972 में हुये ? अगर हां, तो किस किस तारीख को ?

(2) क्या राज्य सरकार ने राज-पत्र में इस चुनाव में हुये सफल उम्मीदवारों के नामों का प्रकाशन नियमानुसार किया है ? अगर हां, तो कब और नहीं किया गया तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कृषि उपज मंडी बयाना के चुनाव दिनांक 10-6-72 को हुये।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, बयाना के प्रतिनिधि का नाम दिनांक 8-3-73 को प्राप्त हुआ है। सफल उम्मीदवारों के नाम राज-पत्र में प्रकाशनार्थ भेजे जा चुके है।

(3) कृषि उपज मंडी बयाना में 1972 में हुए चुनावों में निम्न उम्मीदवार विजयी हुए:-

1-श्री सुजानसिंह पुत्र रामसिंह जाट निवासी सोहरा तहसील बयाना

2-श्री पदमसिंह पुत्र लालचन्द जाट निवासी बिदासली तहसील बयाना

3-श्री उदयभानसिंह पुत्र निहालसिंह गूजर नि० सालाबाद तहसील बयाना

4-श्री रोशनलाल पुत्र चुन्नीलाल गूजर निवासी महमदपुरा तहसील बयाना

5-श्री करनसिंह पुत्र हरेलीधाकर निवासी सोहरा तहसील बयाना

6-श्री प्रभूलाल पुत्र बंशीधर ब्रा० निवासी नयाबास तहसील बयाना

7-श्री मूलसिंह पुत्र गंगीसिंह जाट निवासी फरसो तहसील बयाना

8-श्री बद्रीप्रसाद वैश्य शिवगंज मंडी बयाना

9-श्री खुबीराम शिवगंज मंडी बयाना

10-श्री गिरधरसिंह, प्रतिनिधि भरतपुर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक भरतपुर

11-श्री जीवनसिंह, प्रतिनिधि बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति बयाना

12-श्री नत्थीलाल सदस्य नगरपालिका बयाना

Page No 38

38

उत्तर

13—श्री हरिचरणलाल, सरपंच पंचायत समिति बयाना।

चेयरमेन का चुनाव निर्वाचन के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद कराया जाता है।

डूंगरपुर जिले में चीनी और अनाज का वितरण

232. श्री रामचन्द्रसिंह (चौरासी): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में सप्लाई विभाग द्वारा चीनी और अनाज नगर और गांव में असमानता के आधार पर वितरित किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1971—72 से अब तक वितरित अनाज और चीनी की सूची, प्रांत तहसील के सस्ते अनाज की दुकानों को वितरित सामग्री की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। चीनी व अनाज के वितरण की मात्रा जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार की गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि

(1) सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानु कुमार शास्त्री अजीतसिंह, गिरधारी लाल भार्गव, केशरीमल, मीठालाल और मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने निवाई में 12 मार्च को एक पांच वर्ष के बालक की निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री भानु कुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने नगर परिषद् सफाई कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री अजीतसिंह सदस्य, विधान सभा ने टौंक जिले में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री केशरीमल सदस्य, विधान सभा ने राज्य सरकार द्वारा तेन्दू के पत्तों का ठेका ठेकेदारों को दिये जाने विषयक समाचार के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, गुमान मल लोढ़ा, निरंजन नाथ आचार्य और केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा ने काला दिसंबर की गतिविधियों के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री निरंजन नाथ आचार्य सदस्य, विधान सभा ने गलियाकोटर में बोहरा समाज के दो वर्गों में तनाव के सम्बन्ध मे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

(7) श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री अजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा ने थाना खाटू के थानेदार द्वारा बस यात्रियों की अकारण पिटाई के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

(8) सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानु कुमार शास्त्री, मनोहरलाल व अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा ने पाकिस्तान के सशस्त्र डाकुओं द्वारा अनूपगढ़ तहसील के वरोर के निकट गांव में लूटमार व दो हरिजनों के अपहरण के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

इन सब स्थगन प्रस्तावों के संबंध में आज माननीय गृह मंत्री सदन में पुलिस विभाग की अनुदान की मांगों के उत्तर में प्रकाश डालेंगे और यदि संबन्धित सदस्य चाहें तो इन्हें बहस के दौरान उठा सकते हैं, अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर में कुछ व्यक्तियों को हथौड़े मार कर हत्या कर देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस विषय पर माननीय गृह मंत्री सदन में आज एक वक्तव्य देंगे। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने स्थगन प्रस्ताव इस बारे में रखा है कि जयपुर नगर परिषद् सफाई कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल की जा रही है ...

श्री अध्यक्ष : जानकारी आई है। फिर भी आपको कहना है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में हड़ताल ..

श्री जसवन्त सिंह नाहर : बहतर ... होगा कि सदन को दस मिनिट के लिए स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन का स्थगन तो नहीं हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिजनेस स्थगन के प्रस्ताव के बारे में तो अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देंगे। मैं एक दो मिनट के लिए संक्षेप में निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य को नियमों से परिचित करा दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नियम यह है कि एक दो मिनिट में संक्षेप में निवेदन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यदि आवश्यक हो तो।

श्री खेतसिंह : इसके साथ ही आपकी अनुमति भी मिल जावे तो।

श्री अध्यक्ष : वह भी रिजेक्ट किया जावे तो उसमें यह सवाल पैदा होता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगर परिषद् के हरिजन लोग कई बार हड़ताल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर चुके हैं। स्वायत्त शासन मन्त्री, स्वास्थ्य मंत्री और श्री परसरामजी मदेरणा ने भी इसमें बीच बचाव किया था और आश्वासन दिया था कि उनको अन्तरिम राहत दी जावेगी। राणावत वेतन आयोग की सिफारिशें उन पर भी लागू की जावेंगी, भत्ता भी मिलेगा और इस आश्वासन पर वह हड़ताल समाप्त हो गई थी। पर न उनको महंगाई भत्ता आज दिन तक मिला, न राणावत वेतन आयोग की सिफारिशें ही लागू की गई। कुछ नहीं दिया गया उनको। इस से दुखी होकर और निराश होकर हरिजन कर्मचारियों ने नगरपालिका भवन के सामने, मुख्य द्वार हमारा भी विधान सभा का जिधर है भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी है। हड़ताल के परिणामों से जयपुर का नागरिक परिचित है, आतंकित भी है। हड़ताल अगर हुई तो सारा जयपुर शहर आने वाली गर्मियों के दिनों में बुरी तरह से सड़ने लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्वायत्त शासन मन्त्री इस ओर ध्यान दें और उनकी वाजिब मांगों को तुरंत मानकर उनकी हड़ताल न हो इसका प्रयत्न करें और उनकी भूख हड़ताल भी तुड़ावें।

श्री अध्यक्ष : मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और जिन सदस्यों के कट मोशन उस विषय पर न होंगे।

श्री अध्यक्ष : तो उनको भी बोलने का अवसर दे दिया जावेगा।

श्री मनोहर कोठारी: मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अजीत सिंह : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

श्री मनोहर कोठारी : नाथद्वारा में

श्री अध्यक्ष : आप तो नियमों से परिचित हैं।

मैंने इसे सरकार की जानकारी के लिये भेजा है। आप मेरे से चेम्बर में बात कर लेते। जानकारी अभी तक मिली नहीं है। परसों भेजा है। कल मिला होगा।

श्री अजीतसिंह : एक स्थगन प्रस्ताव निवाई की घटना के बारे में रखा है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है उसमें भी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की (ग्रुप 7) अधिसूचना संख्या प 1 (1) (2) एच ग्रुप 7/67 दिनांक 5 दिसम्बर, 1972 सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम 1951 में और संशोधन किये गये हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

धौलपुर सब डिविजन में दस्यु उन्मूलन अभियान में एक चमार की मृत्यु सम्बन्धी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सिर्फ इसे पढ़ देंगे। मिनिस्टर कन्सर्न्ड से फिर जो पूछना हो आप पूछ लें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत धौलपुर सब डिविजन में दस्यु उन्मूलन के नाम पर पुलिस द्वारा जनता को सताये जाने तथा एक चमार की मृत्यु को डाकू के मारे जाने के नाम से झूठा प्रचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला भरतपुर का सरमथुरा व धौलपुर का इलाका सदैव से डकैत ग्रस्त रहा है। पुलिस के सतत प्रयासों के कारण इस इलाके में अनेक डकैत मारे गये व गिरफ्तार हुए जिनमें से कुख्यात दस्यु दल फूला, लज्जा, कुंवरजी, जगदीश पण्डित, मोहनसिंह, जसवंत, दयोवरन एवं रतिराम भी शामिल हैं। इस समय सरमथुरा के इलाके में दुर्गा काछी दल सक्रिय है और उसके उन्मूलन के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है। इसी सन्दर्भ में पुलिस द्वारा कुछ ऐसे लोगों को पूछताछ के लिये बुलाया गया जिनकी रिश्तेदारी या सम्बन्ध इस दल से है। श्री प्रयागनारायण को स्थानीय पुलिस द्वारा पूछताछ के लिये इसी सम्बन्ध में बुलाया गया था क्योंकि डकैत दुर्गा काछी के दो निकटतम रिश्तेदार उसकी पत्थर की खानों में काम करते हैं व यह भी सूचना थी कि उसकी खानों पर डकैत दुर्गा काछी अपहरण किये हुए व्यक्तियों के साथ देखा गया है। पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रारम्भिक जांच करा ली गई है। इससे प्रतीत हुआ है कि स्थानीय पुलिस के विरुद्ध कुछ आरोप सही हैं। इस पर श्री बुद्धराम, सी.ओ. बाड़ी और श्री रामकृपाल एस.एच.ओ. सरमथुरा को निलम्बित करने के आदेश दिये गये हैं इन दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अनुसन्धान कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भी आदेश दिये गये हैं।

दिनांक 20-4-72 को थाना मांगलपुर के इलाके में पुलिस से हुई एक मुठभेड़ में एक डकैत मारा गया था जिसने फौज की वर्दी पहन रखी थी और जिसके पास से एक 303 रायफल व कारतूस बरामद हुए थे। मुखबिर की इत्तला के अनुसार मुठभेड़ डकैत किशनलाल काछी के गिरोह से हुई थी और मरने वाला डकैत किशनलाल काछी बताया गया था। इसकी सूचना उसी दिन उच्चाधिकारियों को जरिये वायरलेस दी गई थी जिसमें ही थानाधिकारी कैलारस जिला मोरेना को भी कहा गया था कि वे तुरन्त डकैत किशनलाल काछी जो कि उनके इलाके का रहने वाला था को पहचानने वाले व्यक्ति को भेजें जिससे सही शनाख्त कराई जा सके। मृतक डकैत का फोटो भी खिचवाया गया था। एक सिपाही दिनांक 25-4-71 को इस फोटो और तहरीर के साथ थाना कैलारस वास्ते शनाख्ती भेजा गया था जो वापिस दिनांक 8-5-71 को आया।

थानेदार कैलारस ने सूचित किया कि गांव के लोगों ने फोटो से किशनलाल काछी को नहीं पहिचाना है और इसलिये उसके गेन्ग द्वारा अपहरण किया गया रामदीन को भेजा जा रहा है जो गेन्ग में पकड़े रहने के कारण डकैत के कपड़े, राइफल आदि से सही पहिचान सकता है। श्री रामदीन ने 9-5-71 को राईफल बेन्डोलियर व कपड़े आदि देखकर बताया कि वे हमारे गांव के डकैत किशनलाल काछी के हैं। उसके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी कराये गये। दिनांक 14-5-71

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

को सी. आई. सबलगढ़ का वायरलेस प्राप्त हुआ कि उनकी सूचना के अनुसार डकैत किशन लाल काछी जिन्दा है जिस पर यह सूचना पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर ने तुरन्त वायरलेस से अप्र पुलिस अधीक्षक करौली व एस. एच. ओ. मासलपुर को भेजी और आदेश दिया कि मरने वाला डकैत का सही नाम व पता मालूम किया जाय। मुखबिरों की सूचना के अनुसार भी यह ज्ञात होने पर कि मरने वाला डकैत किशनलाल काछी नहीं है। दिनांक 1-6-71 को इसकी सूचना राजस्थान व मध्यप्रदेश के उच्चाधिकारियों को लिखित में भेज दी गई। यह सही है कि डकैत किशनलाल काछी ने बाद में आत्म-समर्पण किया है और वह जीवित है, परन्तु यह सही नहीं है कि पुलिस उसे आज भी मरा हुआ मान रही है। छानबीन के पश्चात यह मालूम हुआ कि मरने वाला डकैत नरोता चमार है जिसके भाई ने उसका फोटो शनाख्त किया है। उसके अन्य साथी आज भी फरार हैं।

श्री अध्यक्ष: स्पष्टीकरण आप चाहें तो।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह घटना वह नहीं है।

मैं बहुत संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप कहिये पर इस रूप में कि क्लेरिफिकेशन सही हो सिर्फ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: पहले जब माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि प्रयाग नारायण के क्षेत्र में डाकू काम करते थे। मैं इस सम्बन्ध में साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं आम तौर पर बाड़ी और सरमथुरा क्षेत्र में चम्बल की घाटियों में होती रही है और वहां पर जो बुद्धिनारायण सी. ओ. लगा हुआ था वह बड़े अधिकारियों का कृपापात्र रहा है। एस. पी. भरतपुर जब उसके थाने पर गये तो उनकी सहायता लेकर वहां केम्प लगाने का कार्य-क्रम हाथ में लिया।

18-11-72 और 22-11-72 तक थानों पर कैम्प लगाया। हजारों की संख्या में लोगों को जबर्दस्ती परेशान करने की वहां कोशिश की गई। काफी लोगों को बुलाया गया और धमकाया और कहा गया कि अमुक व्यक्ति इन संबंधित डाकुओं से मिला हुआ है।

साफ कहना चाहूंगा कि वहां पर जिन लोगों को बुलाया गया उनमें कई ऐसे सम्मान-नीय नागरिक वहां के थे जिनको जबर्दस्ती थाने में बुलाकर पीटा गया। मार देने तक की धमकियां दी गई। अब इनमें से जिन्होंने सी. ओ. की सेवा कर दी पैसे के माध्यम से उनका नाम कहीं रिकार्ड में दर्ज तक नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरह से उन लोगों से पैसा लेते गये और उनको छोड़ते गये। इस तरह पैसा देकर छूटने के लिये वहां के निवासियों को अपनी भैंस गाय तक बेचनी पड़ी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह साफ कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पैसा दिया और जिनके पास नहीं था तो उधार लेकर दिया उनके नाम तक मैं बताने की स्थिति में हूं। उन्होंने अपनी गाय भैंस मकान जेवर सब कुछ गिरवी रख कर थाने में पैसा सी.ओ. के पास पहुंचाया और तब वे

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

छूट पाये। वहां के लोगों पर मन गढंत आरोप लगाये गये। जिन्होंने पैसा दिया उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने पैसा नहीं दिया या नहीं दे पाये उन पर केस लगाये गये। प्रयागनारायण पर इसी तरह से कई केस लगाये गये। उसका यू. पी. मे होना बेचारे को दर्ज कराया गया जबकि 18 तारीख को और उसके बाद से प्रयागनारायण जयपुर में थे। मैंने स्वयं ने मंत्री महोदय के निवास स्थान पर ले जाकर मिलाने की कोशिश की जिस यू पी से लड़के को भगा-कर बाड़ी में लाया गया बिना मतलब डाकुओं से एनकाउन्टर दिखाया गया। प्रयाग नारा-यण ने चूंकि रिश्वत देने से इन्कार कर दिया इसलिये यह सारा केस बनाया गया।

इसके बाद यह भी जानकारी होनी चाहिये कि हुकमचन्द ने 17-11-72 को कम्पलेन्ट की और उसमें जब भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा का तो नतीजा यह हुआ कि उसके भाई जगदीश को जबरदस्ती उड़-वाया गया और उड़वा कर इस बात का दबाव डाला कि 5 तारीख को भूख हड़ताल पर मत बैठो तब तो तुम्हारे भाई जगदीश को वापिस ला दिया जावेगा वर्ना नहीं। अध्यक्ष महोदय उसने हां कर दी और वही जगदीश को 3 तारीख को वापिस लौटा दिया गया और वह 5 तारीख को भूख हड़ताल पर नहीं बैठा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना एक ही नहीं हुई बल्कि कई हुई है और इस घटना की रिपोर्ट भी......

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त में।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अदालत में पेश हुई चालान नम्बर 48 सन् 72 के द्वारा लेकिन राज्य सरकार की यह निगाह में है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कैम्प लगाया सरमथुरा में बाद में ले जाया गया और गनेशसिंह ठाकुर के मकान पर उसके घर का ताला तोड़कर कैम्प लगाया गया और कैम्प लगाने के लिए गनेशसिंह ठाकुर से स्वीकृति तक नहीं ली गयी और इस बात को गनेशसिंह ठाकुर ने शिकायत की कि यह कैम्प उसके घर पर बिना उसकी स्वीकृति के क्यों लगाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि किसी आदमी के घर का ताला तोड़कर पुलिस विभाग के अधिकारी क्या मनमाने तौर पर कैम्प लगा सकते हैं? और बाद में 3-1-73 को उसके घर के बरतन तक उठा लिये और न जाने क्या क्या चीजें उठा लाये। यह गनेशसिंह की सी० आई० डी० में लिखित में रिपोर्ट है। अध्यक्ष महोदय, जब मेरे पास लोग आये और मैंने ज्ञापन पेश किया तो सरकार ने बड़े सिम्पे-थेटिक दृष्टकोण से सी० आई० डी० के एडीशनल एस० पी० को मुकर्रर किया कि वह सारे मामले की जांच करें। मैं इसका तो अध्यक्ष महोदय आभारी हूं कि राज्य सरकार तो निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मन्शा रखती थी और आज भी मैं कहूंगा कि प्रयाग नारायण अगर जिन्दा है तो राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा दिये जाने के कारण वर्ना तो वह मार दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, एस० पी० को भेजा गया और न मालूम सरकार के बड़े अधिकारियों को कैसे चिन्ता हो गयी एडीशनल एस० पी० की रिपोर्ट को दबाने के लिए और स्पेशल एस० पी० श्री अमिताभ गुप्ता हैं उनको लगाया

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

गया ताकि उस मामले को दबाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि पहले भी कई एम० पी० भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले में थे, जो भी पुलिस अधिकारी थे उनका पूरा षडयंत्र था और वहां पर डाकू पुलिस विभाग पैदा कर रहा है और वह सांठ गांठ करके इस तरह का धंधा चला रहा है। तो अभिताभ को वहां पर लगाया गया.......

श्री अध्यक्ष : संक्षिप्त में।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उनको इसलिए लगाया गया कि महीपुर थाना उनके अन्दर आता था। जिस नरोती चमार की हत्या हुई वहां के पुलिस विभाग ने अपनी बहादुरी का तमगा लेने के लिए अपने आप हुस पहनाई गई और ऐनकाउंटर जबरदस्ती दिखाया गया और अनुसूचित जाति के आदमी को मार कर किसना डाकू डिक्लेयर किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसना डाकू का राज्य सरकार को कभी मालूम नहीं पड़ता लेकिन मध्यप्रदेश में जब किसना डाकू ने श्री सेठी के सामने आत्मसमर्पण किया तो पुलिस विभाग को मालूम पड़ गया कि यह तो निश्चित रूप से गलत रिपोर्ट थी। इसलिए अभिताभ को वहां पर लगाया गया और उस मामले को दबाया जा सके इसलिए लगाया। तो मैं सोचता हूं अध्यक्ष महोदय इस तरह में मिली भगत की कार्यवाही पुलिस के अधिकारियों द्वारा की गयी है। मैं राज्य सरकार का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार सरकारी अधिकारियों पर ही डिपेण्ड कर के चलती है। अगर वही डाकुओं को प्रोत्साहन देकर और उनके साथ षड्यंत्र करके इस तरह की कार्यवाही करेंगे तो क्या कोई आदमी जिंदा बच सकेगा? आज जिस तरह से चमार की हत्या हुई इस तरह से कितने आदमियों की हत्याएं होती हैं और मालूम नहीं पड़ता। आपने उस थानेदार श्री वृद्धप्रकाश को मोअत्तिल करने की अभी घोषणा की लेकिन तीन, चार महीने के अन्दर ही वह वापिस बहाल हो जायगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर राज्य सरकार डाकुओं को समाप्त करना चाहती है तो नाजायज तौर पर नकली डाकू एनकाउंटर में दिखाकर उन डाकुओं को कारतूस को दे देना, इस तरह से मिली भगत हो रही है। इन सारी घटनाओं का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि अगर इस मामले की सी. बी. आई. से जांच कराई जाये तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कई बड़े बड़े अधिकारी फंसेंगे और राज्य सरकार का काम हल्का हो जायगा और जिस काम को माननीय मुख्य मंत्रीजी और राज्य मंत्री श्रीमती कमलाजी चाहती हैं उस काम को वह आसानी से कर सकेंगे।

श्री नत्थीसिंह : मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : जरा जोश में होश भी रखें। Please sit down.

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे अवसर देंगे?

श्री अध्यक्ष : देना तो नहीं चाहता लेकिन दे देता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपके साथी बोल चुके हैं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका (श्री हांडा) नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हैं, साहब

श्री अध्यक्ष : आप (श्री प्रद्युम्नसिंह) ब्रीफ में ही कहें, तकरीर नहीं हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो माननीय सदस्य श्री गहलोत हैं उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और वह हस्ताक्षर से दिया गया है और 5 सदस्यों के हस्ताक्षरों से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : सलाह मशविरा करके दिया था क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे पंचों ने तय करके दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गांधीनगर से आने वाले ने यहां पर जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उठाया है उसके अन्दर डकैतों की समस्या को लेकर कुछ मुद्दे यहां पर उठाये हैं, मैं उस इलाके से आता हूं और उस बारे में मैं समझता हूं जहां तक जानकारी का प्रश्न है माननीय सदस्य से अधिक मुझको है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो जांच कराई और जांच कराके जिन अधिकारियों को मोअत्तिल किया उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे दो बातों पर विशेष बल देना है। इस इलाके के अन्दर डकैतों की समस्या आज से नहीं सदियों से चली आ रही है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतने डकैतों ने आत्म-समर्पण किया मध्यप्रदेश के अन्दर उसके बावजूद भी वहां पर तीन चार नये गिरोह धौलपुर इलाके के अन्दर खड़े हो गये हैं जिन्होने वारदातें करना शुरू कर दिया है। इस कैम्प को लगाने से पहले इस इलाके के अन्दर मैं तो सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ चलें और वहां चल कर देखें, मैं उनको एक एक इलाका घुमाऊंगा डकैतों ने जो खानों के ऊपर मजदूर काम करते थे और जो खान के ठेकेदार थे उनसे चौथ वसूल करना शुरू कर दिया था और जिन लोगों ने पैसा देने से इन्कार कर दिया था उनकी खाने बन्द हो गई थीं और उसकी वजह से जो ठेकेदार थे उनको नुकसान हो रहा था और मजदूरों को भी नुकसान हो रहा था। उस संबंध में हमने एस. पी. भरतपुर से लिखा पढ़ी की और हमने कहा कि अगर आपने इस तरफ गौर नहीं किया तो इस इलाके के हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे और जो पत्थर का मेन धन्धा है उस इलाके के अन्दर खाने बन्द होने से राज्य सरकार को और सब को नुकसान होगा। हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी लिखा और अपनी तरफ से भी कहा था और हमारे निवेदन के आधार पर केम्प लगाया गया था। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं गृह मंत्री रहे हुए हैं आपको मालूम है कि इलाके के अन्दर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि डाकुओं को संरक्षण देते हैं, डकैतों से मिले हुए हैं और उनकी वजह से डकैत उनके यहां पनाह पाते हैं। अगर उन लोगों को बुलाकर पूछताछ नहीं की गई, उन लोगों को बुलाकर समझाया नहीं गया, और धौलपुर की एक विशेष

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

परिस्थिति है अध्यक्ष महोदय .... धौलपुर, सवाई माधोपुर और आगरा की कुछ तहसीलें, मुरैना और भिन्ड एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां डकैतों का बहुत समय से जोर चला आ रहा है। इधर अगर पुलिस सख्ती नहीं करे तो दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि डकैतों की हो सकती हैं और फिर राज्य सरकार के सामने बड़ी समस्या होगी। राज्य सरकार जो पुलिस अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन नहीं देगी तो यह सारा मामला गम्भीर रूप धारण कर लेगा। डकैतों को भाईचारे से समाप्त नहीं किया जा सकता है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं लड़कों को उठा उठा कर ले गये हैं। 50-50 हजार, 1-1 लाख की फिरोती मांग रहे है। कभी आपने उनकी दिक्कत को सोचा है .....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर समस्या । आपने कभी उनकी दिक्कत को नहीं समझा। आपका भाई या, आपके बेटे या, आपके घर के किसी आदमी का कत्ल कर दिया जाय। जिसके भाई का कत्ल हो जाय उस पर क्या गुजरेगी, अध्यक्ष महोदय, इस पर थोड़ा विचार करिये। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय इस सदन में बैठकर कुछ लोग आते हैं आकर सदस्यों से मिलते हैं

(शोर गुल के कारण अश्रव्य)

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय मंत्री महोदय की जगह सफाई दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सफाई नहीं मैं सुझाव दे रहा हूं। हांडा साहब आप नहीं समझ सकते हैं ...

(श्री हांडा और श्री प्रद्युम्नसिंह के साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

.... वहां की वास्तविक स्थिति यह है कि .... (अश्रव्य) .... सरकार को ढिल्ली बनाने के लिये इनको तो कुछ चाहिये। इसलिए मैं कहता हूं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

(शोरगुल व्यवधान)

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : It is a regular debate going on the subject ?

श्री अध्यक्ष : No Sir.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : Why another member has been allowed ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : I have a right to speak and you can not interrupt.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is not a regular debate

श्री प्रद्युम्नसिंह : वास्तविक स्थिति क्या है, स इलाके के अन्दर। आप लोगों

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

को बरबाद करवाना चाहते है, लोगों को लुटवाना चाहते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा उस इलाके के अन्दर अगर पुलिस की सही व्यवस्था नहीं की गई और पुलिस को डीमोरेलाईज किया गया तो वहां रहना मुश्किल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय प्रश्न इस बात का नहीं है ....

(दोनों माननीय सदस्य के एक साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुन लें। काल अटेन्शन किया जाता है। आपने मूव कर दिया आपने सुन लिया, स्पष्टीकरण दे दिया गया। उत्तर आ चुका, फिर आप उस पर कुछ पूछें और फिर प्रत्युत्तर आये, यह नहीं हो सकता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय मैं राज्य सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(बीच में व्यवधान करने पर....)

मुझे अधिकार है, अध्यक्ष महोदय मैं उनकी भावना से सहमत हूं लेकिन....

श्री केदारनाथ : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा....

(शोरगुल व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैंने जो बात कही। वे अच्छी तरह ज्यादा जानते होंगे इससे मुझे कोई नाराजगी नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय मैंने तो राज्य सरकार को वह असलियत पेश की है। क्या होता है जिस दिन राज्य सरकार ने ऐडिशनल एस० पी० को मुकर्रर किया..... (अश्रव्य) वह सवेरे दस बजे पहुंचे और चार बजे उसी दिन वारन्ट निकला। उसी थाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ वारन्ट निकल जाय...

(माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्नसिंह के बीच में व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

....जब राज्य सरकार मुकद्मा ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर पुलिस को डिमोरेलाइज किया....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप पुलिस की पैरवी करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन आप दूसरों को कैसे दबा सकते है ..

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय जिस व्यक्ति को राज्य सरकार ने ससपेन्ड किया उसको राज्य सरकार मेडल दिलवाना चाहती है। उस वृद्ध नारायण को राष्ट्रपति का मेडल एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते दिया जाय। अध्यक्ष महोदय यह समझा जा सकता है अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति का मेडल दिलवाना चाहते हैं।...

श्री नत्था सिंह : ...आज तक वापिस नहीं आया....(अश्रव्य)....

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे यह कहना है ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया, मुझे ऐसा कोई एतराज नहीं है...

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री निरन्जन नाथ आचार्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर ...

(शोरगुल)

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री शंकर लाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है।

श्री नत्था सिंह : डकैतों के अन्दर उस को पकड़ा गया। कोई नहीं रहा, पुलिस मरवाना चाहती है.......

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय सदन के समक्ष ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया है और नियम 131 के तहत ... और नियम 131 के अन्दर व्यवस्था है कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेगा और ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई वाद विवाद नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब यह है कि कोई सदन का समय पूरा न लिया जाय। कोई माननीय सदस्य मूव करना चाहे, ध्यान आकर्षित कर दें और सम्बन्धित मंत्री महोदय वक्तव्य दे दें। इस प्रकार की डिबेट अलाऊ कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। वक्तव्य मंत्री महोदय का हो गया। आगे का बिजिनिस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं इसे समाप्त करता हूं।

श्री जनार्दन गहलोत : राज्य सरकार ने मेडल की सिफारिश की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

I raise a point of order.

श्री अध्यक्ष : No point of order.

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : 131 में वाद विवाद नहीं हो सकता है लेकिन उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : I have allowed enough time.

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : कुछ प्रश्न माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : नो प्रश्न। yes गृह मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य गंगानगर में चार व्यक्तियों की हथौड़ा मार कर हत्या किये जाने संबंधी

श्रीमती कमला बेनीवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 और 6 मार्च, 1973 की दरमियानी रात को श्री मोलाराम दुकानदार गंगानगर शहर में अपनी दुकान के सामने छप्पर के नीचे सोया हुआ था। किसी अनजान व्यक्ति ने सोये हुये मोलाराम पर हमला कर उसे घायल कर दिया जिससे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का मुकद्दमा नं० 51 जेर दफा 302 । आइ. पी. सी. कोतवाली गंगानगर में दिनांक 6-3-73 को दर्ज किय

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जाकर तफतीश शुरू की गई जो अभी तक जारी है अभी तक मुलजिम का कोई पता नहीं लगा है।

इसी प्रकार दिनांक 6 व 7 मार्च 1973 को दरमियानी रात को श्री शंकर नाथ शहर की पुरानी आबादी में अपनी बिना दरवाजे की झोंपड़ी में सो रहा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोये हुये शंकरनाथ पर हमला कर उसे घायल कर दिया जिससे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का मुकद्दमा नं० 52 जेर दफा 302 ता. हि. पुलिस थाना कोतवाली में दिनांक 7-3-73 को दर्ज कर तफतीश शुरू की गई जो कि जारी है। मुलजिमान का अभी तक कोई पता नहीं लगा है।

दिनांक 8 व 9 मार्च, 1973 की दरमियानी रात को श्री मुरलीधर चक नं० 15 जेड (गंगानगर से 8 मील दूर) में अपने मन्दिर के आहाते के बरामदे में सो रहा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस घटना का मुकद्दमा नं० 12। जेर दफा 302 ता. हि. पुलिस थाना मातली स्थान में दिनांक 9-3-73 को दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई जो जारी है।

मुलजिम का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इन सभी घटनाओं में कुन्द और धार दार हथियारों से हमला किया गया है तथा कुन्द हथियार हथौड़ की शक्ल का भी हो सकता है।

इससे संबंधित मुलजिम को गिरफ्तार करने या गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिये 500) रु० का पारितोषिक महानिरीक्षक द्वारा घोषित किया गया है। जिला पुलिस की मदद के लिये सी. आई. डी. (अपराध शाखा) से एक दल को भेज दिया गया है। इलाके में माकूल गश्त, प्लेन क्लोथ्स व यूनिफार्म में कराने के लिये एक कम्पनी आर. ए. सी. की भी पहुंच गई है। इस सिलसिले में अब तक 30 लोगों से पूछताछ व छानबीन की गई है और पूरी कोशिश जारी है।

प्रभावित क्षेत्र में पुलिस द्वारा रात दिन गश्त की जाकर सतर्कता बरती जा रही है और आम लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न यह है कि एक के बाद...

श्री अध्यक्ष : आपने आपस में तय कर लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जी हां। तय ही है। मुख्य प्रश्न यह है कि एक के एक बाद हत्याएं कर दी गई और वह भी निरीह लोगों की। उसमें कोई मुख्य लोग नहीं है। एक मन्दिर का पुजारी है। एक साधु है और एक बेचारा हलवाई है भोलानाथ। दूसरा भी व्यक्ति है। आपने यह जानकारी नहीं दी मन्त्री महोदय कि इसका लक्ष्य क्या है? आखिर आपकी पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। क्या कोई विक्षिप्त आदमी यह हत्याएं कर रहा है या कोई ब्लैक दिसम्बर का गैंग फंक्शन कर रहा है। सारे गंगानगर में इस सम्बन्ध में कन्फ्यूजन है। 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद दुकानें बन्द हो जाती

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है। कोई दुकान को नहीं खोलता। आतंक है और कन्फ्यूजन भी है कि आखिर कौन कार्यवाही कर रहा है। दोनों चीजें हैं। आतंक इस प्रकार का है कि आठ बजे के बाद गंगानगर में कोई दुकान नहीं खोलता। लोगों ने यात्रायें बन्द कर दी हैं। कोई यात्रा करता है तो पहले यह देख लेता है कि कम्पार्टमेंट में चार आदमी है या नहीं। घरों में दरवाजा नहीं खोलते। इतना भयंकर आतंक गंगानगर के अन्दर व्याप्त है। एक बात और है। पुलिस ने एक बात अवश्य घोषित की है कि उस मुल्जिम ने या मुल्जिमान ने अपना स्थान बदल दिया है। पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि एक मुल्जिम है या आतंक फैलाने वाली कोई गैंग है। इस प्रकार की अफवाह आम लोगों में है कि गैंग फंक्शन कर रही है। कौन कर रहा है, क्या कोई पाक स्पाइज बोर्डर एरिया को टेररोईज करने के लिए यह कार्य करते हैं। कोई सेडेस्टिक आदमी, सेडेस्टिक वेव में मर्डर कर रहा है। तीन चार चोजें सामने आ रही हैं। पुलिस मशीनरी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस सम्बन्ध में नहीं दिया है। इतने दिन हो गए हैं, हत्यायें होती चली आ रही हैं। अफवाह यह है कि यह गंगानगर के दूसरे क्षेत्रों में होनी शुरू हुई हैं। उस व्यक्ति ने अपना स्थान शहर से शिफ्ट करके गांवों में कर लिया है और गांवों में भी जब मैं गाड़ी चढ़ कर शाम को चला तो इस प्रकार की अफवाह थी कि कुछ हत्यायें गांवों में हुई हैं, शायद वे पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच सके हैं। आखिर इतनी बड़ी पुलिस मशीनरी है। पुलिस की स्पेशल ब्रांच है। इस प्रकार का आतंक है और पुलिस उसको फेस नहीं कर पाई है पुलिस का दृष्टिकोण को मन्त्री महोदय को सदन के समक्ष रखना चाहिये और यह काफी गम्भीर मामला है।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक मुल्जिम नहीं पकड़ा जायेगा तब तक अन्दाजा ही लगाया जा सकता है या सरकमस्टांसेज एवीडेंस के ऊपर मोटिव का पता लगता है। बम्बई के अन्दर कुछ वर्षों पहले एक आदमी ने बहुत से लोगों को मारा और उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से पता लगा कि आदमी कौन था। जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इनाम को डिक्लेयर किया है, आर०ए०सी० को लगाया है, प्लेन क्लाथ मैन को लगाया है और इस तरह से बराबर कोशिश जारी है। यह एक आदमी ने किया है या एक से ज्यादा ने किया है। अगर गैंग है तो कौन सी गैंग है। कोई सेडेस्टिक है या क्या है। इन सब चीजों को मद्देनजर रख कर पूरी तरह से सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है ताकि किसी तरीके से इन मुल्जिमान या मुल्जिम का पता लगाया जा सके।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम बरजांगसर तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के दो कुओं का मुआवजा दिलाने से सम्बन्धित 24 याचिका-कर्त्ताओं के हस्ताक्षरों की याचिका सदन में प्रस्तुत करता हूं।

Page No 51

(51)

श्री अध्यक्ष : याचिका प्रस्तुत की गई।

अनुदानों की मांग

मांग सं. 12, 10 व 11 का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जी।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,44,6000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री रामचन्द्र चौधरी (मन्त्री, विधि विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,22,43,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री ओंकारलाल चौहान (राज्य मंत्री, कारागार) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91,15,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग सं. 12, 11 व 10 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर)।

1. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानों में बंदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और रहने के स्थान की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों से कार्यालय कार्यकाल के अतिरिक्त ड्यूटी लिये जाने पर अन्य कर्मचारियों की भांति मानदेय न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों से अधिकारियों द्वारा अपना घरू काम कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल अधिकारियों द्वारा बन्दियों के साथ किये जाने वाले अनुचित व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक बन्दियों को उचित श्रेणी न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में बन्दियों को समय पर अच्छा भोजन न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

7. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ न्यायालयों में निर्णयों में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय दिलाने मे सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

9. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की लापरवाही से ज्यादा झगड़े आदि को अधिक प्रोत्साहन मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी

10. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में हुई चोरियों की बरामदगी नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एडिशनल आई. जी. का पद समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के अल्प वेतनभोगी कांस्टेबिल्स की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के थाना मण्डावा, झुंझुनू, नवलगढ़ मलसीसर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में हुई चोरियों पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में आधुनिक युग के सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में दक्षता लाने हेतु चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ज्युडिशियल अदालतों में निर्णयों में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21 —न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 1 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में सुधार लाने के लिये सतर्कता आयोग का गठन करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामनारायण चौधरी)

19. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश के न्याय प्रशासन में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) :

20. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले में हुई चोरियों को बरामद न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

21. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा अपना व्यवहार न सुधार कर प्रशिक्षित लोगों पर किये जा रहे अत्याचार पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22--कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंदी लोगों की दशा सुधारने पर व उन्हें खुले केम्पों पर रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

23 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के अनावश्यक पदों की समाप्ति पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायें (न्याय प्रशासन में वाद मूल्य व वर्तमान फौजदारी दीवानी न्यायालयों के अधिकार परिवर्तन के बारे में व खर्च कम करने के बारे में मितव्ययता)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

25. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में पुलिस प्रशासन की शिथिलता के बारे में चर्चा के लिये।

(1) श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) :

(2) श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

26. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कांस्टेबलों को मानदेय दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) :

27. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों को समय पर उचित व स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों के लिये कारागारों में तकनीकी शिक्षा का सुचारु प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

29. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेफिक पुलिस की अकर्मण्यता से नित्यप्रति बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर चर्चा के लिये) ।

30. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के उच्चाधिकारियों के उचित पर्यवेक्षण के अभाव के कारण बढ़ती हुई चोरियां आदि के बारे में चर्चा के लिये) ।

31. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

32. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में आये दिन चोरियां एवं डकैतियां होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

33. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केशवराय पाटन के कस्बा कापरेन में मारपीट एव चोरियां होने पर उचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

34. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से जन-जीवन में फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

35. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(अस्पृश्यता निवारण कानून के अन्तर्गत पुलिस द्वारा समय पर उचित कार्यवाही नहीं किये जाने में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

36. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में विशेष सुधार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

37. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कमकर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में समय पर नाश्ता व भोजन आदि की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में कई वर्षों पुराने मामले न्यायालयों द्वारा समय पर नहीं निपटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की अदालतों में छोटे छोटे मामले समय पर नहीं निपटाये जाने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

40 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा थाना में दर्ज केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के अध्यक्ष के कत्ल के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में दर्ज होने वाले झूठे मुकदमात् की प्रवृत्ति को रोकने के उपायों की चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के उपायों पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की प्रोसीक्यूशन ब्रांच की अनुभवहीनता पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रोसीक्यूशन ब्रांच को पुलिस विभाग से अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में नये पुलिसथानों-चीतलवाना एवं बागरा का शीघ्र स्थापित कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की मनोवृत्ति के परिवर्तन की आवश्यकता (जनता की भावनाओं के अनुसार) पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों का पुनर्गठन, मौजूदा समय की मांग के अनुसार कर पुलिस स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में जीपों का प्रबन्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (पुलिस थानेदारों को अपने गृह जिलों से बाहर स्थानान्तरण करने में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होमगार्डस कर्मचारियों को समय पर वेतन न दिलाने से व्याप्त असंतोष के बारे में चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रुपया कम कर दिया जाय (सी॰ आई॰ डी॰ विभाग की छानबीन के मामलों में असफलता के बारे में चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होमगार्ड्स प्रशिक्षित जवानों को पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता दिलाने की चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर॰ ए॰ सी॰ जवानों को एमर्जेन्सी में काम करने का स्पेशल भत्ता दिलाने की चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कारागारों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरे तौर से अलग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिविल जजेज का वेतनमान दूसरे प्रान्तों के बराबर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन कर आम जनता को सस्ता न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहन राज (बाली) :

58. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान समय में अपराधों की रोकथाम तथा तफतीश में नये तरीकों व वैज्ञानिक तकनीकी उपायों का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरुलाल (अकलेरा) :

59. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा क्षेत्रान्तर्गत घाटोली ग्राम में पुलिस स्टेशन कायम किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

60 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर महाजन में पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन व्यवस्था कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर तहसील गांव रामसर व सूरतसिंहपुरा नोखा थाना से हटाकर प्रशासनिक सुविधा के कारण नापासर थाने में स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन)

62 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन सुविधा की दृष्टि से नाहशाला गांव को थाना देशनोक से हटाकर थाना नापासर में स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये) ।

63 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय मार्ग स्थित पुलिस थाना महाजन, लूणकरणसर व जामसर में टेलीफोन सुविधा मुहैय्या करने पर चर्चा के लिये) ।

64. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय छतरगढ़ में नया थाना कायम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

65. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना महाजन व लूणकरणसर के लिये सरकारी भवन बनाये जाकर जनता को भवन वापिस सुपुर्द करने पर चर्चा के लिये) ।

66. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कम दिया जाय (बीकानेर ज्युडिशियल कोर्ट्स के स्थानाभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री मोहम्मद गफूफार अली (जौहरी बाजार, जयपुर)

67. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

68. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

69. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में चोरियों की वारदात रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

70. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के जन विरोधी रवैये पर चर्चा के लिये) ।

71. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार में कैदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है उस पर चर्चा के लिये) ।

72. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कारागारों में कैदियों की अमानवीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

73. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100रुपया कम कर दिया जाय(ज्युडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से पृथक करने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

74. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में लाने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रणाली में समुचित सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (मुकद्दमे शीघ्र न निपटाने पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

77. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की हवालात में कैदियों के लिये उचित खुराक की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा शिकायतों पर उचित जांच न करने पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों के लिए उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

श्री बनवारीलाल (निवाई):

80. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर सब-डिविजन में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (चूरू):

81. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस लाइन चूरू के क्वार्टर्स धूल में दब गये हैं उनको ठीक कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग पुलिस लाइन चूरू के मकानों की मरम्मत कराने, तथा मकानों में बिजली व पानी उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा):

83. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधों की की संख्या की वृद्धि के अनुपात में पुलिस स्ट्रेन्थ को न बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़):

84. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री नारायणसिंह चौधरी) :

रुपया कम कर दिया जाय (चोरियों की रिपोर्ट दर्ज न करने तथा चोरी बरामद न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग):

85. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधों में बढ़ती हुई वृद्धि को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में जनता को न्याय मिलने में विलम्ब होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़):

87. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में हुई चोरियों व हत्याओं पर तफतीश में बरती गई असावधानी के लिए चर्चा के लिये)।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

88. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में पुलिस अफसरों को ठीक से शिक्षण देने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर):

89. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों द्वारा थाने पर किये गये अत्याचारों पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में निर्मित माल की बिक्री में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़):

91. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ सब डिवीजन में चोरियों की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

92. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भालता, जिला झालावाड़ के थाने से मवेशी चोरी करने वाले मुल्जिमों को छोड़ देती हैं इस पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पुलिस की उदासीनता व लापरवाही के कारण चोरियां एवं दुर्घटनाएं होने पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से

Page No 60

(60)

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (अदालतों में वादी एवं प्रतिवादियों को सस्ता व समय पर न्याय न मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) :

95. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा थाने से व्याप्त भ्रष्टाचार एवं होने वाले दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकद्दमों में किसानों को सस्ता व कम समय में न्याय प्राप्त न होने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती उषाप्रकाश (बैर) :

97. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम भिठार में 8 जनवरी, 73 को हुई हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री विजय सिंह (मांडल) :

98. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):

99. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्किल ऑफिसर के कार्यालयों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

101. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली अनियमितता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में मर्डर, चोरियां आदि अपराधों की वृद्धि तथा पुलिस विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में सस्ते न्याय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा)।

104. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर

(श्री जगमोहनसिंह)

दिया जाय (कोटा जिले में पुलिस के भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिय जाया। (हर पुलिस स्टेशन को टेलीफोन से जोड़े जाने के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (मुंसिफ मजिस्ट्रेट छबड़ा का मुख्यालय अटरू कर दिए जाने व वापिस छबड़ा करने में विलंब किए जाने के बाबत चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं) :

108. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गृह रक्षक दल (होमगार्ड) के उचित प्रशिक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

109. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा चोरों को पकड़कर चोरी बरामद न करा सकने पर चर्चा के लिये)

110. मांग संख्या 77, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार दौसा में कैदियों के लिये उचित व्यवस्था नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 77, मुख्य शीर्षक 22- कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में श्रेणियां समाप्त कर सुविधायें बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में हाइ कोर्ट बैंच की स्थापना शीघ्र कराने हेतु चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में हाइकोर्ट बैंच की स्थापना शीघ्र होने पर चर्चा के लिये)।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : 114- मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के संबंध में चर्चा करने हेतु)।

श्री शंकरलाल जाट (पाली) :

115. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी पर चर्चा के लिये)।

(श्री शंकरलाल जाट)

116. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले के न्यायालयों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले के न्याय-प्रशासन की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

119. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण फागी तहसील में बढ़ती हुई चोरियों की रोकथाम न होने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों को वेतन कम मिलने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के अशिक्षित होने के कारण जनता के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22- कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में खाने पीने के साधनों की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण कैदियों के गिरते हुए स्वास्थ्य पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22- कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों को कारागार में तकनीकी शिक्षा दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22- कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर केन्द्रीय कारागार के अन्दर बन्दियों के लिए भोजन व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अदालतों में आजकल भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है इसमें सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के वकीलों को विशेष सुविधा नहीं होने के विषय में चर्चा के लिये)।

Page No 63

63

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

127. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्पवेतन भोगी पुलिस कर्मचारियों को उनकी दक्षता के अनुसार पर्याप्त वेतन दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

128. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रांत के सभी जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कार्यालय स्थापित न होने से भ्रष्टाचार की रोकथाम में प्रगति न होने के विषय पर चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (भारत-पाक युद्ध सन् 1971 के दिनों में बाड़मेर जिले में जिन व्यक्तियों को बन्दूकें दी गई उनके दुरुपयोग के उपरांत भी उनसे बन्दूकें राज्य सरकार द्वारा जब्त नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (बाड़मेर जिले के भाडरवा, बावतू, मीमड़ा आदि गांवों में ऊंटों की चोरियों का तांता पिछले छः माह में चल रहा है स्थानीय पुलिस द्वारा मुलजिमान को गिरफ्तार करने एवं माल बरामद करने में ढिलाई एवं कमजोरी बरतने के विषय पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की कठिन ड्यूटी के उपरान्त भी उन्हें अल्प वेतन देने पर चर्चा के लिए)।

132. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के प्रशासन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू काम लेने की प्रथा समाप्त करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय नैनावा (गुजरात) ग्राम के डकैती में मुलजिमानों के नामों का पुलिस को पता पड़ने के उपरांत भी उनके विरुद्ध कोई कदम न उठाने एवं उनसे कुछ माल बरामद करने के उपरांत भी बरामदगी की कार्यवाही में गड़बड़ी करने एवं जैसलमेर पुलिस द्वारा उक्त मामले को बदनीयती से खराब कराने के कारण के विषय पर चर्चा के लिए)।

136. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर –

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के पुलिस थानों के क्षेत्रों का पुनर्गठन करने एवं बोहटन में डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

137. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में रहने वाले कैदियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दिये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में भोजन की अव्यवस्था एवं अपूर्णता पर चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय सस्ता एवं सुलभ कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

140. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के हैड क्वार्टर बाड़मेर नगर में एडिशनल सेशन जज का कार्यालय स्थापित न होने से जनता के तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिए)।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा):

141. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा तफतीश में अमानुषिक साधन अपनाने पर चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों को आधुनिकतम बनाया जाकर कैदियों के नैतिक स्तरों को सुधारने पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र भारतीय (बूंदी):

144. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कारागारों की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकद्दमों के अनुपात में अदालतें स्थापित कराई जाकर फैसले शीघ्र कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

147. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री देवीलाल)

रुपया कम कर दिया जाय (गलत कार्यवाहियों के प्रति सही शिकायत आने पर भी उनकी उचित जांच कराने में एन्टीकरप्शन विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) :

148. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 33-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर के पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पुलिस कर्मचारियों की अकुशलता पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय शीघ्र सुलभ कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

150. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के बहरोड़ सब-डिवीजन में कायम दो मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालतों में से एक, इसी सब डिवीजन की तहसील बानसूर में तबदील किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़):

152. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पुलिस विभाग में मितव्ययता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कारागार की वर्तमान में गिरती हुई स्थिति की चर्चा के लिए)।

श्री भोपाल सिंह (जैसलमेर):

154. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा अपराध अन्वेषण में तीसरी श्रेणी के अपनाने पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में स्थाईरूप से एक भी व्यवहार एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति न किये जाने संबंधी चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सुरडा (फतेहपुर)।

156. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कान्स्टेबलों को अधिक सुविधायें बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री झाबरमल सूण्डा)

158. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाजवादी सरकार की बंदियों की श्रेणियां समाप्त करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में हाई कोर्ट बैंच स्थापित करने के लिए चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णरूप से पृथक करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना):

161. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आज दिन तक मकराने में पुलिस थाने की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा):

162. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (बाड़मेर जिले में शराबबंदी की अनुपालना में पुलिस की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हैड कांस्टेबल स्तर के पुलिस कर्मचारियों का जनता के प्रति तानाशाह और भ्रष्ट रवैये के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों को सुधारग्रहों में परिणत करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्राप्ति में विलम्ब के कारण निर्दोष व्यक्तियों को होने वाली परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा):

166. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में अभी हाल में ही हथौड़ा मार कर हो रही हत्याओं को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली):

167. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की बाली और देसूरी तहसील का न्यायिक अधिकार क्षेत्र सिरोही न रख कर पाली रखने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री शंकरलाल)

168. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरता और सुलभ न्याय दिलाने हेतु न्यायिक प्रणाली में सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):

169. मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना शीघ्र होने पर चर्चा के लिये)।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम):

170. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में भ्रष्टाचार व जनहित की शिकायतों का निराकरण न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर):

171. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर) में रेल्वे मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बाद भी जी० आर० पी० थाना अजमेर स्टेशन के पीनल कोड व अन्य एक्ट के तहत केसों की ट्रायल अजमेर में न होकर जयपुर में होने की व्यवस्था के बाबत चर्चा के लिये।

172. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर):

173. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लम्बे अर्से तक निर्णय न मिलने के कारण गरीब हरिजनों, किसानों को समय एवं धन की बरबादी पर चर्चा के लिये)।

मांग सं० 12, 11 व 10 पर विचार एवं उनका पारण

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं सबसे पहले पुलिस विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बात सही है कि आज लोगों की धारणा है कि पुलिस के लोगों का व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है और पुलिस के लोग रिश्वत खाते हैं यह लोगों की धारणा है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ असुविधाएं पुलिस वालों के साथ भी है और इन मजबूरियों के कारण किसी प्रकार के ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं और वे सब लोग नहीं करते हैं।

मैं पहले यह निवेदन करूंगा कि जो मैस अलाउन्स दिया जाता है और उस मैस अलाउन्स में यह शर्त है कि जो आदमी 40 डाइट तक का उपयोग करेगा उसको 12) रुपया मिलेगा। जो व्यक्ति 10 डाइट का उपयोग करेगा उसको 5) रुपया मिलेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई पुलिस का कर्मचारी यदि कहीं पर ड्यूटी पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चला गया, छुट्टी पर चला गया और 40 में से एक दिन भी कम हो गया तो उसको 12) रुपया नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 10 डाइट पूरी करनी है जिसके आधार पर उसको 5 रुपया दिया जाएगा तो उसमें एक डाइट भी कम हो गई तो उसको पांच रुपये का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से 30) रुपया मैस के उनके आलरेडी जमा होते हैं। कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है तो परिवार के साथ रहने से उसे 12 रुपये और इसी प्रकार से पांच रुपये की सहूलियत जो है वह सिपाही को नहीं दी जाती है। अभी राज्य सरकार ने घोषणा की और वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि पांच रुपया मैस अलाउन्स और बढ़ा दिया जाता है। मैं माननीय अध्यक्षजी, यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह 12 और पांच मिलकर 17) रुपया हो गया उसी प्रकार से पांच और पांच रुपया मिलाकर 10 कर दिया गया है या नहीं। जिस प्रकार 12 और पांच मिलाकर 17 किया गया है उसी प्रकार पांच और पांच मिलाकर 10) रुपया होना चाहिए। और फिर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई आदमी भोजन करे, न करे, ड्यूटी के अन्दर जाता है, छुट्टी के अन्दर जाता है उसका जिस प्रकार से मैस अलाउन्स कट जाता है वह नहीं काटा जाना चाहिये। उसको, 17) रुपया प्रत्येक सिपाही को दिया जाना चाहिए। वह भोजन करे या नहीं करे उसको मिलना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पुलिस के कर्मचारी, सी. आइ. डी. के कर्मचारी जो विधान सभा में रात्रि को आठ आठ बजे तक, दस दस बजे तक यहां पर ड्यूटी देते हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स नहीं दिया जाता है जब कि विधान सभा के अन्य कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाता है।

तीसरा निवेदन है कि सदन में यह घोषणा की गई थी कि पुलिस कर्मचारियों को तीस दिन का डी. ए. रूल्स के तहत मिलना चाहिए लेकिन पुलिस कर्मचारियों को दस दस दिन का डी. ए. दिया जाता है चाहे कितने भी दिन की ड्यूटी दे।

चौथी बात यह कि पुलिस लाइन से बाहर यदि कोई मकान लेकर रहना चाहता है तो उसको एस. पी. से इजाजत लेनी पड़ती है और एस. पी. उसको केवल छः महीने की स्वीकृति देता है कि वह छः महीने के लिए किराये पर मकान ले सकता है। छः महीने के बाद फिर पुलिस के अधिकारी से स्वीकृति लेनी पड़ती है। पुलिस के अधिकारी चाहें तो वह स्वीकृति दें, चाहे नहीं दें। इसीलिए मैं यह मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्रीय कर्मचारियों को, चाहे उसका खुद का मकान हो, चाहे वह किराये के मकान में रहता हो उसको मकान किराये का भत्ता मिलता है। उस व्यक्ति का खुद का मकान होने पर भी उसको भत्ता इसलिए दिया जाता है कि वह रंग सफेदी कराता है। इसी तरह से जिस प्रकार केन्द्रीय कर्मचारियों को मकान भत्ता मिलता है उसी प्रकार पुलिस कर्मचारियों को मकान भत्ता मिलना चाहिए चाहे वह किराये के मकान में रहें या अपने मकान में रहें।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि सन् 65 में सी. आइ. डी. विभाग द्वारा जयपुर में एक उच्च श्रेणी आरक्षी की योग्यता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

परीक्षा हुई थी और परीक्षा पास कर लेने के बाद दो साल के बाद वह कर्मचारी इसलिए रिवर्ट कर दिया कि तुमको बोर्ड ने गलत ढंग से पास कर दिया। गलत ढंग से पास किया तो इसमें सिपाही का क्या कसूर है, उसको किसी पुलिस अधिकारी को रिवर्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बाद आज जो पुलिस कांस्टेबुल के क्वार्टर्स हैं, बैरेक्स हैं, वहां पर न तो नल है और न बिजली है और न किसी प्रकार की सुविधा ही है। जहां पुलिस कर्मचारी अपनी फेमीली के साथ रहते हैं उन फेमीली क्वार्टर्स में भी न तो नल ही है और न बिजली ही मुहय्या की गई है। और न ही किसी प्रकार की सुविधा दी गई है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत पुलिस कर्मचारियों के प्रमोशन उनकी सीनियोरिटी के आधार पर दिया जाना चाहिए। जहां तक उनके वेतन का प्रश्न है वेतन के प्रश्न पर भी आज राजस्थान का पुलिसमैन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और जो हमारे आस-पास के प्रांत हैं, वहां से उनको कम वेतन मिलता है। यदि उसको पूरा वेतन मिलेगा तो वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करेगा और इधर उधर हाथ पैर नहीं मारेगा। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वह गरीब कर्मचारी सब प्रकार का काम करता है और सरकार उसको क्या वेतन देती है। यह सरकार का उसके साथ में अन्याय है। उसका पेट भाप जायगा तो वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिसमैन एक ही फीते में रहता है। दो फीते का सिपाही वह नहीं बन पाता है और जब उसकी पेंशन होगी तो वह इसी वेतन स्तर पर रिटायर हो जायगा। वह दो फीते का सिपाही नहीं बन जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि दो फीते का सिपाही सीनियोरिटी के आधार पर बनाया जाना चाहिए। परन्तु यह प्रणाली राजस्थान में समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा जो एस.आई. दफ्तर में बैठता है और जो फील्ड में काम करता है दोनों का वेतनमान एक कर दिया है। पहले जो दफ्तर में बैठता था उसको पांच रुपया ज्यादा दिया जाता था। राज्य सरकार ने वह पांच रुपया तनख्वाह में बराबर कर दिया है। जो दफ्तर में काम करता है और जो फील्ड में काम करता है दोनों को ही समान रूप से पांच रुपया मिलता है। यह एक दम से ठीक नहीं है। दफ्तर में जो काम करता है उसको अधिक मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी को न ईतवार की छुट्टी मिलती है और न ही कोई गजेटेड होलीडेज ही मिलते हैं। यदि उनको छुट्टी नहीं दी जाये तो उनको इसका वेतन मिलना चाहिए। यह सही है कि कई स्थानों पर जहां कि छुट्टी के दिन काम लिया जाता है उनको ओवरटाइम दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था इस विभाग में भी की जानी चाहिए। इन सारी बातों के अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारी का जो व्यवहार होना चाहिए वह प्रजातांत्रिक ढंग का होना चाहिए। परन्तु उसका व्यवहार प्रजातांत्रिक ढंग से नहीं चल रहा है ? जिस प्रकार प्रजातन्त्र के अन्दर अन्य कर्मचारियों का व्यवहार होता है उसी प्रकार से उनका आचरण होना चाहिए। उनका प्रजातन्त्र की भावना के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अनुसार अपना व्यवहार ढालना चाहिए। परन्तु पुलिस कर्मचारी का व्यवहार अंग्रेजों के समय जिस प्रकार का व्यवहार था उसी प्रकार का है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नेता लोग जिस प्रकार जनता के साथ अपना आचरण रखते है, उसी प्रकार का आचरण उनको रखना चाहिए और उसको अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं जेल विभाग के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पहले लोग जेल जाने से डरते थे। अब ऐसा नहीं है। अब यह समझते हैं कि जेल जाने में सुविधा प्राप्त होगी। ए क्लास नहीं तो बी क्लास और नहीं तो सी क्लास मिलेगी। रोटी समय पर मिलेगी, ठीक तरह से भोजन भी मिल जायगा। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने भाषण में कहा है, जेल में जैसी सुविधा है वैसी आम नागरिकों को भी नहीं है। जेल में क्या आराम है और क्या नहीं है, क्या सुविधा और क्या असुविधा है, उसके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता हूं। कोई सांगानेर पुलिस थाने में रह जाय तो मालूम हो जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जेलों में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, कि वह व्यक्ति जो कि जेल से बाहर जाना चाहिए, कि वह व्यक्ति जो कि जेल से बाहर जाता है वह अपनी जीविका का उपार्जन कर सके, अपना पालन पोषण कर सके। इसके लिए जेलों में पावरलूम लगाने की बात कही गई थी। परन्तु यह पावरलूम अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है। चार साल हो गए लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है। यह पावरलूम लगाना चाहिए था। चार साल के बाद भी इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष जी अभी दस मिनट ही लिए हैं। मैं बराबर घड़ी की ओर देख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी यह सूची है। समय समाप्त हो गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बराबर घड़ी देख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दरी बनाने के काम से, गलीचा बनाने के काम से पार नहीं पड़ता है। उदयपुर जेल में कुटीर उद्योगों की स्थापना की गई है इसकी तारीफ की गई है। इसी आधार पर अन्य जेलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं निवेदन करूँगा कि इससे वेजेज अच्छे मिलने चाहिये। वहां पर प्रोडक्शन के आधार पर ठेका दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि असिस्टेन्ट जेलर और डिप्टी जेलर राजस्थान भर में 13 हैं। असिस्टेंट जेलर की पोस्ट को समाप्त कर के दोनों की एक रनिंग ग्रेड बना दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से फेक्टरी में सुपरवाइजर की ग्रेड है, वह कम है और उनको भी तरक्की मिलनी चाहिए। उनका प्रोमोशन रुका हुआ है। जो व्यक्ति 25 वर्ष तक सर्विस करे और कोई प्रोमोशन नहीं मिले तो इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अध्यक्ष महोदय, न्याय प्रशासन के बारे में आज क्या हालत है इसको सभी जानते हैं। राजस्थान की तीन चौथाई जनता को हाईकोर्ट की बेंच जयपुर न होने के कारण बड़ी परेशानी हो रही है। यह बड़े खेद की बात है कि पूर्वी राजस्थान की जनता को हाईकोर्ट की सुविधा प्राप्त न हो। यह कोई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 24 सितम्बर, 1956 को एक पत्र बार एसोसिएशन को लिख कर यह आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार का आशय जयपुर से हाईकोर्ट की बेंच हटाने का नहीं है। इसके बाद कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी आई। यह विषय उसके कार्य-क्षेत्र में नहीं था। हाईकोर्ट को हटाने के बारे में, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में भी इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें कर दी। कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी को इस प्रकार का काम करने के लिए नहीं कहा गया था। परन्तु उसके एक सदस्य वांचू साहब ने अपने प्रभाव को उपयोग में लेकर इस प्रकार की सिफारिश करवा दी कि हाईकोर्ट की बेंच जयपुर से चली जावे, रेवेन्यु बोर्ड का दफ्तर हटा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय इस प्रकार पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया गया है। उसके बाद यहां पर राव कमीशन आया। उसको भी 176 एम.एल.ए. में से 127 एम.एल.ए. ने दस्तखत कर के दिए परन्तु इन एम.एल.ए. की रिकमन्डेशन को भी नहीं माना गया। इस प्रकार जयपुर बेन्च को हटा कर पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी बेन्चें खोली जा रही है। नागपुर में हाईकोर्ट की बेन्च खोली गई है, ग्वालियर और इन्दौर में हाईकोर्ट की बेन्चेज स्थापित की गई हैं इसलिए मुख्य मंत्री महोदय से इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आप भी पूर्वी राजस्थान से जीत कर आए हैं। पूर्वी राजस्थान की जनता को न्याय सस्ता और सुलभ हो सके इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए और जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच को जल्दी से जल्दी स्थापित की जानी चाहिए। अभी भी 132 एम. एल. ए. और 5 एम. पीज ने आपको दस्तखत कर के दिए हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को आपको बताया है। इसलिए आप इन सब की भावनाओं पर विचार कर भारत सरकार को यह रिकमण्डेशन करें कि हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में स्थापित की जावे।

(12.55)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय यह जो कटमोशन हैं वे और नम्बर्ड इन यूवर आफिस इसलिए इनका जो सिलसिला है उसको यहां पर तोड़ा नहीं जा सकता है। First name was mine in the list. But I don't know how Mr. Giridhari Lal Bhargava has come in ?

मुझे बोलने का शोक नहीं है। परन्तु यह जो सिलसिला है, ये कटमोशन आफिस में नम्बर्ड होते हैं। इसलिए यह जो नम्बरिंग है उसको यहां पर नहीं बदल सकते हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री रामनारायण चौधरी : पुलिस की डिमाण्ड में आपका नाम नहीं है।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के संबंध में मेरा जो कटमोशन है उस संबंध में, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। गृह की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग है। राजस्थान के पुलिस विभाग की रिपोर्ट को देखने से यह विदित हुआ कि बहुत से डकैतों का सफाया किया गया। पुलिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। तो इसके लिए मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य किये और डकैतों का सफाया किया। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विभाग में बहुत से अच्छे आदमी हैं और हालांकि पुलिस कई दफा लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए, कई दफा बदमाशों को ठीक करने के लिए, कई अनियमितताओं को दूर करने के लिए सख्ती जरूर करती है, लेकिन कई दफा मैं अर्ज करूं कि सख्ती के साथ उन बदमाशों के साथ सलूक जरूर होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट देखने से यह पता नहीं चलता है कि पुलिस के कर्मचारी वर्ग ने जो अनियमितताएं की हैं उनके साथ पुलिस साधारण नागरिकों के साथ जो व्यवहार करती है वह उन कर्मचारियों के साथ किया हो। रिपोर्ट से यह विदित है कि पुलिस के कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गये भ्रष्टाचार के संबंध में तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि सुरक्षा के लिए जो पुलिस तैनात है वह इस प्रकार से चोरियां और अनियमितताएं करने लगें तो मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग के लिए और राज्य सरकार के लिए उचित नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस देश की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए फौजी शासन है तो कई दफा उस शासन को देखते हुए फौजी शासन लागू किया जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि एक भी राज्य में, ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस को ऐसी व्यवस्था दी गई हो और पुलिस ने शासन किया हो। देश की सुरक्षा के लिए फौज जरूरी है, लेकिन घर की रक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग है क्योंकि रात-दिन उनके साथ रहना पड़ता है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि रिपोर्ट से यह मालूम हुआ कि डकैतों का नियन्त्रण किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस का भी काफी नियन्त्रण खराब है। अच्छे लोग पुलिस में जाने में घबराहट का सामना करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि किसी के यहां चोरी हो जाय और पुलिस में रिपोर्ट करने जायं तो पुलिस आफिसर उससे पूछते हैं कि चोरी कैसे हो गई या चोर को तुम बताओ। मैं निवेदन करूंगा कि कई अच्छे लोगों के साथ में मारपीट की जाती है। यह पुलिस का काम नहीं है। मेरी यह मान्यता है कि पुलिस 5 पर्सेन्ट जरूर कानून और व्यवस्था का काम करती है, न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन 95 पर्सेन्ट सख्ती के साथ करती है वह नाजायज फायदा उठाने के लिए या ऊपर का दबाव के कारण उनके साथ अत्याचार किया जाता है। मैं यह समझता हूं कि यह पुलिस के लिए ठीक नहीं है।

साथ ही साथ में यह भी आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के आंकड़े उठाकर देख लें अगर वहां पर जिले का एस. पी. अच्छा है और कार्यवाही काई करता है तो उन आंकड़ों से आपको विदित होगा कि कितनी

(श्री शंकरसिंह रावत)

अनुशासन की कार्यवाहियां की गई और कितने जयपुर के दरवाजे खटखटाने से बरी हो गये ऐसा होता है तो एस. पी का क्या होता है। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाय। एस. पी. ने अनुशासन की कार्यवाही की है विभाग के कर्मचारी के खिलाफ वह चाहे उचित हो या न हो, लेकिन कई दफा यह भावना पुलिस के कर्मचारियों में होजाया करती है इससे कि एस. पी. हमारे साथ कोई भी कार्यवाही करें हम आगे के दरवाजे खटखटाकर बरी हो जायेंगे। यह भावना पुलिस के लिए ठीक नहीं होगी।

मैं यह विवेचन करूंगा कि कई मर्डर के केसेज हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर एक थाने का एस. एच. ओ. अच्छा है और एस. पी. खराब है या सी. आई. अच्छा है, तो मैं समझता हूं कि काफी व्यवस्था वह ठीक कर सकता है, लेकिन एस. पी. अच्छा हो और एस. आई. या एस. एच. ओ. अच्छा नहीं हो तो उनका तालमेल नहीं बैठता है और जो सुरक्षा के लिए बात की जाती है और गरीब लोग या ग्रामीण जनता को न्याय दिलाने की बात हम करना चाहते हैं वह मैं समझता हूं इस तरह की पुलिस के जरिये नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कई दफा पुलिस को प्रोत्साहन दिया जाता है और कम से कम मैं इतना निवेदन करूंगा कि पुलिस के सामने भी एक समस्या है जिससे हम इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं अगर प्रथम रिपोर्ट किसी तरह से जो पुलिस के दरवाजे पर जाकर आदमी पहली बार कहता है तो मैं मानता हूं कि वह आदमी सही रिपोर्ट करता है और मुलजिम भी जो कुछ कहता है वह सही कहता है वहां पर, लेकिन मुलजिम को यह मालूम है कि मुन्सिफ कोर्ट में या किसी कोर्ट में जायेगा तो पुलिस में दिये गये बयान कोई वक्त नहीं रखेंगे और वहां से वह बरी हो जायगा। पुलिस कई दफा यह सोचती है कि उन्हें मालूम है कि सच्ची रिपोर्ट लिखाई है लेकिन फिर भी वहां कोर्ट में पुलिस से दूसरे बयान देकर बरी होने की कोशिश करेगा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विधान में चेन्ज होना चाहिए। प्रथम रिपोर्ट पर कार्यवाही दरगुजर की जाय, अगर ऐसी भावना धीरे धीरे बढ़ जाती है तो कई दफा हानिकारक है। सही केस के लिए भी आज भारत में झूठी गवाही उनको करवानी पड़ती है इससे सही केस में और सच्चे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस को सक्षम करने के लिए विधान में चेन्ज करना पड़ेगा। मैं आज इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं जाना चाहता। पुलिस स्वयं जानती है और कई दफा इन्टरफियर करती है और किस तरह से लोगों को दुश्मनी के तौर पर हैरेस किया जाता है और लोग दुश्मनी निकाल कर पुलिस के साथ मिलकर इस प्रकार कि कोशिश करते हैं। आज जो पुलिस के खिलाफ वातावरण है वही वातावरण किसी जमाने में पटवारी के साथ था कि गरीब लोग राजस्व विभाग के पटवारी के पास जाते नहीं थे क्योंकि वहां पर उनका हैरेसमेंट होता था। पुलिस की जितनी ठीक व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं है। वह अपने उत्तरदायित्व से परे जा रही है। यह उसका उत्तरदायित्व से परे जाना देश के लिए, घर के लिए और शहर के लिए बड़ा हानिकारक होगा।

Page No 74

(74)

(श्री शंकरसिंह रावत)

मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि अभी हाल का किस्सा है कि मुमकिन हो कि हमारे साथ दुश्मनी हो तो मेरे एक भाई को कुछ गुण्डों ने पीटा। उसकी पुलिस को रिपोर्ट की गई लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया देवली की पुलिस ने। वहां के थानेदार ने उन गुण्डों के साथ शराब पीकर उनको बचाने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि आज का शरीफ आदमी पुलिस के थाने में नहीं जाता है। गुण्डों को उनके साथ में दोस्ती रहती है। उनके खिलाफ रिपोर्ट करने के बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं की गई। मेरे भाई पर ऐसा हमला किया गया कि वे मृत्यु के करीब हो गये, उन पर घातक हमला किया गया। मैं स्वयं मौके पर पहुंचा और अस्पताल में गया और सर्टीफिकेट लिया पुलिस ने उन लोगों से शराब पीकर कोई एक्सायरी नहीं की। यह भगवान ने ठीक किया कि वहां के सुलतानसिंह थानेदार को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेण्ड कर दिया गया। तो सजा तो मिल ही जाती है। यह तरीका चेन्ज होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कई दफा सुनने में आता है और लोग जानते हैं और विभाग भी जानता है लेकिन सब अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, अगर थानेदार सी. आई. को बन्धा हुआ पैसा न दें तो ट्रान्सफर कर देते हैं। उनको जानना चाहिए कि वे जनता की सुरक्षा के लिए हैं। आज यह व्यवस्था है कि एक तरफ तो उनको सुरक्षा के लिए नियुक्त करते हैं और वह दूसरी तरफ सुरक्षा नहीं करते हैं बल्कि जनता को परेशान करते हैं। यह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नम्र निवेदन करूंगा कि पुलिस की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाय। इसमें विधान में अगर चेन्ज करने की जरूरत हो तो वह किया जाय जिससे पुलिस सक्षम हो सके और जनता को अच्छा न्याय मिल सके। राज्य सरकार को विधान में चेंज करना चाहिए। उन लोगों के लिए यह एक अच्छे सद्भाव का मौका है। ज्यादा से सुरक्षा पाये और लोगों को न्याय दिलाने की भावना पुलिस में होनी चाहिए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई आधार नहीं, श्रीमान् मैं निवेदन करूंगा कि मैं बोलूं, किन्तु इन्टरप्रिटेशन आफ रूल का सवाल है और मैं निवेदन करूंगा रूल 144 है और इसका (5) है उसको मुलाहिजा कर लें—

14 I (5) says that when several motions relating to the same demand for grant are offered, they shall be discussed in the order in which the heads to which they relate appear in the Budget."

मेरा निवेदन यह है कि यह 144 का 5 है। (अल्प विराम)

श्री निरंजननाथ आचार्य : चीफ ह्विप से ही रखवा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बजट में यह जो मांग संख्या 12, 11, 10-23, 22, 21 है। इसके बारे में जनलेखा समिति ने कह दिया है—

This is not the case of reference to the rules. This is definitely a case of right.

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों तरफ कहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तीनों अनुदानों की मांगों को सदन के समक्ष रख दिया गया है माननीय मन्त्री महोदय ने।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह नहीं है कि मेरा नाम पहले बोलें। मेरा मतलब यह है कि मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23 और मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22 कारागार है। ये जिस आर्डर के अन्दर हाउस में डिमाण्ड रखी गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कैसे भी रखी गई है। हमें तो यह जानकारी दे दें कि मेरा नम्बर कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में सदन में जो एजेण्डा है, उसमें जो आर्डर रखा गया है, क्रम संख्या 1, मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23, क्रम संख्या 2, मांग संख्या 11, मुख्यशीर्षक 22, क्रम संख्या 3 मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21, इस क्रम में रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ने यह व्यवस्था दी थी कि जितनी भी मांगें आज प्रस्तुत की जायेंगी, उनके ऊपर एक साथ ही विचार विमर्श होगा। उसी व्यवस्था में अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया है, उसी के अनुकूल इन मांगों का संकलन किया जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी, जो नाम है, उनको बता दिया जाये ताकि हम यह समझलें कि इतना पीछे नाम आयेगा।

एक माननीय सदस्य : जल्दी आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मन्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से—

Separation of judiciary from the executive—Directive Principle का इम्प्लीमेण्टेशन हमारे राजस्थान में हुआ है, तब से यह महसूस होने लगा है कि ज्युडिशियरी पर कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है। इसके लोग इतने निरंकुश होते जा रहे हैं कि उनके खिलाफ कहां शिकायत की जाये। वह बहुत मनमानी ढंग से अपना कार्य चलाते हैं। तो मैंने यह सुझाव दिया है, जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हमारे यहां विजीलेंस कमीशन की व्यवस्था की गई है। ताकि वह अपने कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहें। तो उसी प्रकार से मैं ज्युडिसियरी के लिए भी एक विजीलेंस कमीशन जैसी व्यवस्था का सुझाव देता हूं। मैंने 3 साल पहले भी यह सुझाव दिया था। जब यह विभाग माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास था। यह खुशी की बात है कि आज यह हमारे मुखिया हैं। इस विजीलेंस कमीशन की व्यवस्था कैसे हो, यह मैं उन पर ही छोड़ता हूं। ज्यूडिसियरी में जो किया गया है उससे लोगों को फायदा होना चाहिए। बजाय इसके कि ज्युडिसियरी के लोग निरकुश और तानाशाह होते जायें तो मैं यह प्रस्ताव के जरिये से यह मांग करता हूं कि ज्यूडिसियरी के क्षेत्र में भी एक विजीलेंस कमीशन की व्यवस्था की जाये। दूसरे यह जो होते हैं, सस्ता न्याय देने की

(श्री रामनारायण चौधरी)

व्यवस्था के लिए होते हैं। इसके लिए एक सर्वे भी किया गया था कि ज्युडिसियरी निष्पक्ष और सुलभ न्याय उपलब्ध करायें। लेकिन इसमें बड़ी निराशा होती है कि वर्षों तक अदालत में केस रखे रहते हैं। तो इसके सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था बैठायें। मैं निवेदन करूंगा, मुख्य मन्त्री महोदय समय समय पर राजस्थान के चीफ जस्टिस से मिल कर ऐसी व्यवस्था करें कि उनके ऊपर नियन्त्रण रहे। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उनसे समय समय पर यह जानकारी ली जाये कि कितने केसेज का निपटारा किया गया है। कितने पड़े हुये हैं।

दूसरा मान्यवर, मैं पुलिस के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन 28% है। इसमें पुलिस ही ऐसा डिपार्टमेंट है, जहां पर सबसे कम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नियुक्ति मिली है। उदाहरण के लिए अभी 15-20 दिन पहले आर० ए० सी० में भरती हुई थी। जो डिजर्विंग लड़के होते हैं उनको लिया जाता है। ग्रेजुएट लड़कों को लिया जाता है। वहां यह कहा गया कि हम तो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको करते हैं। बाद में मान्यवर वहां एक ग्रेजुएट को भरती किया गया। उसको उमर के 28 साल हो रहे थे। उमर को क्रास कर रहा था। इसलिए उसको लिया गया है। बाकी 3 शिड्यूल कास्ट को भरती किया गया था। 10 लड़के स्टेण्डर्ड में नहीं थे। दो, दो इन सीन में कप थे यह कह कर कि उपयुक्त केन्डीडेट मिल नहीं रहे हैं, इसलिए आर०ए०सी० वालों ने हेड क्वार्टर से रिलेक्सेशन मांगा। शिड्यूल-कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लड़कों को यह कह दिया गया कि वह एस० फ्लेट फूटेड हैं। फ्लेट फूटेड कुछ होता नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फ्लेट फूटेड कितने अधिकारी हैं। उनको यह कह दिया गया कि सब स्टेण्डर्ड लड़के थे। उनके ऊपर फ्लेट फूटेड का रिमार्क लगाया गया है। यह रिमार्क एक मेडिकल वाला ही लगा सकता है। रिक्रूटमेण्ट करने वाला अधिकारी नहीं लगा सकता है। उन लोगों को नौकरी से वंचित किया जाता है।

दूसरा मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि जितने भी लो पेड पुलिस कांस्टेबिल हैं, उनको कुछ सहूलियत इस बजट में दी गई है। यह अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि एक हाथ से सुविधा देकर दूसरे हाथ से ले ली गई है। वहां मैस के लिए कहा जाता है कि तुम को अमुक दिन से अमुक दिन तक रहना जरूरी है। पुलिस कांस्टेबिल को ड्यूटी में भी जाना पड़ता है। तो मान्यवर, आज पुलिस में जो सबसे दयनीय स्थिति है वह पुलिस कान्स्टेबिल की है। कांसटेबल से फोर्थ क्लास कर्मचारी है वह भी अच्छा है, वह छः सात घण्टे ड्यूटी देने के बाद अपने घर पर आकर आराम से बीबी बच्चों के साथ रह सकता है लेकिन पुलिस का सिपाही उसी तनख्वाह, उसी वेतन में चौबीस घण्टे सरकार की ड्यूटी पर पब्लिक सर्विस में तैनात रहता है। तो मैं मांग करना चाहता हूं, जो बजट, में व्यवस्था की गई है, रियायत दी गई है वह बिना किसी शर्त के हमारे कांस्टेबल्स को मिलनी चाहिए।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आजकल हो क्या रहा है थानों के अन्दर चोरियों की रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन शायद ही कोई पुलिस स्टेशन ऐसा होगा जिसके अन्दर जो चोरी हुई है, उनको बरामद किया हो और चोरियों की रिकवरी भी की है वह रिकवरी हण्ड्रेड पर्सेन्ट शायद ही हुई होगी। कागजों में भले ही दिखा दी जाय लेकिन चोरी की बरामदगी ठीक तरह से नहीं हो पाती है और जो बरामदगी करली जाती है वह सम्बन्धित आदमी के पास नहीं पहुंचती है। मण्डावर, मकलीसर और नवलगढ़ इन थानों में जो चोरियां दर्ज हुईं, उनकी ओर कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं ध्यान आकर्षित करूंगा, एक भी चोरी सही हालत में बरामद नहीं हुई है, और जो बरामद हुई है वह सम्बन्धित व्यक्तियों के पास पहुंची नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा, जो चोरियां हुई हैं, उनकी बरामदगी सही तरीके से करवाई जाय और पुलिस विभाग को इसके लिए ताकीद किया जाय कि वह इस सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही करें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मान्यवर, मैं जेल, कारागार पर मेरे विचार एक मिनिट में व्यक्त करना चाहता हूं। जेल में कैदियों के खाने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। हमारे जेलों के अन्दर जो पुराने जमाने में, आजादी से पहले जो हालत थी, जेलों में सड़ा, गला खाना देने का, राशन ठेकेदारी सिस्टम से देने का सिस्टम था, वही सिस्टम आज भी मौजूद है। जेलों के अन्दर मोदी सिस्टम है, मोदियों के द्वारा सड़ा गला खाना दिया जाता है

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सब्जियों की हालत यह है कि बाजार में जो मन्दी से मन्दी सब्जी होगी वह लाकर कैदियों को दी जाती है। मैं चाहता हूं, इसके अन्दर सुधार हो।

दूसरा यह है, मान्यवर, एक नीति का प्रश्न है, वह राज्य सरकार के सामने रखना चाहता हूं। जिस कैदी को दस साल से ऊपर की कैद दी जाती है, जो दस साल से ऊपर की कैद भुगत रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि उस कैदी के ऊपर निर्भर रहने वाले डिपेन्डेन्ट हैं, उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व समाज पर आ जाता है और समाज के निर्माण और समाज की देखभाल की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार की होती है। मेरा सुझाव है कि दस साल के ऊपर की कैद को भुगतने वाले कैदियों के परिवार का उत्तरदायित्व सरकार को सम्भालना चाहिए ताकि उनके बाल-बच्चों की शिक्षा ठीक प्रकार से हो और उनके बाल बच्चे भूखे न मरें। यह सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए क्योंकि मान्यवर, किसी आदमी को बीस साल की कैद में डाल दिया जाता है तो परिवार के लिए कमाने वाला मुखिया वही होता है, आप अन्दाज लगाइये, मान्यवर उस के परिवार की क्या हालात होगी, उसके बच्चों को कौन पढ़ायेगा, कौन उनके खान-पान की व्यवस्था करेगा ? यह सारी जिम्मेदारी यह कह कर नहीं टाली जा सकती कि उसने जुर्म किया है। जुर्म किया है, उसको तो सजा भुगतेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है, कोर्ट से जो सजा मिली है उसको उसे भुगतना चाहिए। लेकिन उस पर निर्भर रहने वाले बच्चों ने कोई दोष नहीं किया है समाज का। इसलिए मैं

Page No 78

(78)

(श्री रामनारायण चौधरी)

चाहता हूं (समय समाप्ति सूचक घण्टी) कि दस साल से ऊपर के कैदी के बच्चों की शिक्षा, देखभाल, खाने पीने को समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं, जेलों में अच्छा वातावरण हो और कैदियों की ठीक प्रकार से देखभाल हो इसके लिए मेरा सुझाव है कि जेल में जो जेलर हैं, असिस्टेन्ट जेलर हैं उनके पदों में से पचास प्रतिशत पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रहने चाहिए क्योंकि जेल एक परिवार है, फेमिली है, फेमिली की समुचित देख भाल महिला ही कर सकती है, पुरुष और महिला में बहुत अन्तर है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जेल में पचास प्रतिशत तक महिलाओं के लिए पद सुरक्षित रहने चाहिएं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं, कैदियों के पास जाने वाले सामान पहुंचाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, घी, मिठाई आदि। यह चीजें पहुंचाते हैं, लेकिन यह चीजें उसके पास पहुंचाने की सही व्यवस्था नहीं है। पहुंचाने में जो बीच में होते हैं, मध्यस्थ होते हैं वह उन चीजों में से पचास प्रतिशत ले लेते हैं इसलिए सही सलामत उन तक नहीं पहुंचती है।

मैं इन सुझावों के बारे में, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इनके ऊपर गौर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : नम्बर आ गया साहब ....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : रोष हो तो बैठ जाऊं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह विभाग जनता के अत्यन्त नजदीक है और सबसे दूर है। बड़ी दया और सहानुभूति का पात्र है और आक्रोश का पात्र भी है। मुझे खेद है कि इसकी डिमाण्ड के ऊपर जब विचार हो रहा है, मंत्री महोदय, जिनके लिए यह विभाग सिरदर्द है, उनके पास श्रम भी है

श्री श्रीराम गोटेवाला : आ गये।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : श्रम भी है, समाज कल्याण भी है। यह विभाग दर्द है, सिर दर्द है। इस विभाग के कारण था। चूंकि मुख्य मंत्री आ गये हैं, वैसे उनका दायित्व था नहीं और वह है भी नहीं। मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके समक्ष, उदयपुर के बोहरों का प्रश्न उपस्थित हुआ था। अध्यक्ष महोदय ने यह इजाजत दी थी कि वह प्रश्न इस समय ले लिया जाय। क्योंकि मुख्य मंत्री यहां विराजे हैं, मुख्य मंत्री यह जानते हैं कि उदयपुर का जन जीवन बड़ा शान्त रहा है और हिन्दू-मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान दोनों ही सदियों से मिल कर बैठे हैं, कभी विक्षोभ आपस में पैदा नहीं हुआ है। यह दुःख का विषय है, बोहरों की जमानत में इस वक्त ख्वामख्वाह छोटे छोटे प्रश्न को लेकर द्वन्द्व छिड़ा हुआ है, जिससे सारा जीवन संतप्त हो चुका है। प्रश्न सिर्फ पुराने और नये का है, पुराने विचार और नये विचारों का है। ऐसा लगता है,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पुराने विचारों वाले नये विचारों में अकामोडेट नहीं हो रही है या अभी नये विचारों वाले नौजवान हैं बोहरा जमात में, वह पुराने विचार वालों के लिए कोई कन्सेशन, प्रोपर अलाउन्स नहीं देना चाहते। यह एक द्वन्द्व है, इस द्वन्द्व के कारण गलिया कोट में अशांति पैदा हुई, फिर उदयपुर में अशांति पैदा हुई। बोहरा जमात में ऐसा विक्षोभ पैदा हो गया है कि उसका निराकरण समय पर यदि नहीं किया गया तो बोहरा जमात, जो प्रकृति से शांत है और व्यापारी है, और कभी इधर उधर की बातों में सम्मिलित नहीं होते, उनका जन जीवन विक्षुब्ध हो जायगा। मैं इसके आन्तरिक मामले में नहीं पड़ना चाहता चूंकि कोई ऐसा शब्द यदि कहूं जो किसी वर्ग, जमात के वर्ग विशेष के विरुद्ध हो तो फिर कहीं अशांति और उद्विग्नता पैदा हो सकती है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मुझको मालूम हुआ है, जनमत, बोहरा समाज के जनमत का आभास मुझको मिला है, आप एक दो दिन के लिए उदयपुर की यात्रा कर लें तो मेरा विश्वास है, उद्विग्नता उनके बीच संघर्ष जो उद्विग्नता लिये हुए चल रहा है, वह समाप्त हो सकता है। भ्रांतियों के निराकरण के लिए दोनों वर्गों के एक साथ बिठा कर आपस में चर्चा करने का प्रश्न है, दोनों के विचारों को संतुलित करने का प्रश्न है। उनके बीच में ईर्ष्या है-ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, संघर्ष जो गलियाकोट में पैदा हुआ, उदयपुर में पैदा हुआ, अन्य कहीं और न पहुंच जाय जहां बोहरा जमात है, यह आगे न बढ़े—इसलिए इसका निराकरण करना आवश्यक है।

दूसरा प्रश्न जो कटमोशन में मैंने इस सम्बन्ध में रखा है, यह पुलिस विभाग, जैसा मैंने निवेदन किया, ऊंचे सिद्धान्तों वाला और सिद्धान्त विहीन है। यह विभाग, जहां सेवाओं के प्रति बड़ी निष्ठा वाला है, साथ ही इसमें असेवा भी है। यह द्वन्द्व का विभाग है, यह विरोधाभासों का विभाग है। इसके प्रति सहानुभूति नहीं, यद्यपि यह अनिवार्य विभाग है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसका रीओरियेंटेशन होना इसमें परिवर्तन होना, इसकी भावनाओं और मान्यताओं में परिवर्तन होना जरूरी है। यह भी लीगेसी ब्रिटिश साम्राज्य से मिली है, जब पुलिस पर सन्देह किया जाता था, जब पुलिस को दुश्मन समझा जाता था, इसलिए कि पुलिस उस समय जनता का आप्रेशन करती थी। यह लीगेसी समाप्त होने के बाद जब पुलिस जनतंत्रीय सरकार के हाथ में आई, उस वक्त यह आवाज उठाई जाती थी, कि यह पुलिस इन्स्ट्रूमेंट है जनता के दमन के लिए, इसलिए पुलिस की शक्ति कम कर दी जाय, इसकी स्ट्रेंग्थ को कम कर दिया जाय। इस प्रकार की आवाज हर प्रान्त में उठी थी···

लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जब स्थिति देश की विकृत होने लगी तब शनैः2 पुलिस को सशस्त्र करने का लोगों में चिंतन चलने लगा। मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि अब वर्तमान में पुलिस की स्थिति में उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। वह इसलिए है कि समाज और हमारा राष्ट्र विविधता की दिशा में प्रगति और विकृति करता हुआ चला जा रहा है। पुराने जमाने की ट्रैफिक को ले और अभी के ट्राफिक जो विविधता का रूप है, यह ट्राफिक एक सब्जैक्ट है जिसको सुनियोजित और संगठित किया जाना आवश्यक है। मैं यदि कहूं कि बेरोजगारी का

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रश्न लीजिए। बेरोजगार क्या नहीं कर सकता है। लोगों की काफी संख्या जिस प्रांत में बेरोजगार हो, जिसका अर्थ हो गया कि पुलिस की आवश्यकता है, जिसका अर्थ हो गया उनकी हरकतों पर नियंत्रण और निगाह रखना। इसी के साथ में शिक्षा प्रचार की बात करता हूं। पहले विद्यार्थी पुरुषों में थे। अब महिलायें भी बराबरी पर आ रही हैं। छात्र और छात्रायें स्कूल और कॉलेजों में एक साथ पढ़ें लिखें, वह एक विषम विकृति हो गई है, वह समस्या डेलीकेट हो गई है। मुख्य मंत्रीजी, आपके और मेरे जमाने में इतनी डेलीकेसी नहीं थी। हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, अपने पिछले समय को लेकर देखें तो यह लगेगा कि यह समय कितना विषम हो गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या, यह भी समाज की एक विकृति है, साथ ही हमारा अनुशासन, साथ ही हमारी दायित्वहीनता। अब वह दायित्व नहीं रहा जो माता-पिता अपने बच्चों को समझाने में पहले रखते थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो इंडस्ट्रिएलाइजेशन बढ़ गया, लेबर की समस्या बढ़ गई, कई तरह के लेजिस्लेशन्स रोज निकलने लगे तो समाज जिस स्थिति में से बढ़ रहा है; आबादी में, विकृतियों में।

साथ ही सारी विषमता और अनुशासन की स्थिति के सन्दर्भ में उस पुलिस के प्रश्न पर पुनः चिंतन करना हमारे लिए आवश्यक हो गया है और मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज- आजादी से पहले केवल एक राजनैतिक दल था और आजादी के बाद कितने राजनैतिक दल और राजनैतिक दलों की समस्यायें और उनकी एजीटेशनल एप्रोच। मैं कहता हूं उसमें विकृति पैदा करने वाली एप्रोच जहां पोलिटिकल पार्टीज में पैदा हुई, जिसमें स्ट्राइक्स, हंगर स्ट्राइक्स, धरने और नई-नई योजनायें, अब जो प्रकट होने जा रही हैं अपनी मांगों को जाहिर करने के लिए, इस संदर्भ में, पुलिस का ढांचा जो पहले था, वह अब नहीं चल सकता। उसमें परिवर्तन किया जाना बहुत आवश्यक है। मैंने समाज की स्थितियों पर निवेदन किया। इसके साथ ही अगर पुलिस के दायित्व देखा जाय तो पुलिस का दायित्व जहां विज्ञान की स्थिति नहीं थी, अब विज्ञान है। मान लिजिए, कत्ल हुआ है तो उसका इन्वेस्टीगेशन जो पहले थर्ड डिग्री मेथड्स से होता था, अब इन्वेस्टीगेशन के तरीके में बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसमें विज्ञान है, उसमें फुट-प्रिन्ट्स हैं, पैरों के निशान हैं हाथ के निशान, छूने का इग्जैमिनेशन, चलने का इग्जैमिनेशन आज कई बारीक स्थितियां हो गई हैं। पुलिस के कितने विभाग हैं; आर्म्ड फोर्सिज, उनको शस्त्र करना, स्ट्राइकिंग पुलिस, उसको सशस्त्र करना। विधान सभा के सामने हम देखते हैं कितनी बार डेमन्स्ट्रेशन होता है और कितने उतावले होते हैं, उग्र होते हैं, कितनी सहिष्णुता पुलिस को रखनी पड़ती है, ऐसी हालत में पुलिस जिनकी मान्यतायें पुरानी थीं, जिसमें प्रशिक्षण नहीं था, आज उनके प्रशिक्षण और मान्यताओं में तबदीली किया जाना जरूरी है। यह इसलिए मैंने कहा कि आपकी जानकारी में होगा, हर राज्य ने इस मसले को समझा है कि पुलिस में परिवर्तन करना, उसकी मान्यतायें और उसके आरगेनाइजेशनल सेट-अप में, पुलिस कर्मचारियों की सुविधाओं में परिवर्तन करना। सारे प्रांतों में इस दिशा में चिंतन हो रहा है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अगर बंगाल के लिए कहें तो बंगाल ने चिंतन किया है, यू. पी. व एम. पी. ने चिंतन किया हैं। हमारे प्रान्त ने ही इस प्रश्न पर उस दृष्टि से अब तक नहीं विचार किया है।

मैं एक मांग करना चाहता हूं, हमें पुलिस कमीशन का गठन करना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ साल पहले इस दिशा में चिंतन किया गया था और कमीशन को कायम भी किया गया था लेकिन उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर पुलिस कमीशन नियुक्त करें, टर्म्स आफ रेफरेन्स दें जैसे यू. पी. मध्य प्रदेश और बंगाल आदि प्रान्तों में हुआ है तो सारी समस्याओं पर पुनः विचार हो सकेगा पुलिस को चारों तरफ से, मैं घृणा तो नहीं कहता लेकिन ठीक निगाह से नहीं देखा जाता तो उनकी सुविधाओं की तरफ भी ध्यान देना होगा। एक कान्सटेबुल से लेकर सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर उनकी तनख्वाहें; उनका आवास आदि, मैं सबसे ज्यादा बल उस छोटे पुलिस कर्मचारी—कान्सटेबुल के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी ठुकाई सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति है और सबसे ज्यादा वफादार यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बच्चों के लिए आपने क्या सुविधा दी है, रहने के लिए क्या सुविधा दी है। मैं चाहता हूं कि बच्चों की शिक्षा, बेनीवोलेन्ट फंड, चिकित्सा सुविधा, जनता का विश्वास और अधिकारियों का विश्वास, अगर ये प्रश्न हल हो सकें पुलिस कमीशन के माध्यम से तो सामयिक आप विस्तृतरूप से टर्म्स आफ रेफरेंस देकर, सारी इन स्थितियों के इन्वेस्टीगेशन से अलग-अलग जो आपके थाने बने हुए हैं, पुराने थाने बने हुए हैं, इनका रीओरीयेंटेशन रीऑरगेनाइजेशन और साथ ही अधिकारियों के कार्यों का भी पुनः निरीक्षण होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि आज जब आप उत्तर दें, तो यह बड़ा बर्निंग प्रश्न है और हम पिछड़े हुए हैं, इस पर आप जरूर बोलें और पुलिस कमीशन के गठन पर आपको चिंतन करना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को उनका सदस्य बना कर, टर्म्स आफ रेफरेंस देकर, कमीशन कायम करेंगे तो पुलिस अधिकारियों को और कान्सटेबुल्स में, सामान्य पुलिस में विश्वास पैदा होगा कि हमारे भाग्य पर पुनः विचार किया जा रहा है और हमारी स्थिति में परिवर्तन करने की दिशा में राज्य सरकार चिंतन कर रही है। मेरा विश्वास है कि आप इस सदन में इस पर घोषणा करेंगे और यह पुरानी मांग है, जो अब तक पड़ी हुई है। मुख्य मंत्रीजी आपकी निगाह में अगर मांग आ जाती तो इससे पूर्व आप इस प्रश्न को ले सकते थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरमल मोर।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पुलिस की मांगों पर कटौती प्रस्ताव है। जहां हम पुलिस वालों की आलोचना करते हैं वहां हमें उनके उन कार्यों की भी चर्चा करें जो अच्छे होते हैं। पिछले 12 महीने में हमारे जिले में चोरियों का बड़ा जोर था, पुलिस ने काफी चेष्टा करके एक प्रोग्राम नया बास बनाया और उसके हिसाब से काम किया। कुछ लोगों को ऐतराज हुआ लोगों ने कहा हमारे यहां रेड किया गया, हम लोगों को परेशान किया गया। मैं नहीं कहता कि सारी ही मीना जाति के लोग चोर हैं लेकिन जो भी पुलिस

(श्री सांवर मल मोर)

ने किया, उसका हमारे इलाके में ही नहीं बल्कि आसपास के सारे इलाके में असर हुआ और चोरियां कम हुई हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, आज समाज में जो प्रतिष्ठित लोग बने फिरते हैं और कानून के खिलाफ काम करते हैं उन्हें भी चोरों की तरह दण्ड देना चाहिए। जैसे कि सुरक्षा दल ने हमारे इलाके में जो कार्य किये हैं जिससे कि हमारे इलाके में चोरियां कम हुई हैं उसके लिए मैं पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा काम हमारे यहां इलाके में हुआ है। पहले हम जब चुनावों में इधर उधर जाते तो हमारे यहां पर सिर्फ दो ही बातों की मुख्यरूप से चर्चा हमारे सामने आती थी। पहली तो बिजली की व्यवस्था के बारे में और दूसरी चोरी के बारे में। अब इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस ने हमारे इलाके में काफी चोरियों को रोक दिया है जिससे कि लोगों में तसल्ली आई है। यह जो काम पुलिस ने और प्रशासन ने हमारे इलाके में किया है उसको मैं बहुत बड़ा काम मानता हूं। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो लोग समाज में रहते हैं और भले बन कर जनता के साथ में कुकृत्य भी करते हैं उनके खिलाफ भी राज्य सरकार को चाहिए कि, उनके खिलाफ एक्शन लें। जिससे जनता को राहत मिलेगी। इसके अलावा मैं एक बात पुलिस थानों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो थाने बने हुए हैं वह बहुत दूर दूर बने हुए है और वहां आने जाने के लोगों के पास साधन नहीं हैं साथ ही उन थानों में टेलीफोन की व्यवस्था भी नहीं है जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो वे जिला हैड क्वार्टर्स के अफसरों से मदद ले सकें। इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि थाने बहुत दूर दूर हैं पुराने जमाने के आने जाने के साधन भी नहीं हैं इससे पुलिस को अपने कार्य करने में सहूलियत नहीं रहती है। आज कहीं पर चोरियां होती हैं तो लोग थाने वालों को जिला हैडक्वार्टर पर इत्तला करने में देर हो सकती है इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें टेलीफोन व्यवस्था की जाकर उन्हें सीकर, जयपुर और बड़े बड़े शहर से उनसे मिला दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह की आप व्यवस्था कर देंगे तो मैं समझता हूं कि चोरियों की काफी रोकथाम में मदद हो जायेगी। तथा कोई भी रिपोर्ट आयेगी तो वे जिलास्तर पर जो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं उनसे जल्दी मदद फोर्स वगैरह की ले सकेंगे। जिससे राहत मिलेगी। इसके अलावा मैं एक बात जो निवेदन करना चाहूंगा वह है पुलिस के कान्स्टेबल्स के लिये। आज जो पुलिस का सिपाही है वह 24 ही घन्टे अपनी ड्यूटी पर रहता है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को तनख्वाह देते हैं और वो इनसे कम काम करता है उसको आप पुलिस के कर्मचारी से ज्यादा तनख्वाह देते हैं और पुलिस के कर्मचारी को कम। आज एक बैंक का चपरासी है उसकी तो तनख्वाह पुलिस के कर्मचारी से बहुत ज्यादा है और काम भी वह 8 घन्टे नहीं करता। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि पुलिस के सिपाहियों

(श्री सांवरमल मोर)

की तनख्वाह में सुधार किया जाय। इसके अलावा जो पुलिस के कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उन्हें पुलिस विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। मैं मुख्य मन्त्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस अधिकारी अच्छा काम करते हैं ज्यादा चोरियां पकड़ते या और किसी प्रकार का अच्छा काम करते हैं राज्य सरकार को चाहिए कि उन्हें पुरस्कार दिया जाये। इसी प्रकार पुलिस के हैड कान्सटेबल्स वगैरह है उन्हें भी आप ऐसी व्यवस्था डिपार्टमेन्टली तरक्की करें कि इसके अलावा न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में आपने जो आज न्याय पंचायतें गांव गांव में गांव की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलने के लिए बनायी हैं यह तो ठीक है कि कुछ न कुछ राहत इससे मिली है लेकिन कई वर्षों से न्याय पंचायतों के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं उससे व्यवस्था बिगड़ी है तथा न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है आज उनके पास धन की कमी है वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं तो मै मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना चाहते हैं दूसरी तरफ आप इनकी दशा में कोई सुधार नहीं करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अगर जनता को सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं तो इनकी हालत सुधारने की कृपा करें। इसके अलावा मैं एक बात मुख्य मन्त्री जी से और निवेदन करना चाहूंगा वह है जयपुर में हाइकोर्ट की बेंच के बारे में। आज लोगों को जयपुर में हाइकोर्ट बेंच नहीं होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी खर्च करना पड़ता है अगर आप जयपुर में हाइकोर्ट की बेंच रख दें तो काफी लोगों को राहत पहुंच सकेगी। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस प्रश्न पर राज्य सरकार को चाहिए कि ध्यान दे। सस्ता न्याय जनता को मिले इसके लिये मैं खास-तौर से मेरे जिले की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां नीम का थाना में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का आफिस है और वहां पर श्रीमाधोपुर के काफी तादाद के केसेज आते हैं तथा काफी लोगों को श्री माधोपुर से वहां आना पड़ता है उससे लोगों का काफी खर्चा हो जाता है इसके अलावा मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सीकर में भी इसी प्रकार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैडक्वार्टर है और वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हफ्ते में दो बार फतहपुर बुधवार और वृहस्पतिवार को केसेज के फैसले के लिये जाता है तो वहां से लोगों को हफ्ते में दो बार फतहपुर तथा सीकर जाना पड़ता है कोर्ट केसेज में पेशियों पर जाते हैं जिससे लोगों को काफी खर्चा करना पड़ता है परेशानी होती है इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह सुझाव है कि श्री माधोपुर में एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट दफ्तर नीम के थाने से ट्रान्सफर कर दिया जाय तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर से भी एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का दफ्तर हटा कर फतहपुर कर दिया जाये तो वहां की जनता को भी काफी राहत मिलेगी। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को कोई विशेष खर्च नहीं करना पड़ेगा और साथ में श्री माधोपुर और उसके आस पास के गांव के लोगों को फतेहपुर होने से काफी राहत मिलेगी। मैं

(श्री सांवतमल मोर)

उम्मीद करता हूं कि मुख्य मन्त्री महोदय, इस बारे में ध्यान देंगे। ताकि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांग के बारे में इस सदन में चर्चा चल रही है। मैं भी कुछ इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं यह सोच रहा हूं कि पहले पुलिस की गड़बड़ियों के बारे में निवेदन करूं या उनकी भलाई के बारे में निवेदन करूं। खैर मैं इस पचड़े में तो नहीं पड़ना चाहता हूं अभी। लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर पुलिस ने और प्रशासन ने सुधार का काफी काम किया है। और उन्हें सफलता भी मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पुलिस विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों का सवाल है लोगों के स्तर में काफी सुधार हुआ है लेकिन नीचे स्तर में जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि नीचे बड़ी प्रताड़नायें होती हैं। नीचे के स्तर पर काफी गड़बड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। मैं यह भी मानता हूं कि कुछ कमियां हमारी सरकार के अन्दर भी हैं अकेले वे ही दोषी नहीं है क्योंकि जैसा कि पिछली विधान सभा में भी, मैंने यह निवेदन किया था कि आज थानों के अन्दर स्थिति काफी खराब है वहां उनके पास यातायात के कोई साधन नहीं हैं उनके पास जो थाने स्टेट के समय थे वे उसी प्रकार दूर दूर बने हुए हैं। उस जमाने में एक बात तो अच्छी थी कि हर थाने में पांच-पांच ऊंट सवार भी रहते थे ताकि उन्हें कहीं पर जाना हुआ तो उन पर जा सके लेकिन आज यातायात के साधन उनके पास नहीं होने से बहुत ही दिक्कत हो गई है। आज अगर किसी व्यक्ति की बकरी चोरी चली जाती हैं तो जो रिपोर्ट करने आयेगा उसी को यातायात का खर्चा करना पड़ेगा। पुलिस के पास तो कोई यातायात का साधन नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने उनको कोई यातायात का साधन दिया नहीं है और थाने वाले किसी की जीप में बैठ कर जायेंगे तो उसका खर्चा सब रिपोर्ट करने वाले को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए कई लोग तो रिपोर्ट भी पुलिस में करने से कतराते हैं क्योंकि एक तो उसकी बकरी चोरी गयी दूसरे उसको ही खर्चा करना पड़ता है तो ऐसा कौन करे। इसीलिए मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि पुलिस विभाग के पास ऐसी कोई यातायात के साधन की सुविधा दें ताकि पुलिस वाले तुरन्त कार्यवाही मौके पर जाकर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा चोरियां बरामद कर सकें। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि थानों पर टेलीफोन व्यवस्था भी होनी चाहिये जिससे अगर कोई जरूरत पड़े तो वो लोग अपने हैडक्वार्टर्स से जल्दी से जल्दी मदद मांग सकें। इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहूंगा और वह महत्वपूर्ण भी है और वह यह है कि आज आपने जो थाने में पुलिस कान्सटेबल है उनकी तनख्वाह के बारे में। उनकी बहुत कम तनख्वाह है और वे लोग आज एक वनवासी की तरह जिन्दगी व्यतीत करते हैं। बेचारे कम तनख्वाह होने से पुलिस का सिपाही आज भी वहीं सिला पर मिर्च घोट कर और लूखी से रोटी खाता है और जो पैसे बच सकते हैं उनको अपने बच्चों को भेजता है ताकि उनका पेट पाल सके।

(श्री लूणाराम)

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि पुलिस विभाग के जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा कर उनकी हालत सुधारने की आवश्यकता है। आज चोरियों के मामलों का जहां तक सवाल है पुलिस की विफलता ज्यादातर सामने आ चुकी है। मेरे क्षेत्र में डेढ़ साल में कोई दस जगह चोरियां हुई। एक का भी माल बरामद नहीं हुआ। नकबजनियां हुई हैं। चोरों का भी पता कुछ में लग गया लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एक तरफ चोरियों का सवाल आता है बरामदगी से तो पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। माल गया सो तो गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मारवाड़ में एक कहावत है गया धन बुलावे मांगे कि माल गया सो तो गया लेकिन तफतीश में और खर्च कर दो। चोरियों में भी जो दूसरी तरह की जो चोरियां होती है पशुओं की चोरियां वे तो बरामद ही नहीं होती क्योंकि इसके लिए अच्छी छानबीन की जरूरत होती है और वह पुलिस की ओर से होती नहीं, पशुओं की बरामदगी के लिए तो फिरना पड़ता है वह पुलिस से होता नहीं। साथ ही साथ ट्रकों के ऐक्सीडेन्ट के मामलों में तो इतनी वारदातें बढ़ गई हैं कि पूछो मत इतने एक्सीडेन्ट होते हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं। ट्रकों वाले बड़े बड़े एक्सीडेन्ट्स कर डालते हैं लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती यहां तक 100 में से 90 प्रतिशत की भी रिपोर्ट नहीं होती। इसलिए पुलिस और सरकार को इस ओर सक्रिय होने की आवश्यकता है। चोरियों के मामले में मैं कहूंगा कि स्टेट के समय में एक पुलिस का अधिकारी जो थाने का इन्चार्ज होता था यदि वह चोरियां बरामद नहीं कर सकता समय पर, तो उसका ग्रेड इन्क्रीमेंट रोक दिया जाता और इससे भी बड़ा उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाता था लेकिन आज कोई भी चिन्ता की बात नहीं रही है। इन चीजों की पुलिस की निष्क्रियता के कारण शिकायतें भी बहुत कम हो पाती हैं। कोई आदमी किसी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करता है तो अव्वल तो उसकी जांच नहीं हो पाती है और जांच भी यदि की जाती है तो लम्बे समय तक चलती रहती है और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। दूसरी बात पुलिस स्टेशन पर जांच के समय बुलाया जाता है तो भय के मारे भी गवाहान वहां नहीं जाते हैं और वे जाये भी क्यों? इस तरह से मामला खत्म हो जाता है और इस कारण लोग शिकायत करने भी कम जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं सुनाई होने पर। इसलिए लोगों में इसकी बड़ी भारी प्रतिक्रिया होती है है और अन्दर ही अन्दर पुलिस और सरकार के खिलाफ असन्तोष पनपता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी यह चाहूंगा कि जिस किसी की भी शिकायत हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ज्यों ही जहां की घटना घटने की शिकायत दे, उसकी मौके पर फौरन जाकर जांच की जाय ताकि उसका पता लग सके और सही तथ्य सामने आ सके। यह जांच की व्यवस्था भी शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिये मेरे क्षेत्र का उदाहरण दूं। एक एस. एच. ओ. हैं श्रीडूंगरगढ़ थाने के चूरू के अन्दर बड़े मशहूर हैं अपने कारनामों के लिये। उनका नाम हैं श्री फैज मोहम्मद। इनके कारनामों से जनता बड़ी दुःखी है। एक तरफ आप व्यवस्था व सुधार की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जिनके कारनामों

(श्री तुलाराम)

से जनता त्रस्त है उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेते। श्रीमान जी के खिलाफ दोनों ही शिकायतें हैं। जो समय समय पर बराबर आपके पास आई हैं और इतनी शिकायतें और हैं कि जिनका कोई पता ही नहीं। लेकिन आज तक एक की भी जांच नहीं हो पायी। उनका ऐसी ऐसी घटनाओं से सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। एक जोगासर की हरिजन औरत का मामला अखबारों में भी बार बार आता है। वह पांच सात रोज पहले मुख्य मन्त्रीजी के पास भी उपस्थित अपने पति के साथ हुई। लेकिन उसके मामले में कोई भी जांच नहीं हो रही है। ... कि वह खुद बयान ... करती है ... को ... पीछे से डाल कर जबरदस्ती ले जाया गया। यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बातें हैं जिनका कोई बखान ही नहीं हो सकता है। अनेक लोगों का झूठे मुकद्दमे बनाकर चालान किया गया है लेकिन एक भी मामला साबित नहीं हुआ। आज अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसे अधिकारी की तो शीघ्रातिशीघ्र जांच होनी चाहिए। जिससे असलियत सामने आ जायगी और दोषी होने पर दण्ड दिया जाय।

इसी प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं जेल के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। जेल के सम्बन्ध में इतना सा ही निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ने जेलों में सुधार के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है। इस सम्बन्ध की जो 1972-73 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसको मैंने पढ़ा है। उससे मुझे खुशी हुई। जेल के सुधार के सम्बन्ध में काफी किया जा रहा है। एक दो चीजों के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। जेल के अन्दर जो इन्डस्ट्री का काम है और जो माल तैयार होता है वह सरकार में जमा हो जाता है लेकिन कैदी जो काम करते हैं उनको उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता है। मेरे सुझाव है कि इस प्रकार के तैयार माल में उनका भी कुछ हिस्सा रखा जाय, जिस प्रकार आज देश में काम करने वाले श्रमिकों को हिस्सा या बोनस के देने पड़ते हैं। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा और वे अधिक से अधिक परिश्रम के द्वारा खूब माल तैयार करेंगे। उन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उनके लिये और भी अधिक साधन जुटाये जायें। उनमें धार्मिक भावना पनपे इसके लिए समय समय पर कहीं कथावाचक आदि का प्रोग्राम रखा जाय। कैदियों को कृषि भूमि पर भेजा जाता है। आज सारा भार अन्य उद्योग न होने से जमीन पर ही पड़ रहा है। इससे काम नहीं चलने वाला है। हर एक आदमी जेल में कृषि तो करने वाला नहीं होता है। फिर भी आपने कृषि भूमि की उनके लिए व्यवस्था की है। उसके साथ साथ मेरा सुझाव है कि सहकारी समिति और इन लोगों की बनाई जाय, जैसे बुनकर समिति है, दूसरी सहकारी समितियां हैं, जिस प्रकार इन समितियों को अनुदान दिया जाता है उसी प्रकार इनकी बनायी सहकारी समितियों को भी अनुदान दिया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

थोड़ा सा निवेदन कर दूं। न्याय के संबंध में दो शब्द अर्ज कर दूं। हर एक आदमी को सस्ता न्याय मिले यह सब ही चाहते हैं। हमारी सरकार भी चाहती है कि न्याय सस्ता मिले और संविधान में भी

(श्री तुलाराम)

इसका प्रावधान है'। पर जन संख्या के अनुपात से बढ़े मुकद्दमों का जहां तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालतों का संबंध है, दिवानी और फौजदारी को अलग अलग कर दिया जाय तो शीघ्र और सही काम हो सकता है। दोनों ही मामले यदि एक ही व्यक्ति सुने तो शीघ्र और सही न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालतों को अलग दिवानी और फौजदारी किया जाय। मवेशियों के चोरी के मामलों की तो मौके पर ही जांच होनी चाहिये। जिससे कि समय पर रिपोर्ट आ सके अन्यथा मवेशियों को पेशी पर लाने के भय से मुकद्दमे दर्ज नहीं कराते है।

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घन्टी)

न्याय पंचायतें बिल्कुल नगण्य सी है। न उनके पास पैसा है और न ही कोई व्यवस्था। न्याय पंचायतों के मामले की भी जांच होनी चाहिये, जांच का प्रावधान किया गया है मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का। न्याय पंचायत में काम से कोई है ही नहीं ऐसा मालूम पड़ता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अदालतों में पांच 2 साल तक मुकद्दमें लटकते रहते हैं। इसलिये मुकदमों की नेचर को देखते हुए सीमा बांध दी जाय जिससे उनको शीघ्र सुलटाया जा सके। आपकी आज्ञा मानते हुए अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रस्ताव हैं। एक न्याय प्रशासन पर और दूसरा पुलिस के बारे में।

पुलिस के लिये 14 करोड़ रखे गये हैं और न्याय प्रशासन के लिये 1 करोड़ और जेल जाने के वक्त 91 लाख रुपया। पुलिस रोक थाम करती है, वह न्यायालय में भेजती है और वहां से दन्ड होने के बाद जेल यानि कारावास में जाते हैं। पर अगर कारावास न्याय प्रशासन के पहले आ जाते तब मन को चिन्ता होती है कि इस कारावास को कैसे रोका जावे। पर दुर्भाग्य है, हमारा नहीं, मानव जाति का, विश्व में जितनी सरकारें हैं सबमें कान्स्टीट्यूशन में भी, और अपने संविधान में भी प्रावधान किया है कि 24 घन्टे एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रोकने का पुलिस को हक है। 24 घन्टे के बाद मजिस्ट्रेट इजाजत देता है तो और रोक सकेगा नहीं तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता को वह रोक नहीं सकेगा। जब धारा 22 आर्टिकल की तरफ मैंने ध्यान दिया तो यह नई बात मालूम हुई कि हमारे मूलभूत आजादी के अधिकारों में से 24 घन्टे काट दिये गये हैं। 24 घन्टे तक पुलिस आपके अधिकारों पर इन्क्रोचमेंट कर सकती है फ्रीडम आफ स्पीच और फ्रीडम आफ मूवमेंट के जो आपको अधिकार है उनमें 24 घन्टे की रोक लगाने का अधिकार पुलिस को दिया गया है। आपके मूलभूत अधिकारों में 24 घन्टे रोक लगाने का असाधारण अधिकार पुलिस को दिया गया है।

जिस पुलिस को हमने अपनी सारी संपदा की सुरक्षा और हमारे जीवन की सुरक्षा का भार सौंप रखा है उस पुलिस को अगर हमारे मूलभूत अधिकारों में 24 घंटे कम करने का अधिकार दे दिया गया है तो शायद कोई बुराई नहीं है। पर इस बुराई नहीं होने के पीछे एक सच्चाई है, जो कहानियां इनोसेंट्स इसको

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बारे में भरे पड़े है वे दर्दनाक हैं जिनको लेकर मैं सदन का समय बरबाद नहीं करूंगा।

पर एक सच्चाई निवेदन करूंगा मैंने संसार में जितने पुलिस के आर्गेनाइजेशन हैं, कान्स्टीट्यूशन्स हैं, योरप में जो ढांचा है, अमेरिका में जो है, रूस जापान और चीन में जो रूप है इनका मैंने उन सबका अध्ययन किया है। रात दिन बोलने का काम पड़ता है तो मैंने इनको समझने का भी प्रयास किया। इससे ऐसा लगा कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न रूप होने के बावजूद भी अमेरिका में बहुत बड़ी फ्रीडम लोगों को है। वहां यह 24 घंटे किसी नागरिक को डिटेन करने का प्रावधान भी नहीं है। वैसे हर देश में पुलिस को काफी अधिकार दिये हैं।

तो निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस जिसके हाथों में हमारा जीवन और हमारी सारी सम्पत्ति की सुरक्षा का भार सौंपा गया है उसकी योग्यता की अगर ध्यान दें तो देखने को यह मिलेगा कि कहीं न कहीं इसे दर गुजर किया जाना चाहिये। अभी बहस चली थी कि फलां आदमी के साथ ज्यादती हुई। दूसरी तरफ एक सदस्य ने कहा कि जीवन पर खेल कर नागरिकों कि हिफाजत करने वाली पुलिस को बदनाम करके उसको डिमोरेलाइज मत करिये। अब आदमी को सोचने के लिये बहुत बातें रह जाती हैं। ये घटनाएं जो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं वे स्वयं अपनी कहानी कह देती हैं। अगर इन कहानियों को नहीं कहा जाय तो इसे डिमोरेलाइज होने से बचाया जा सकता है।

मैं अब इसके प्रबन्ध के बारे में और स्ट्रेन्थ के बारे में थोड़ा निवेदन करदूं। 52 में पुलिस में कान्स्टेबल और हैड कान्स्टेबल का जो नम्बर था जिस अनुपात से अधिकारी गजेटेड रैंक के पुलिस अधिकारी बढ़े हैं उस अनुपात से बहुत ही कम बढ़ाये गये हैं। जब कि हालत यह है कि कान्स्टेबल और हैड कान्स्टेबल और सब इन्सपेक्टर की रैंक के लोग ही अधिकतर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज मे काम आते हैं। 22/23 हजार ये लोग हैं। दस साल के अरसे में 62/63 में 21274 थे। कोई वृद्धि नहीं हुई। आज 72/73 में 30204 है। यहां पर आकर डबल स्ट्रेन्थ हुई है।

पुलिस प्रतिवेदन देखने को मिला जिसमें अधिकारियों की वृद्धि को जस्टिफाई किया गया और कहा गया कि औद्योगिक क्रान्ति हो गई है राजस्थान में आजादी के बाद मजदूरों का तूफान बढ़ता जा रहा है। उनका विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। यह सब बेकार की बात है। मुझे तो राजस्थान में कहीं कोई औद्योगिक क्रान्ति नजर नहीं आई, न मजदूरों का विरोध ही कहीं नजर आया। इससे तो अधिक उग्र विरोध पहले होते थे।

श्री उपाध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य द्वारा सदन के प्रांगण में आकर मन्त्री महोदय से बात करने पर) माननीय सदस्य, लूणारामजी, जरा नियमों का भी ध्यान रखिये।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : दुर्भिक्ष पड़ गया, चीजों की कीमतें बढ़ गई इसलिये मुकद्दमे अधिक बढ़ गये बताया, मुझे नहीं मालूम कि इन कारणों से मुकद्दमे बढ़ गये हों।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि हमने मूलभूत तत्वों को भुला दिया । आज इस पुलिस एक्ट को बने बीसीयों वरस बीत गये । 1862 में यह बना । सन् 1857 में अंग्रेजी सरकार जो यहां अपने कदम जमा रही थी, उसकी नीव हिल गई । उसके पांच वर्ष बाद यह पुलिस एक्ट बना । उस समय से लेकर आज दिन तक इसमें एक अक्षर का कोई अमेन्डमेन्ट नहीं किया गया । और आजादी के इन पच्चीस वरसों में भी हमने इस सब को इसी तरह भोगा भुगता है । यह पुलिस एक्ट क्यों नहीं बदला जाता । आप इसकी धारा 55/109 की तरफ ध्यान दें । 90 परसेंट इसमें वे लोग आते हैं जो बिलो दी पावरटी लाइन में हैं । अब इसके समानान्तर प्रीवेन्शनन्टिव डिटेन्शन एक्ट है जिसमें बुद्धिवादी और समाज के प्रतिष्ठित गिने जाने वाले लोग आते हैं । यह भेद भाव क्यों ?

मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता के इतने वरसों बाद भी हमने इस पुलिस के सुधार की तरफ इसके कानूनों को बदलने की तरफ आज दिन तक ध्यान नहीं दिया । इनमें हमें अगर सही सोसायटी का निर्माण करना है तो हमें रद्दोबदल करना होगा । आपके काग्नीजेबल केस जिनमें अनुसन्धान की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं पुलिस के हाथ से लेकर सीधे मजिस्ट्रेट को सौंपे जाते हैं ।

इण्डियन पीनल कोड है । इतना बेहूदा और पुराना पड़ गया है कि जिसको बदलना बहुत आवश्यक है । पर हम हैं कि आज इसके आदी हो गये हैं । बाजार में जा रहा है । किसी ने थप्पड़ मारा 323 लग जावेगा । बाजार में जा रहा हूं किसी ने मेरी जेब से दस पैसा निकाल लिया । रिपोर्ट लिखा दी । अब यह रोबरी हो गई । जिसमें दस साल तक की सजा का प्रावधान है । यह चीज सारी सम्पदा को लाने से और मानव मूल्य से भी ज्यादा गिनी गई है ? यह है इसकी हालत ? इसको अब भी नहीं बदलेंगे तो फिर कब बदलने का हमें मौका मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसे बदलने में यह सदन सक्षम है क्या ?

श्री यशवन्तसिंह : पीनेल कोड में चेन्ज लाने में ? क्यों नहीं ?

श्री शंकरलाल : यह सदन आवाज तो उठा ही सकता है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करूं मैंने 67 में इसके बारे में सदन में तथ्य रखे थे । 68 और 69 में रखे । पर लोग समझते हैं कि मैं बहकी बहकी बातें करता हूं कभी कभी । इसलिये सदन उनको इग्नोर करता गया । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस दस दस सालों से पड़े हैं । 68 में मैंने वकालत छोड़ दी । जिन केसेज को मैं छोड़कर आया था वे आज तक पड़े हुये हैं । कुछ केसेज में अध्ययन की बात हो, मैं मानता हूं लेकिन सबके सब केसेज तो ऐसे नहीं हो सकते । मैंने कहा इन सबको मुन्सिफ कोर्ट को क्यों नहीं सौंप देते हैं ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट । मुन्सिफ कोर्ट में आकर जो लीगल पाइन्ट है एवीडेन्स के, 5,000 के 2,000 के उनको बिड़नाजी वहां करने जायं मुन्सिफ कोर्ट में अन्याय हो जाय । सौभाग्य

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

का विषय है इस सदन को इनफरमेशन देते हुये अभी लॉ कमीशन ने 1971 में गजेन्द्र गडकर ने यह कहा है कि मुंसिफ कोर्ट में विदाउट इन्वेस्टीगेशन शब्द आवे, उनको सौंप देना चाहिये । यह पार्लियामेंट का विषय है, सोचें लेकिन मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । यह इन्डिया के एक्सट्रीम लॉ की वाणी है, कोई मेरी वाणी नहीं है। सिविल कोर्ट से अमेन्ड करने का अधिकार है, वह तो कम से कम करें । यही कहकर मैं समाप्त करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र ।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय अभी कुछ देर पहले यह जवाब दिया जा रहा था जयपुर जिला प्रथम रहा । मैं कुछ देर से आया था तो यह सुनकर हर्ष हुआ कि जयपुर जिला प्रथम किस में रहा— सड़क निर्माण में प्रथम रहा, विकास में प्रथम रहा, अदालतों में प्रथम रहा, किस चीज में प्रथम रहा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मेरा ख्याल गलत निकला । माननीय मंत्री महोदय ने कहा जयपुर जिला चोरियों में प्रथम रहा, तब मुझे बड़ा खेद हुआ । वह जयपुर जिला जहां आई० जी० रहते हैं, वह जयपुर जिला जहां राजा रानी रहते हैं, वह जयपुर जिला जहां मंत्री मण्डल विराजमान है और फिर इसके बाद मैंने सोचा तहसील वाइज सूचना आवे तो मेरे क्षेत्र का नाम न आ जाय । कोटपूतली इस सप्ताह पहले गया था तो वहां हर बार चोरी की खबर सुनने को मिली । पुलिस ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ा....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जयपुर जिला जमीनों की सीलिंग से बचने में भी प्रथम रहा है ।

श्री सुरेशचन्द्र : जयपुर जिला कई चीजों में प्रथम रहा है तो जो चोरी की हालत चल रही है यह न केवल जयपुर की हालत है बल्कि तहसील स्तर पर पहुंची हुई है । मैंने वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात की हर रोज चोरी हो रही है आप इसका नियंत्रण कैसे नहीं कर पा रहे हैं । पुलिस अधिकारियों ने जवाब में तो बड़ी तसल्ली मिली और उन्होंने बताया बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है । आखिर ऐसा कौनसा गैंग है जो चोरी करता है और पता नहीं लगता है । मैंने उन्हे बताया आपको बिना सूचना दिये चोरी कर लेता है । पहले उनको आपको सूचना देनी चाहिये कि मैं फलां जगह चोरी कर रहा हूं । मैं उनका जवाब सुनकर सन्तुष्ट रहा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है प्रयास कीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय यह बड़े खेद की बात है कि वहां की जनता गत दो महिनों से अपना सारा धैर्य खो बैठी है । कोटपूतली में चोरी का बहुत जोर है । मैंने एस० पी० साहब से कहा एस० पी० साहब ने जवाब दिया असेम्बली का काम ज्यादा है फिर भी हम इस ओर सतर्क है । अभी राष्ट्रपति साहब पधारे थे गवर्नर साहब के यहां तो मैंने वहां पर निवेदन किया कोटपूतली की जनता अपने आपको काफी भयभीत महसूस करती है और वहां आजकल पुलिस प्रशासन नहीं गुण्डागर्दी का प्रशासन चल रहा है ।

आज वहां की हालत यह हो रही है कि हर रोज शाम को शराब पीकर हर किसी

(श्री सुरेशचन्द्र)

की पिटाई कर देते हैं, हर किसी को गाली-गलौच दे देते हैं। थोड़ा बहुत सुराग अगर पुलिस को मिलता भी है तो कह देती है फलां व्यक्ति फलां से सम्बन्धित है। चोरी का पता लगा सके, मैं समझता हूं पुलिस की मजबूरी है। मैं यह निवेदन करूंगा इस मौके पर माननीय राज्य गृह मंत्री जी विराजमान है सक्रिय रूप से चारों तरफ कोशिश की जाय और चोरी को बरामद की जाय। कोटपूतली में एक कैम्प लगाया जाय जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा कैम्प लगने से चोरी कम हो गई है। वहां के चोरों ने धावा बोला है और उसका असर आया है कोटपूतली पर। अभी दो एक मामलों में पुलिस सफल तो अवश्य हुई है, चोरों को पकड़ा—नया बास के लोग शामिल हैं। कुछ चोरी के आंकड़े भी पुलिस ने दिये हैं लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर मैंने पूछा कुछ माल भी बरामद हुआ या नहीं हुआ। पुलिस वालों का कहना है 50 परसेन्ट मिला है, मुझे 50 परसेन्ट से ही कुछ सन्तोष मिला। मैं यह कहना चाहूंगा जहां हम पुलिस की यह बात चाहते हैं तो पुलिस के साथ सहानुभूति है और उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है—न्याय और व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वहां यह सोचना पड़ेगा कि जनता को कम से कम ऐसा वातावरण दें कि वह यह महसूस करें हम सुरक्षित है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कानून के अनुसार पुलिस कार्यवाही करेगी। उनको सजा दिलाने में पुलिस सक्षम है, उनको बरबाद करने में पुलिस सक्षम है ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा और ऐसा वातावरण जनता के सामने पेश करना चाहिये।

कोटपूतली में एक बात कही जाती है कि स्टाफ कम है। मैंने इस बारे में प्रश्न भी रखा था। प्रश्न का जवाब तो जैसा आया करता है, आ गया। मैंने कहा आजादी के बाद स्टाफ ही नहीं बढ़ाया गया तो मंत्री महोदय ने कह दिया जी नहीं और जब मैंने पूछा इतने अर्से में एक कान्सटेबिल बढ़ाया है तो उसमें कह दिया जी हां। मंत्री महोदय को तो जवाब देना है, किसी भी प्रकार का जवाब हो। आये दिन वहां एक एक्सीडेन्ट होता है। एक कान्सटेबिल तो उसकी पैरवी करने में ही रह जाता है और जब उस कान्सटेबिल के लिये पूछा जाता है तो जवाब मिल जाता है तामील के लिये गया हुआ है।

कोटपूतली रोड का काफी विस्तार हो गया है—दिल्ली का रास्ता होने से और वास्तविकता यह है कि अब वहां स्टॉफ बढ़ना चाहिये। फिलहाल अगर आपको कोई आर्थिक कठिनाई है और स्टाफ ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं तो 4-6 महिने के लिये 2-4 कान्सटेबिल को वैसे ही भेज दीजिये। ऐसा मेरा निवेदन है एक चौकी और कायम होनी चाहिये ताकि जो जुर्म होते हैं, उनको पकड़ सके। इस बात के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा वैसे पुलिस के बारे में जितना कहा जाय, काफी कम है। मैंने तो वकालत की है इसलिये पुलिस के हथकण्डों से वाकिफ हूं चाहे जिसको चोर बता दें और चाहे जिसको साहूकार बना दें। अदालत बरी कर सके या नहीं कर सके लेकिन ये तो चोर को बरी कर देते हैं और साहूकार को बिठा लेते हैं। मैं समझता हूं किसी विभाग में ऐसी ताकत नहीं है जो पुलिस में ताकत है और जो इतनी शक्तिशाली है कि उसकी

Page No 92

(92)

(श्री सुरेशचन्द्र)

बुराई करते हुये भी लोग डरते है। पुलिस को बड़े अधिकार है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे 24 घंटे के लिये किसी को भी बिठा सकते है और उसके दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं, इसलिये ज्यादा बुराई वाली बात नहीं कहूंगा अब तो केवल बड़े बड़े....

एक माननीय सदस्य : आपको नहीं पकड़ेंगे।

श्री सुरेशचन्द्र : हां, मुझे तो नहीं पकड़ेंगे....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : भीलवाड़ा में चार वकीलों की पिटाई भी कर दी है।

श्री सुरेशचन्द्र : मेरा निवेदन है अगर पुलिस को सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं तो ये वकील लोग। क्योंकि जरा भी कहीं ज्यादती या गड़बड़ी हुई तो अदालतों में चले जाते हैं। उसकी जमानत दिलवा देते हैं, उसको रिमान्ड दिला देते हैं कई प्रकार से वे उसको बचा लेते है इसलिए वकील लोग हमेशा इनको बुरे लगते हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बुराइयों की बात नहीं कह कर जैसा मैं निवेदन कर रहा था और यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के साथ मुझे हमदर्दी भी है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माफ कीजिए, वकीलों का धंधा भी अपनी किस्म का ही है।

श्री सुरेशचन्द्र : हां। तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि नीचे के स्तर पर जो पुलिस कर्मचारियों की हालत है उसमें सुधार होना चाहिए और जैसा अभी माननीय सदस्यों ने सदन में जाहिर किया और वह वास्तव में सही है कि जो पुलिस के नीचे के कर्मचारी है उनकी हालत बड़ी दयनीय है। उनको जो वेतन मिलता है वह बिल्कुल कम है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए और उनको अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हम यह सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन में बुराईयां है तो वहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उनको सुविधाएं भी नहीं हैं और जब सुविधाएं नहीं होती हैं तो उनको अपने कार्यों को अन्जाम देने में दिक्कत आती है। जहां एक पुलिस स्टेशन है, उसके नीचे काफी लम्बा चौड़ा क्षेत्र होता है और आजकल वारदातें बहुत बढ़ गयी हैं और स्टाफ उनके पास कम है। आज चोरियां 10 हो जायेंगी तो 10 में से रिपोर्ट एक की दर्ज की जायेगी। वह रिकार्ड में लिखते ही नहीं है। बहुत होशियार होते हैं, रेकार्ड में कहीं पकड़ में नहीं आते। मेरे इलाके में पिछली बार काफी चोरियां हुई और मैंने पूछा कि कितनी चोरियों की रिपोर्ट दर्ज हुई और कितनी उनमें बरामदगी हुई। तो मैंने उत्तर में देखा कि संख्या बहुत कम आई। तो उपाध्यक्ष महोदय मैं बड़े ताज्जुब में पड़ा, मुझे काफी चोरियों का पता भी था और लोगों से पूछताछ भी की थी लेकिन मैंने देखा कि चोरियां तो बहुत हुई लेकिन रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई। बड़े होशियार हैं, वह कागजों की पकड़ में आते ही नहीं। लेकिन फिर भी उनको ऐसे साधन दिये जाने चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में दूर दूर तक तफतीश कर

(श्री सुरेशचन्द्र)

सकें और इसको उन्हें सुविधायें दी जानी चाहिए। इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, हाइकोर्ट के बारे में मैं अर्ज करना चाहूंगा। काफी अर्से से यह हाइकोर्ट के बेंच की मांग इस सदन में और सदन के बाहर चली आ रही है। देश के विभिन्न प्रान्तों में उपाध्यक्ष महोदय, बैंचें कायम की गई हैं लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता ने मांग की, न्याय की मांग की और न्याय की मांग के बारे में मैं समझता हूं कि न्याय देना सरकार का परम कर्त्तव्य है लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार इस प्रश्न पर मौन है, चुपचाप है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, आप स्वयं भी वकील हैं, जनता को न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्य है और इस सदन के 117 सदस्यों ने मांग की कि हाइ कोर्ट की बैंच जयपुर में कायम होनी चाहिए। पहले एक दलील दी जाती थी, पता नहीं वह कहां तक सही है इसके पीछे राजनैतिक दृष्टिकोण था कि जोधपुर के लोग नाराज हो जायेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में जब हाइकोर्ट है तो उसकी बैंच देने में जोधपुर की नाराजगी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है और भी दृष्टिकोण थे तो राजस्थान की राजनीति बदल गयी, राजस्थान का नेतृत्व बदल गया और यहां तक बदल गया कि माननीय मुख्यमंत्रीजी यद्यपि जोधपुर के हैं लेकिन पूर्वी राजस्थान अलवर जिले ने उनको इस स्थान पर भेजा है और वह मुख्यमन्त्री बने हैं। मैं तो समझता था कि मुख्यमन्त्री बनने के बाद पूर्वी राजस्थान को न्याय मिलेगा, वह घोषणा करेंगे कि राजस्थान हाइ कोर्ट की बैंच जयपुर में कायम हो।

श्री शंकरलाल : मुख्यमन्त्रीजी क्षेत्रीयता की भावना नहीं रखते।

श्री सुरेशचन्द्र : हां। माननीय सदस्य आपका जोधपुर से नजदीकी रिश्ता है आप तो इसी भाषा में बोलेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप (श्री शंकरलाल) किस भावना से बोल रहे हैं?

श्री शंकरलाल : राजस्थान की भावना से बोल रहा हूं।

श्री सुरेशचन्द्र : सारी भावनाओं को छोड़ दें, यदि आप न्याय पर आ जायें, आप यदि अन्याय पर हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन आप यदि न्याय पर हैं तो आपकी क्या दिक्कत है? पूर्वी राजस्थान के केसेज हाइकोर्ट में ज्यादा हैं। आप हाई कोर्ट की बैंच कायम कीजिए। सदन के माननीय सदस्यों ने बहुमत से मांग की है कि आप जयपुर में हाइकोर्ट की बैंच कायम कीजिए, न्याय से बात कीजिए। किस आधार पर आपका निर्णय है समझ में नहीं आता लेकिन आप इस प्रश्न पर मौन रहें, चुप रहे, कुछ कह नहीं सकें यह तो अन्याय है, न्याय का गला घोंटना है। आप समाजवाद की बात करते हैं, आप गरीबी दूर करने की बात करते हैं, महंगाई दूर करने की बातें करते हैं और गरीबों को न्याय तक नहीं देना चाहते हैं। हमारी सरकार ने तो दूसरा ही तरीका अपना रखा है, वह कहती है कि गरीबी मिटायेंगे लेकिन गरीबी बढ़ रही है, महंगाई रोकेंगे लेकिन महंगाई बढ़ रही है, समाजवाद

(श्री सुरेशचन्द्र)

लाये लेकिन पूंजीपतियों से हाथ मिला रही है, भ्रष्टाचार मिटायेंगे लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि आप काम करना चाहते हैं तो नारा उल्टा दीजिए। आप नारा दीजिए कि भ्रष्टाचार बढ़ायेंगे। जहां भी आप जायें यह भाषण दें कि हम भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है तो भ्रष्टाचार खतम होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके नारे कुछ और, काम कुछ है लेकिन कुछ भी नारे हों, कुछ भी भावना हो बहरहाल जहां तक हाईकोर्ट की बेंच का मामला हैं इसके लिए आप दूसरे प्रांतों से मार्ग दर्शन लीजिए। अभी हमारे राष्ट्रपतिजी आये तो उनको एक मांगपत्र पेश किया गया, हमारे देश के राष्ट्रपति घोषणा करें, प्रधान मन्त्री जी महसूस करें, जनता यह मांग करे और आबादी के लिहाज से इतना बड़ा क्षेत्र है और इस सदन के 117 माननीय सदस्य मांग कर तो मुझे थोड़ा फील होता है। माननीय सदस्य मांग तो करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के ह्विप से इतना डरते हैं कि सदन में कहते हुए सकुचाते हैं। उनको डर लगता है खेतसिंह जी का कि उनका चाबुक कही आ न जाये लेकिन उनका मन कहता है, उनकी स्वीकृति कहती है, उनके दस्तखत कहते हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उस राय में शामिल होंगे लेकिन उस लिहाज से उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि न्याय सस्ता मिलना चाहिए और 117 सदस्यों के दस्तखत हैं उसके बावजूद हाइकोर्ट की बेंच कायम नहीं हो तो यह अन्याय ही है। देश के विभिन्न प्रान्तों में कहीं एक और कहीं दो, दो खण्डपीठ कायम की हुई हैं लेकिन राजस्थान में एक भी नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है और जनता के साथ अन्याय है और मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी आज घोषणा करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच की मांग जो कि काफी लम्बे अर्से से चली आ रही थी वह वाजिब मांग है और हाइ कोर्ट की बेंच जयपुर में कायम होगी।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घन्टी तो मजबूर करती है कि मैं बैठ जाऊं। आपको थोड़ी तरस मुझ पर आयेगी कि सदन में जब से कार्यवाही चल रही है मैं पहली बार बोल रहा हूं फिर भी आपकी घन्टी का का स्वागत करूंगा ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बडी वरजिन स्पीच है।

श्री सुरेशचन्द्र : धन्यवाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जेल के बारे में भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। यह ठीक है कि शहरों में और कुछ डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर जेलों की और कैदियो की हालत सुधरी है और बुनाई का काम, बढ़ई का काम और दूसरे काम और कुछ सुविधायें कैदियों को दी गयी हैं। यह बहुत तारीफ की बात है लेकिन जहां तक नीचे की जेल हैं उनमें आज भी हालत खराब है। कैदियों के रहने की स्थिति और जो खाना उनको मिलता है वह बहुत ही खराब है। आप जो टेन्डर्स मंगाते हैं खाने की चीजों का तो उनकी साल भर में रेट बढ़ जाती है और फिर मोदी उसी रेट पर माल सप्लाई करे तो उपाध्यक्ष महोदय, म्हारो राजस्थान मिलावट में मशहूर है लेकिन वह उस रेट पर नहीं देगा और आप मजबूर करेंगे कि लाओ। फिर क्या होगा कि उनको खाने पीने के लिए जो सामान मिलेगा

(श्री सुरेशचन्द्र)

वह अच्छा नहीं मिलेगा इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सब डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर जो जेल है और कैदी है उनको सुविधायें दी जानी चाहिए। तो मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मेरे दल के और भी सदस्य बोलेंगे मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मगराज चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल छंगानी

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल बरवा

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने पुलिस विभाग की ओर अन्य विभागों के बारे में कुछ कटमोशन्स के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, पुलिस विभाग की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गयी हैं और अभी जो पुलिस विभाग की प्रगति पुस्तिका मिली है उसका अध्ययन किया है उससे मालूम हुआ है कि केसेज की तादाद दिनोंदिन बढ़ती जा रही है परन्तु जो पिछले, पुराने समय के अनुसार थानों का गठन किया गया था उनके अन्दर वही पुराना स्टाफ है और इस प्रकार स्टाफ की बड़ी भारी कमी है।

इसके अलावा आजकल जो मुकदमे थानों में दर्ज होते हैं, तफतीश समय पर नहीं की जाय तो जो ढिले होती है तफतीश में, उसके कारण इंसाफ लोगों को नहीं मिलता। इसलिए उपाध्यक्षजी, मौजूदा मांग को देखते हुए इस पुलिस के स्टेशनों की जो व्यवस्था पुरानी है उसके अन्दर सुधार करने की आवश्यकता है।

कुछ माननीय सदस्य इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले यह मान कर चलेंगे कि थानों के अन्दर लोगों का दिनोंदिन जो जनता साधारण है उनका विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि थानों में जो मुकदमे दर्ज होते हैं और मुकदमों की तफतीश करने में जो खर्चा होता है वह बहुत ज्यादा होता है और गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। ऐसी हालत में पुलिस के स्टाफ को बढ़ाया जाय। जैसे गम्भीर स्थिति के लिए जैसे पुलिस थानों में जीपों का प्रावधान रखने का कहा है उसमें अगर हर थाने में एक एक जीप दे दी जाय, जैसे बहुत से दूसरे महकमों में दी जाती है, परन्तु ला एण्ड आर्डर और न्याय से सम्बन्धित यह जो विभाग है उसको सहूलियतें देने की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा मांग को देखते हुए और पुलिस की जो आज दिन तक जितनी क्रिटिसिज्म हो रही है, इसके दो पक्ष हैं। पुलिस विभाग जो मौजूदा है उनके पास साधन की कमी है, स्टाफ की कमी है, वे काफी छानबीन नहीं कर सकते और कुछ तो मजिस्ट्रेटों की तामील में लगे रहते हैं। जो मुकदमे दर्ज होते हैं उन मुकदमों की तफतीश पूरी तरह से नहीं होती। ऐसे भी थाने हैं जहां वहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पुराना स्टाफ लगा हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए जो लोग साधन सम्पन्न हैं उनको इंसाफ मिलता है और जो गरीब आदमी हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता है। ऐसी हालत में मैं यह मांग करूंगा राज्य सरकार से कि खर्चे में कटौती तो करें परन्तु पुलिस स्टेशन्स पर जो जुर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर ही तफतीश होती है, लोगों की इंसाफ लेने में खर्चा भी बहुत आता है तो मौजूदा मांगों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा प्रावधान किया जाना चाहिए और जो मुकद्दमों का रजिस्ट्रेशन है, जो आज कल जितना काम का भार बढ़ गया है उन बातों को देखते हुए जो पहले पुराना स्टाफ लगाया था उस स्टाफ को भी आजकल की वर्तमान समय की मांग को देखते हुए बढ़ाने की आवश्यकता है।

ए, बी, सी तीन तरह का थानों का केटेगराइजेशन है जो थानों का केटेगराइजेशन जरूरी है परन्तु जो मौजूदा हालत है, मुकद्दमों की संख्या को देखते हुए जितनी शीघ्रता से तफतीश होनी चाहिए जितनी शीघ्रता से जांच की जानी चाहिए वह समय पर नहीं होती और नतीजा यह होता है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता ला एण्ड ऑर्डर की हालत खराब होती है। इसलिए इस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्षजी, एक कटमोशन के जरिये मैंने रानीवाड़ा थाने के अन्दर एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता, को-आपरेटिव बैंक के चेयरमैन का पोइंट ब्लैंक रेंज पर मर्डर हुआ और उसी वक्त रिपोर्ट दर्ज की लेकिन मेन एक्यूज्ड आज दिन तक फरार है। मैंने बारबार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और उस मुजरिम की जायदाद, मूवेबल, इम्मूवेबल प्रोपर्टी जिस तरह से सेक्शन 87, 88 की कार्यवाही की जानी चाहिए, वह वास्तव में नहीं की गई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो प्रोपर्टी उनकी मुवेबल और इम्मूवेबल है उसकी ऐसे आदमी ने जमानत दी है जो उसका रिश्तेदार है। जो कार्यवाही की गई है उससे मालूम नहीं होता कि वास्तव में कोई कार्यवाही की गई है। कागजों में छोटी मोटी कार्यवाही की गई है। यह मैं आपके जरिये पुलिस विभाग का ध्यान, मंत्रीजी को कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि ऐसे संगीन मामले में जो पोइन्ट ब्लैंक मर्डर हुआ, ऐसे मर्डर के अन्दर भी, उसी वक्त मर्डर होते ही एफ. आइ. आर. दर्ज कराई गई लेकिन आज तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ। कहा जाता है कि वह पाकिस्तान भाग गया है और पुलिस के हाथ नहीं आता। पुलिस ने बड़े 2 डकैतों का सफाया कर दिया, बड़े बड़े खतरनाक मुलजिम पकड़ने में पुलिस कामयाब होती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा खतरनाक मुलजिम पुलिस के हाथ क्यों नहीं आता। अगर पुलिस सतर्कता से काम करे और तालमेल बैठा कर काम करे तो क्यों नहीं मुलजिम हाथ आए। मुझे सूचना मिली है कि इस मुलजिम के लिए 200) रुपये के इनाम की घोषणा की है पुलिस ने। प्रोक्लेम्ड आफेन्डर घोषित किया है। उसकी प्रोपर्टी जब्त करने की कार्यवाही आप वास्तव में क्यों नहीं करते। आप किसी सीनियर ऑफिसर को यहां से भेज कर जांच करायें तो यह कार्यवाही संतोषजनक ढंग से हो जाय। जो 87, 88 में कार्यवाही की जाती है वह इसीलिए की जाती है कि

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

मुल्जिम मजबूर होकर खुद हाजिर हो। ऐसी हालत में मैं राज्य सरकार से आपके मार्फत निवेदन करूंगा और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सब तरह से कोशिश करके मुजरिम को गिरफ्तार करें वरना यह राइवलरी का मामला है, पोलिटिकल मोटिव से मर्डर किया गया था। इस बारे में मुझे भी कुछ दिनों पूर्व एक पत्र मिला था मैंने उसे राज्य सरकार को सबमिट कर दिया है। ऐसे मामल में ढिले बर्ती गई तो रंजिश की वजह से ऐसी बातें और भी हो सकती हैं। तो इतनी बड़ी भारी पुलिस फोर्स के रहते हुए, पाकिस्तान से लड़ाई भी हुई तो उस हालत में कैसे कोई मुजरिम वहां रह सकता है। इस हालत में राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपने क्या सख्त कदम उठाए हैं। किसको इंचार्ज बनाया है और जो उसके लिए इनाम की घोषणा दो सौ रुपये की की है तो क्या आप इसको इतना साधारण मामला मानते हैं। अगर इस मामले को संगीन मानते हैं तो मुजरिम गिरफ्तार क्यों नहीं होता। तो इस मामले में हर तरह से जो भी कार्यवाही करनी हो शीघ्रता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है और की जावे।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा दूसरे थानों के अन्दर जो झूठे केसेज दर्ज करने की परिपाटी पोलिटिकल पार्टीबाजी की वजह से बहुत बढ़ गई है। इसको किस तरह से रोका जावे इस बारे में जांच करने का विषय है और इसके बारे में एक सर्क्यूलर भी जारी किया गया था पुलिस विभाग की ओर से कि कोई भी काग्नीजेबल आफेंस हो रजिस्टर होना चाहिए उसकी दरख्वास्त पर। परन्तु कुछ ऐसे मामलों में ज्यादा मुल्जिम एफ. आइ. आर. वकीलों से लिखा कर उसमें झूठे सच्चे नाम दर्ज हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि अगर उसके अन्दर कुछ मुल्जिम झूठे होते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इस बारे में मेरा आग्रह है कि जितनी भी कम्प्लेनेंट की ऐसे संगीन केसेज में एफ. आइ. आर. हो व थानों में जुबानी दर्ज करा कर उन पर हस्ताक्षर होने चाहिएं। इस बारे में पहले सर्क्यूलर नहीं भेजा गया था और फिर सर्क्यूलर निकालने की आवश्यकता है कि कोई संगीन मामला दर्ज करने की बात हो तो ऐसे कोई कम्प्लेनेंट बार बार एकदम थाने में आता है तो झूठी बात नहीं होगी जुबानी सच्ची बातें लिखायेगा लेकिन बड़ी तादाद में एफ. आइ.आर. में लोगों के नाम झूठे लिख देने है तो उनमें सच्चे झूठे का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, नतीजा यह होता है कि असली मुजरिम भी झूठे मुल्जिम के डिफेंस में छूट जाते हैं और सारे के सारे मुल्जिमों का चालान करते हैं तो उसके अन्दर जो झूठे मुल्जमों को इन्वोल्व्ड कर दिया जाता है उनको बचाने के अन्दर सच्चे मुल्जिम भी बच जाते हैं। इस बारे में जो संगीन केस नजर में आते हैं विशेषकर गंगानगर और जालौर जिले के केसेज जिनमें कत्ल के केस, डकैती, रावरी वगैरा के केसेज, उनमें यह देखा गया है, इस बारे में

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पुलिस विभाग को सोचने की बात है।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा यह जो सी. आइ.डी. विभाग है इसके बारे में भी मैं कुछ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कहना चाहूंगा, जो एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा तफतीश की जाती है, डी. वाइ. एस. पी. और एस. पी. के द्वारा जांच करने के बाद कुछ मामले उनको तफतीश ट्रांसफर कर दी जाती है। वहां का सी. आई. डी. का एक सब-इन्स्पेक्टर जांच करके एफ. आर. दे देता है। तो यह प्रवृत्ति रोकने की आवश्यकता है। इसमें भी तब्दीली करिये। पहिले यह देखना चाहिए कि किससे द्वारा पहले तफतीश की गई है। उसके कैडर को देख कर हिगर केडर के आफिसर से तफतीश कराई जावे। यह क्या कि एक तरफ तो डी. वाइ एस पी. और एस पी. के लेवल के आदमी ने तफतीश कर ली और सी. आई. डी. में जाकर एक सब इन्स्पेक्टर जांच करे, इसका मतलब यह लगता है कि मामले को बिल्कुल खत्म करने के लिए इसमे लाया गया है। केस खराब हो जाते हैं और सच्चे केसेज भी झूठे साबित कर दिए जाते हैं। इस बारे में पुलिस विभाग को सोचना चाहिए।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा हमारे जिले में थानों का जो गठन हुआ था तो थानों को बढ़ाने की बात रखी थी और राज्य सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया गया था कि चीतलवाना एवं बागरा, दो जगहों पर नये थाना लगाने की आवश्यकता थी। इसमें पुलिस का स्टॉफ बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, मौजूदा स्टॉफ से काम चल सकता है। ज्यादा खर्चा भी विशेष नहीं होगा और जो पुलिस लाइन में स्टॉफ रहता है उसको लगाकर भी इनका काम चलाया जा सकता है। तो इस बारे में मेरी समझ में नहीं आता कि जिसमें खर्चा विशेष नहीं होगा उस हालत में इन थानों को मौजूदा थानों से बढ़ाने में राज्य सरकार को क्या दिक्कत आती है। इसमें शीघ्रता से तफतीश होगी, लोगों को इन्साफ मिलेगा, ला एण्ड आर्डर में सुधार होगा, तो इस बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घन्टी)

उपाध्यक्ष जी, दो मिनिट और। इसके बारे में राज्य सरकार को शीघ्र फैसला कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा यह पुलिस और आर. ए सी. के जवान जो एजीटेशन के समय इधर उधर पड़े रहते हैं उनको रेफ्रेशमेंट के नाम से विशेष अलाउन्स देने की बात थी लेकिन वह अलाउन्स अभी तक नहीं दिया गया है। तो जो यह इमरजेन्सी ड्यूटी मे रहते हैं उनके जो छोटे मोटे अलाउन्स की बात है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। वे रात दिन ड्यूटी में रहते है। उनको कुछ न कुछ देना चाहिए काटना नहीं चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस के ड्राइवर्स की बात है दूसरे विभागों के ड्राइवस के बराबर इनको तनख्वाह नहीं मिल पाती है। उनको ओवरटाइम नहीं मिलता, उनको लीव अलाउन्स नहीं मिलता है। इसके बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। अभी जो गुप्ता कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों को भी इन कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है। जबकि दूसरे कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि गुप्ता कमेटी की सिफारिशों को इस विभाग पर लागू किया जाना चाहिए। इसका बेनीफिट भी इनको मिलना चाहिए।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के बारे में भी मैंने एक दो कट-मोशन पेश किए हैं। उनकी ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज न्याय बहुत महंगा हो गया है। इसको सस्ता करने के लिए कोई न कोई सिस्टम इवोल्व करना चाहिए। पुराने ब्रिटिश टाइम की पद्धति ही आज न्यायालयों में चल रही है। आज अमीर आदमी को न्याय मिल सकता है, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है। सस्ता न्याय जनता को दिलाने के बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और इस ओर पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके अलावा पुलिस विभाग में जो प्रोसीक्यूशन ब्रांच है उसको ज्यूडीशरी में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ज्यूडीशरी को सेपरेट कर दिया गया है तो प्रोसीक्यूशन को भी उसके साथ लगा देना चाहिए ताकि पुलिस के बारे में यह जो क्लेम लगाते हैं वह दूर हो जाएगा। इसलिए यह विभाग ज्यूडीशरी को देना चाहिए और इनका ट्रांसफर व कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में यह एक उचित व्यवस्था होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आप उपस्थित नहीं थे। आप तशरीफ रखिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं चार मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए।

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित)

श्री मेवालाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफार अली।

श्री मोहम्मद गफार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जो प्रस्ताव रखे हैं उसमें ज्यूडीशरी पर तो मैं बोलूंगा और जो दूसरे कारागार और पुलिस के बारे में हैं, उन पर मेरे साथी केशरीमल जी बोलेंगे। मैं संक्षेप में ही ज्यूडीशरी के बारे में अर्ज किया चाहता हूं।

पिछली मर्तबा ज्यूडीशरी के सम्बन्ध में यह अर्ज किया, यह निवेदन किया था और राज्य सरकार ने सैद्धान्तिकरूप में यह मान लिया है कि एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन मुकम्मिलतौर पर ज्यूडीशरी से हो जाना चाहिए और ज्यूडीशरी कोर्ट्स में किसी किस्म की कोई इन्टरफरेन्स एक्जीक्यूटिव की नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में, इसी दिशा में राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए और सब जगह मजिस्ट्रेट जो थे उनको ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। लेकिन, एक चीज की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है कि जो रेवेन्यू के केसेज हैं, उन रेवेन्यू केसेज के बारे में हमारे चीफ जस्टिस दौलतमल जी भंडारी का कमीशन मुकर्रर किया गया था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

की थी कि ज्यूडीशयरी का सपरेशन एक्जीक्यूटिव म उस वक्त तक मुकम्मिल न स झा जाएगा जब तक कि यह जो रेवेन्यू केसेज है वो ज्यूडीशियल कोर्ट्स के अन्दर मुन्तकिल न कर दिए जाएं। मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर जितने रेवेन्यू केसेज हैं उनको तुरन्त हाइकोर्ट के मातहत अदालत में मुन्तकिल कर देना चाहिए। परन्तु इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया है और यह रिपोर्ट आज भी किसी खामोश कोने में पड़ी हुई है और इससे पता चलता है कि राज्य सरकार असल में जमीनों पर चूंकि ऐसे लोगों का कब्जा है जो कि आज राज्य सरकार चला रहे हैं या ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कि इसमें दिलचस्पी है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इतना पैसा खर्च होता है, इतने साधन जुटाए जाते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है या उसके आधार पर अमल नहीं किया जाता है। तो फिर इन कमीशन को मुकर्रर करने की आवश्यकता क्या रहती है। यही सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी जो चीज अर्ज किया चाहता हूं, जिसके लिए मैंने कटमोशन दिया है, वह यह है कि आज जो मुकद्दमात सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं, या जो फौजदारी मुकद्दमात है उनके डिसपोजल में, उनके तय होने में बड़ा अर्सा लग जाता है। बहुत से लोग थक जाते हैं। चार, चार तीन, तीन पांच पांच साल तक मुकद्दमें चलते रहते हैं। मेरी मान्यता है, यह इसलिए है कि मुकद्दमात ज्यादा है और आफिसर उनको तय करने वाले मुन्सिफ, उनको तय करने वाले मजिस्ट्रेट, उनकी तादाद कम है। इसलिए इस तरफ भी राज्य सरकार को तवज्जह करनी चाहिए और इस दिशा में कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ऐसे केसेज जिनको जल्दी तय होना चाहिए, जैसे रेन्ट के केसेज हैं, हुक्म इन्तखिलाफी के केसेज हैं, इन केसेज में बरसों लग जाते हैं। इमारत आधी बनी हुई है और फैसला नहीं होता है तो वह आधी ही बनी रह जाती है। तो यह जो चीज है उसके बारे में राज्य सरकार को कोई सन्तोषजनक कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि यह उसूल है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड–इन्साफ में अगर देरी हो डिले हो तो फिर वह इन्साफ न मिलने के बराबर है।

दूसरी गुजारिश ज्यूडीशरी के बारे में यह थी कि जल्दी से जल्दी इस तरफ कदम उठाया जाये और इन केसेज के लिए कोई रूल बनाया जाए कि उनके डिसपोजल करने, उनको तय करने के लिए प्रायोरिटी दी जावे। इन केसेज को जल्दी तय करना है, इसके बारे में कोई आधारभूत रूल्स बनाए जाने चाहिए।

दूसरी चीज जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी गुजारिश किया चाहता हूं, वह यह है कि इस राजस्थान के इस हिस्से में रहने वाले लोग, जिस चीज से लोगों के दिमाग को परेशानी है, वह हाइकोर्ट की एक बैंच की स्थापना का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पहले भी यह अर्ज किया था। असल चीज यह है कि क्षेत्रीयता की भावनाओं से ऊपर उठकर जम्हूरी तरीका ढूंढकर इस मसले का हल किया जाना चाहिए। मेरी मान्यता

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हैं कि राज्य सरकार इस सवाल के उपर रिजनेलिज्म का शिकार बन गई है और इसलिए ही वह उचित और सही कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। जो लोग रिजनेलिज्म को, क्षेत्रीय भावनाओं को हवा बनाते हैं या जो लोग जिनकी सियासत मजहब के उपर आधारित है, या जो लोग पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और जो ऐजेन्सी वाहर की है, जो हिन्दुस्तान में झगड़े कराकर इस मुल्क को वर्वाद करना चाहती है जैसे सी. आई. ए.। ये ऐजेन्सियां इस बात की कोशिश करती हैं कि इस मुल्क के अन्दर जहां जहां हो सके वहां वहां टुकड़े करवाए जाएं, झगड़े पैदा कराए जाएं और हिन्दुस्तान को चैन से नहीं बैठने दिया जाए। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आसाम में जो दंगे जुबान की बुनियाद पर हुए, उसके समाचार अमेरिका के एक अखबार ने दो महीने पहले दे दिए थे। यह लिख दिया था कि आसाम के अन्दर दो महीने के बाद झगड़े होने वाले हैं। आन्ध्र प्रदेश में जब झगड़े शुरू हुए इस किस्म की न्यूज वहां छप गई थी। इसका मतलब यह है कि सी. आइ. ए. का एक वड़ा विंग, उसका एक बड़ा षडयन्त्र हमारी अखण्डता के खिलाफ काम कर रहा है। यही वजह है कि जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, उसकी इत्तिला हम को न होकर उनको हो जाती है और होकर रहती है। आसाम में झगड़े हुए। आंध्र प्रदेश में बहुत से प्रतिक्रियावादी तत्व, जो कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी तत्व हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने की कोशिश की। इसलिए मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आज भी जयपुर में इस तरह के पैम्फलेट निकल रहे हैं और आपको ख्याल होगा कि पिछले बजट के मौके के ऊपर डूंगरपुर से आने वाले सदस्य ने यह फर्माया था कि राजस्थान के दो टुकड़े होने चाहिये उस वक्त भी हमने बड़ी सख्त इसकी मुखालफत की थी। आज भी इस मजमून के पोस्टर और हैण्डबिल्स डिस्ट्रीब्यूट किये जा रहे हैं जिसमें यह आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। मैं तो उन भाइयों से जो जोधपुर के इलाके के हैं या वहां से चुने गये हैं निवेदन करूंगा कि आप क्षेत्रीय भावनाओं से अलग होकर और कोई तरीके ऐसे अपनायें कि जिससे ऐसी हालत इस सूबे में पैदा न हो कि जो आज आन्ध्र प्रदेश में हुई और जिसका नतीजा आन्ध्र प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि आपको तुरन्त इस दिशा में कदम उठाना चाहिये। मेरी यह मान्यता है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी क्षेत्रीय भावना से प्रभावित होंगे और न हुए हैं, और यही वजह है कि अपनी कान्स्टीटुएन्सी से न लड़ कर दूसरे क्षेत्र से खड़े होना मुनासिब समझा है। यह एक अच्छी परम्परा है। वह क्षेत्रीय भावना की धारा में बह जायं और उनके घुटने उन लोगों के सामने टिक जायं कि जो कभी सही कदम उठाने को तैयार नहीं हैं।

जहां तक हाई कोर्ट की बैन्च की स्थापना का प्रश्न है उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सवाल अभी पालियामेंट में भी उठाया गया था और पालियामेंट में जो मुतालिका मिनिस्टर थे उन्होंने यह जवाब दिया कि यह राजस्थान की गवर्नमेंट का काम है। अगर चीफ जस्टिस चाहे और राजस्थान गवर्नमेंट सिफारिश करे तो हमको

(श्री मोहम्मद गफ्फार अल्ली)

कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां पर भी 117 विधायकों ने एक याददाश्त, मेमोरेण्डम पर दस्तखत करके पेश किया था चीफ मिनिस्टर के सामने जिसमें यह मांग की गई है कि बैंच की स्थापना तुरन्त जयपुर में की जाय। इसके अलावा जितने भी राजनैतिक दल हैं उन्होंने एक स्वर से और एक आवाज से यह कहा है कि बैंच यहां जयपुर में होना चाहिये और इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि अब कौनसी चीज है जो कि आपके रास्ते में बाधक है? आप उसको सामने करके क्यों नहीं रखते हैं। अगर क्षेत्रीय भावना है तो यह आपकी कमजोरी मैं समझता हूं। उसके आगे आपका सिर नहीं झुकना चाहिये, वर्ना यू०पी० के अन्दर इस किस्म की बात शुरू हो गई हैं कि अगर मेरठ में बैंच कायम नहीं की गई तो वह यू. पी. के दो टुकड़े करा देंगे। वह लोग जो राजस्थान के सूबे में इस तरह की आवाज उठाते थे वह भी अब थोड़े बहुत सक्रिय हो गये हैं और थोड़ी बहुत सरगर्मियां करने लगे है। मेरी गुजारिश है कि इस सवाल पर जिसमें लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, लोगों को राहत मिल सके उसका कोई आधार बना लें और उसका रिफ्रेण्डम करालें

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनट में खत्म करता हूं।

विधायकों को बगैर गुट के फ्री छोड़ा जाय या यह सोच लें कि इस क्षेत्र के इतने मुकद्दमात हैं वे बहुत जल्दी तय होने चाहिये, तो किसी तरह से भी कोई भी क्राइटेरिया बनाकर आप इस प्रश्न के ऊपर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लिया जाय, वर्ना आपको उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कि जिन मुश्किलात का और सूबे सामना कर रहे हैं, और जो बाहर की एजेन्सीज जो इस तरह का हदीस पैदा करना चाहती हैं, और वह ताकतें जो पहले अखण्डता की बात कहती थीं वे मुल्क को चालीस टुकड़ों में इसलिए बांट देना चाहती हैं कि वहां पर वे अपना प्रभुत्व कायम कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ में मुख्य मन्त्री जी से अपील करूंगा कि राज्य सरकार और मुख्य मन्त्री जो ठण्डे दिमाग से और आब्जेक्टिवली इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। अच्छा हो कि वे इस सवाल को ऐसा गम्भीर बनावें कि जो हल करने के काबिल ही न रहे। मेरी गुजारिश यही है कि इस सवाल को जल्दी से लेकर तय किया जाय और यहां पर तुरन्त हाई कोर्ट की ब्रांच की स्थापना की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे दो कटमोशन हैं, एक पुलिस के सम्बन्ध में है और दूसरा कारागार के सम्बन्ध में। मुझे यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पुलिस में जो सबसे पहले खराबी की शुरुआत होती हो, पैसा खाने की जहां शुरुआत होती है, केस को पकड़ने और केस को दूसरे ढंग का बना देने की शुरुआत होती है, वह होती है थाने में जाने वाले उस व्यक्ति से शुरू होती है जो कि अपनी रिपोर्ट लिखाने जाता है। जब व्यक्ति थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचता है तो उसकी रिपोर्ट या तो लिखी ही नहीं जाती है या रिपोर्ट लिखी जाती है तो दूसरे तरीके से

(श्री केशरीमल)

बना दी जाती है या रिपोर्ट दूसरे पर्चे में लिख कर उसकी रिपोर्ट बदल दी जाती है, या फिर तुरन्त मुकद्दमों को बिगाड़ने के और सुधारने के नये तरीके के रास्ते निकाल लिये जाते हैं। खास तौर से खाने का जरिया यह एक सबसे बड़ा उनके हाथ में है जहां पर कि एफ. ग्राई. ग्रार. नोट कराने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जहां पर मामले की जांच का प्रश्न है वहां यह देखा गया है कि यह अधिकारी लोग बराबर इस बात की कोशिश में रहते हैं कि किस पार्टी से कितना पैसा मिले और उस मामले को किस तरह से बनाया जाय। उस रिपोर्ट के बाद यह रास्ता निकालते हैं और उसके जरिये दुबारा रिपोर्ट लिखते हैं। ऐसी भी मिसालें ग्राई हैं कि जहां पर बड़े बड़े ग्रधिकारियों, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में ग्राये हुए लोगों, ग्रार० ए० एस० स्तर के लोगों ने यह रिपोर्ट की है कि उनको तंग करने के लिए पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने पीछा किया, उनके ऊपर बराबर फर्जी मुकद्दमे लागू करने की कोशिश की है। तो ग्राज हम यह देख रहे हैं कि पुलिस को सुधारने की बात है तो वह सुधारने की बात हमें तो ग्रभी नजर नहीं ग्राती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ग्राजादी के पहले पुलिस का काम आजादी के दीवानों को मारने, पीटने का काम था। वह अब भी एक वैसी ही परम्परा लिये हुए चली ग्रा रही है। उसके बाद भी उसका तौर तरीका वैसे ही चला आ रहा है। ग्राज भी पुलिस के ग्राफिसर, पुलिस के लोग उसी तौर-तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। अभी सत्याग्रह लक्ष्मी मिल के मामले में हुग्रा ग्रौर दूसरे सत्याग्रह हुए तो मैंने देखा कि कैसे पुलिस के लोग हमारे लोगों के साथ में मारपीट किया करते है, उनकी हड्डी पसलियों को तोड़ते है। वैसे ही तौर-तरीके हैं जो कि 1946 से पहले के थे। वे ग्राज भी हमारे सामने हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, यही बात नहीं है। ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलेंगी कि यह लोग उनके साथ में किस तरह से मारपीट करते हैं, उनके साथ में अत्याचार भी करते हैं। मेरी समझ में नहीं ग्राता है कि 24-24 घन्टे बिठाने के बाद भी कागज में उनकी हाजरी नहीं दर्ज करते हैं। थानों को यह ग्रधिकार मिला हुग्रा है। किसी ग्रादमी को बुलाते हैं ग्रौर कई कई दिन तक बिठाये रखते हैं ग्रौर उनके पांवों के तलवों पर, हाथों की हथेलियों पर, कूल्हे के मांस पर, रानों के मांस पर, पिंडलियों के मांस के हिस्सों पर वे मार करते हैं जो कि उनके खास मार करने के स्थान हैं ताकि लोगों को साधारणतया पता न लगे।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे देश में ग्राजादी के बाद इस पुलिस में ज्यादातर पुलिस के नीचे के तबके में जो लोग ग्राये हैं वे गांवों से भर्ती हुए हैं और उन्हें शिक्षित नहीं किया गया है कि हमारे देश में पुलिस का क्या काम है। किस तरह के तौर तरीके ग्रपनाने चाहिए, इस तरह की शिक्षा नहीं दी गई। यह शिक्षा यहां पर दी जाती है कि खाग्रो पियो, मारो, शराब पियो और मौज करो। माननीय

(श्री केशरीमल)

उपाध्यक्ष, इसका परिणाम बड़ा खतरनाक निकल रहा है। आज बांसवाड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि बांसवाड़े के गांव में एक इन्सपेक्टर के लड़के ने एक बच्चे की हत्या की और वह 17 वर्ष का बच्चा, जो इन्सपेक्टर का था, शराब पिये हुए कालेज या स्कूल में पकड़ा गया। वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने उसको समझाया कि ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा और वह उनके बच्चे को फुसलाकर ले गया और चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी....

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के अन्दर शराबखोरी, बदमाशी, और भ्रष्टाचार कितना अधिक फैला हुआ है। वह न केवल पुलिस को ही भ्रष्ट कर रहा है बल्कि उनके बच्चों को भी भ्रष्ट कर रहा है। वह देखते हैं कि हमारे पिताजी इस तरह से शराब पीते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं करूं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो यह जरूरी बात है कि सरकार यह सोचे कि क्या ऐसा ही चलने दिया जाये या पुलिस को कुछ शिक्षित दीक्षित किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पुलिस में जो रिपोर्ट कराने के लिए जाता है, उसी को पकड़ लिया जाता है। उसी को मारपीट कर पूछते हैं कि तू कहां था, तेरा बाप कहां था, तेरा भाई कहां था ? इतना ही नहीं थाने के लोग अगर घरों पर जांच करने के लिए जाते हैं तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि महिलाओं के साथ में बलात्कार तक भी किया गया है। और जब कोई इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है तो उसकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस प्रकार की कई घटनाओं का जिक्र है। जैसे किसी की स्त्री के साथ में बलात्कार किया गया है, वह थाने में जाकर रिपोर्ट करने जाता है तो थाने में उसकी रिपोर्ट को नहीं लिया जाता है। उदाहरण के लिये मैं उस घटना को पढ़ रहा हूं।

"रूपा की चीख पुकार और बूढ़े धन्नाराम के जोर जोरसे रोने की आवाज से झोंपड़े के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गये, मगर बन्दूकधारियों को देख किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई आगे बढ़े। इज्जत लूटने के बाद रर्जीराम आराम से जमा भीड़ के बीच में से चला गया।"

दूसरी घटना है, "बाप और बेटी दोनों को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिसको इत्तला दी गई, मगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।" तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई मामले हैं। पुलिस ने बलात्कार करने वालों को पनाह दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्य जो यह घटना बता रहे हैं, यह सूरतगढ़ तहसील की है। हजारों आदमियों के सामने बलात्कार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। No explanation.

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना घटी। पुलिस के लोग रिपोर्ट करने वाले आदमी को मारें और भगा दें। ऐसी बहुत सी घटनायें आपके सामने कह सकते हैं। लेकिन मैं यह जरूर पूछना चाहता हूं, आपने सतर्कता आयोग

(श्री केशरीमल)

की रिपोर्ट में यह देखा होगा कि उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सिफारिश में बताया है, " जिला पुलिस के कार्य संचालन में अभी बहुत कुछ सुधार अपेक्षित है। आयोग के ध्यान में आई गम्भीर चूकों में से एक है थानों में रिपोर्ट किये जाने वाले संज्ञेय मामलों को रजिस्टर में दर्ज करने तथा अग्रिम कार्यवाही करने में विफल रहना या दर्ज करने से इनकार करना । "

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो भ्रष्टाचार के तरीके गिनाये हैं, उनमें यह भी हैं । "आर्थिक लाभ के लिए पुलिस कर्मचारियों द्वारा केस को दबाया जाना, प्रच्छन्न प्रयोजन के लिये पुलिस कर्मचारियों की अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिली भगत होना, संज्ञेय मामलों को रजिस्टर न करना, प्रच्छन्न प्रयोजन के लिए झूठे आरोपों पर अवैध गिरफ्तारी, मामलों को रजिस्टर करने के लिए अवैध परितोषण की मांग, अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने के लिए अवैध परितोषण की मांग ।" ऐसे कई मामले बताये हैं, पुलिस में जो आदमी शिकायत लेकर जायेंगे तो मामले को बिगाड़ने के लिए तोड़मरोड़ कर अन्य ढंग से पेश करना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार एक आदमी की जमानत देने के लिए गया तो मेरे को कहा गया, बैठ जाओ यहीं । मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है । तो पता नहीं मेरे पर क्या, किसी हत्यावाला केस लगाया गया । रात को मेरे साथ जो हुआ, वह एक अलग बात है । वह मैं कहूंगा नहीं । हालांकि वह केस अदालत में खत्म हो गया । मैंने उसको मीटिंग में भी बोला था कि उन्होंने हमारे साथ यह किया । इस प्रकार से रोज लोगों को पीटा जाता है । अगर यह हमारे साथ होता है तो कोई अचम्भे की बात नहीं हो सकती है । दूसरी बात, जो पुलिस थाने में ले जाये जाते हैं उनको खाने के लिए क्या दिया जाता है । जिनको जांच के लिए कोठरियों में बन्द किया जाता है, तो उसी में पेशाब करना, उसी में टट्टी करना, उसी में खाना खाना । खटमलों से भरी हुई सड़े ढंग की वह व्यवस्था होती है । जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, आज भी वही होता है । जिसको पकड़कर थाने में बन्द किया जाता है, उसको 36 पैसे का खाना मिलता है । 36 पैसे में तो दो कचौड़ी भी नहीं आ सकती हैं । अगर मंत्री महोदय के नाश्ते में दो कचौड़ी दो समोसे आते हैं, तो वह भी 36 पैसे में नहीं होंगे । वहां पर वहीं नहीं जाते हैं जो चोरी आदि करते हैं । ऐसे भी हजारों आदमी होते हैं जो कि सत्याग्रह करते हैं । हमारे सत्याग्रही आदमियों के लिए हमको चन्दा करके खाना भेजना पड़ता था । शर्म आती है, ये 36 पैसे का खाना देने की बात करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी कुछ और निवेदन करना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक केस का हवाला देना चाहता हूं । सेवाराम सिन्धी, सन् 1970 का केस है । उसको इतना मारा कुछ लोगों ने कि उसको मरा हुआ जानकर छोड़कर चले गये । वह खान से लौट रहा था । थाने ने पूरी इन्क्वायरी की है । छानबीन की गई है । कई संस्थाओं और लोगो ने मिलकर इसके लिए कार्यवाही कराने की कोशिश की । लेकिन उन्होंने

(श्री केशरीमल)

अपने जूते रगड़ रगड़ कर फाड़ डाले लेकिन कोई न्याय नहीं दिला सका है। अब तक कोई न्याय नहीं दिला सका है। उसके सारे बयानात लिये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि जो आज कारागार की हालत है, मेरा निवेदन करना है कि कारागार 1947 के पहले तो आजादी के दीवानों को परेशान करने के लिए और जो बुरे काम करते हैं, उनको सुधारने के लिए थे। मैं जहां कभी बन्द रहा हूं, आज उसे आदर्श कारागार कहते हैं। उस आदर्श कारागार की बात कर रहा हूं कि हमारे आदमी जो वहां थे, उनको रात के 12 बजे मार मार कर चूरा निकाला गया है। सोये हुये आदमियों, जिनके पास कोई शस्त्र नहीं था, बचाव का कोई साधन नहीं था, के ऊपर लाठियों से प्रहार हुआ है।

एक माननीय सदस्य : आदर्श कारागृह है।

श्री केशरीमल : जो खाना दिया जाता है, उसका कितना पैसा लिया जाता है ? वह दिया कितना जाता है, यह पता लगायें तो आपको पता लगेगा कि कैसे मलाई मलाई दूसरों को चली जाती है और छाछ जो बन्दी हैं, चाहे किसी प्रकार के बन्दी हों, उनके हिस्से में आती है।

मेरा निवेदन करना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (समय समाप्ति सूचक घन्टी) राजनैतिक बन्दियों को जब अंग्रेजों के जमाने में जेल में बन्द किया जाता था तो शाम को बाहर छोड़ा जाता था, शाम को उन्हें बाहर रखा जाता था। लेकिन आज की सरकार उन बन्दियों को जेल की कोठरियों में बन्द रखती है। जमाना बदल गया है, आदर्श कारागार की बात करते हैं लेकिन उनमें पंखा तो है नहीं और फिर बाहर छोड़ने की बात कहें, यह कहें कि बाहर रहने दीजिये क्योंकि जो सत्याग्रह करके आये हैं, वह भागने के लिए नहीं आये हैं वह तो जेल में रहने के लिए आये हैं, फिर भी उनको बाहर छोड़ा नहीं जाता है। पालिटिकल प्रिजनर चाहे प्रेसीडेन्ट म्यूनीसिपल बोर्ड का बन कर जाय, चाहे वाइस प्रेसीडेन्ट जाय, चाहे पंच जाय या सरपंच जाय या साधारण लोग जायं, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, कोई उसमें फर्क नहीं। पालिटिकल प्रिजनर और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। एक सा व्यवहार, एक सा रखने का तरीका-यह अच्छी बात नहीं है। यह बहुत हो रहा है आज की जेलों में, इसमें फर्क रखना आवश्यक है। आज यदि सरकार ऐसा करेगी तो जो आन्दोलन करके जाते हैं, जो सरकारी कर्मचारी आन्दोलन करके जाते हैं, अध्यापक भी जाने लगे हैं, क्यों नहीं जायेंगे, उनकी मांग मानती नहीं है सरकार, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी, जो आज कर रहे हैं। इसलिए यह व्यवहार किसी हालत में भी सहनीय नहीं है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जेलों के अन्दर जो व्यवहार हो रहा है उसे किसी तरह बदला जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाय के लोग एक प्रकार से आदी हो गये हैं। मध्यम वर्ग के लोग, विद्यार्थी और मजदूर सब को चाय की आदत हो गई है। मजदूर छः बजे चाय पीकर काम पर लगता है, उस की यह हालत है कि वह खाने बगैर रह सकता है लेकिन चाय के बगैर नहीं रह सकता। जेल में कहें कि हमारा पैसा लो, आप

(श्री केशरीमल)

व्यवस्था करो वैसे तो यह अच्छा हो कि वह व्यवस्था करें लेकिन फिर भी नहीं करना चाहते। हम कहें कि दो सौ, चार सौ रुपये जमा करा देते हैं हमारे पास से लेकिन चाय दीजिये। फिर भी यह सरकार चाय देने से इन्कार करती है और चाय नहीं देती है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं दो मिनिट में समाप्त करूंगा।

जेलों में शौचालय हैं, उन शौचालय की दशा देखने के काबिल है। आज के जमाने में उनमें गन्दगी हैं, ऐसी गन्दगी जो बर्दाश्त के बाहर है। आज भी लोगों को ऐसी हालत में रखा जाय, जब कि एक मिनिस्टर के एक-एक कमरे में दो-दो फ्लश की लेट्रिन हैं तो जेल में बन्दी हैं दो-दो सौ को वह एक लेट्रिन में कैसे जायं, जो खुली जगह है वहां कैसे जायं, जहां कीड़े चलते हैं वहां इन्सान को बैठना पड़ता है। लेकिन उसका सुधार नहीं हो सका है। आज जेलों में रोशनी नहीं है, पंखा नहीं—इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। जेलों को जब आदर्श कारागार कहा जाता है, इतना सुधार किया है तो इतना सुधार और करना चाहिए यह मेरा निवेदन करना है।

अन्त में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जितनी जेलों के अन्दर खाने की वस्तुएं दी जाती हैं, उनका एक स्तर होना चाहिए, उनका माप तौल होना चाहिए, और ठीक से देने की व्यवस्था होनी चाहिये। नहीं तो सरकार से पैसा बहुत वसूल करते हैं और खाने की जो चीजें दी जाती हैं वह उतनी नहीं दी जाती हैं। उसमें बहुत फर्क हैं।

मैं अन्त में निवेदन करूंगा, हमारे सत्याग्रही लोग और इसी तरह से जो पालिटिकल लोग जाते हैं उनके साथ ठीक प्रकार से व्यवहार हो। इस पर बहुत ज्यादा मैं जोर दूंगा। सरकार उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करे। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन है, फिर भी अभी तक मौका नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए। श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रखने के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। उसके माध्यम से मैं राज्य मंत्री गृह का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि धौलपुर में अन्य समस्याओं के अलावा डकैती की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसका आज तक निवारण नहीं हो पाया है। हालांकि यह समस्या नई समस्या नहीं है, काफी वर्ष हो गये, सदियों से यह समस्या चली आ रही है लेकिन वैसे तो राजस्थान के चार पांच जिलों में डकैती की समस्या है, लेकिन मेरी समझ में जितनी धौलपुर में यह समस्या है, उतनी अन्य जगहों पर नहीं है। उसके कई कारण हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, आपसी दुश्मनी। यह तो इसके कारण हैं जिसकी वजह से डकैती की समस्या है, लेकिन मुख्य कारण धौलपुर की भौगोलिक स्थिति है। धौलपुर चम्बल, उटंग नदी, खारो नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इन नदियों में मीलों लम्बे और सैंकड़ों फीट गहरे खार

(श्री बनवारी लाल)

हैं। होता क्या है, अपराधी को अपराध करके छिपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है। इससे पुलिस को कंट्रोल करने में, पुलिस को काबू करने में दिक्कतें आती हैं। दूसरा कारण क्या है, धौलपुर यू.पी. और मध्य प्रदेश, दोनों के बोर्डर पर स्थित है। कभी यू. पी. की पुलिस वहां से दबाव डालती है तो डकैत धौलपुर में आ जाते है, कभी मध्य प्रदेश की पुलिस वहां से दबाव देती है तो डकैत धौलपुर में आ जाते हैं और धौलपुर में यह समस्या निरन्तर बनी रहती है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस समस्या के ऊपर काबू करने के लिए हालांकि राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है, फिर भी मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा फोर्स बढ़ा कर इस समस्या को हल करना चाहिए। जैसा कि बहुत से लोगों का यह अनुमान है, पिछले महीनों में जो डकैतों ने सरेन्डर किया है उससे यह समस्या खत्म हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री से, वहां पर यह समस्या कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। वहां तो यह हालत है, सुबह डकैतों को समाप्त कर दिया है तो शाम को दूसरा गिरोह खड़ा हो जाता है और शाम को डकैतों को समाप्त किया है तो दूसरी सुबह दूसरा गिरोह खड़ा हो जाता है। मेरा निवेदन है, यह मान्यता थी कि डकैतों को खत्म कर दिया गया है और यह महसूस हुआ कि इस समस्या पर काबू पा लिया है, लेकिन वहां इस समय भी तीन गिरोह हैं, शिवलाल का गिरोह, नाहरा का गिरोह और तीसरा गिरोह गौरीदान का है, कई मध्य प्रदेश के गिरोह आ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह गिरोह हैं और इस सब डिविजन के गिरोह हैं, इनके कारण हम लोगों की विषम स्थिति है। हम लोगों की स्थिति है कि हमारा आना जाना बन्द हो जाता है। दिन में डकैतियां पड़ती हैं तो आना-जाना बन्द हो जाता है और हम लोगों की मुश्किल हो जाती है। पुलिस कार्यवाही करती है-इसमें संदेह नहीं है, उन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करती है। लेकिन पुलिस के सामने दिक्कतें आती हैं। वास्तव में है क्या, डकैत जंगलों में रहते हैं, लेकिन वहां भी वह रह नहीं सकते हैं जब तक उन्हें पनाह नहीं हो। जो अन्य लोग पनाह देने वाले हैं वह पनाह नहीं दें तो उनको खाने पीने की मुश्किल हो जाय। पुलिस कार्यवाही करती है लेकिन इन लोगों पर बगैर सख्ती किए वह कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन जनतन्त्र का युग है, जब पुलिस कार्यवाही करती है तो दरख्वास्त के जरिए, शिकायतों के जरिए, विधान सभा में प्रश्न उठा कर उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करा कर, उन्हें दण्ड दिलवा कर यह कोशिश करते हैं कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जाय। लेकिन उससे माननीय सदस्यों द्वारा हमारा बुरा हो जायगा, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपना बचाव रखने के लिए ऐसा करते हैं, जो अपना डकैतों से सम्बन्ध रखते हैं और शिकायत करवाते हैं। उन सदस्यों को जानकारी है नहीं। मेरा निवेदन है, जो सदस्य सदन में सवाल उठाते हैं, उन सदस्यों को मालूम नहीं है। वे मौके पर जाकर देखें कि हमें कितनी मुश्किल उठानी पड़ती हैं। हमारा आना जाना बन्द हो जाता है, औरतों के साथ बलात्कार और अन्य अत्याचार होते हैं। उन्हें इसकी जानकारी है नहीं। उनसे कह दिया और उन्होंने यहां प्रश्न उठा दिया। वह यहां बैठ कर अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के

(श्री बनवारीलाल)

लिए कह सकते हैं, लेकिन अब तक उन्हें वहां की जानकारी नहीं है। सवाई माधोपुर में कोई केस हुआ है, उसके लिए यहां चार्ज लगा रहे हैं और यहां पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं कहता हूं, उनको मालूम नहीं है चमार को किसने मारा है, वाडी के सर्किल इन्सपेक्टर ने नहीं मारा है, करौली का मारने वाला है। उन्हें यह मालूम नहीं है और फिर उसकी रक्षा करने के लिए यहां बात करते हैं। उन्हें मालूम नहीं है, सम्बन्धित अधिकारी कौन है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी अधिकारी के बारे में कहें नहीं। लेकिन हमें जितनी जानकारी है उतनी अन्य को नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर काबू करने के लिए पुलिस बराबर प्रयत्न कर रही है। डकैतों के सरेन्डर हुए तो सरकार की धारणा हो गई कि अब यह समस्या नहीं है और जो आर.ए.सी. की बटालियन धौलपुर में है उसको बिखड़ा कर दिया। बनौर नाम के आर. ए. सी. की एक कम्पनी सवाई माधोपुर में रहती है, एक जयपुर में आ जाती है और एक कहीं और चली जाती है जहां पर स्ट्राइक होती है वहां चली जाती है। एक कम्पनी वहां रहती है। इस तरह से आप सुचारुरूप से इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है, इस समस्या पर काबू रखना है तो आर. ए. सी. की स्ट्रेन्थ वहां बढ़ाई जाय, वहां पर और फोर्स बढ़ाई जाय। होता क्या है, धौलपुर सब डिविजन के पास यू. पी. और मध्यप्रदेश के जिले है, वहां पर क्या स्थिति होती है। आप यू. पी. में देखिये, हमारे यहां एक थाने की बारह की स्ट्रेन्थ है, एक लम्बी छुट्टी पर चला जाता है। एक कम छुट्टी पर चला जाता है, एक तामील पर चला जाता है, एक अन्य कोई जगह चला जाता है। चार चले जाते हैं और चार रह जाते हैं। बगल में देखिये तो वहां पर एक थाने की संख्या पच्चीस आदमियों की है और आसानी से इस समस्या पर काबू पाने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा, थाने के अलावा पी. ए. सी. की दो कम्पनी पड़ी रहती हैं जो मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। मेरा निवेदन है कि समस्या बराबर एक सी है, वहां पर इस समस्या पर काबू रखने के लिए इतनी मदद दी जा रही हैं लेकिन राजस्थान में कुछ भी मदद नहीं है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान पुलिस का वास्तव में बुरी तरह टेरर है, डकैतों के दिल में डर है कि वह वास्तव में खत्म कर देंगे, अन्यथा उनके दिमाग में से टेरर निकल गया, वस्तुस्थिति यह है कि डकैतों की समस्या को समाप्त करने के लिए उनके दिल में पुलिस का टेरर रहे, तो मेरा निवेदन है कि इससे उनकी मदद करते हैं। आप कहते हैं कि डकैतों की समस्या पर काबू हो गया है, इससे डकैतों के दिल का टेरर समाप्त हो जाता है और फिर यह समस्या बढ़ने लगती है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर काबू करने के लिए ज्यादा पुलिस फोर्स बढ़ायी जाय और थानों में पुलिस की संख्या बढ़ायी जाय।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि सीक्रेट फंड जो आप देते हैं, वह कम है। डकैत अपने लोगों को पैसा देते हैं और अपना काम निकालते हैं लेकिन पुलिस के पास सोर्स नहीं है कि मुखबिर जान खतरे में डालकर पुलिस की मदद करें। उनको पुलिस इतना पैसा नहीं दे पाती है। इसलिए पुलिस के फंड्स बढ़ाए जायं और सीक्रेट फंड को बढ़ाया जाए ताकि समस्या पर काबू किया जा सके।

(श्री बनवारीलाल)

दूसरा निवेदन है कि पुराने समय से थानों की समस्या चली आ रही है, जनसंख्या व अपराध बढ़ते जा रहे हैं और थाने उतने ही हैं। इससे जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। अतः मेरा निवेदन है कि थानों का पुनर्गठन किया जाए और जहां वर्कलोड ज्यादा हो गया है वहां थाने ज्यादा बढ़ाए जायें।

जिस तरह से बोर्डर रोड्स के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता की सुविधा दी जाती है, वैसे ही इन डेकोइट इन्फेस्टेड एरियाज के लिए केन्द्रीय सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालकर, सड़कों की व्यवस्था की जाए। अगर सारे गांवों की सड़कों को जोड़ा जाए समस्या पर काबू पाने के लिए तो पुलिए को जो काफी खर्चा करना पड़ता है, उसमें मदद मिलेगी। थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था, जीप की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य प्रांतों में कई थानों पर जीप की व्यवस्था की गई है। वायरलैस सेट्स ज्यादा से ज्यादा गांवों में बढ़ाये जाएं तो इस समस्या पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। वहां पर जो फोर्स है बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए, अन्यथा हम लोगों का रहना मुश्किल है, हम लोगों की हालत हम ही महसूस कर रहे हैं, शाम को 7 बजे ही हम लोगों को अपने घर लौटना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांगों के संबंध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव दिया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान के अन्दर पुलिस की संख्या कम है और उसको बढ़ाया जाए। पिछले साल भी पुलिस की मांगों पर जब वादविवाद चल रहा था उस समय भी मैंने इस बात को कहा था लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। आपको पता है कि राजस्थान में आबादी 27 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी और उसके साथ अपराधों की संख्या भी बढ़ी है।

(3.24 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

मेरा मानना है कि अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे समाज के अन्दर आर्थिक बहबूदी आएगी, तरक्की आएगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके अपराध करने के तरीके उतने ही रिफाइन्ड किस्म के होते जायेंगे और जो आपकी 36,000 पुलिस की संख्या है ढाई करोड़ आबादी पर, वह अपर्याप्त है। जहां तक इन्वेस्टीगेशन का सवाल है, आपको मालूम है 36,000 के अन्दर आर. ए. सी. के जवान भी शामिल हैं और अधिकारी भी शामिल हैं जिनका काम है लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करना। इसलिए जो आर. ए. सी. फोर्स है उसको सिविल पुलिस से अपने आप अलग करके चलना ही पड़ेगा तो मेरा अनुरोध है कि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए आपको पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैंने पुलिस रिपोर्ट देखी, उसमें उन्होंने लिखा है कि अपराध तो बढ़े हैं लेकिन इन अपराधों के अन्दर काफी प्रतिशत मामले झूठे पाए गए, इसके लिए पुलिस को जो काम करना पड़ता है, तफतीश करनी पड़ती है और समय लगाना पड़ता है, उसके

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अन्दर कमी नहीं आती है। काम तो बढ़ता है, तो बढ़े हुए काम को देखते हुए लाजमी है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। फिर हमारे राजनैतिक हालात हिन्दुस्तान में अजीब किस्म के होते जा रहे हैं तो राजस्थान इससे अछूता नहीं रह सकता। आप देख रहे हैं कि 1972 के चुनाव के बाद कांग्रेस को जो शानदार सफलता मिली, उससे विरोधी दलों के लोग बौखला गए और उन्होंने जनता को भड़काना, उकसाना, बरगलाना ...

श्री मूलचन्द सामरिया : और आप जैसे लोगों की असलियत बताना ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपकी असलियत पर आ रहा हूं, घबड़ा क्यों रहे हो।

श्री मूलचन्द सामरिया : कतई नहीं घबड़ा रहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजनैतिक दलों का जो रोग इस समय हिन्दुस्तान में है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है और जो सरकार पदासीन है वह चाहे किसी भी दल की हो, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पुलिस फोर्स को बढ़ाए ताकि लॉ एण्ड आर्डर कायम रखा जा सके। आपने आंध्र की हालत देखी वहां डिवीजन की बात चल रही है। वहां भी कांग्रेस की जीत हुई तो कुछ लोग बौखला गए। जनसंघ वाले यदि नाराज न हों तो कहूं कि उन्होंने अखंड भारत की बात कही थी कि सारा हिन्दुस्तान एक होना चाहिए, पाकिस्तान भी मिलाना चाहिए तो अच्छा हो। लेकिन आज उन्होंने राजनैतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए आंध्र विभाजन की मांग शुरू कर दी, हिंसा पर लोग उतारू हैं। हिंसा के खिलाफ जनसंघ के किसी सदस्य ने, उनके अध्यक्ष ने या संसद में किसी सदस्य ने एक शब्द नहीं कहा। वही हालत जो आंध्र में शुरू हुई है, मुझे डर है कि हिन्दुस्तान के हर इलाके में ये लोग वैसी हालत फैलाना चाहते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जायेंगे, यह स्थिति गम्भीर होती जायगी। बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध सरकार ने जो कदम उठाए, उनके समर्थन में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन जनता को आन्दोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए भड़काया जाता है और जनता आन्दोलन करती है, प्रदर्शन करती है तो उस वक्त ऐसा होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके हाथ से वे निकल जाते हैं, मोब कन्ट्रोल के बाहर हो जाती है, हिंसा पर उतारू हो जाती है: फायरिंग होता है, लाठी चार्ज होता है, अश्रुगैस चलायी जाती है। बाद में जो स्थिति होती है वह किसी से छिपी नहीं होती।

थोड़े दिन पहले विधान सभा के बाहर टीचर्स को आर० एस० एस० के लोगों ने भड़का कर प्रदर्शन कराया, फिर क्या हुआ वह किसी से छिपा नहीं, उसके लिए पुलिस दोषी नहीं है। तो पुलिस फोर्स अपर्याप्त है, इन राजनैतिक हालात में उसकी संख्या को बढ़ाया जाना लाजमी है। मैं जानता हूं कि राज्य सरकार की सीमायें हैं आर्थिक समस्या है जिसके कारण सरकार फोर्स बढ़ाने में असमर्थ है लेकिन फेज्ड वे में, प्लान्ड वे में हरसाल थानों की संख्या बढ़ायेंगे तभी आप इस समस्या पर काबू पा सकेंगे। और आबादी के अनुपात में पुलिस फोर्स नहीं बढ़ायी तो एक साथ व्यवस्था करने में दिक्कत वाली बात होगी।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

आज सवेरे जब धौलपुर डकैत समस्या के बारे में जब यहां चर्चा हो रही थी तो मैंने कुछ कहा उस पर उदयपुर से आने वाले सदस्य ने कह दिया कि आपका राजोरिया हत्याकाण्ड में हाथ था, पुलिस की वकालत कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्यों को ध्यान हो तो पिछले साल जब सदन में यह प्रश्न उठा था उस समय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि मैं जुडीशल एन्क्वायरी के लिए तैयार हूं, उस पर जनसंघ दल ने यह बात कही थी कि हम जुडीशियल एन्क्वायरी नहीं चाहते हैं, हम सी० बी० आइ० के द्वारा जांच चाहते हैं। सी० बी० आइ० ने जांच की। उसका क्या नतीजा निकला, मैं बता देना चाहता हूं जिससे लोग भ्रम में न रहें। जब भी मैं सदन में किसी बात को लेकर खड़ा होता हूं उस समय जनसंघ के लोग कहना शुरू कर देते है कि आपका राजोरिया हत्याकाण्ड मे हाथ था।

सभापति महोदय, सी० बी० आइ० की रिपोर्ट आगयी और उसमें जब मेरा कोई लेना देना नहीं पाया गया तो अब यह लोग इस सदन के जो जनसंघ के सदस्य हैं कह रहे हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय। सभापति महोदय, मैं उस वक्त बहुत ही असमंजस में पड़ गया था जबकि अपोजीशन के लोगों ने कहा था कि सी० बी० आइ० से जांच करायी जाय इधर मुख्य मंत्री ने कहा कि जुडिशियल इन्क्वायरी करा ली जाये अब मैं किधर बोलूं अगर सी. बी. आइ. की इन्क्वायरी का मना करूं तो वे यह समझेंगे कि मैं डरता हूं क्योंकि उनके अनुसार मैं शायद दोषी होऊंगा खैर अपोजीशन वालों के कहने पर सी० बी० आइ. की जांच हुई और उसने 50 आदमियों से तफतीश की और गांव गांव में लोगों से पूछताछ की लेकिन मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं पाया गया मेरे खिलाफ में कोई सबूत नहीं पाया गया। तो मैं सदन के माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि राजोरिया हत्याकांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है अब बेकार की माननीय सदस्य इस बात को लेकर राजनैतिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं। सभापति महोदय, जनसंघ वालों ने चुनाव के दिनों उस व्यक्ति की लाश को 36 घन्टे तक इधर उधर घुमाया उस लाश को राजाखेड़ा की गली गली में घुमाया और लोगों से लाश के नाम पर वोट मांगे। इसके अलावा हमारे उधर धौलपुर के पास मुरैना मध्यप्रदेश का जिला पड़ता है वहां भी इन जनसंघ वालों ने उस लाश को बाजार में घुमाया और वोट मांगे। बड़े दुःख की बात है कि मरे हुए व्यक्ति की लाश के नाम से इन्हीं लोगों ने वोट मांगे।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिये काफी अच्छा किस्सा है आपको भी आनन्द आ रहा है और माननीय सदस्यों को भी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमने लाश के नाम से वोट नहीं लिये। हमने तो तथ्य रखे थे। माननीय सदस्य गलत तथ्य रख रहे हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आपका समय आवे जब आप बोलें। अभी तो स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इनका समय तो गया अब नहीं आने वाला है।

Page No 113

(113)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो आपकी गिल्टी कौंसियनेंस की साइकोलोजी है इसलिये ऐसा कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने गलत बातें कहीं थीं और लाश के नाम पर वोट मांगे थे।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, आज पुलिस के ऊपर डिमान्ड चल रही है इसलिये माननीय सदस्य को यह कहा जाय कि उसी के बारे में बोलें तो अच्छा है।

श्री सभापति : आपको स्पष्टीकरण देना था वह दे चुके हैं अब पुलिस की मांगों पर अगर आप कुछ बोलने की इच्छा रखते हैं तो बोलें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सभापति महोदय, अगर वह गलत तथ्य पेश करते हैं तो हमें उत्तर देने का अधिकार है। मैं भी कुछ बातें निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : आपका समय आवे जब आप भी कहना।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब इनका समय नहीं आने वाला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो सभापति महोदय मैं अब पुलिस की डिमान्ड्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे सदन में अभी मुख्य मंत्रीजी ने लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में घोषणा की थी। तो मैं समझता हूं कि यह लोकायुक्त किस एजेन्सी के जरिये काम करेगा। उसका स्टाफ कौनसा होगा। अगर किसी हैड ऑफ डिपार्टमेंट के खिलाफ में कोई एप्लीकेशन आयेगी तो क्या लोकायुक्त खुद वहां जाकर इन्क्वायरी करेगा या किस प्रकार से करेगा या कोई एक्स वाइ जेड के जरिये से इन्क्वायरी करेगा। तो मेरा सुझाव यह है कि यह पुलिस में जो एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट है उसको लोकायुक्त के नीचे दे दिया जाय। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट पुलिस का है उसका कोई भी अधिकारी इस महकमे में नहीं जाना चाहता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसके लिये आपको चाहिये कि 30 परसेन्ट का अलाउन्स एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

तीसरी बात जो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पहले हमने ऐसा सुना था कि पुलिस विभाग के लिये एक रिआर्गेनाइजेशन कमेटी का निर्माण किया गया था तो मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि उसने अपनी रिपोर्ट क्या दी और कब दी। या उसकी रिपोर्ट कब तक आ जायेगी। यह जानकारी चाहता हूं। चौथी बात जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि अभी वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि पुलिस के कर्मचारियों को मैं मैस अलाउन्स में पांच रुपया बढ़ा रहा हूं। इसको मैं नाकाफी मानता हूं और उसके लिये यह सिफारिश करता हूं राज्य सरकार को कि पुलिस के सिपाही को आप कम से कम 30 रुपया माहवार मैस अलाउन्स दे दें। क्योंकि पुलिस का जो सिपाही है वह बहुत ही ईमानदारी से काम करता है और उसकी ड्यूटीज काफी हार्ड हैं इसलिए मेरा निवेदन

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

है कि इनका मैस अलाउन्स बढ़ाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपने बार बार घन्टी बजा दी है। बस मैं इतना ही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह चौधरी।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता रामगढ़) : सभापति महोदय, आज पुलिस की मांगों पर बहस चल रही है। मैं इस बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज मैं पुलिस विभाग की जो ज्यादतियां हैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि पुलिस विभाग में थाने के अन्दर लोग जो रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। इसका जिक्र करने से पहले पुलिस विभाग और राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह उम्मीद करके चलता हूं कि जिस प्रकार की रेड अभी कुछ समय पहले सीकर जिले में नयाबास में की गयी थी और उससे काफी अच्छा फर्क उस एरिया में पड़ा। सभापति महोदय, काफी अच्छा रिजल्ट उसका निकला। इस रेड के होने के पहले सीकर जिले के लोग चोरियों से बहुत ही आतंकित थे और चोरियां बरामद नहीं होती थीं। लोग थाने में जाते तो रिपोर्ट्स भी दर्ज नहीं की जाती थी और लोग जानते थे कि कोई कार्यवाही नहीं होगी अतः वे रिपोर्ट दर्ज कराने भी नहीं जाते थे। लेकिन अभी जो रेड हुई उससे यह नतीजा निकला कि काफी चोरियां बरामद हुईं और लोगों को सन्तोष मिला है। अगर इस तरह की कार्यवाही राजस्थान के दूसरे स्थानों में की जाये तो काफी चोरियों की रोकथाम हो सकती है। सीकर जिले में अभी जो चोरियां पकड़ी गई थीं उसमें न केवल सीकर जिले की चोरियां ही खुलीं बल्कि दूसरे स्टेट्स की चोरियों का माल बरामद हुआ। करीब 103 केसेज की चोरियां खुली हैं और माल बरामद हुआ है। इस प्रकार की कार्यवाही सभी जगह हो तो काफी जनता को राहत मिल सकती है। सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग के अन्दर जो सबसे बड़ी कमी ज्यादातर पायी जाती है वह यह है कि आज लोग इस बात से ज्यादातर परेशान हैं कि थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और खासतौर से ऐसी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इससे किसान आज काफी परेशान हैं। मैं मेरे जिले की बात आपके माध्यम से खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज थाने वाले नहीं करते हैं। उसका एक मुख्य कारण यह है कि थानों का हर माह के जो क्राइम्स होते हैं उनके आंकड़े पुलिस हैडक्वार्टर्स पर जाते हैं और अगर उसमें ज्यादा मुकद्दमे पाये जाते हैं तो उसमें पुलिस के अफसरों की खिचाई होती है। इसलिए पुलिस वालों ने यह सबसे बड़ा और अच्छा तरीका निकाला कि रिपोर्ट ही दर्ज मत करो ताकि यह सवाल ही पैदा नहीं हो कि कितने मुकद्दमे हुए और कितना माल बरामद हुआ। मैं खासतौर से इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि मवेशियों की जो चोरी होती है उसको पुलिस वाले खासतौर से दर्ज नहीं करते हैं। सभापति महोदय, आज किसान दिन को मेहनत करके अपने घर पर आकर सोता है

(श्री नारायणसिंह चौधरी)

और सुबह उठता है तो यह देखता है कि उसकी मवेशी चोरी हो गई है जब वह पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने की बात करता है तो पुलिस वाले पहले तो मौखिक रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट लिख कर लावो तो रिपोर्ट दर्ज होगी तो सभापति महोदय, आज का किसान इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि रिपोर्ट लिख सके बेचारा परेशान हो कर रिपोर्ट लिखाने जाता है, कई बार तो इन बातों से दुखी हो कर रिपोर्ट लिखाने भी नहीं जाता है। अगर पुलिस वाले खुद रिपोर्ट लिखते हैं या लिखाते हैं तो यह लिखाते हैं कि मेरी मवेशी दिन को मेरे खेत में चर रही थी लेकिन अब वह मिल नहीं रही है इस प्रकार की एक रपट डाल देते हैं कि बकरी या जो भी उसकी मवेशी होती है उसके लिए लिख देते हैं कि उसकी मवेशी कहीं चली गयी है पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। इस तरह की श्रांज जो दिक्कतें हैं वे दूर होनी चाहिएं। रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। पुलिस के प्रति आज लोगों में विश्वास नहीं रहा है कि चोरी बरामद होगी या नहीं और यह सही बात है कि 60 परसेन्ट लोग चोरी होने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। उनका मानना यह है कि चोरी न हो तो अच्छा है किन्तु चोरी होने पर बरामद नहीं होगी। लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है, उनका मन बना हुआ है मेरा यह मानना है कि इस ओर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। चोरी की रिपोर्ट होती है तो उसके होने पर संख्या बढ़ेगी तो जरूर उसकी तफतीश करनी पड़ेगी। इसलिए यह जो तरीका अपना रखा है कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज ही न हो यह बिलकुल गलत तरीका है यही कारण है कि थानों के आंकड़े चोरी के मामले में नीचे ही रहते हैं।

यदि आपसी मारपीट या झगड़े का मामला आजावेगा तो वे फौरन उसको दर्ज कर लेंगे क्योंकि वे बदमाशी करके किसी प्रकार उसमें गड़बड़ कर लेंगे। लेकिन चोरी के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करते। कोई माने या न माने 60 परसेन्ट आदमी चोरी की रिपोर्ट कराने जाते ही नहीं। उनका विश्वास ही नहीं रहा पुलिस पर। बाकी के जो जाते हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती है और अगर भी लेते हैं तो उनको प्रकट नहीं किया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कुछ तथ्य और हैं जो पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास पहले से ही बहुत सारा काम है। लॉ एण्ड ऑर्डर आदि की व्यवस्था रखनी पड़ती है। मोटर के चेकिंग का विभाग है इसके पास में। जब आलरेडी ट्रांसपोर्ट विभाग है तो यह विभाग इनके पास नहीं रखा जाना चाहिए। उनके भार को जो पहले ही ज्यादा है उसको कम करना चाहिए और यह विभाग ट्रांसपोर्ट डि० को दे देना चाहिए जिससे मोटर मालिक भी तंग न हों।

जिस प्रकार गंगानगर में डकैती और कत्ल होते हैं उसी प्रकार आज सीकर जिले में भी यह बढ़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि पुलिस ऑफिसर्स को 107 और 117 की दरख्वास्त देते हैं, आपस में झगड़े की, वे उस पर कार्यवाही नहीं करते हैं और इस

(श्री नारायणसिंह चौधरी)

कारण ये कत्ल के केसेज होते हैं और यदि 107 और 117 की कार्यवाही कर लेते तो ये कत्ल के केसेज के रूप में न आते। खंडेला में डेढ़ महीने में चार कत्ल हो गये। उस कत्ल के पीछे कोई बड़ा इरादा नहीं है। आपसी झगड़े के कारण ये कत्ल हुए हैं। 107 या 117 की कार्यवाही की जानी थी वह नहीं की गई और अन्त में कत्ल जैसी स्थिति पैदा हुई। ऐसे मामले पहली स्टेज पर ही तय हो जाने चाहियें और तत्परता से निपटाये जाने चाहियें और उनके नहीं निपटाये जाने से ऐसा होता है।

आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रामकुमार हत्याकांड के सिलसिले में। सरकार ने भी काफी प्रयास किया। आज भी तीन आदमी जो उस कत्ल में शामिल थे, वे हत्यारे आज तक भी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। उन आदमियों की जमीन है, जायदाद है, सम्पत्ति है, सब कुछ होते हुए भी उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है। उनके गिरफ्तार नहीं होने से और कोई कार्यवाही नहीं होने से आज सीकर जिले में भी गंगानगर सी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिये मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पुनः राजस्थान सरकार के गृह मंत्री और राज्य गृह मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार नीम के थाने में रेड करवा कर प्रशसनीय कार्य किया उसी प्रकार दूसरी जगह पर भी करें तो चोरियों की संख्या घटेगी।

श्री सभापति : श्री करणसिंह।

श्री करणसिंह (डीग) : मैंने भी, सभापति महोदय, अपना कटौती प्रस्ताव रखा है। बहुत माननीय सदस्यों ने इस डिमाण्ड पर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। जहां तक पुलिस के सम्बन्ध में दूसरे माननीय सदस्यों की जैसी राय है कि इसके लिये एक कमीशन कायम किया जाय, पुलिस के कर्मचारियों, सिपाहियों आदि को जो आज दिक्कतें हैं और जनता को जो दिक्कतें हैं उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है, मेरा भी यही मानना है लेकिन जब तक कमीशन नियुक्त हो और पुलिस में सुधार लाया जाय तब तक हमारे पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, उनके वेतन में वृद्धि अविलम्ब की जानी चाहिये। वे लोग 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। कम से कम उनको पड़ोसी राज्यों के मुकाबले तो वेतन दिया जाय। राजस्थान में एक कान्स्टेबल को 70 रुपया देते हैं। जब कि हरियाणा में 125) पंजाब में 125), हिमाचल जो एक छोटा सा प्रदेश है वहां 125) रुपया हैड कान्स्टेबल का वेतन राजस्थान में 90 रुपया है, हरियाणा में 150 रुपया है, पंजाब में 150 रुपया और हिमाचल में 150 रुपया है। इसी प्रकार सब पदों पर दूसरे प्रान्तों में अधिक वेतन है। हम अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देंगे तो उनसे यदि कोई गलती होती है तो उनको कहने का हक भी रखेंगे।

जहां तक इस समय पुलिस का सवाल है कुछ माननीय सदस्यों ने बुराई भी की और भलाई भी। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है मुझे पुलिस से काफी मदद मिली है। मैंने ब्रिटिश टाइम की पुलिस भी देखी जब कोई पुलिस का सिपाही गांव में चला जाता था तो हर तरह से उसकी खातिर

(श्री करण सिंह)

दारी होती थी। लेकिन आज के सिपाही को गांवों में पानी के लिये कोई नहीं पूछता। जेब से ही खाना खाये।

पुलिस ने अच्छे कार्य किये हैं जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि नीम के थाने में काफी सराहनीय काम किया है। राजस्थान में उसकी काफी प्रशंसा है। लेकिन एक दाग छोड़ दिया है। 3 मुलजिम फरार हैं और वे गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं। उसके पास काफी बड़ी जायदाद है, प्रोपर्टी है। पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। जिस तरह से नीम के थाने में रेड करवा कर राहत दिलायी उसी प्रकार से इन तीन मुल्जिमों को भी गिरफ्तार करके मदद करें।

सभापति महोदय, पुलिस में कई विभाग हैं। कइयों की चर्चा होती है। लेकिन पुलिस में एन्टीकरप्शन विभाग है उसके लिए किसी ने जिक्र नहीं किया। सिर्फ इतना ही जिक्र किया कि इसको लोकपाल के नीचे कर दिया जाय। एन्टीकरप्शन विभाग जो है वह जनता में "अन्टी गरम" के नाम से विख्यात है। और सही माने में यह राजस्थान पर एक आर्थिक बोझ है। उसके दो उदाहरण देना चाहूंगा। रंजिश के द्वारा लोग केस बना कर सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कराते हैं। तीन चार साल तक मुकद्दमें चलते हैं और नतीजा यह होता है कि आगे जाकर बरी होते हैं। तीन साल तक राज्य सरकार उनके कार्य से वंचित रहती हैं और तीन साल की उनको तनख्वाह भी देनी पड़ती है। एक असिस्टेन्ट डाइरेक्टर 8 साल बाद बहाल हुए और आठ साल की पे उनको राज्य सरकार द्वारा दी गयी और राज्य सरकार उनकी सेवाओं से वंचित रही। यह किसके कोष पर बोझा पड़ा? राज्य सरकार के ऊपर ही तो।

सवाई मानसिंह अस्पताल में डा. एस. डी. माथुर को थोड़े दिन के लिए गिरफ्तार किया। उनका केस तफतीश में चल रहा है इस सम्बन्ध में राज्य मंत्री महोदया ने आदेश दिये कि ऐसे केसेज का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। काबिल चालान हो तो चालान होना चाहिए। वरना इससे अधिक आर्थिक भार बढ़ता है। डॉ. एस. डी. माथुर ज्युरिष्ट थे और कॉलेज में क्लास लेते थे आज उनके नहीं होने से विद्यार्थी वंचित रहे हैं और आगे जाकर नतीजा क्या होगा? वही ढाक के तीन पात। उसमें बहुत सी कमियां हैं। उसको सदन में कहना उचित नहीं समझता। मेरा निवेदन है कि इस 'अन्टी गरम' डिपार्टमेन्ट में काफी सुधार की आवश्यकता है। मेन्युपुलेट करके अपना कोटा पूरा करने के लिए केस बनाते हैं। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो आज किसी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर चले जाइये। किसी वकील से पूछ लीजिये कि कौन रिश्वत लेता है कौन नहीं लेता है, मालूम हो जावेगा। अन्यथा तो इस अन्टी गरम विभाग के पास जो लेने देने वाला है वह तो जायगा नहीं। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह विभाग व्यर्थ है। यह तो स्वयं करप्शन में लिप्त है। इसे या तो बन्द करदें नहीं तो नये ढंग से चलाने में ही इस प्रदेश का भला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : भानुकुमार शास्त्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे भी समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : सबको समय मिलेगा। तसल्ली रखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम इसी आश्वासन पर बैठे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैंने भी पुलिस के विषय में एक कट मोशन प्रस्तुत किया हैं। पुलिस जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक रक्षक दल के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णरूप से निभावें तो बहुत बड़ा उपयोगी विभाग साबित हो सकता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि इस विभाग में अधिकारी लोग विशेष कर अपने स्वार्थ के लिए नाजायज फायदा उठाने के लिए क्या क्या कर बैठता है और किस रूप और रेंक के व्यक्ति कर बैठते हैं यह जब देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कांस्टेबल, हैड कान्स्टेबल और सब इंसपेक्टर के रेंक के लोगों की बात नहीं करूंगा। आर. पी. एस. और आइ.पी. एस. के रेंक के लोगों के बारे में ही कहूंगा।

मैं उदाहरण दूं कि गत वर्ष पोलीटेक्निक कालेज के एक प्राध्यापक ने एक चोरी की शिकायत स्वयं थाने पर जाकर की। प्राध्यापक साधारण वेषभूषा में था। संयोगवश थाने में उनका सामना एस. पी. से हो गया। उन्होंने प्राध्यापकजी से कहा कि आप बैठ जाइये।

क्यों भाई, मैं तो रिपोर्ट कराने आया हूं। मेरी वस्तुओं की चोरी हो गई है। मैं एक प्राध्यापक हूं।

ऐसी की तैसी प्राध्यापक की।

ऐसा कहकर जो उस प्राध्यापक महोदय की उन्होंने पिटाई की वह एक अलग कहानी है। मैं उसे कह नहीं सकता। आइ. पी. एस. रेंक के एक अधिकारी ने आज के युग में एक पढ़े लिखे विद्वान के साथ एक प्राध्यापक के साथ यह सलूक किया है आज के इस स्वतन्त्रता के युग में। परिणाम यह हुआ इसका कि कालेज में हड़ताल हो गई। कलेक्टर के कार्यालय के बाहर आकर विद्यार्थी खड़े हो गये। इसके बाद आज दिन तक भी डराया धमकाया जा रहा है कि बात मत करना थाने में पिटाई की। पर आज तो उस प्राध्यापक ने अदालत में दावा पेश कर दिया है।

मेरा स्वयं का अनुभव है। जुलूस में जा रहा था, डी. वाइ. एस. पी. साथ थे। कोई उनका डंडा लेकर भाग गया। वे कहते रहे कि मेरा डंडा कोई ले गया। डंडा लाना मेरा। मुझे बड़ी हंसी आई। जो डी. वाइ. एस. पी. अपना डंडा नहीं सम्भाल सकता वह लोगों की रक्षा का भार कैसे सम्भाल सकेगा।

तीसरा उदाहरण देता हूं। चोरी के आरोप में ऋषभदेव में पुलिस ने एक बनवासी महिला को पकड़ लिया। आप आश्चर्य करेंगे कि पुलिस अधिकारी ने उस महिला से सच कहलवाने के लिये टोर्चर की सीमा को पार कर दिया। उसके गुप्तांगों तक को टोर्चर करने का प्रयास किया। महिला बेहोश हो गई। शहर में हड़ताल हो गई। मैं स्वयं गया और पुलिस ने यह किया कि उसे स्थानान्तर कर दिया। पुलिस लाइन में भेज दिया। इसके अलावा कुछ नहीं तो यह पुलिस का महकमा है।

इस प्रकार की एक नहीं अनेकों घटनाएं आये दिन हमें देखने, सुनने और पढ़ने को मिलती हैं।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

उदयपुर का स्कूटर कांड हमारे सामने है। जांच कमीशन बैठा। रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। पर उसे टेबल पर नहीं रखा जा रहा है। इससे साफ इनफरेन्स निकाला जा सकता है कि यदि इस जगह पुलिस नहीं होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। 9 आदमियों की इसमें जान चली गई।

एक छोटा सा उदाहरण दूं। बिट्ठलभाई को बांसवाड़ा में गिरफ्तार किया गया। मैं मिलने गया। उनको एक 6 बाइ 6 के कमरे में बिठा रखा था और जो उस कमरे की खिड़कियां थीं उनके कम्बल लगा रखे थे। पुलिस ने मुझे नहीं मिलने दिया उनसे। मजिस्ट्रेट के पास गया। कहा मैं मिलना चाहता हूं, मुझे मिलने का अधिकार है।

श्री विद्यासागर : मैं जानकारी चाहूंगा कि उस महिला का क्या नाम था जिस आदिवासी महिला का आपने उल्लेख किया?

श्री भानुकुमार शास्त्री : नाम पुलिस से पूछ लीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य गलत बात कहकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं। ये उसी क्षेत्र के हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मन्त्री महोदय नाम बता देंगे।

श्री विद्यासागर : मैं मिला हूं उस महिला से। उसने जो इल्जाम लगाया पुलिस पर वह गलत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मैं एस. पी. से मिला इस बारे में। उन्होंने स्वयं ने जांच की और कहा कि यह सारी घटना जितनी है उससे भी अधिक सही है। मैं उसको कागजों पर नहीं लिख सकता। लेकिन यह प्राइवेटली कह सकता हूं कि यह घटना घटी है।

श्री विद्यासागर : उस महिला को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्री विद्यासागर : यह कथन उनका बिलकुल गलत है।

श्री सभापति : मैं कह चुका हूं कि माननीय सदस्य बार बार बीच में बोलने का प्रयास न करें। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। आपका अवसर आवे तब आप कह सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मजिस्ट्रेट ने मना किया। मैंने एप्लोकेशन दी। कहा एक घंटे बाद आवें। पुलिस प्रोसीक्यूटर को बुलाया गया। बाद में मिलने दिया गया। तो ऐसी क्या बात थी। ऐसा कौनसा गम्भीर क्राइम किया गया कि एक विधायक को दूसरे विधायक से मिलने में इतनी रुकावटें डाली गई। मैं अपने बारे में कह सकता हूं। उदयपुर के दंगों में राजस्थान के उस समय के होममिनिस्टर ने पुलिस एस. पी. और कलक्टर के विरोध करने के बावजूद भी मुझे डी. आइ. आर. में गिरफ्तार करने के लिये जोर डाला और मेरे खिलाफ वारन्ट निकाल कर मुझे जेल में भेजा। बाद में मैं स्वयं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री से मिला। उन्होंने अपनी गलती को रिएलाइज किया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप लायक हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्योंकि नालायक लोगों से वास्ता पड़ा है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण कर लेना और इस तरह के कारनामें करना आज की पुलिस के लिये शोभा की बातें नहीं रह गई हैं। मैं ऐसे कारनामों के लिये पुलिस का समर्थन नहीं कर सकता।

मैं मैंडिकोज की बात करूंगा। वे गिरफ्तार हुए मैं उनसे उदयपुर की जेल में मिलने गया। एस. पी. ने कहा कलक्टर की आज्ञा लें। मैंने एप्लीकेशन दी। कलेक्टर को फोन किया, पर मुझे फोन से बात नहीं करने दी। आखिर मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं पूछता हूं क्या मैंडीकोज डकैत चोर और दूसरे अपराधियों से भी गये बीते थे। उनसे भी अधिक अपराधी थे? कौन थे वे? क्या थे? इस तरह की बातें आज के युग में चलेंगी नहीं।

जिन आरोपों के आधार पर लोगों को जेलों में रखा जाता है उन अपराधों को अगर जेल वाले भी करने लगें जैसे गबन हैं और हैं तो इसको कौन रोकेगा? आज से सात साल पहले धौलपुर की जेल से 6 व्यक्ति भाग गये। बन्दूक लेकर चले गये। यह सब कैसे हो पाया? कुछ वर्षों बाद पकड़े गये। कुछ मर गये। एन्क्वायरी हुई तो उनको पूछने पर पता लगा कि उनसे भारी भारी रिश्वतें ली गई। उस जांच का परिणाम आज तक नहीं निकला क्या किया सरकार ने इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं।

इसी प्रकार अजमेर जेल से अब्दुल अजीज पाक नेशनल भाग गया। कोई पूछने वाला नहीं कैसे भाग गया, कौन अपराधी है इसमें। किसकी साजिश से भागा। इसके लिये जिम्मेदार कौन हैं? जेलर के यहां चूरू में एक कैदी डोमेस्टिक काम करता हुआ भाग गया। भागने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक अपराधी से जेलर के यहां डोमेस्टिक वर्क क्यों लिया गया। मैं समझता हूं जहां रोग की जड़ है उसे पहचानना चाहिये आज जेल के अन्दर अकाउन्टेन्ट है मोहम्मद इस्माइल वह कई दिनों से वहां बैठा हुआ है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा उसकी जांच करें और दोषी साबित होने पर उसको दण्ड दें और जो प्राइमाफेसी केस बनता है उसकी सजा दें। मैं अधिक बात नहीं कहना चाहता हूं एक बात कहना चाहता हूं मेरे से पूर्ववक्ता ने राजोरिया कान्ड की बात कही। मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय सदस्य को अधम सिंह और जावर सिंह जो पुलिस के लोग थे उनकी षड्यन्त्र से मारे गये, कहा गया डकैतों के साथ थे लेकिन सभापति महोदय, उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच करें तो कई रहस्य खुल जायेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, इनको तथ्यों का पता ही नहीं। गलत सलत बताते हैं, अधम सिंह नाम का कोई कान्स्टेबिल नहीं था।

(दोनों मा. सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर अश्रव्य) डकैतों ने मारा है.......

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपका नाम नहीं लिया, आप क्यों ......

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी झूंठ का तो पर्दाफाश हो गया ......

श्री भानुकुमार शास्त्री : (अश्रव्य) आज नहीं 10 साल बाद जो उस आरोप में शामिल थे उनको भी ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : झूंठ बोलने में कितने माहिर हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : झावरसिंह की हत्या करवा दी गई ....

श्री सभापति : एक समय में एक ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनको किसी बात का पता तो है, नहीं झूठ बोलने में माहिर हैं .....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा जिले के अन्दर जो अव्यवस्था है उसकी जांच बैठाई जाय और उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्ड दिया जाय।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (जयपुर, किशनपोल) : सभापति महोदय ....

श्री मोहनलाल : सभापति महोदय, मेरा भी नम्बर है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : सभापति महोदय, हमारा नम्बर कभी आता ही नहीं है। महिलाओं को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : महिलाओं को प्रिफरेन्स दीजिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी : महिलाओं को बोलने ही नहीं देते हैं ......

(कई मा० सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : मुझे भी बोलने दें।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उनको दुबारा बोलने का मौका नहीं दिया जाय ..

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ये भी महिलाओं की तरफ से हैं, इनको बोलने दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हाण्डा साहब को जवाब तो नहीं देना चाहता हूं कोई शिकायत तो नहीं है लेकिन कभी मौके पर बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य : आप स्वीकार करते हैं क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, यह तो वे भी समझते हैं .....

एक माननीय सदस्य : महिलाओं के साथ बैठे हैं इसलिये इनको ज्यादा मत बनावो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप न इधर के न उधर के ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक बीच की भी श्रेणी हुआ करती है। सभापति महोदय, पुलिस के व्यवहार और आचरण

Page No 122

(122)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के सम्बन्ध में यहां माननीय सदस्यों ने काफी विचार व्यक्त किया है। एक ही बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे देश को आजाद हुए 25 वर्ष बीत चुके हैं जो पुलिस के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिये था और जिस व्यवहार की आशा करते थे वह व्यवहार अभी तक आम जनता को सुलभ नहीं हो पाया है इसलिये लोगों को बहुत नाराजगी है। मैं दो-तीन बातें निवेदन करूंगा जबतक अपराध प्रमाणित न हो जाय तब तक गिरफ्तार करने की बात नहीं की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा थानों में जो मार-पिटाई होती है और मर जाते है, गांवों की तो बात ही छोड़ दीजिये राजस्थान की राजधानी मे ऐसे थाने हैं जहां पुलिस की हवालात में मार पिटाई की जाने पर मृत्यु हो गई। इसका प्रदर्शन भी हुआ तो यह मार पिटाई का काम इस बीसवीं शताब्दी में तो बन्द किया जाना चाहिये। विज्ञान के नये नये ढंग और आविष्कार निकल गये हैं, पुलिस को उन बातों की जानकारी करनी चाहिये किस प्रकार चोरी हुई है और अपराधी पकड़े गये हैं तो किस ढग से बरामद कराई जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा जो यहां आंकड़े दिये गये हैं वैसे तो ये हमें रात को 11-00 बजे प्राप्त हुये हैं लेकिन जितना पढ़ पाया इन्होंने यह लिखा है गत वर्ष के अनुपात में 24.61 अपराध ज्यादा हुये हैं जो 6.8 प्रतिशत अपराध की बढ़ोतरी का कारण यह बताया है। मैं व्यक्तिशः इस बात का निवेदन करता हूं सभापति महोदय, कि यहां जयपुर शहर तक में जिसको आदर्श जिला घोषित कर रखा है और यह उम्मीद करते हैं राजधानी होने के नाते ......

श्री मोहन लाल : आदर्श जिला है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब आप आलोचना करेंगे तब बताऊंगा तसल्ली रखें। सभापति महोदय, यहां पर अभी भी जो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और कई मामलों में तो हमें टेलीफोन करना पड़ता हैं। अब जो कुछ भी स्थिति है-20 प्रतिशत के करीब जाली रिपोर्ट लिखाई जाती है। आपके पास अधिकार है 183 में चालान कर सकते हैं केस रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा इस प्रकार का वातावरण होना चाहिये जिससे आम आदमी यह महसूस करे कि पुलिस जो है वह अपराधी के लिये है। कोई भला आदमी है, उसको संरक्षण मिलना चाहिये। अपराधियों में ही पुलिस का आतंक होना चाहिये, हमें इन प्रकार की व्यवस्था उसके अन्दर करनी चाहिये।

रिपोर्ट में यह कहा गया कुछ अपराधी छूट जाते हैं-अदालतों से मेरा सुझाव है पी० एस० आइ० पैरवी करता है और वह एस० आइ० ग्रेड का आदमी होता है। अपराधी की तरफ से बड़े बड़े वकील होते हैं। हमें अलग पोस्ट क्रियेट करके अच्छे ऐडवोकेट को एन्गेज करना चाहिये ताकि वह ठीक ढंग से पैरवी कर सके और अपराधी है वह छूट न जाय कई केसेज में देखा गया है अभी करणसिंह जी फरमा रहे थे मैं उनसे सहमत हूं जो एन्टी करप्शन महकमा है वह सही या गलत है लेकिन जो आरग्यूमेंट दिये, उनका कहना है सारे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

एन्टीकरप्शन वाले जाली केसेज बनाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था बनीपार्क में एक व्यक्ति रेड हैन्डेड पकड़ा गया। एन्टीकरप्शन वालों में और पुलिस वालों में मार पिटाई हो गई। यह तो माननीय राज्य मंत्री महोदया बतायेंगी। एन्टीकरप्शन वाले इस प्रकार के केसेज करते हैं चाहे डा० माथुर का केस हो उनमें इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये उस केस का फैसला हो जाय। अभी बता रहे थे 8 वर्ष में बहाल हो गये। सारा पैसा राज्य सरकार को देना पड़ा। और मेडिकल ज्यूरिस्ट जितने आये हैं करीब करीब उनके खिलाफ चार्जेज लगे हैं। कई रेड हेन्डेड पकड़े हैं। रोजगारी का धन्धा है। पुलिस वाले और एन्टीकरप्शन वाले सक्रिय नहीं रहे तो फिर मैं समझता हूं इनको खुली छूट मिलेगी और वह नहीं मिलनी चाहिये।

मैंने ट्रेफिक के संबंध में एक कटमोशन दिया है और मेरे क्षेत्र में विशेषकर जयपुर शहर के अन्दर ट्रेफिक की बहुत बड़ी समस्या है और जिसमें भी विशेषकर चांदपोल बाजार के अन्दर एक तरफ तो पटरी पर थड़ियां लगी हुई हैं और दूसरी तरफ भीड़ की समस्या है। वहां पर इस ढंग की थड़ियां हैं और सब्जी वाले हैं कि आने जाने वालों को रास्ता ही नहीं मिलता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रेफिक के अन्दर अलग से डी. आइ. जी. लगे हुए हैं और अलग व्यवस्था भी है, मैं मानकर चलता हूं कि इस ट्रेफिक की व्यवस्था के लिए तुरन्त थड़ियां हटाई जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पहले गृह मंत्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की थी ट्रेफिक एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए। उसका आज तक क्या हुआ कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के वातावरण को ठीक बनाने के लिए मैं निवेदन करूं कि हर थाने के साथ गैरसरकारी व्यक्तियों की सलाहकार समितियां बना दी जायें तो निश्चिततौर पर वातावरण में फर्क पड़ेगा। धौलपुर के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने काफी कहा है और वह डकैतों का क्षेत्र भी है, सबसे अधिक डकैतियां इसी इलाके में होती हैं। बहुत समय पहले यह कहा गया था कि चम्बल क्षेत्र के अन्दर जो जिले आते हैं जिनमें भरतपुर जिला भी था, सवाई माधोपुर भी था और दो जिले थे उनके अन्दर जो चम्बल रेवीन्स हैं उनको समतल करके लोगों को सौ सौ बीघा जमीन अलाट करने की बात की गयी थी और उसके लिए प्रार्थना-पत्र भी मांगे गये। ये और श्री बनवारीलालजी ने सुझाव दिया था, मैं पुनः राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर डाकुओं के प्रथम स्थल हैं चम्बल को बीहड़ें उनको समतल कराकर भूमि का आवंटन करें सौ, सौ बीघा जमीन देकर तो मैं निश्चितरूप से मानकर चलता हूं कि लोगों को रोजगार मिलेगा और अपराध-वृत्ति में भी फर्क पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, न्याय व्यवस्था के संबंध में भी मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान 22 रियासतों से मिलकर बना है। जिस समय राजस्थान बना यह स्वीकार किया गया था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर हो और हाइ कोर्ट की बैंच जोधपुर में रहे।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बीकानेर के लिए अलग व्यवस्था की गई थीं, उदयपुर के लिए अलग व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार की व्यवस्थायें की गयी थी। बहुत वर्षों तक राजस्थान की हाइ कोर्ट की बेंच जयपुर में चलती रही। उसके बाद ही अजमेर का विलीनीकरण हुआ तो नया प्रश्न सामने आया और अजमेर को राजधानी बनाने के लिए सत्यनारायण राव कमेटी का गठन हुआ ....

श्री मोहनलाल छंगाणी : जोधपुर को ही जयपुर में ले आओ इनकी समस्या हल हो जायेगी सारी।

श्री सभापति : आप दोनों बात कर लीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह थोड़ी देर के लिए ही अलग हुए हैं और इतना अलगाव आ गया। इतनी अलगाव की वृत्ति माननीय सदस्य न रखें। मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता था कि सत्यनारायण राव कमेटी का गठन हुआ और उसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भारत सरकार ने एक विधि आयोग नियुक्त किया और उसने रिपोर्ट दी कि हाइ कोर्ट की बेंच तोड़ दी जाये। राज्यों ने भारत सरकार के विधि आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दी और उनको स्वीकार नहीं किया और राजस्थान के मामले में विधि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और यहां से हाइकोर्ट की बेंच तोड़ दी गयी। मैं निश्चित रूप से मानकर चलता हूं कि यह व्यवस्था न्याय के हक में नहीं थी क्योंकि हाईकोर्ट में 70 परसेन्ट केसेज हमारे पूर्वी राजस्थान के हैं। उन लोगों को वहां जाना पड़ता है और यहां माननीय सदस्य क्षेत्रीय भावनाओं का प्रश्न उभारना चाहते हैं, उनको मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम भी राजस्थान की एकता के उतने ही समर्थक हैं जितने कि आप हैं। राजस्थान के दो टुकड़े करने की मांग की है तो आपने की है, आपके वहां के लोगों ने की होगी लेकिन हम सारे राजस्थान को एक रखना चाहते हैं और पूर्वी क्षेत्र के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि जरा ठंडे दिल से सोचिये, बैठकर बात कीजिए और अनावश्यकरूप से राजस्थान के इस पूर्वी भू-भाग में असन्तोष मत फैलने दीजिए और हम राजस्थान को विकसित करना चाहते हैं एक होकर और जनतंत्र का यही पहला ध्येय है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं एक सैकिण्ड में समाप्त करता हूं। विधि आयोग ने रिपोर्ट दी कि जहां राजधानी हो वहां हाइकोर्ट की बेंच नहीं हो तो उस विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद भी नयी नयी बेंच कायम की गई हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा इस प्रश्न के ऊपर भी वह अपने दृष्टिकोण को रखें। उनका दृष्टिकोण तो बहुत उदार है। भारत सरकार भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान की पौने दो करोड़ लोगों की भावनाओं को नहीं ठुकरायें और सस्ता न्याय दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद बोहरा

(अनुपस्थित)

श्री हाजी जान मोहम्मद

(अनुपस्थित)

श्रीमती उषा प्रकाश

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले वर्ष सभी डिपार्टमेंट्स की तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक परिवर्तन की हवा चली थी तब यह आशा बंधने लगी थी कि जो डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अपनी विविध उपलब्धियों का बखान किया है– हम भी उनके साथ हैं परन्तु विगत दिनों में जो भी वारदातें मेरे क्षेत्र भरतपुर जिले में हुई हैं उनको देखते हुए मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं डिपार्टमेन्ट की तारीफ करने में आज मेरा सुर नहीं मिला सकती। अनेक चोरियां हुई हैं, डकैतियां भी हुई हैं और खून भी हुए हैं। अगर उन हत्याओं का मैं यहां ब्यौरा दूं कि किस निर्मम रूप से हत्यायें की गयी हैं- एक जवान लड़के को किस तरह से दिन दहाड़े शाम को 5–5½ बजे खेत में जाते हुए काटा गया है, इसका मैं यहां बखान करूं तो सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य और आपके दिल में भी एक दर्द उठेगा और उसी पृष्ठभूमि में सभापति महोदय, मुझे आशा है कि आप और सरकार दोनों मुझको सुनने का कष्ट करेंगे।

सभापति महोदय, जिस हत्या के सिलसिले में मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है वह हत्या सभापति महोदय, 8 जनवरी को हुई और तब मेरे क्षेत्र में एक खलबली मच गयी थी कि यह क्या हुआ। 9 जनवरी को इत्तफाक से मैं वहां पहुंची तो मुझे बताया गया कि उषा जी आपकी पुलिस कुछ नहीं करेगी इस मामले में। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि जब हमारी पुलिस है, हमारे मुख्य मंत्री हैं और जब कमलाजी हर बात में हमारा साथ देती हैं और पुलिस के अधिकारियों को कसती रहती हैं तब मैंने विश्वास दिलाया कि यह हो ही नहीं सकता कि पुलिस इस मामले में चुप रहे। परन्तु आज मुझे बड़ा दुख है कि मेरा यह विश्वास हिल गया। मैंने 10 तारीख को मुख्य मंत्री जी से, मुख्य सचिव से और कमला जी से बात की और कहा कि जनता में डर है और आतंक है कि शायद इस हत्या की खोजबीन पुलिस नहीं करेगी। तब सभी तरफ से आश्वासन दिया गया था और आइ. जी. साहब ने भी आश्वासन दिया था कि नहीं इसमें पूरी कार्यवाही की जायेगी। परन्तु मुझे खेद है कि आज तक जो मुलजिम हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और विशेष खेद की बात यह है कि जो मुलजिम हत्यारा था और जिसका नाम दर्ज किया गया था, मैं मानती हूं कि कुछ गलत रिपोर्ट भी हो सकती है परन्तु यह गलत है या सही है इसकी जांच करने का काम अदालत का है या पुलिस का है, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। लोग तरह तरह की बातें बना सकते हैं, अपना बचाव आदमी पेश कर सकते हैं और बचाव भी पेश करें तो कोर्ट में कर सकते हैं। पुलिस उसको मानती है तो उसको क्या कहेंगे ? जनता क्या सोचेगी कि पुलिस के आफिसर्स ने कितना रुपया खाया, मंत्री ने कितना रुपया खाया, किस तरह का दबाव किस पर डला– इस तरह की शोचनीय दशा

(श्रीमती उषा प्रकाश)

हमारे इलाके में फैल रही है। इस काण्ड ने सभापति महोदय, पूरे इलाके मे भय का वातावरण फैला दिया है कि दिन दहाड़े जो खून हुआ है उसकी पुलिस जानकारी नहीं कर पाई है मुझे समझ में यह बात नहीं आती कि जिसकी जमीन जायदाद है, जिसके बड़े 2 ठिकाने हैं उनका भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। गिरफ्तारी नहीं कर रही है परन्तु जो गरीब है, जिसके खिलाफ छोटा सा मुकद्दमा दर्ज हो जाता है तो दूसरे ही दिन थाने में बुला कर दे धुनाई और दे पिटाई और शाम को सौ पचास रुपये लेकर शाम को विदाई। इस तरह की हालत कर रखी है। बड़े आदमियों को छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं। साफ साफ गवाहियां उसमें थीं। इतने 2 आदमी उसमें थे। उसमें जो गरीब आदमी थे, चार आदमी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन जो तीन बड़े आदमी थे उनको गिरफ्तार करने में पुलिस हिचक रही है। हिचक के आखिर कारण क्या हैं, मैं उन कारणों को इस सदन में रखने की कोशिश नहीं करती। परन्तु मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि आप खुद इस मामले की गहराई में जावें कि इसमें क्यों ढिलाई बर्ती है पुलिस ने और बारबार हमारी गृहमंत्राणी (गृह मंत्राणीजी) के लिखने के बाद भी पुलिस ने इसमें कठोरता से कार्यवाही क्यों नहीं की है। दो दो महीने हत्या के हुए हो गए लेकिन आज तक पुलिस उसमें निष्फल रही है।

एक इसमें पुलिस ने लिखा है बरामदगी का प्रतिशत 74.73 प्रतिशत। जहां तक हमारे इलाके का सवाल है मैंने तो किसी चोरी की बरामदगी का समाचार सुना नहीं। तो मैं तो एक सीफ बात आज यह कहूंगी कि बरामदगी अगर 71 प्रतिशत अगर हुई तो किस इलाके के पुलिस अफसर को बधाई देना चाहिए क्योंकि हमारे इलाके में तो बरामदगी जीरो परसेंट रही है। तो आपका ध्यान आज इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि जो ज्यादा से ज्यादा चोरी की वारदातें होती हैं उनमें बरामदगी नहीं होती है और हत्याओं की वारदातों में किसी में हत्यारों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी है। इसकी तरफ सरकार ध्यान दे, गम्भीरता से ध्यान दे ताकि हमारी सरकार का जो एक इमेज है, जिस इमेज को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं वह और ऊंचा उठे।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगी। वैर थाने के बारे में, मैंने पिछले साल सुना था कि एक लाख रुपया मंजूर हुआ है। परन्तु साल बीतने आया है मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। यह थाना छोटी सी बिल्डिंग में बाजार के बीच में चलता है। अभी तक मकान की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। इस ओर मैं आज मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी। वह जरूरी है। जरूरी काम को जल्दी से पूरा किया जाना चाहिए।

डकैती और हत्याओं के मामले में, मैंने जो कुछ कहा है और जो फैक्ट्स रखे हैं उसमें मैं एक बात और कहूंगी कि बयाना सब डिविजन के रूपवास में 5, मेरी कांस्टीट्यूएंसी वैर तहसील में 2 और बयाना में तीन चार डकैतियां पिछले पांच सात दिनों में हुई हैं। यह संख्या कम नहीं है, सभापति महोदय। मैं आशा करती हूं कि सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक इस मामले में सचेत रहेंगे और इस स्थिति को सुधारने की पूरी चेष्टा करेंगे।

(श्रीमती उषा प्रकाश)

फिर से एक बार उस हत्या के सम्बन्ध में, जिसने जिले में और खास करके हमारी तहसील में आतंक फैला रखा है, उस हत्या का हत्यारा भाग रहा है, उनको पकड़ने के लिए मैं आज आशा करती हूं कि राज्य सरकार ऐसी बात सोचेगी और पुलिस अधिकारी पूरी चेष्टा करेंगे और एक सबसे बड़ा सबूत देंगे अपनी ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा का कि किसी भी तरह के दबाव में आकर हम किसी को रोकेंगे नहीं और जो सही मुजरिम है उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। मैं फिर निवेदन करूंगी कि सरकार इस मामले में सख्ती से काम करेगी और जो हत्यारा, जिसने दिन दहाड़े हत्या की और जिसकी एफ. आइ. आर. दर्ज है उनके खिलाफ उन सबको कानून के कटघरे में खड़ा करेगी।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए मैंने अपना कटमोशन प्रस्तुत किया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस को हौवा बना कर हम यह कह दें कि पुलिस की जरूरत नहीं है या पुलिस में केवल भ्रष्टाचार है तो मैं समझता हूं कि गलत होगा। मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस हमारी जान माल की प्रहरी है। पुलिस का वास्ता आज सबसे है। एक तरफ पुलिस से एक शरीफ को संरक्षण मिलता है तो दूसरी तरफ एक अपराधी को पुलिस के माध्यम से सजा मिलती है। इसलिए पुलिस एक बहुत जरूरी और बहुत आवश्यक अंग है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का और इसे समझने के लिए वास्तविकता को देखने की जरूरत है।

मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम जनरलाइज करें और यह कहें कि सारे पुलिस ऑफिसर्स ठीक नहीं हैं या पुलिस के अन्दर सब के अन्दर ही भ्रष्टाचार है तो यह बात ठीक नहीं है। कई आफिसर बहुत काबिल और अच्छे हैं कि जिनके कारण आज राजस्थान की पुलिस का नाम है, पुलिस की रेपुटेशन आज राजस्थान में ही नहीं, मैं समझता हूं कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में आज कई गुना अच्छी है। आपको मालूम होगा कि आज राजस्थान पुलिस की दिलेरी और बहादुरी के कारण ही आज डकैतों का सफाया कर दिया गया है। चोरियों का जो रात दिन तांता लगा रहा करता था, हमारे बचपन के अन्दर, जहां पर कि न चम्बल की घाटियां, पहाड़ियां और वन हैं, न कोई रेवाइन्स हैं, उन इलाकों के अन्दर जो रात दिन, आए दिन चोरियां हुआ करती थीं, डकैतियां हुआ करती थीं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन दिनों के अन्दर बीस बीस हजार की आबादी के गांवों के अन्दर डकैतियां हो जाया करती थीं और कोई प्रबन्ध नहीं हुआ करता था, आज आपकी पुलिस इतनी एफिशिएंट है कि उन्होंने आज वह सारा भय जो समाज के अन्दर व्याप्त था, उनको खत्म करने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसके साथ 2 हम यह कहने से भी नहीं रुक सकते कि पुलिस में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आइ. पी. एस.

(श्री विजयसिंह)

आफिसर्स में भले ही भ्रष्टाचार का परसेन्टेज कम हो लेकिन जो उनसे नीचे के तबके के लोग हैं, दूसरे पुलिस आफिसर्स है उनके अन्दर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार का सारा का सारा मामला और सारा का सारा प्रशिक्षण दूसरे कर्मचारियों को मिला है तो इन्हीं लोगों के माध्यम से मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज थानेदारों की तनख्वाह इतनी कम है, मैं कहता हूं कि एक यू डी. सी. के बराबर उनको तनख्वाह मिलती है और उनसे काम इस तरह का लेना चाहते हैं जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है। तनख्वाह की कमी का कारण ही यह भ्रष्टाचार का खास कारण है। मैं तो आप से निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों नहीं इनकी तनख्वाह बढ़ा कर उनको इस तरह से साधन सम्पन्न बना दिया जाय कि जिसकी वजह से उन्हें अपना स्टेंडर्ड मैंटेन करने के लिए यह कम से कम रिश्वतखोरी नहीं करना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हू कि आज सिपाहियों को क्या तनख्वाह मिलती है। सिपाहियों की तनख्वाह नगण्य है और उसके मुकाबले में आप ड्यूटी क्या लेते हैं। हर बदमाश का सामना करने को तैयार रहना पड़ता है। बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगों से मुकाबला करना पड़ता है, उन लोगों से काम पड़ता है और उसके मुकाबले में इतनी कम तनख्वाह देते हैं कि जिससे वह अपना गुजारा तक नहीं कर सकता। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से आपके माध्यम से कि कम से कम इनकी तनख्वाह और दूसरी सुख-सुविधा देकर उनको साधन सम्पन्न बनावें, उसके बाद में उन से बात करें कि अब कृपा करके अपना भ्रष्टाचार बन्द करिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो पुलिस के अन्दर जितनी नौकरी करने की ख्वाहिश है, लोगों के अन्दर वह केवल इसलिए कि तनख्वाह भले ही कम मिलेगी लेकिन कम से कम पैसा कमाने का पूरा साधन यहां है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज सब इन्सपेक्टर के इण्टरव्यू होते हैं या कोम्पीटीटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके अन्दर जाने के लिए लोग किस तरह छटपटाते हैं और किस तरह से सिफारिशें और क्या क्या अड़ंगे लगाते हैं, यह हम सब लोग जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए, इस तरह की प्रवृत्ति को मिटाने का केवलमात्र साधन यह है कि इनको साधन सम्पन्न बनाया जाय, उन्हें पूरी तनख्वाह दी जाय तो यह भ्रष्टाचार मेरा खयाल है कि किसी हद तक कम हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितने थाने हैं उन थानों के अन्दर आज करीब 2 सब जगह फेमिली क्वार्टर बने हैं थानेदारों और दूसरे हैड कांस्टेबलों के लिए लेकिन बहुत कम थानों के अन्दर फेमिली क्वार्टर हैं सिपाहियों के लिए। कुछ थानों में हैं, कुछ में नहीं है। मैं तो खासतौर से मांडल थाने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से। कम से कम वहां पर और दूसरी जगहों पर जो सिपाहियों को सहूलियतें दे रखी हैं वह मांडल में भी दी जानी चाहिए। सिपाही रात-दिन आधी रात को भी अपनी ड्यूटी का अंजाम देता है तो कम से कम उसे अपने बाल-बच्चों के साथ

(श्री विजयसिंह)

रहने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए वहां पर फेमिली क्वार्टर्स बनाये जाने चाहिएं और यह सुख-सुविधा उसको भी मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात है जिसको कि माननीय सदस्यों ने जो मुझसे पहले बोले है उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। वह यह है कि गुन्डागिर्दी के साथ हमारे यहां की पुलिस का बहुत जोरदार गठजोड़ है। आज खास तौर से शहरों के अन्दर दादा लोग होते हैं। वे गुन्डागर्दी को बढ़ावा देते हैं। परन्तु यह लोग कोतवाल, सब इन्सपेक्टर, पुलिस के इन्चार्ज जो कि पीस एण्ड ट्रैन्क्वी लिटी को मेन्टेन करने के लिए हैं इनके साथ इनका गठजोड़ होता है और इस वजह से इनकी दादागिरी शहरों में चलती है। आज यह हालत शहरों को छोड़कर गांवों में भी फैलने लगी हैं। जो बदमाश है, असामाजिक तत्व हैं ये लोग खास तौर से थानेदार साहब पुलिस इन्चार्ज साहब से दोस्ती रखेंगे, उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे। नतीजा यह होता है कि जो ढांचा हमने मुख्य व्यवस्था रखने के लिए रखा है वह अव्यवस्था फैलाता है। इस प्रकार पीस मेन्टन नहीं हो पाती आज सिनेमा घरों के बाहर कई स्थानों पर जहां लोग इकट्ठा होते हैं छूरेबाजी और चाकूबाजी की कितनी ही घटनाएं होती हैं। समाचार पत्रों में भी इसके समाचार प्रकाशित होते रहते है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन लोगों की पुलिस से मिलीभगत रहती है। सब इन्स्पेक्टर पुलिस इन्चार्ज की मदद से ये घटनाए होती है। राज्य सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ कारगर और माकूल कदम उठावे जिससे कि गुनाह कम हो सके और सब इन्सपेक्टर, पुलिस इन्चार्ज को हिदायत दी जावे वे कम से कम इनके साथ सम्पर्क तो न रखें और कोई पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी इनके साथ देख लें तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, थोड़ा समय और लूंगा।

श्री सभापति : आपका समय जितना था वह हो गया है। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, दो मिनिट और।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस बात पर किसी माननीय सदस्य ने प्रकाश नहीं डाला है। हमारी तरफ खास तौर से चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले में औरतों के नाते जाने के किस्से होते हैं और इसमें थानेदारों की अनाप सनाप कमाई होती है। आप भी इसको सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे सभापति महोदय किसी एक की औरत को कोई भगा कर ले गया। सी. आर. पी. सी. की धारा 100 ऐसी है जिसके तहत किसी आदमी को हब्स बेजा में रखा जाता है तो मजिस्ट्रेट एक वारन्ट निकालता है। वह एक थानेदार के नाम से वह ले आता है। वह थानेदार इस मामले में एक्सपर्ट माना जाता है। औरतों के झगड़े निपटाने में वह एक्सपर्ट माना जाता है। इस तरह से थानेदार साहब एक केस में 5 हजार रुपया की आमदनी कर लेते हैं। वह आदमी जो औरत को लेकर गया है उसको थानेदार साहब

(श्री विजयसिंह)

बुलाएंगे और थानेदार साहब दोनों का राजी नामा दस हजार रुपया लेकर करवा देंगे। इसमें पांच हजार रुपया थानेदार साहब का हो गया। हमारे यहां पर इस काम में कई थानेदार साहब को एक्सपर्ट माना जाता है मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में न कोर्ट की जरूरत है और न रिपोर्ट दर्ज करने की। और ऊपर ही ऊपर यह सारा मामला निपट जाता हैं। अतः इसकी ओर भी देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। कोई जुर्म हो गया, चोरी हो गई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। एक किस्सा मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह शार्ट में ही निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, मांडल के अन्दर एक मालाखेड़ा गांव में एक भील की औरत को कोई उड़ा कर ले गया। उसके बाद वह मेरठ में मिली। उसको प्रोस्टीट्यूट्स के यहां से बरामद किया। यू० पी० की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और हमारे यहां की पुलिस से पूछा कि क्या इस केस की कोई रिपोर्ट आपके यहां पर दर्ज हुई है ? भीलवाड़ा एस० पी० ने कहा ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। परन्तु वास्तव में यह केस हुआ था। भील लोग थाने पर गये थे। दस दिन तक थाने के बाहर चक्कर काटते रहे परन्तु उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस तरह का मामला इसलिए होता हैं सभापति महोदय, कि इन भीलों के पास पैसा देने के लिए नहीं था।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक 50/55 हजार रुपये की चोरी हो गई थी और उसकी बरामदगी भी कर ली गई है। जिन सिपाहियों ने यह काम किया है, उसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन सिपाहियों के नाम निकलवा कर पारितोषिक दिया जाए। सभापति महोदय, जेल के बारे में भी एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। जेल के बारे में जो विचार यहां पर व्यक्त किए गए हैं उससे मेरे विचार कुछ भिन्न हैं।

सभापति महोदय, जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए। परन्तु जो दूसरी तरह के प्रिजनर्स हैं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिनको हुई है उनके साथ और पोलिटिकल प्रिजनर्स के साथ एक-सा व्यवहार किया जाए तो यह अनुचित होगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसको मिलता है उनके साथ सख्ती का व्यवहार किया जाना चाहिए कारपोरल पनिशमेंट मिलना चाहिये। आज जुर्म करने वाले सरकारी दामाद होकर जेलों में रहते है इससे तो जुर्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मेरा यह फिर निवेदन है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट वालों से सख्ती से काम लिया जाना चाहिए ताकि जुर्म के अन्दर कमी आवे।

सभापति महोदय, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के बारे में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इनको स्पेशल अलाउन्स मिलना चाहिए। उनका यह कहना था कि पुलिस के लोग इसमें नहीं जाना चाहते है। मैं समझता हूँ कि थानों के अन्दर उनको आमदनी होती है और यहां आने में कम आमदनी होती है। इस

(श्री विजयसिंह)

तरह से यह उनको कम्पेनसेटरी अलाउन्स देना होगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, आज की डिमान्ड में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। वैसे तो पुलिस विभाग में अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए सबके लिये मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूं। आजादी के 25 वर्षों के बाद भी जिस तरह से पुलिस विभाग में गड़बड़ियां चल रही हैं, वे शर्मनाक हैं। हमारे बांसवाड़ा जिले में साल भर पहले छींच एक गांव में किसानों में एक मर्डर हो गया था। किसानों का 25/30 हजार रुपया खर्च हो गया। यह सारा रुपया रिश्वत के तौर पर पुलिस वाले हजम कर गये और केस साबित नहीं हो सका। इसी तरह से परतापुर एक कस्बा है। जहां पर अधिक पढ़े लिखे हैं और कई आते है। परतापुर इतना बड़ा कस्बा है लेकिन वहां बीच बाजार में एक महाजन का मर्डर किया गया। वहां के प्रधान ने और मैंने एस० पी० को कहा, उनसे हम मिले और कुछ बदमाशों के नाम भी बताए लेकिन एस० पी० साहब की तरफ से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे कि बदमाशों को पकड़ा जा सके। यह मर्डर आज तक साबित नहीं हुआ है। साल भर में मर्डर हुए, चोरियां हुई उनके बारे में प्रधानजी ने और मैने मुख्य मंत्रीजी और हैल्थ मिनिस्टर साहब को तार दिया। उल्टा वह तार इनक्वायरी के लिए हमारे पास डी. वाइ. एस. पी. आता है और पूछा जाता है कि इसको साबित करो। सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के वे अधिकारी करते क्या हैं? यह महकमा किस लिए है? आज तक इतने केस हुए हैं कितने साबित किए गए है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक साल में कितने केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और उनमें से कितने साबित किए गए हैं। लेकिन यह भी नहीं बता सकते हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब है वे बांसवाड़ा जिले के रहने वाले है। वे विद्यार्थी जीवन से सेवा करते आए हैं। वे ईमानदार है उनकी ईमानदारी में किसी प्रकार की शंका नहीं है। मैं उनके विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि मैने उनको भी कहा लेकिन नतीजा यह है कि वह एस. पी. साहब वहां पर मौजूद है। ईमानदार थानेदार जो थे वे भी आज बेईमान हो गए है। इस तरह से प्रशासन चल रहा है।

आज आदिवासियों की हालत क्या है। मैं यह नहीं बताना चाहता हूं कि सभी बदमाश हैं। जो इमानदार हैं वह भी बेईमान हो गये हैं। आदिवासियों की क्या हालत है कि एक तरफ तो भयंकर अकाल होने से उनके पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और उनके लिए रोजी का कोई साधन नहीं है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि आदिवासियों में एक सामाजिक रीति-रिवाज है और पुनर्लग्न होता है। वहां पर पुलिस द्वारा गुण्डा पहुंचता है और वह पुलिस वालों को शिकायत करता है तो वहां पर आदमियों को बुलाया जाता है औरतों को बुलाई जाती है। उनके साथ में ऐसा अत्याचार

(श्री नाथूराम)

होता है जो मैं इस हाउस में नहीं कहना चाहता। उनके साथ में शोषण बढ़ रहा है। आदिवासी लोगों के रीति-रिवाज में दखल देते हैं और चोरियां होती हैं वहां पर ध्यान नहीं देते हैं।

हमारे होम सेक्रेटरी गढ़ी के निवासी हैं और भूतपूर्व सेक्रेटरी भी गढ़ी के निवासी थे। वहां के लोग अधिक पढ़े लिखे है वहां मास्टर पुलिस वालों से मिलकर जुआ खेलते हैं। एक साधारण मास्टर जो कि नित्य वह 40-40 रुपये जीप (टैक्सी) करता है कई व्यक्ति पुलिस वालों की मिली भगत से जुआखोरी होती है और भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

सभापति महोदय, और भी कई ऐसे मामले वहां है कि आदिवासियों को सांप काटते हैं। वर्षा ऋतु में वे मजदूरी करने जाते हैं और कभी उन्हें सांप काटता है तो वहां पर झाड़ने की प्रणाली चल रही है और कभी डाक्टरों का इलाज होता है और वह मर जाता है तो पुलिस को इत्तिला दी जाती है। तो जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक लाश पड़ी रहती है। और आदिवासियों से पैसा लेने की हर तरह से कोशिश की जाती है। अपने बच्चों को गिरवी रखकर या अपने बच्चों को कमाई पर लगाकर पुलिस वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। सांप काटने पर मरने की इत्तिला दी जाती है तो आज तो दूसरे रोज पहुंचते हैं। आदिवासी हैरान होकर पुलिस में नहीं जाना चाहता है। उनके साथ में ज्यादतियां होती हैं, और उनके साथ में सहयोग नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में अत्याचार मिटादो मेरे योग्य सेवा थानों पर लिखा रहता है तो वह सेवा कौन सी होती है? पैसा लो जुआ खेलो, चोरी करो हमको दान दो। अब यह सेवा सिर्फ रह गई है। मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं बांसवाड़े की सही स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। आजादी से पहले मैं अध्यापक था और पुलिस वालों और थानेदार से भी मिलता रहता था, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार और अत्याचार तो उस समय भी नहीं हुए जो कि साल भर से हो रहे हैं। सभापति महोदय, पुलिस वालों ज्यादतियां ऐसी हो रही हैं कि आदिवासियों के साथ में सरासर अन्याय हो रहा है। आज हमारे पड़ौस में गुजरात है, मेरे क्षेत्र से मिल हुआ गुजरात क्षेत्र और इधर मध्य प्रदेश है। गुजरात में शराब बन्दी है। पुलिस वाले गुण्डों से मिलकर शराब बनवाते हैं। आदिवासी जो शराब नहीं पीते हैं, यानि 67 पर्सेन्ट ने शराब छोड़ दी है, उनके घरों में शराब की बोतलें गुण्डों से मिलकर रखवा देते हैं और फिर उनसे पैसा लेते हैं। इस तरह का अत्याचार हो रहा है। शराब जुआखोरी आदिवासियों का शोषण, सभापति महोदय, पिछले सालों से यह जो रवैया उनका बना हुआ है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चहता हूं कि जिस तरह से राष्ट्र के बोर्डर की जवानों ने रक्षा की और राजस्थान की पुलिस का जिस तरह से उच्चाधिकारियों का है उसी तरह आपके नीचे के लेवल के जो कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के उनको सतर्क करें या मेरे योग्य सेवा लिखा हुआ है इसको मिटा दें। गरीब लोगों की सेवा के बजाय वे उनका शोषण करते हैं।

(श्री नाथूराम)

सभापति महोदय, बांसवाड़े जिले के और विषय भी हैं लेकिन समय कम है इसलिए मैं ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को, इस घुसखोरी को जो पुलिस विभाग वाले फैलाते हैं उसको बन्द किया जाय । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पुलिस के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह कम होती हैं उनकी तनख्वाह बढ़ावें, उनको रहने की सुविधा दें और फिर भ्रष्टाचार करते हैं तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं एक और उदाहरण यह रख देना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग आर० ए० सी० में भरती नहीं होते हैं । एक उदाहरण है कि आर० ए० सी० की फर्स्ट बटालियन में कुछ स्थान थे डी० आई० जी० साहब का आदेश था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिया जाय, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स ट्राइब्स के मेट्रिक्युलेट और हायर सेकण्डरी के जवान होते हुए भी उनको चयन नहीं किया और दूसरे लोगों को लिया हैं। जिन्होंने गलती की है उनके लिए कार्यवाही करें । मैं नाम बता देना चाहता हूं । मेरे एक मित्र ने बताया है कि लादूसिंहजी कमाण्डेण्ट हैं उन्होंने इस तरह का पक्षपात किया है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आर० ए० सी० में भरती होने के लिए आते हैं उनके साथ में पक्षपात किया जाता है। इसलिए सरकार इसकी जांच करें और जिन्होंने गलती की है उनको सजा देनी चाहिए । आज डूंगरपुर और बांसवाड़े के कई आदिवासी पढ़े-लिखे मारे मारे फिरते हैं वे चाहते हैं कि हमें पुलिस में मौका दिया जाय लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है । मैंने अपने गांव के दो जवानों को आर्मी में भेजा है। वे आते जाते हैं। कई मेट्रीकुलेट लड़के हैं वह भी इस तरह से भरती होना चाहते हैं लेकिन पुलिस विभाग में इस तरह प्रयत्न नहीं रहा है। आदिवासियों में बेरोजगारी फैल रही है उनको पुलिस में और आर्मी में लेना चाहिए । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए, सभापति महोदय मेरे यह कटौती प्रस्ताव हैं और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार व्यवस्था करे ।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमति निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, कारागार तथा पुलिस के कटौती प्रस्तावों के ऊपर बोलते हुए मैं इन दोनों विभागों में जो कुछ कमियां हैं उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

सबसे पहले मैं कारागार के ऊपर बोलूंगी। अपराध वास्तव में एक विश्व-व्यापी समस्या है। यह केवल राजस्थान की ही नहीं या भारत की ही नहीं बल्कि एक सामाजिक व्याधि है जो कि प्रत्येक आयु, वर्ग तथा लिंग के व्यक्ति में पाई जाती हैं। प्राचीन समय में यह सोचा जाता था कि अपराधी जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिये, यहां तक कि मारने के लिए वह जंगल में छोड़ दिया जाता था, परन्तु आज अपराध-शास्त्र का जो सिद्धान्त है वह पूर्णतया बदल गया है। आज यह माना जाने लगा है कि अपराधी जो है उसमें कोई ऐसा जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि सामाजिक तथा मानसिक परिस्थितियों की वजह

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

से वह अपराधी हो गया है, अतः उसका इलाज किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। इसलिए कारागार आज कारागार नहीं सुधारालय हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की जेलों में अभी तक इस सिद्धान्त के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कई प्रकार की कमियां हैं। इसमें सबसे पहली कमी तो मुझे यह दिखाई देती है कि यह सुधारवादी सिद्धान्त ही मानते इसका कारण यह कि वहां चयन ठीक नहीं है मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि यदि हम किसी कालेज या महाविद्यालय में किसी व्याख्याता की नियुक्ति करते हैं तो उसको उस सबजेक्ट की जानकारी होना आवश्यक होता है, चिकित्सालय में यदि किसी अधिकारी की नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए चिकित्साशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, परन्तु इन जेलों में जिन अधिकारियों को नियुक्ति की जाती है उनको क्रिमनोलाजी यानि-अपराध शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। वे अभी तक उस भयावह सिद्धान्त को मानते हैं जो सदियों पुराना हो गया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो परिवर्तन आ रहा है इसको अपनाया जाय। अभी एक सदस्य महोदय ने यह भी बताया था कि कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, परन्तु यह उनकी भ्रान्ति है। जब तक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तब तक अपराध को हम नहीं मिटा सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि जेल की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बात कही गई है ट्रेनिंग सेन्टर खोला जायगा पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी यही था। कब खोला जायगा वह ट्रेनिंग सेन्टर? अगर इस प्रकार का ट्रेनिंग सेन्टर खोल दिया जाय तो संभवतः इस आधुनिक सिद्धान्त को मान सकते हैं।

दूसरी जो कमी मुझे दिखाई दी है जेलों में वह यह है कि जेलों में व्यक्तिगत उपचार की ओर बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता है। सभी प्रकार के अपराधी चाहे वह चोर हो, चाहे वह डकैत हो, या मानलीजिये कि हत्यारा हो, या किसी प्रकार के यौन अपराधों के अन्तर्गत पकड़ा गया हो, सभी प्रकार के अपराधियों के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। तो जेलों में व्यक्तिकरण किया जाना चाहिए। सभी अपराधियों को जो है एक जैसे व्यवहार से वंचित किया जाना चाहिए। मैं तो इस क्षेत्र में यही सुझाव दूंगी कि ए और बी श्रेणी के जो जेल हैं उनमें साइकोलाजिकल क्लिनिक्स होना चाहिए जहां पर अपराधियों के बारे में ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए कि वह अपराधी क्यों बना। जब हम कारण जान लेंगे तो हम इस समस्या को सुधारने में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी हम उसको सुधार सकेंगे।

इसके साथ साथ एक और जो जेल व्यवस्था में मुझे कमी दिखाई दी है वह है श्रम जो है वह बिलकुल नीरस होता है। उनसे जो काम कराया जाता है उसमें रुचि का बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता है। वह क्या करना चाहते हैं और आगे जा कर उस श्रम के अनुसार वह आजीविका भी बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे इसका ध्यान नहीं रखा जाता है और केवल श्रम लाद दिया जाता है इसकी व्यक्तिगत रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

मैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यह सुझाव दूंगी, इस बेगार प्रथा को जो जेलों में विद्यमान है, इसको खत्म कर दें। हरएक जेल में काम के अनुसार वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसका एक लाभ तो यह होगा कि वह व्यक्ति काम अधिक करेगा। दूसरा लाभ यह होगा कि जब वह जेल से निकलेगा तो उसका अब तक का पैसा सेविंग अकाउन्ट में जमा करा दिया जायेगा। ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वह उससे कोई काम कर सके। जैसा कि जेल सुधार रिपोर्ट में कहा गया है कि बन्दियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। मैं यह निवेदन करूंगी कि डिग्री का कागज थमा देने से क्या होगा। इस प्रकार से पढ़नेवाले और डिग्री पानेवाले बहुत से व्यक्ति घूम रहे हैं। ऐसे जो व्यक्ति जेलों से छूटे हैं, वह कारबार नहीं कर सकते हैं। आप उनको शिक्षा देते हैं तो वह उनको टेक्निकल शिक्षा दी जानी चाहिए। जिससे कि आगे वह कुछ कर सकें।

राजस्थान की जेलों में भ्रष्टाचार है, इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्योंकि कई माननीय सदस्य कह चुके हैं। यहां तक कि किसी अपराधी से रिश्वत लेकर उसको किसी प्रकार की चीजें खाने के लिए छूट दी जाती है। पेरोल की व्यवस्था में भी रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसके अलावा जो चार खुले बन्दी शिविर हैं, वहां की व्यवस्था जो मैंने देखी है; वह सन्तोषजनक नहीं लगी है। वह बन्दीगृह के बराबर है। इन शिविरों का उद्देश्य यह है कि अपराधी समाज से सम्पर्क कर सकता है, वह समाज से संपर्क बनाये रख सकता है। मैं अभी यह कह रही हूं कि राजस्थान में आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूशन नहीं है। क्योंकि अपराधी जो बाहर निकलेगा, समाज में उपयोगी अंग बन सके इसके लिए आफ्टर केअर इन्स्टीट्यूशन की आवश्यकता है। उसको वहां पर शिक्षा मिल सकेगी। जो कलंक का टीका उसके लग चुका है, वह धुल सकेगा। जब तक आफ्टर केयर इन्स्टीट्यूशन की व्यवस्था राजस्थान में नहीं होगी, तब तक सुधार हो नहीं सकता है। जो भी व्यक्ति है, जो जेल से छूटता है तो सामाजिक परिस्थितियों से बाध्य होकर वह फिर अपराध करने लगता है यह संस्थाएं कई सहकारी समितियां बनाकर उनके माध्यम से उनको रोजगार दिला सकती हैं, नौकरी में सिफारिश कर सकती है जैसा कि मैंने निवेदन किया है, अपराधी प्रवृत्ति हरएक आयु समूह में होती है पाई जाती है। किशोर अवस्था के जो लोग हैं उनकी तरफ राजस्थान में कम ध्यान दिया गया है। बाल सुधारालय व्यवस्था केवल उदयपुर में है। लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। आज यहां पर ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स कम हैं, जो बच्चे या किशोर पथभ्रष्ट हो गये हैं, जो रास्ता भूल गये हैं। उनके लिए ठीक व्यवस्था नहीं है परन्तु इस ओर ध्यान कम दिया गया है। प्रोबेशन पर जिन बच्चों को छोड़ा जाता है। किशोरों को छोड़ा जाता है। उनके लिए आज कोई होस्टल की व्यवस्था नहीं है। प्रोबेशन अधिकारी हैं, उनका भी ध्यान इस ओर कम या उन्हें फुरसत नहीं है। उनके लिए होस्टल का व्यवस्था होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह भी कहूंगी, हमारे यहां पर बाल न्यायालय की व्यवस्था

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

नहीं है। सामान्य न्यायालयों में ही बच्चों को भी ले जाया जाता है। उसके लिये अलग से विचार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यदि बाल विद्यालय हों तो वह विचार किया जाये। उसे छोड़ा जाये या सुधार गृह में भेजा जाये, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे बाल अपराधियों के लिए साइकॉलोजिस्ट और सोसशियोलाजिस्ट मिलकर विचार करें, ऐसी व्यवस्था बाल न्यायालय के होने पर ही हो सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं कुछ और निवेदन करना चाहूंगी। दो मिनिट और चाहिए।

श्री सभापति : अच्छा।

श्रीमती निर्मला कुमारी : बाल अपराध को कम करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों में सुधार जरूरी है। वैसी अपराधी प्रवृत्ति को खत्म कर सकते हैं। राजस्थान में बाल-अपराध खत्म करने के लिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि जो पूर्व बाल अपराधी है, उनकी खोज की जाए। इस बात की खोज करनी चाहिए कि उनके पूर्व अपराध के क्या कारण रहे हैं। अनैतिक परिवार तथा टूटे परिवार के बच्चों को संरक्षण मिलना चाहिए। उस स्थिति को देखकर यदि उनको मार्ग दर्शन दिया जाये तो सुधार हो सकता है।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय और बढ़ा दिया जाये।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अभी तो आधा घन्टा बाकी है।

श्री सभापति : क्या सदन की मंशा है कि आज की डिमाण्ड पास होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की डिमाण्ड पास होने तक बढ़ाया जाता है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : इसी के साथ साथ जैसे गन्दे सिनेमा आदि पर रोक न होगी। नशा आदि हैं, वे इन्हें निषेध जब तक नहीं कर सकेंगे, तब तक उनको सुधार नहीं कर सकेंगे।

एक और सुझाव मैं दूंगी, ये अपराधी बनते हैं, गन्दी बस्तियों से। गन्दी बस्तियां ही अपराधों की ब्रीडिंग ग्राउन्ड हैं।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय,

श्री रघुनाथ विश्नोई : (श्री खेतसिंह से) समय बढ़ा दिया है, चिन्ता मत करें। आप लेट हो गये।

श्रीमती निर्मला कुमारी : इस ओर ध्यान दिया जाये तो अपराधी प्रवृति को खत्म किया जा सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पुलिस की स्थिति के बारे में, जहां तक राजस्थान की पुलिस की प्रवृति है, मैं निवेदन करूंगी कि राजस्थान के बनने के समय आई. जी. बनर्जी ने जो व्यवस्था लागू की थी, वही व्यवस्था आज भी है। कोई चेंज हुआ हो तो कह दें। थानों की संख्या पुलिस स्टेशन्स की संख्या उतनी ही है। जितनी कि पहले थी। जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। तो उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

पुलिस में भ्रष्टाचार के बारे में आप बहुत अधिक सुन चुके हैं, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

एक और बात मैं कहना चाहती हूं, बाल अपराधियों के लिए बम्बई में बाल सहायक पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है, उसी प्रकार से बाल सहायक पुलिस यूनिट की राजस्थान में स्थापना होनी चाहिए ताकि बाल अपराधियों को वह पकड़ सके (समय-समाप्ति सूचक घंटी) और बाल अपराध को रोक सके।

पुलिस में भर्ती में अनियमितता की जाती है-यह चीज किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में पिछली बार इसी सदन में सुझाव दे चुकी हूं और अब भी सुझाव देना चाहती हूं, पुलिस में खास तौर पर शारीरिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज कालेजों में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए इसमें कहीं स्थान नहीं है। खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रकार से मार्क्स रिजर्व होने चाहिए ताकि उन्हें पुलिस में स्थान मिल सके। इसके साथ ही एन. सी. सी. पास जो विद्यार्थी हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल पाती है, वह पुलिस विभाग में कान्स्टेबल नहीं बन सकते हैं। क्या कारण है, जब वह मिलिट्री में जा सकते हैं, आफिसर कोर में जा सकते हैं तो पुलिस में क्यों नहीं जा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि शारीरिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनको पुलिस में प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार यह जो पुलिस विभाग है, यह सेवा का विभाग नहीं रह कर घूंस का विभाग बन गया है—इसे रोका जाना चाहिए। यह घूंस का विभाग नहीं बल्कि सेवा का विभाग है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जगमोहन सिंह।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : सभापति महोदय, न्याय प्रशासन और पुलिस की डिमाण्ड के बारे में, मैंने अपने जिले की समस्याओं को लेकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनके सम्बन्ध में, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, या गरीबी हटाने का उद्देश्य सामने रख कर चलते हैं तो न्याय, प्रशासन और पुलिस- इन उद्देश्यों की पूर्ति में इन तीनों अंगों का जो महत्व है उसको हम नगण्य करके नहीं चल सकते हैं। यदि हम विश्लेषण करें कि न्याय, प्रशासन और पुलिस को हमने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहां तक मोल्ड किया है, कहां तक इस की कोशिश स्थिति में ढालने की है-इसका क्रिटिकल एनेलेसिस करें तो न्याय और प्रशासन की जो बात है उसके संदर्भ में चीपर जस्टिस स्पीडी जस्टिस की बात कहते हैं—उसके लिए राजस्थान सरकार ने काफी प्रयास किया है। कोर्ट फीस हालांकि बढाई गई है लेकिन जो वीकर सेक्शनस हैं, उनके बारे में स्पेशल कन्सेशन्स किये गये हैं, जिस तरह टेनेन्सी एक्ट में हैं और दूसरा जो है एग्रीकल्चरल लैंड पर लिमिट वाला, उसके अन्दर भी कोर्ट फीस से छूट दी गई है। वाल्यूम आफ कैसेज बढ़ता हुआ जा रहा है इसके लिये कोर्ट काफी क्रियेट की गई है और प्रासीजर में भी तब्दलियां की जा रही हैं। इसके बावजूद भी जो कैसेज का वाल्यूम है, डिस्पोजल है वह भी बहुत बढ़ता

(श्री जगमोहन सिंह)

हुआ जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण मैं मानता हूं, हमारे देश के अन्दर ओवर लेजिस्लेशन हो रहा है, जो कानून हम बनाते हैं उसमें बाद में संशोधन होते हैं और इस प्रकार ओवर लेजिस्लेशन होता है। आज जो ओवर लोड आफ केसेज हो रहा है उसको कम करना चाहते हैं, अपराधों को कम करना चाहते हैं तो जो हम लेजिस्लेशन रात दिन बनाने में लगे हुए हैं, उनका हमें आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करके कोई निर्णय लेना पड़ेगा।

पुलिस विभाग का जहां तक प्रश्न है, जो कुछ है, जो है—हम सब जानते हैं, और समाज भी जानता है। हमारी सरकार ने कुछ प्रयत्न किया है सुधार लाने का और चाहती है कि इसमें भी कुछ सुधार लाया जाय, लेकिन क्रिटिकल एनेलेसिस करें पुलिस विभाग का तो आनरेबल जस्टिस मिस्टर मुल्ला ने एक स्ट्रक्चर पास किया था इंडियन पुलिस पर बहुत पहले। यदि वास्तव में क्रिटिकल एनेलेसिस करें, हालांकि उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, यह स्ट्रक्चर था, जैसा उन्होंने कहा, मैंने पचास हजार केसेज अपनी कलम से प्रिसाइड किये हैं। उनके एनेलेसिस से और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा था। क्रिटिकल एनेलेसिस की बात करते हैं तो आज भी वह बात सही मालूम होती है। इसलिए दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि हमें इस ओर विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। डाउन ट्राडन पीपुल, गरीब लोग जिनको आगे लाना चाहते हैं, उनके प्रति पुलिस के दृष्टिकोण और पुलिस की कार्य प्रणाली में कोई चेंज नहीं आया है। हम राहत पहुंचाने की बात करते हैं, जमीन एलाट करते हैं, जमीन देना चाहते हैं और कुछ चीजें देना चाहते हैं लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता है और उसमें पुलिस का रोल है वह बहुत नगण्य है। इस ओर विशेष लेजिस्लेशन करके ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

कटौती प्रस्ताव जो मैंने दिये हैं, एक तो मेरे क्षेत्र की कोर्ट के सम्बन्ध में है। जब जुडिसियल सेपरेशन किया गया था, एक बाफना कमेटी जुडिसियल सेपरेशन के लिए बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट दी थी कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट हर सब डिविजन में कायम की जाय। उस रिपोर्ट के अनुसार करीब करीब राजस्थान में हर सब डिविजन में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट कायम की गई, लेकिन जो मेरा क्षेत्र है छबड़ा, वहां पता नहीं क्यों नहीं कायम की गई। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट छबड़ा में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर एस. डी. ओ. कोर्ट है और जेल है, और म्यूनिसिपल टाउन है. इसके अलावा दीगर सारी सुविधाएं वहां हैं। वहां पर न रख कर न मालूम किन कारणों से जो अटरू है, जो ग्राम पंचायत का हैड क्वार्टर है, वहां पर रख दी गई। इसके बारे में जनता की ओर से (समय-समाप्ति सूचक घंटी) अभी तो शुरू किया है

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री जगमोहन सिंह : जनता की ओर से सब तरह रिप्रेजेन्टेशन किये जा रहे हैं, जनता में इस मांग को लेकर एक आन्दोलन जैसी भावना पैदा होती जा रही है। आज हम बचत की बात करते हैं, हमारे यहां पासिटी आफ फण्ड है, हमारी इकानामिक

(श्री जगमोहन सिंह)

कन्डीशन अच्छी नहीं है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 1969 में यह अटरू में रखी गई, लेकिन वहां जेल नहीं होने के कारण लाखों रुपये जेल से कैदियों को वहां ले जाने और लाने में खर्च किये जा चुके हैं। इसके अलावा वहां पर ठहरने की सुविधा नहीं है। धर्मशाला नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इस सारी स्थिति से पब्लिक परेशान है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय कि जो वहां की समस्या है, इसको किसी और रूप में न ले और चीफ और स्पीडी जस्टिस की दृष्टि से, वाजिब मांग है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा करें।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा निवेदन यह है कि आज जिलों के अन्दर जो कलेक्टर की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर, यह डिस्ट्रिक्टस का फार्मेशन है, कई जिले तो बहुत बड़े हैं। आज सिटी की प्राब्लम इन इट सेल्फ इतनी हो गई है कि आप कोटा को ले लीजिये, वहां कई प्राब्लम क्रियेट होती जा रही है, जिनसे वहां जो डिस्ट्रिक्ट आफिसर है, उनको वहां की प्राब्लम से निपटने के बाद फुर्सत नहीं मिलती है और बाकी एरिया है उसकी प्राब्लम की ओर वह अटेंशन नहीं दे पाते या नहीं देना चाहते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस दृष्टि से मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है, मंत्री महोदय बारां के अन्दर, दो जिलों में इसको बांट कर, बारह तहसील हैं, छः छः तहसील करके छोटे छोटे जिलों के रूप में इन्हें बना दिया जाय, आज कई जिले तीन तीन चार चार तहसील के हैं, इस दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, जनता की सुविधा की दृष्टि से, हर दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा काम हो सकता है......

श्री सभापति : समय के अभाव को देखते हुए जल्दी समाप्त करें।

श्री जगमोहन सिंह : दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो थाने गांवों के अन्दर हैं, उनको हम टेलीफोन से नहीं जोड़ सके, वह एक बहुत ही आवश्यक चीज है। थाने जहां पर हों वहां टेलीफोन्स न हों, कोई भी इमरजेन्सी हो, उसके लिए सूचना भेजना, कोई ऐसी बात हो, हम नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो थाने हैं उनमें हरेक में आप कार्यक्रम बनाकर स्पेशल धन-राशि एलाट करें, इस बात की व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचंद सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): सभापति महोदय, शुरू शुरू में मैं न्याय प्रशासन पर निवेदन करूंगा न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना। सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फरमाया था कि सस्ते व सुलभ न्याय के लिए, वास्तव में न्याय मिल सके और जजिज व मजिस्ट्रेट्स पर सरकार का डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट नियंत्रण न हो जिससे निष्पक्ष न्याय हो सके। इस लिए जुडीश्यरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाए। उस रिपोर्ट के मुताबिक आज तक परेशन नहीं हुआ। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस रिपोर्ट

(श्री मूलचन्द सामरिया)

के मुताबिक व न्यायपालिका को प्रशासन से अलग किया जाए। उसी रिपोर्ट में है कि दौसा सब-डिवीजन में मुकदमात की संख्या ज्यादा है और उसमें इन्वाल्वड काश्तकार व अन्य लोगों को देखकर जस्टिस बापना कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जयपुर में जितने केसेज हैं उनमें 60 प्रतिशत दौसा सब-डिवीजन के हैं इसलिए वहां एक सीनियर सिविल एण्ड एडीशनल सेशन्स जज की अदालत मुकर्रर की जाए। लेकिन एक तरफ जयपुर में केसेज ज्यादा होने की वजह से उनका डिस्पोजल बहुत देरी से हो जाता है। यह न्याय का माना हुआ सिद्धांत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसके मुताबिक गरीबों को राहत नहीं मिलती न्याय नहीं मिलता है और उसी आवश्यकता को देखते हुए दौसा में सीनियर सिविल जज कोर्ट की स्थापना के लिए जो सिफारिश की गई थी उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे मामलों में जब कि किसी कमेटी की रिपोर्ट आए और उस पर पालन नहीं होता है तो शंका उत्पन्न होती है कि कहीं राजनैतिक दृष्टि से तो फैसले नहीं किए जाते हैं। जहां तक जन साधारण को न्याय मिलने की बात है, अगर हम राजनैतिक दृष्टि से विचार नहीं करते है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी के मुताबिक दौसा में तुरंत सिविल एण्ड एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की कोर्ट मुकर्रर किया जाना जरूरी है।

सभापति महोदय, मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी इस बात पर काफी जोर से कहा है और यह मांग की है कि न्याय के लिए हाई कोर्ट बैंच जयपुर में स्थापित की जाए। आप समझते हैं कि जनतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसी जनतांत्रिक तरीके से जिसके लिए कांग्रेस में बैठने वाले दावे के साथ कहते हैं कि बहुमत हमारा है लेकिन उसी बहुमत ने, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव किया है कि जयपुर में हाई-कोर्ट बैंच स्थापित की जाए! मेरी समझ में नहीं आता अलावा राजनैतिक दाव के और क्या हो सकता है। कभी भी पूर्वी राजस्थान के लोग नहीं चाहते हैं कि जोधपुर के लोगों को न्याय से वंचित किया जाए, हाई कोर्ट भले जोधपुर में रहे मगर जयपुर जैसे पहले बैंच थी वैसे फिर स्थापित किया जाए। केवल ला कमीशन का हवाला देना जिसकी रिपोर्ट किसी भी प्रांत में लागू नहीं हुई, केरल में बैंच हैं, यू०पी० में है, मद्रास में है। मैं समझता हूं सब राज्यों में सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए नजदीक से नजदीक हाई कोर्ट होनी चाहिए। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव होता है उनके मन-माने एक्शन्स को रोकने के लिए हरियाणा तो जुडीसियरी है, यदि करीब 2/3 हिस्से जनता को न्यायपालिका से दूर डाला जाए जिससे वे अपनी बात आसानी से नहीं कह सकें तो पूर्वी राजस्थान के लोगों को न्याय से कत्तई इन्कार किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान, राजस्थान का वह हिस्सा जिसने आपको बहुत बड़ी आनर दी है। मैं आशा करता हूं कि उसके बदले में यह तो आप नहीं करेंगे कि उनको न्याय से वंचित करेंगे। आपको यदि किसी व्यक्तिगत या राजनैतिक दृष्टि से हठ है, दाव है, मान

(श्री मूलचन्द सामरिया)

और अपमान की बात है, अगर सही तरीके से मैजोरिटी के लिहाज से इस चीज का हम फैसला करते हैं तो मैं समझता हूं, होने वाले किसो खतरे को टाल सकेंगे। जैसे राजस्थान के दो टुकड़े (पूर्व और पश्चिम) की बात उठाई जाती है और मैं कह सकता हूं कि मेरे पूर्व-वक्ता ने, कम्यूनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, जौहरी बाजार से आए हैं, उन्होंने महारावल साहब का नाम लिया, मैं समझता हूं चाहे उनके दल का इसमें अधिक इन्टरेस्ट है, उनका, विश्वास है कि तोड़फोड़ द्वारा उनकी पार्टी बढ़ती है, पनपती है, सुदृढ़ होती है, हमारी पार्टी का ऐसा मत नहीं है कि देश में या हमारे प्रांत में अराजकता फैले इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस अहम मसले को टाला तो हो सकता है कि राजस्थान के दो टुकड़े करने वाले लोगों का मत ज्यादा प्रबल होगा और पूर्वी राजस्थान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सही न्याय लेने के लिए आर्थिक दृष्टि से जो हमारा एक्सप्लाइटेशन होता है, उसके साथ साथ अगर हाई कोर्ट का मसला हो गया तो उन लोगों को ज्यादा बल मिलेगा और हो सकता है कि विस्फोटक स्थिति राजस्थान में हो।

आप ऐसे मामले पर विचार करने के बजाय यदि 2/3 बहुमत को दबाना चाहेंगे तो आपके सामने आंध प्रदेश की स्थिति को सामने रखना चाहिए। उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जरूरी है कि जो सदन में आए हैं, वे राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राज्य की जनता के 65 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि पूर्वी राजस्थान को न्याय देने के लिए जयपुर में बैंच स्थापित होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर क्या कारण है कि हमारी वाजिब मांग को ठुकराया जाता है। मैं कह सकता हूं कि यदि आप जनतन्त्र में विश्वास करते हैं तो व्हिप जारी न करें, अपने सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता दें मत करने की और अगर उनकी राय के मुताबिक वे मना करें कि बैंच स्थापित न हो तो दूसरी बात है लेकिन व्हिप जारी न किया जाए और फ्री छोड़ा जाए फिर उनको वास्तव में पता चल सकता है कि जनता क्या चाहती है। अगर जन्तांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं तो जनता की भावनाओं की कद्र करनी चाहिये और तानाशाही तरीके से देखते हैं तो आपकी मर्जी है उस समय राजस्थान की जनता को रास्ता होगा जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कैदियों के बारे में कहा है। मैं निवेदन करूं कि कैद में जो व्यक्ति जाते हैं उनमें से बहुत से लोग मानसिक दृष्टि से दुखी हैं साइकोलोजिकली आप देखेंगे तो किसी के पास खाने को नहीं होता है, पहनने को नहीं होता है, रोजगार नहीं होता मैं, बेरोजगारी, भुखमरी गरीबी, उसके बावजूद अपने बच्चों के लिए आवश्यकता की चीजों की मांग करें, यह भी एक कारण है। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इसके बजाय जो लोग सरकार चलाते हैं उन लोगों को मजबूर करते हैं चोरी के लिए, शराब पिलाकर उत्पात मचाने के लिए और उनको अधिक से अधिक अच्छा खाना मिले नाश्ता मिले, फुल डाइट मिले और जो व्यक्ति कैद जाते हैं, उनके परिवार की देख रेख करना सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जहां तक पुलिस का सवाल है इसमें खासतौर से ऊपर के जो अधिकारी हैं उनमें कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन जो लोवर कैडर के हैं उनका कोई दोष मैं नहीं मानता।

सभापति महोदय, जो नीचे के तबके के लोग हैं जो कि 24 घण्टे ड्यूटी देते हैं मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उनकी तन्खवाह है फोर्थ क्लास सरवेन्ट से भी कम दी है। आज उनको अगर किसी मुकद्दमे की पैरवी के लिए कोर्ट में जाना होता है उनके पास कोई साधन नहीं होता है। आपको उनके लिए जीप नहीं तो कम से कम मोटर साईकल तो थाने में रखनी चाहिए। आज कहीं पर ऐसी स्थिति होती है कि पुलिस का थानेदार या पुलिस हेड-कान्सटेबल और पुलिस के कान्सटेबल मुलजिम को लिए हुए सड़क पर खड़े रहते हैं उनके पास कोई साधन नहीं होता है। पहले के जमाने में जबकि प्राईवेट बसेज चलती थी तो पुलिस वाले उन मोटरों में बैठ कर चले जाते थे। आज वहां पर हमारे यहां पर रोडवेज की बसे चलती हैं वे बेचारे सड़क पर खड़े हाथ देते रहते हैं पर उनकी कोई नहीं सुनता, कभी अगर ट्रक वाले मोटर रोक उन्हें कोर्ट तक पहुँचा दें तो अलग बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार पुलिस वालों के लिए ऐसी विशेष व्यवस्था कर दे कि अगर वे ड्यूटी पर जाते हैं तो रोडवेज में उनको फ्री पास दिया जावे।

इसके अलावा सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन लोवर केडर के लोगों के लिए जो पुलिस में एल. सी. या एच. सी. हैं उनको फेमिली क्वार्टर प्रोवाइड करने की व्यवस्था करें। उनकी तनख्वाह बढ़वाने की व्यवस्था करें। क्योंकि आज उनकी हालत ही सब से खराब है। आज जो भी गड़बड़ होती है ज्यादा भ्रष्टाचार है तो ऊपर के लेवल में जो भी कानूनी गलतियां करते हैं वह सभी हाई लेवल से होता है आज पुलिस कान्सटेबल की ताकत नहीं है कि वह 324 के केस को 307 में बदल दे। आज उनकी ताकत नहीं है कि 323 के केस को 402 में बदल दे यह सब ऊपर से आदेश आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको तनख्वाह बढ़ाई जाय। और इनके वेतनमानों में सुधार किया जाय। आज पुलिस के एल. सी. और एच. सी. के भ्रष्टाचार में उतना ही फर्क है उतना ही वोल्यूम में फर्क जितना कि हाई लेवल के आफिसर के पद में और पुलिस के एल. सी. में।

(5.23 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चूंकि उपाध्यक्ष महोदय, उनके वेतनमान कम है इसलिए उन्हें मजबूर होकर छोटे-छोटे काम भ्रष्टाचार के अपनाने पड़ते है, नहीं तो उनका गुजर नहीं चले। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप इन नीचे लेवल के लोगों की हालत सुधारें। आज इन लोगों की इतनी हालत खराब है कि इन छोटे लोगों में कई लोग कम आमदनी और खर्च ज्यादा होने की वजह से कई लोग टी० बी० के बीमार हो गये हैं। आज आपकी राज्य सरकार उन कान्सटेबल्स को जो कि टी. बी. के मरीज हैं उन्हें कम्पलसरी रिटायर किया

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जा रहा है और यह कह कर रिटायर कम्पलसरी किया जा रहा है कि ये टी. बी. की बीमारी से ठीक नहीं हो रहे है। उपाध्यक्ष महोदय कितने दुःख की बात है कि एक तरफ तो आप उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको 24 घन्टे ड्यूटी लेकर उन्हें बीमार होने के लिए मजबूर करते हैं। आप उन्हें इसलिए कम्पलसरी रिटायर करते हैं कि वे ठीक नहीं हो सकते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार आज इनकी हालत खराब हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें टोप लेवल के अधिकारियों को कितना कम्पलसरी रिटायर कर रहे हैं। ये गरीब रिटायर होने के बाद क्या खुद खायेंगे और क्या अपने बच्चों को खिलायेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितना भी करप्शन हो रहा है वह ठेट दिल्ली से चलता है टोप रेन्क से शुरू होता है और ज्यों-ज्यों नीचे आता है उतना ही करेप्शन परसेन्टेज में कम होता जायेगा। वैसे अगर आप किसी नीचे के कर्मचारी को ससपैन्ड कर देंगे तो दो चार रुपये के लिए तो उससे करप्शन नहीं मिटेगा। आज करप्शन तो आपको ऑल इण्डिया में मिलेगा। आपको देश के हर इलाके में हर क्षेत्र से मिलेगा। अकेले पुलिस वालों में ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज पुलिस विभाग में वही पुराने तरीके हैं तफतीस करने के आज पुलिस डिपार्टमेन्ट में साईन्टिफिक बैसिस से इन्क्वायरीज नहीं हो रही है आज जमाना आगे बढ़ रहा है साईन्टिफिक मेथड्स की व्यवस्था होनी चाहिए अन्यथा अगर कहीं पर चोरी होती है या कोई वारदात होती है तो पुलिस वाले लोगों को जिन पर सुबा होता है उन्हें पीटते हैं और बिजली के शाक वगैरहा लगाते हैं ताकि चोरी खुल जाय अगर वे ऐसा करते है तो आप पुलिस वालों को सजा देते हैं दूसरी तरफ अगर वे चोरियां नहीं खुला सके तो या माल बरामद नहीं करा सके तो, आप उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते है कि इनवेंस्टीगेशन ठीक तरीके से हो इफेक्टिव तरीके से हो तो राज्य सरकार को चाहिए कि आप इस मशीनरी के वेतनमानों की हालत सुधारें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो भी यह कह रहा है कि पुलिस वाले गुण्डों को संरक्षण देते हैं तो गलत है आज सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाले हैं आपके राज्य के बड़े सरकारी अधिकारी और राज्य के जो नेता लोग हैं कांग्रेस वाले, वे लोग ज्यादा गुण्डों को संरक्षण देते हैं। आज आपके वहां पुलिस के छोटे कर्मचारियों को तो आप दो-दो चार रुपयों के लिए दण्ड देते हैं लेकिन जो बड़े ब्लैक मारकेट करने वाले है उन्हें आप दण्ड नहीं देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर कोई व्यक्ति पांच किलो अनाज भूखे मरता चोर लेता है तो आप उसको दण्ड देते हैं लेकिन जो लोग हजारों मन अनाज का चोर बाजार करते हैं सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं देती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप भ्रष्टाचार को मिटाने चाहते भ्रष्टाचार के खिलाफ इफेक्टिव मेजर्स लेना चाहते हैं तो आपको इनके वेतनमानों को सुधारना होगा। नहीं तो

(श्री मूलचन्द सामरिया)

करप्शन बढ़ेगा। इसलिए मैंने जैसे सुझाव दिए हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जाय। इसके अलावा मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं वह कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंन्च स्थापित की जाय। और दौसा में जो बाफना कमेटी ने सिफारिश की है सीनियर सिविल एण्ड एडीशनल शेसन्स जज का अदालत कायम करने की उसको लागू की जाय।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय आज सभी जगह हम देखते हैं कि लोगों की यूनियन है लेकिन मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस वालों की यूनियन भी राज्य सरकार बनाने नहीं देती है ताकि वे अपना यूनियन के थ्रू केस रीप्रजेन्ट कर सकें आज समाज के हर वर्ग की यूनियन है पर पुलिस के कान्सटेबल्स की यूनियन नहीं है। वे अपनी मांग नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उन्हें भी यूनियन बनाने का अधिकार दिया जावे। ताकि वे अपनी समस्याओं को राज्य सरकार के सामने रख सकें। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी बोलने की लिस्ट में है।

श्री शंकरलाल (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने पुलिस और न्याय प्रशासन के बारे में कट मोशन दिये हैं। पहले मैं न्याय प्रशासन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय प्रशासन की दृष्टि से हमारा चित्तौड़गढ़ जिला काफी पिछड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में छोटी सादड़ी और कपासन में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं इनका एरिया इतना लम्बा है कि हमारे यहां जो गरीब लोग हैं उनके लिए न्याय बहुत ही महंगा पड़ जाता है। आज छोटी सादड़ी के मुन्सिफ कोर्ट से बड़ी सादड़ी जाने के लिए काफी दिक्कत रहती है और बरसात के दिनों में चतरनास में सड़क नहीं होने की वजह से मावली होकर छोटी सादड़ी आना पड़ता है उससे लोगों को खर्चा बहुत पड़ जाता है और अगर एक बार वहां जाने पर पेशी पलट जाती है तो उसका खर्चा सब बेकार हो जाता है आने जाने का। इसलिए मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय यह सुझाव देना चाहता हूं कि महीने दस रोज या पन्द्रह रोज या आठ रोज जैसी भी सहुलियत राज्य सरकार को मुन्सिफ कोर्ट का हैडक्वार्टर बड़ी सादड़ी कर दिया जाय तो लोगों को जो हम सस्ता न्याय देना चाहते हैं वह उपलब्ध हो सकेगा। डेमोक्रेसी में कम से कम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले ऐसी व्यवस्था आप जैसा कि मैंने सुझाव दिया करेंगे तो शीघ्र ही न्याय उपलब्ध हो सकेगा इस प्रकार की व्यवस्था में अपने आप। इसी प्रकार कपासन में आकोला और ताना भी दूर पड़ता है। इसलिए आकोला और ताना में एक महीने में दो चार दिन के लिए मुकदमे हो जांय जनता को सस्ता और सुगम न्याय मिल पायेगा। पहले ये इसी एरिया में थे।

निम्बाहेड़ा सब डिविजन आफिस है उसमें पांच तहसीलें हैं। इसलिए आप ही सोच लीजिये कि कितना महंगा लोगों को न्याय मिलता है। कितना महंगा पड़ता है? पांच छः

Page No 145

(145)

(श्री शंकरलाल)

वर्ष के लिए एक आदमी न्याय प्राप्त करने के लिए रोता फिरता है। फिर भी उपलब्ध नहीं होता है। सब डिवीजन में दो प्रकार के केसेज आते हैं। एक ज्युडिशियल और दूसरे इस प्रकार के केसेज फौजदारी से सम्बन्धित होते हैं वे आते हैं। इसलिए मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निम्बाहेड़ा सब डिविजन की पांच तहसीलें हैं इनका बहुत लम्बा एरिया है। बड़ी सादड़ी में सब डिविजन आफिस नया स्थापित कर दिया जाय डूंगलां, भदेसर और छोटी सादड़ी के आधे गांव आ सकते हैं, इन सब को मिला कर वहां पर एक सब डिविजन और कायम हो सकता है जिससे लोगों को सस्ता और सही न्याय मिले।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पुलिस विभाग की ओर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे पुलिस विभाग हमारा रक्षक दल है और हमारी रक्षा करता है। और कर भी रहा है। सब के लिए हम यह कह दें भावना में बह कर कि सब के सब भ्रष्ट हो गये यह उचित नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार को ओर बढ़ रहे हैं। सुझाव आया था माननीय विश्नोई साहब का। किसी के पास जीप है प्राईवेट उनको अलाउन्स देना चाहिए। यह भी सुझाव आया है कि वेतन कम है। वेतन कम है तो फिर यह जीप कैसे? उनसे तो थोड़ा बहुत गवर्नमेन्ट में जमा कराना चाहिये। तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए या तो लूटते हैं। 500 रुपये एक आदमी को देते हैं। हम को आप 500) रुपया देते हैं हम जीप मेन्टेन नहीं कर सकते हैं। पड़ी रहती है। एक किसान के कुए का भवन टूट गया और सिर पर पड़ने से वह मर गया। तो ये लोग उसको जाकर लूटेंगे। क्यों मरा? वह क्या देवता है? ऐसे मरा। मौत से मरा है। कोई आदमी अपने खेत में काम कर रहा है। उसको सांप खा गया। और मौत से मर गया तो पुलिस जाकर तंग करती है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। इसको बढ़ावा कैसे मिल रहा है। इसको रोकने का उपाय है। जिस थानेदार की शिकायत आये एक बार, दो बार, तीन बार वह सही तस्दीक हो गई, फिर दो महीने बाद वापिस उसी जगह वह चला जाता है। शिकायत इसीलिए हुई कि लोग बाग दुखी हो गये थे। क्यों नहीं दंड देते हैं। जिससे दूर रह कर सबक ले। लेकिन सबक नहीं मिलता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिकायत करने वाले की खबर लेने के लिए भेज देते हैं।

श्री शंकरलाल : वहां जाकर वह कहता है खबरदार फिर शिकायत की तो। जो भी वह कर ले उसकी मर्जी है फिर वहां पर।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो दो मिनट भी एक एक कट मोशन पर दें तो छः मिनिट होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 6 मिनिट हो गये।

श्री शंकरलाल : फिर भी आप न मानें तो आज्ञा का पालन करते हुए मैं बैठ जाऊंगा।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष जी, चोरियां जो होती हैं जो भी बरामद नहीं होती हैं। बस्बोरा की भैंस आयी और चेनपुरा में बरामद हो गई लेकिन थानेदार साहब नहीं चाहते कि मालिक को वापिस दें। उनका पेट नहीं भरता है इसलिए नहीं देते हैं। एक लड़का भगवान लाल कुए में काम करता हुआ मर गया। उसके दो छोटे 2 बाल बच्चे हैं। माँ-बाप को पुलिस वाले जो किराया कहते हैं रुपयों का दिया। उसको कि थानेदार साहब को 500 रुपये विषय कर्ता है इसलिए तंग करते हैं।

इगले थाने में पुलिस वाले और अहीर ने मिलकर एक आदमी की औरत को जबरदस्ती उड़ाया। एस. डी. ओ. से उस आदमी ने कहा। इन्तजाम करो। वह कहते हैं कि क्या इन्तजाम करें? पता नहीं क्या इन्तजाम किया।

इसलिये इस विभाग में जो कमियां हैं उनको निकाला जाना चाहिये। नहीं तो रक्षक दल भक्षक बनता जा रहा है। एक दिन तो यह था कि अगर कोई सादा आदमी पुलिस वालों के कपड़े पहिन कर कहीं निकल जाता तो लोग डर जाते थे। आज पुलिस वालों को एक बोतल में रंग डाल कर शराब के लालच में ले जाया जाय तो चले जावेंगे, रात को जाकर देखिये कि शराब के नशे में सोये पड़े रहते हैं। बन्दूकें इधर-उधर पड़ी रहती हैं आई. जी. पी. साहब कह दें तो लाकर पेश कर दूं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

कम से कम ड्यूटी पर पुलिस वालों को पाबन्द कर दिया जाय कि शराब न पीयें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: आई. जी. पी. इन्स्ट्रक्शन्स दें। बन्दूक पेश कर दें, उनका।

श्री शंकरलाल: फिर आप कहते हैं कि रक्षक हो तो कैसे रक्षा होगी? खुदा की रक्षा नहीं हो रही है। मैंने जो बातें कही हैं वे तथ्यों के साथ कही हैं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उन पर अमल करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं): उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमाण्ड के अवसर पर मेरा विचार सरकार का ध्यान होम गार्ड की ओर ले जाने का है। होम गार्ड पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग है जो गत दो युद्धों में, जो चीन और पाकिस्तान के साथ लड़े गये थे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसका गठन मिलिट्री के रूप में किया गया है और एक कमान्डेन्ट के अधीन इसको रखा गया है जो रिटायर्ड मिलिट्री के आफिसर होते हैं उनके मातहत है। मिलिट्री के बेसिस पर इसके गठन के बाद इसको पुलिस के मातहत दे दिया गया है इसलिये जो आवश्यक चीजें हैं वे इसको स्वतन्त्र नहीं मिलती। जैसे सर्दी के दिनों में ट्रेनिंग के लिये आना पड़ता है तो न गर्म वर्दियां मिलती हैं और न ही अन्य साधन मिल पाते हैं। डिप्टी कमान्डेन्ट कहते सुने गये हैं कि हमने मांगों की कहते हैं कि होम गार्ड में पड़ा है एक महत्वपूर्ण अंग लेकिन इसके पुलिस के मातहत आ जाने से इसकी उपयोगिता मालूम नहीं हो रही है और इसकी इफिशियेन्सी में फर्क आ सकता है। होम गार्ड में मिलते होने

(श्री दीपंकर)

वाला एक नागरिक पांच साल के लिये अंडरटेकिंग देता है कि मैं फौज सर्विस दूंगा। दूसरी तरफ हतोत्साहित हो जाता है जब उचित साधन और सम्मान उसे नहीं मिलता। इसलिये मेरा सुझाव है कि होम गार्ड में सुधार लाया जावे। प्रदेश स्तर पर इसका एक अलग संगठन बनाया जावे जो किसी उपयुक्त सेवा निवृत्त सेना अधिकारी के नीचे हो। पुलिस के नीचे उसे नहीं रखा जावे।

इसका मुझे निजी तजुर्बा भी है। मैं भी ड्यूटी में रहा हूं। थानेदार जो इंचार्ज हमारा था वहां उसने कहा कि पानी की बाल्टी भर लाओ हमारे लिये, मेरा जूता वहां रख दो। तो इस तरह से सिपाही की तरह से बरताव करता है जो पढ़े लिखे लोगों के साथ उचित नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसे पुलिस से अलग रखा जाये।

दूसरा सुझाव है कि जो एक साधारण पुलिस का आदमी, जिसके बारे में सदन में भी बहुत कहा गया, वह भ्रष्टाचारी नहीं है; ऐसी बात नहीं है, किसी सीमा तक है। इसकी डिटेल में जाने की मेरी इच्छा नहीं है न समय ही है। तनखा उसको जरूर कम मिलती है, पर जब हाथ खड़ा करता है तो कोई भी ट्रक वाला पांच दस का पत्ता दे कर ही जाता है।

दूसरी तरफ एक आर.ए.सी. का जवान है। जो ईमानदारी के साथ मिलिटरी की नौकरी किया हुआ है, पूरा अनुशासन में है, ईमानदार है, पुलिस के हथकंडे जिसे आते नहीं उसे एक पुलिस के सिपाही से अधिक साधन मिलने चाहिये। पुलिस वाला तो रिश्वत लेकर अपनी गुजर बसर किसी तरह कर लेता है, पर आर. ए. सी. का जवान यह सब नहीं करना चाहता। इसलिये मेरा आर. ए. सी. के लिये भी यह सुझाव है कि उसे भी पुलिस से अलग रखा जावे; इसकी छाया उस पर नहीं पड़ने दी जावे। साथ रखेंगे तो इनमें भी पुलिस के अवगुण घुस जाने की सम्भावना है।

जब कहीं दंगा फसाद होता है तो वहां आर. ए. सी. के जवानों को भेजा जाता है वे पूरी तरह से सख्ती से मिलिटरी की तरह आदेशों का कड़ाई से पालन करते हैं और कराते हैं। उनका आप ध्यान अधिक रखें। पुलिस वालों का मैस का पांच रुपया आपने बढ़ा दिया इसके बाद उनको जो आठ आठ आने रुपया मिलता है पुलिस से अधिक तो वह अब दो ढाई रुपया ही अधिक रह गया है। तो इनको अलाउंस में भी उसी अनुपात से फिर वृद्धि की जानी चाहिए।

अमूमन मैं देखता हूं जब आर.ए.सी. के हैडक्वार्टर में जाने का अवसर जब मिलता है तो देखते है कि उनके लिये जो राशन आता है वह अधिकांश में पुलिस अधिकारियों के पास चला जाता है। उनके कमी पड़ती है तो उनको अपने पास से पैसा खर्च करके पूर्ति करनी पड़ती है। तो इस जवान के साथ मिलिटरी की ही तरह से अलग से संगठन होना चाहिये और उनका ध्यान रखा जाना चाहिये।

पुलिस को आज के जमाने के अनुरूप अपने कार्य-कलापों में रद्दोबदल करना चाहिये। माईण्ड बदलना चाहिये पुलिस

(श्री दीपंकर)

का। उनकी भाषा भी बदलनी चाहिये। नीचे के स्तर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। शेरखां लाडनूं में एक पुलिस चौकी का इन्चार्ज है। वह मेड़ता में रहा तो इसी तरह से सम्बोधन करता रहा; जसवन्तगढ़ में रहा तो भी उसके बरताव में रद्दोबदल नहीं आया। थानेदार से अधिक उसकी आमदनी है। जहां कोई मिल गया शिकायत करने आया तो उससे पैसा वसूल कर लिया। हरिजनों का एक मामला हुआ। उस की सुनवाई नहीं हुई आज दिन तक। उसने क्या किया कि जिसने पैसा नहीं दिया तो उस हरिजन को दो मील तक घोड़े के साथ बान्ध कर भगाया। और जबतक वह एक शराब की बोतल के दाम अपना कम्बल बेचकर नहीं लाया जब तक उसे नहीं छोड़ा। जिलास्तर तक इसकी जांच होनी चाहिये जिससे कि पुलिस का महकमा जो बदनाम होता है ऐसे कर्मचारियों के कारण वह न हो। नई पद्धति अपनाई जानी चाहिये, नये आदमी आवें इसमें पढ़े-लिखे आवें, नये तरीके जांच के और अनुसन्धान के काम में लें।

न्याय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हाई कोर्ट जोधपुर में है, जयपुर में बैंच की बात कही जाती है। सदन में जब भी यह प्रश्न आता है तो इसका सही उत्तर हमारा यही है कि आप केवल हाई कोर्ट की बात करते हैं। आज जो राजधानी जयपुर में है, वह कौनसी राजस्थान के बीच में पड़ती है ? लोग जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर से भी तो यहां आते ही हैं। तो इसलिये जिन कमेटियों ने बैठकर यह निर्णय ले लिया कि राजधानी कहां हो, हाई कोर्ट कहां हो, जोधपुर, बीकानेर में क्या हो, अजमेर में क्या हो, अलवर में क्या हो तो यह सारी बातें अन्तिम रूप से जब तै हो, गई तो फिर उन्हीं बातों को बार बार उखाड़ने में क्या तुक है, यह समझ में आनेवाली बात नहीं है। फिर हाई कोर्ट में वे ही लोग जा सकते हैं जिनके पास पैसा है और जो वहां तक लड़ने में समर्थ हैं। फिर उनके लिये जोधपुर क्या दूर होगा ? हां न्याय अगर सर्व साधारण को सुलभ कराना है उनकी कठिनाइयां दूर करनी हैं तो न्याय पंचायतों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। वहां छोटे स्तर पर लोगों को सही और सस्ता और जल्दी न्याय सुलभ हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं वे इन्सपेक्शन ठीक नहीं करते, उनको इसके लिये बाध्य किया जाना चाहिये। तो बेसिकली बात तो यह है कि ग्रामीण लोगों को न्याय पंचायतों के मार्फत न्याय मिल सके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये। हाई कोर्ट की बैंच केवल जयपुर में आ जाने से उनको सस्ता न्याय मिलने वाला नहीं है। फिर यह कहा जावे कि इसमें मत अधिक पक्ष में हैं। पर इसमें मतों की बात नहीं है। भारत सरकार अधिक समझदार है। इसमें मत लिये जाने का सवाल खड़ा नहीं होता।

पुलिस में जातिवाद की भी शिकायत है। थानेदार या मुंशी अमुक जाति का है इसलिये अमुक जाति को संरक्षण दे रहा है और अमुक को सता रहा है। इसका मतलब यह है कि वे मानसिक रूप से बीमार हैं इस बीमारी को पुलिस में सख्ती से रोकना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री दीपंकर)

मुझे सबसे बाद में तो समय मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : समय कम है, जल्दी समाप्त करें।

श्री दीपंकर : जातिवाद से ऊपर उठकर वे काम करें ऐसा मानसिक स्तर उनका बनाया जाना चाहिये। इससे महकमे को बदनाम होने का मौका भी नहीं मिलेगा।

डीडवाना तहसील में और नागौर तहसील के बीच में दो तहसीलों में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट है। मुकद्दमे सबसे अधिक डीडवाना में हैं तो महरबानी करके दो दिन का मुकाम मुंसिफ मजिस्ट्रेट का वहां कर दिया जावे तो अधिक सुविधा मिलेगी।

जहां तक न्यायपालिका का सवाल है उनके लिये सिविल प्रोसीजर को बदला जाना चाहिये। अब पुलिस में ही रिश्वत चलती हो ऐसा नहीं है। न्यायालयों में भी यह है और यह कहने में हमें संकोच नहीं करना चाहिये। हिचकिचाना नहीं चाहिये। अदालतों में एस. डी. ओ. और मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की अदालतों में भी रिश्वतें चलती हैं। तो न्यायपालिकाओं का जहां यह हाल है वहां यही कहना होगा कि हमारा जनरल डिमोरेलाइजेशन हो गया है। हर तरह से इसे रोका जाना चाहिये। नहीं तो न्यायपालिकाओं से भी न्याय मिलने की आशा लोगों को नहीं रहेगी। पैसों में न्याय खरीदा जावेगा। आज यही हालत है। जिसके पास पैसा और साधन हैं वे न्याय पाते हैं और गरीब महरूम रह जाता है। इसमें दो रायें नहीं हैं। यह स्थिति दुखदायी है और इसे बदला जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल।

श्री रामलाल (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पुलिस के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़ी में रोजाना डकैतियां, चोरियां, ताले टूटने की घटनाएं, बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में, मैं मन्त्री महोदय को, आई. जी. साहब को, और एस.पी. साहब को हर माह सूचना भेजता रहा हूं पर कोई कार्यवाही किसी ने नहीं की।

एवतपुर में डकैती हुई। रिपोर्ट हुई। 150 रुपया ले लिया। इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

डकैती ग्राम थाना सरमथुरा में गई। डकैत एक गांव में पकड़े गये। उनसे 3।। हजार रुपया तै कर लिया और उनको छोड़ दिया। मारपीट करके हवालात में भी किया। केस रजिस्टर भी किया या नहीं, पता नहीं। सुबह डकैत किधर गये कुछ पता नहीं। इस हालत में गांवों में डकैतियां चोरियां हो रही हैं।

मैनाकी रूपवास चमारों के गांव आदि में चोरी डकैतियां हुई बसेडी के थाने के हल्के में रोजाना चोरी डकैतियां होती हैं पर उनका पता नहीं।

मेरे भाई की भैंस चोरी हो गई। थानेदार से कहा किया। पर भैंसियों के बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसी तरह से जाटव गांव में एक पिता ने अपनी बिटिया को नहीं भेजा, उसे जबर्दस्ती ले गये। पुलिस ने कुछ नहीं किया।

(श्री रामलाल)

उनके पीछे जाकर 7 मील निकल गये फिर वो नावों में बैठ गये। थोड़ी देर बाद बन्दूक से डरा कर वापिस भगा दिया। कुछ लोग थाने पर गये। तीन आदमी को कत्ल कर डाला। ऐसी रिपोर्ट जब थाने पर पहुंची तो ठाकुर साहब पहले पहुंचे। थानेदार साहब ने हमसे कहा आप बैठे रहें सुबह रिपोर्ट लिखी जायगी। बाद में तलाश करने पर मालूम पड़ा लाश भी निकली। डाक्टरी रिपोर्ट किसी न किसी तरह बदल दीनी। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं की। पिपलाना गांव में मार पिटाई की और मार पिटाई करके जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। इसका तकाजा किया तो दूसरों को पीटा, बोहरे आये मारा, फिर सवेरे और मारा और कुए में डाल दिया। उसकी कोई कार्यवाही नहीं करी।

ऐसी सूरत में पहाड़ी बाजार में रोजाना ताले टूट रहे हैं। श्रीमान थानेदार साहब से, सी. आई. डी. से निवेदन किया कि गश्त लगवावो—सदर बाजार में चोरी रोज हो रही हैं। मैं रोजना थानेदार साहब से निवेदन करता हूं—कोई सुनवाई नहीं होती। जाटवा को डकैत बना कर मारा। थाने पर मारा। उपाध्यक्ष जी.....

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा मालूम पड़ता है, आप भूल गये।

श्री रामलाल : जो कचहरी धौलपुर में लाई जा रही है वह बाड़ी में चलाई जावे जिससे गरीबों को सस्ता न्याय मिले। दूसरी बात बाड़ी की समस्या है, जाटवों के साथ में ऐसी सुनवाई होनी चाहिए। जब सरकार कह रही है, हम समाजवाद लायेंगे, तो ऐसी सूरत रही तो आप समाजवाद नहीं ला पायेंगे। गरीबों को रोजाना पीसा जा रहा है। मैं श्रीमान को 20 लेटर भेज चुका जवाब एक का भी नहीं दिया। कोई सुनवाई नहीं.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो-एक मिनिट। समय नहीं है तो फिर मैं.....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट और बोल लीजिये।

(मा० सदस्य के नहीं बोलने पर)

श्री जयकिशन।

श्री जयकिशन लाल तोसावाड़ा (फागी): आदरणीय उपाध्यक्षजी, तीन प्रकार के कटौती के प्रस्ताव मैंने दिये हैं-एक पुलिस सम्बन्धी, एक कारागार सम्बन्धी और एक न्याय प्रशासन सम्बन्धी। सर्व प्रथम न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। न्याय प्रशासन एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा समाज का जीवन अच्छा से अच्छा और आगे की ओर अग्रसर होता है, यदि सही रूप में और सच्चे रूप में न्याय मिल सके तो लेकिन हमारे प्रान्त के अन्दर, हमारे जितने भी जो अधिकारीगण हैं उन्होंने केवल मात्र एक इस प्रकार की की स्थिति पैदा कर रखी है जिससे साधारण जनता को सच्चा और सस्ता न्याय नहीं मिलता है लेकिन जो व्यक्ति उन तक पहुंचता है, जो व्यक्ति उनसे जाकर आजीजी करता है, जो व्यक्ति मनोनीत करता है, उन्हीं को सस्ता और सच्चा न्याय मिल सकता है।

(श्री जयकिशन लाल सर्राफ)

आज हम विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में जावें तो आप और हम जाकर तुरन्त अधिकारी महोदय से मिल सकते हैं लेकिन साधारण जनता बेचारी उनसे भी बात नहीं करती, कई दिन हो जाते हैं वह अपने सच्चे कार्य को भी नहीं कर सकते यदि सच्चे रूप में न्याय दिलाने की कोशिश करें तो आज विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में सुधार लाना होगा। आज जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं चाहे कलेक्टर हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे एस.डी. ओ. हों और चाहे आई.जी. हों उनको अपने हृदय में गरीबों के प्रति दुख और रहम की भावना पैदा करनी चाहिए और सच्ची भावना पैदा करनी चाहिए और सच्ची भावना पैदा करके सच्चा न्याय देंगे तभी जाकर हमारे समाज का भला हो सकता है। अधिकारियों को न्याय बांटने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि वह गरीब आदमी आज किसी न किसी प्रकार विपत्ति में आया हुआ है और यह सोचना चाहिए यदि उनके स्थान पर मैं होता तो उनके हृदय में जिस प्रकार का दुख दर्द और टीस है वह मेरे हृदय में भी हो सकता है लेकिन बड़े होने के पश्चात साधारण जनता की तरफ आज ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए सच्चा न्याय नहीं मिल सकता है।

साथ ही साथ हमारे प्रान्त में एक हाईकोर्ट की बेंच जोधपुर में स्थापित की गई है, पहले जयपुर में थी यहां से परिवर्तन करके जोधपुर में किया गया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जोधपुर की उस हाईकोर्ट की बेंच को हटा देना चाहिये। मैं हमारी सरकार से और भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं उसी कोर्ट के समकक्ष विजयपुर में इसी प्रकार की दूसरी बेंच स्थापित कर दी जाय जैसे यू.पी. में है और भी अन्य प्रान्तों में है तो पूरे राजस्थान की जनता को बड़ा सरल और सुलभ न्याय मिल सकता है। कई हमारे माननीय सदस्यगण इस प्रकार की मांग कर बैठे हैं। इसके लिये तो कह देते हैं यह एक फालतू बात है लेकिन यह फालतू की बात नहीं है बड़े जितने प्रान्त हैं गरीब और साधारण जनता को सच्चा न्याय दिया जाय तो सरकार को किसी न किसी प्रकार अधिक भार वहन करना ही होगा और यह लेना चाहिये। इसलिये जब तक साधारण जनता को सच्चा सुलभ न्याय नहीं मिल सकता है तब तक सच्चा समाजवाद नहीं है।

अब कारागार के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। आज विभिन्न प्रान्तों में या अलग अलग जिलों में जो कारागार बने हुये हैं उसकी तरफ हम कागजी कार्यवाही करके जनता के समक्ष हम अपनी वास्तविकता को छिपा देना चाहते हैं लेकिन यदि आज नेता लोग हैं चाहे कर्मचारी हैं मेरे साथ चलकर दो तीन जिलों में घूमें तो उनको जीवन की वास्तविकता का पता लग जायेगा कि उन लोगों के साथ कैसे व्यवहार खाने के साथ और किस व्यवहार सोने के साथ होता है, उनसे काम किस प्रकार से लिया जाता है हालांकि उनके लिए विभिन्न प्रकार का कार्य सुधार रूप से किया जा रहा है लेकिन फिर भी जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं लाया गया।

शिक्षा के बारे में बताऊं कि हमारे जेलों में विभिन्न प्रकार के ऐसे विद्यार्थी हैं जो भूलवश या अज्ञानवश या जवानी के जोश के कारण

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

कोई गलती कर बैठते हैं, यदि उनको पूर्ण से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाये, उन्हें सब प्रकार की शिक्षा में सुविधायें दी जायें तो भविष्य के अन्दर वह अपना जीवन उज्जवलित बनाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। समय समय पर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां हत्या करने वाले व्यक्ति ने जेल में जिसको सब प्रकार की सुविधायें मिली वह पूर्ण रूप से शिक्षित हो गए और अन्त में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया। तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके कारागार की ओर पूर्ण रूप से निगाह डालें, उनके अन्दर होने वाले अन्यायों को दूर करके जिस प्रकार की कमियां हैं उनको दूर करके यदि जेलों की दशा सुधारी जाये तो वहां के कैदियों का जीवन बड़ा सुव्यवस्थित बन सकता है।

दूसरी बात पुलिस के संबंध में बताना चाहता हूं कि हमारी नीतियों में ऐसा लेख है कि मनुष्यों की प्रकृति, तीन प्रकार की होती है: उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति और निकृष्ट प्रकृति। तीन ही प्रकार के मनुष्य अपने विचारों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यदि इस प्रकार की धारणाओं को लेकर रीति और नीति के विचारों को समक्ष रख कर उसी स्थिति के अनुसार मनुष्यों की श्रेणी को यदि हम सुधारने की कोशिश करें तो वह सुधर सकते हैं। यदि उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति के साथ निकृष्ट व्यवहार किया जाये तो ठीक नहीं रहेगा, इसी प्रकार से मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के साथ उत्तम व्यवहार किया जाये तो वह भी ठीक नहीं है और निकृष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति के साथ यदि उत्तम व्यवहार किया जाये तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि हमारे यहां नीति में ऐसा लेख है।

नीच न छोड़े नीचता कैसाही सुख देत,

धोयेहूं सौ बेर के काजर होय न सेत॥

यह सिद्धांत घटित हो सकता है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर सब प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक रखने से ही आज जो समाज के अन्दर अन्याय और अधर्म हो रहा है वह मिट सकता है। हम केवल मात्र सिपाहियों की आलोचना कर बैठते हैं, यह मेरे विचार से ठीक नहीं है। बुभुक्षित: किन करोति पापम्। आज एक साधारण सिपाही को जिसको कि 70 रुपया तनख्वाह के मिलते हैं जब कि बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता 70 रुपये के पान खाकर थूक देते हैं। उन साधारण सिपाहियों का जीवन 70 रुपये में कैसे आप पाल सकते हैं और फिर भी वह 24 घन्टे की ड्यूटी देते हैं। यह नीति का लेख नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि पुलिस अधिकारी जो बैठे हुए हैं यदि वह अपनी तनख्वाह और भत्ते में थोड़ी कटौती करके साधारण सिपाहियों की ओर ध्यान दे तो हो सकता है हमारा भ्रष्टाचार मिट जाये। हम आलोचना करें विधान सभा में बैठकर या सभा सोसाइटीज में बैठकर तो आलोचना से कोई काम चलने वाला नहीं है, हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा और तभी जाकर ठीक ढंग से चल पायेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तभी हम जाकर अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं। आज केवल आलोचना ही हमारी प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति अच्छाई की ओर ध्यान नहीं देता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

एक मिनट। हर व्यक्ति कमियों की ओर ध्यान नहीं देता। साधारणतया मनुष्य की बुद्धि हालांकि शिक्षा के युग के अन्दर तीक्ष्ण बनती जा रही है लेकिन वह तीक्ष्ण बुद्धि कैसे व्यक्तियों को बुराइयों की ओर बढ़ रही है। यदि वह तीक्ष्ण बुद्धि अच्छाई की ओर बढ़े तो हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है या जो कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करें तो मिट सकती है। आलोचना करने से नहीं, त्याग करने से, उस चीज को कार्यान्वित करने से वह सारी चीजें दूर हो सकती हैं।

हमारी सरकार ने साधारण सिपाहियों के 5 रुपये बढ़ाये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर एक प्रतिबन्ध लगा दिया कि जब तक वह 40 डाइट पूरी नहीं करेंगे उनको 5 रुपये नहीं मिल सकते। यह तो अनर्थ की बात है। साथ ही साथ यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि जब तक 10 रोज की डाइट पूरी करेगा तब जाकर 5 रुपये और 40 रोज की पूरी करेगा तो 17 रुपये और यदि वह 10 रोज तक कहीं दूर पर रहेगा तो टी० ए० मिलेगा अन्यथा नहीं। किसी सिपाही को कार्यवश क्षेत्र में भेज दिया जाता है जांच करने के लिए और उसे 10 रोज भी लग सकते हैं तो 15 रोज भी लग सकते हैं तो बेचारे का टी० ए० काट देते हैं, उधर उसकी डाइट कट जाती है। वह साधारण सिपाही क्या कर सकता है? हम केवल साधारण सिपाहियों को दोष देते हैं उसके पहले अपने गिरेवान में मुंह डालकर हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

आखिरी टाइम है, दो तीन मिनट और दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार हम केवल मात्र पुलिस की आलोचना करें या साधारण सिपाही की आलोचना करें उससे पहले हम उनको सब प्रकार की सुविधायें दे दें तो भ्रष्टाचार मिट सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जिस प्रकार से बैंकों के अन्दर ओवर टाइम की व्यवस्था है यदि उसी ढंग से साधारण सिपाहियों को ड्यूटी के अतिरिक्त यदि उनसे काम लिया जाता है तो उनको ओवर टाइम दिया जाना चाहिए हालांकि मैं मानता हूं कि वह 24 घन्टे हमारी सरकार के नौकर हैं लेकिन फिर भी उसके पेट की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ओवर टाइम की व्यवस्था कर दी जाये तो सिपाही भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उनकी तनख्वाहों में वृद्धि की जाये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उनको सुविधायें दी जाये तो भ्रष्टाचार की ओर नहीं बढ़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में चोरियों के बारे में बता दूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर लगातार चोरियां बढ़ती जा रही हैं और अभी 2 तारीख को रात के समय चोर जीप के अन्दर आये। नैनवास ग्राम है उसके अन्दर

Page No 154

(154)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

मुन्हार को पकड़ा, पीटा, उसके हाथ तोड़ दिये, सिर फोड़ दिया और उसकी पसलियां तोड़ दी गयीं लेकिन अभी चोरियों का पता नहीं चला। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन कर दूं, आई. जी. और एस. पी. को निवेदन कर दूं कि इस प्रकार के काण्ड होते हैं तो मेहरबानी करके उनको पूर्णरूप से आप हाथ में लें। आपको अधिकारी इसलिए बनाया है कि किसी भी इलाके में यदि किसी प्रकार का काण्ड हो तो तुरन्त आप मौके पर जाकर जांच करें। यदि आप से नहीं चलता है तो सी. आई. डी. को भेजें और सी. आई. डी. जाकर उसकी जांच करें कि यह ग्रुप कहां से आता है और क्यों सारी जनता को लूट खसोट कर, मारपीट कर चला जाता है। यदि यही नीति रही तो आलोचना करने की दृष्टि से सही उतरेगी और आप साधारण सिपाही के ऊपर आरोप मंढ़ दें और आप मस्ती छानते फिरे यह ठीक नहीं हैं। आपका सहयोग होगा तभी वे सच्चे कार्य करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार कारागृह की दृष्टि से या पुलिस की दृष्टि से या न्याय प्रशासन की दृष्टि से सबसे पहले किस किस विभाग के अन्दर किस प्रकार की कमियां हैं उनको हम दूर कर देंगे तभी समाज को सच्चा न्याय मिल सकता है अन्यथा नहीं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बी प्रतीक्षा के बाद आपने मुझे समय दिया उस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े एक ऐसे विषय पर यहां बहस चल रही है ऐसे विभाग के बारे में जिसकी आम जनता में चित्र कोई अच्छा नहीं है। वह नफरत से भरा है, घृणा से भरा है। ऐसे पुलिस विभाग के बारे में यहां कटौती प्रस्ताव आए हैं और मेरा भी कटौती प्रस्ताव पुलिस विभाग पर है।

किसी भी चीज की आलोचना करने से पहले मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं उसकी गहराई में पहुंचने का प्रयास करती हूं कि आखिर यह कमियां हमारे अन्दर क्यों हैं। आज पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात सभी लोग कहते हैं, सब स्तर पर कहते हैं। लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि आखिर इसका कारण क्या है। अभी आज, माननीय सदस्यों ने, कईयों ने इस पर प्रकाश डाला, मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारे सोचने का ट्रेंड तो बदला। कम से कम कि केवल मात्र आलोचना ही नहीं हमने सहानुभूति भी हम में पनपी है। तो इस दृष्टि से मैं आपको एक सिंहावलोकन करना चाहती हूं कि आप हमारे यहां राजस्थान की पुलिस की जो एक्जीस्टिंग संख्या है वह 36000 है और हमारे इस राज्य की जन संख्या ढाई करोड़ के करीब है। उसके अनुपात में क्या यह संख्या पर्याप्त है जिससे अपराधों की रोकथाम हो सके, नम्बर एक।

नम्बर दो, यह जो वेतनमान हैं उसमें पांच रियासतों के वेतनमान और हमारी रियासत के वेतनमान यह मेरे सामने है। पता चलता है कि हम अपने यहां के पुलिस कर्मचारियों को क्या दे रहे है और यह भ्रष्टाचार क्यों नहीं पनपेगा। आखिर उनके

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, उनके भी पेट है और वे चाहते हैं कि वे भी इस महंगाई के जमाने में किसी तरह से अपना गुजारा ठीक ढंग से कर सके। तो मेरी मान्यता है कि इसकी जड़ में यह बात है। राजस्थान में सिपाही को तनख्वाह मिलती है वह है 70) रुपये, हरियाणा में 125) रुपये, पंजाब में 125) रुपये. दिल्ली में 75) रुपये जिसको पे कमीशन रिवाइज कर रही है, हिमाचल में 125) रुपये। हैड कांस्टेबल को राजस्थान में 90) रुपये, हरियाणा में 150) रुपये, पंजाब में 150) रुपये, दिल्ली में 100) रुपये, हिमाचल में 150) रुपया। और एस. आई. को हमारे यहां 110) रुपये, हरियाणा में 180) रुपये, पंजाब में 180) रुपए, दिल्ली में 130) रुपये और हिमाचल में 180) रुपये। थानेदार को हमारे यहां 160) रुपये, हरियाणा में 250) रुपये, पंजाब में 250) रुपया, दिल्ली में 168) रुपये और हिमाचल में 250) रुपये। इन्सपेक्टर को हमारे यहां 275) रुपये, हरियाणा में 300) रुपये, पंजाब में 320) रु. दिल्ली में 325) रुपये और हिमाचल प्रदेश में 325) रुपये। इसी तरह से यह स्टार्टिंग में स्केल्स हैं। इसके अनुपात में अगर हम गहराई में जाय तो इससे साफ पता चलता है कि हम अपने कर्मचारियों को कितना कम वेतन दे रहे हैं, उनसे ड्यूटी हम कितनी कराते हैं। पुलिस कर्मचारी का ड्यूटी का भार कितना बढ़ा हुआ है। कहीं कोई घटना हो, कहीं कोई आन्दोलन हो तो उसको सामना करना पड़ता है। उनको हर तरह से पब्लिक भाटे मारे तो सहना पड़ता है, कोई लकड़ी मारे तो सहना पड़ता है। उस बाद में फिर यह कहा जाता है कि अगर वह अपनी व्यवस्था के लिए किसी तरह कोई कदम उठाने की कोशिश करती है तो हम लोग यहां बैठ कर आन्दोलन करते हैं कि साहब पुलिस ने अन्याय किया, पुलिस ने अत्याचार किया, खून की नदियां बहा दी। लेकिन मेरा कहना है कि यही खून पुलिस वालों में है और यह पुलिस वाले कहीं विदेशों से नहीं आए, वे हमारे भाईबन्द हैं, हमारे राजस्थान के, हमारे ही देश के नागरिक वे भी हैं। उनको भी हमारी तरह से रहने का और जीने का अधिकार है। लेकिन क्योंकि वह पुलिस की नौकरी में है, उनके मुंह पर अनुशासन का ताला पड़ा हुआ है, उनके हाथ अनुशासन से बंधे हुए हैं वे अपनी जबान नहीं खोल सके, वे अपनी यूनियन बनाकर आन्दोलन नहीं कर सकते और मर्जी आए जो चाहे उनको कह ले, क्या यह उचित है। इसलिए मेरा यह निवेदन था कि आज पुलिस कर्मचारियों की अगर हालत में तबदीली ला दें, मैं मुख्य मन्त्री को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगी कि अगर राजस्थान से वास्तव में भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, अगर वास्तव में समाजवाद लाना है तो हमको हमारे इन कर्मचारियों की ओर, जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा का भार है, उनकी ओर देखना पड़ेगा और उनके लिए हमको सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी। आज दूसरे कर्मचारी आन्दोलन करके अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, अपना हक मांग लेते हैं, लेकिन ये क्या करें, किसके पास जाय। अभी गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट निकली उसमें भी, मैं समझती हूं कि ये लोग बेचारे उपेक्षित हैं जब कि सब विभागों के चपरासी से लेकर दूसरे कर्मचारियों की, सबकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। पुलिस विभाग का

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

कर्मचारी ही एक ऐसा अभागा कर्मचारी है जिसको कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए उस दिन जब कि यहां पर विधान सभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा था कुछ मनचले लोगों ने उन पर यह ताना कसा कि तुम तो पुलिस के कुत्ते हो तब ही तो तुमको गुप्ता कमेटी ने कुछ नहीं दिया। इस बात से आप सोचिए कि हमारी पुलिस अगर डीमोरेलाइज हो गई जिस पर सारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी है, अगर वह भी हो गई तो हमारे यहां कि शांति व्यवस्था का हमारी सुरक्षा क्या हाल होने वाला है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कम से कम हम लोग इस बात को सोचें और हमारी सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें और इन लोगों के प्रति भी हम सहानुभूति का रुख अपनायें तो मैं समझती हूं कि ज्यादा अच्छा होगा।

पुलिस में सब लोग खराब नहीं है और सभी लोग अच्छे नहीं है। लेकिन हमारा रवैया यह है कि हम आम तौर पर पुलिस की आलोचना करते हैं सबको खराब बताते हैं अगर हम अच्छे की प्रशंसा करें, उनको कोई रिवार्ड दें तो मैं समझती हूं कि जो खराब हैं, जिनके कारण पुलिस का महकमा बदनाम है, उन लोगों को सबक मिलेगा और वे अपने आपको सुधार की दिशा में ले जाना चाहेंगे लेकिन वह अवसर उन्हें नहीं दिया गया। हम सिर्फ उनको खराब ही बताते हैं। इसलिए मेरी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो व्यक्ति हमारे ही समाज से हैं, जब तक पुलिस की नौकरी में भर्ती नहीं होते तब तक उन्हें बहुत भला समझा जाता है लेकिन जिस दिन से पुलिस की नौकरी में गया वह निहायत भ्रष्टाचारी हो जाता है, उसमें पता नहीं कितनी खराबियां आ जाती हैं और जैसे ही पुलिस की नौकरी से रिटायर होकर बाहर आता है वह अच्छा व्यक्ति बन जाता है। क्या यह पुलिस का महकमा यह भ्रष्टाचार पनपाने के लिए ही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरी तो समझ में यह बात आती है कि अगर कोई किसी को भ्रष्टाचारी बनाता है तो वह इन्सान का पेट है जो भ्रष्टाचारी बनाता है और वही इन छोटे कर्मचारियों के साथ भी वही मजबूरी है।

आज पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करे तब भी पुलिस का दोष। कर्तव्य पालन करे तब तो दोषी है ही। यह बात बहुत साफ है। आज चोरियों की शिकायतें करने हम लोग जाते हैं, बड़े २ शिष्टमण्डल लेकर हम मंत्री से, मुख्य मंत्री से, आई.जी. से, होम कमिश्नर से, एस पी मिलने जाते हैं कि फलां क्षेत्र में बड़ी चोरियां हो रही हैं और अगर उन चोरियों को रोकने के लिए कुछ धर पकड़ होती है तो हम लोग ही फिर यह कहने लग जाते हैं कि पुलिस वाले कितने बदमाश हैं, उसने बड़ा अत्याचार किया है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि पुलिस के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू है कि जिसके जरिए अपराध कबूल करवा सके। क्या आज हम यह समझें कि अपराधियों को पुलिस मिठाई खिलावे और मिठाई खिलाकर वह उनसे कहे कि भईया बता दो चोरी की हो तो या जो भी अपराध तुमने किया हो। क्या ऐसा करने से अपराधी से अपराध स्वीकार कराया जा सकता है। तो इसके लिए कोई भी मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक साधना का सुझाव जैसा अभी हमारे

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

माननीय सदस्य बिश्नोईजी ने दिया उसी प्रकार का ही मैं भी देना चाहती हूं कि इस पद्धति को बदलने के लिए हमको एक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा।

इसी तरह से अभी पिछले दिनों जो विधान सभा के सामने प्रदर्शन हुआ तो यहां पर खून के कपड़े पेश किए गए, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि उसमें पुलिस वालों का बेचारों का कसूर बिल्कुल नहीं था। उसमें कुछ लोगों ने बकायदा गुंडागर्दी करके पुलिस वालों पर पत्थर फेंके तो पुलिस ऐसी पोजीशन में आ गई, वह दरवाजे पर भुंड के रूप में खड़ी थी, वे सब भीतर आना चाहते थे जिससे पुलिस का खून ज्यादा बहा था लेकिन हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं, यहां लाकर जनता के खून से सने कपड़ों को तो पेश कर सकते। इतना साहस नहीं है, इतना नैतिक बल हम में नहीं है हमने तो यह समझ लिया कि अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो लिख दे गुनाह इसका उनके हिसाब में। हमने तो इस बात से कमर कसी रखी है कि अच्छा हो तब भी पुलिस की बुराई करें और दूसरो की बुराई हो तो भी हम भर्त्सना नहीं करें।

इस तरह से राजस्थान में कितने रजिस्टर्ड होते हैं उनमें 20परसेन्ट केसेज ही सही होते हैं आमतौर से। इस ओर जनता का भी ध्यान इस सदन के माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगी। क्यों-इस तरह के झूठे केसेज हम दर्ज कराते हैं? क्यों जनता इनको दर्ज कराती है? इससे हमारी पुलिस की शक्ति का, उसकी मेन पावर का और हमारी मनी का कितना वेस्टेज होता है, उसके उपर हमने कभी विचार नहीं किया है, सोचा नहीं है।

यह बात नहीं है कि पुलिस में अच्छाईयां हैं। मुझको भी उससे नाराजगी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर आए दिन चोरियों की घटनाएं होती रहती हैं··

श्री मोहन लाल छंगाणी : अब मंत्री महोदय को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं इतना धर्य रखती हू परन्तु छंगानी जी को धैर्य नहीं है। उनमें यह उत्सुकता लगी है कि मैं क्या कह रही हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके घर पर से साइकिल चोरी चली गई थी क्या वह आगई है ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : हां वह मिल गई है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इनको कैसे मालूम हो गया ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : बधाई देना चाहिए।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : क्योंकि इन्होंने ही साइकिल चुरायी थी और वापिस लाकर रख गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस में दोष भी हैं जैसे मुकदमा दर्ज करने की जो प्रणाली है वह काफी दोषपूर्ण है। एक गरीब आदमी मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो उसे काफी चक्कर लगाना पड़ता है परन्तु उसका केस दर्ज नहीं होता है। वास्तव में

(सुश्री शकुंतला श्रीवास्तव)

यह जो मुकदमा दर्ज कराने की प्रणाली है वह दोषपूर्ण है और उसमें सुधार किए जाने के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज सबसे बड़ी चीज जो है वह यह है कि पुलिस को हमारी जनता का विश्वास प्राप्त करना होगा अपने अच्छे व्यवहार से। आज पुलिस का व्यवहार नीचे के स्तर पर अच्छा नहीं है। उच्च स्तर पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका व्यवहार अच्छा है खासतौर से मैं मुख्य मंत्री और हमारे यह राज्य मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि जयपुर जिले में उन्होंने जो पुलिस के अधिकारी रखे हैं वे काफी अच्छे, समझदार और आमतौर से ईमानदार हैं। मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी। इसके साथ ही मैं यह कहना पसन्द करूंगी कि कम से कम पुलिस के नीचे के जो लोग हैं उनके व्यवहार को सुधारने के लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदया, आई. जी. साहब, होम कमिश्नर साहब को कुछ न कुछ श्रम कर के इसमें सुधार करना चाहिये, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज न्याय के बारे में कुछ अनुदान की मांगे रखी गई है। साथ ही पुलिस विभाग भी चर्चा का विषय बना है। सब से पहले मैं संक्षेप में न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समस्त विभागों की ओर से एक प्रगति का विवरण हमें मिला है और उस पर हमने चिन्तन किया, मनन किया। जहां तक मैं समझ सका हूं न्याय प्रशासन के बारे में एक वर्ष के अन्दर, गत वर्ष के अन्दर, प्रदेश के अन्दर किस प्रकार से प्रगति हुई है, किस प्रकार से उनका कार्य हुआ, किन-किन न्यायालयों के अन्दर कितने कितने मुकद्दमे दीवानी, फौजदारी, रेवेन्यू के रहे और उन पर किस प्रकार से न्याय हुआ यह सारे आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं हुए और विस्तृत रूप से इसकी जानकारी के अभाव में अधिक कुछ कहना भी संभव नहीं होगा। अच्छा होगा कि न्याय प्रशासन की ओर से हर वर्ष विद्यालयों के पास, प्रगति की, वर्ष भर के अन्दर जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की, उसको एक पुस्तिका के रूप में संकलित कर के दी जावे ताकि हम उस पर विचार कर सकें। इस सम्बन्ध में एक बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हाई कोर्ट के अन्दर, जहां सारे पुलिस के मुकद्दमें आते हैं, एरियर्स की समस्या बढ़ रही है जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसके कई कारणों में से एक यह भी है कि माननीय न्यायाधिपतियों की नियुक्तियां समय पर नहीं होती। कई दिनों से राजस्थान हाई कोर्ट में दो स्थान खाली पड़े हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इनको भरने में क्यों विलम्ब हो रही है। इसके कारण राजस्थान भर के लिटीगन्टस को नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय न्याय मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लगभग तीन चार माह से जजेज के दो स्थान खाली पड़े हुए हैं और जिसकी वजह से एरियर्स

(श्री पूनमचन्द लोढ़ा)

बढ़ते जा रहे हैं, इन स्थानों को जल्दी ही भरा जाये। यह भी कहा जाता है, अब वह कहां तक सही है या नहीं है यह तो माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे, कि इस मामले में भी राजनीति है और राजनीति को लेकर यह नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। यदि यह सच है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और यदि असत्य है तो मैं प्रसन्नता प्रकट करूंगा, लेकिन इतने लम्बे समय तक नियुक्तियां न होना इस बात का सूचक अवश्य है कि कहीं बाटिलनेक जरूर है और रुकावट जरूर है। माननीय मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में इस बारे में स्पष्टीकरण करें।

इसके सिवाय राजस्थान के न्याय प्रशासन में एडवोकेट जनरल का बहुत बड़ा पद है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले समय जिस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है वह विद्वान है, प्रतिभासम्पन्न है और उसके कारण राजस्थान के अन्दर न्याय प्रशासन को चार चांद लगे हैं। लेकिन इसके साथ एक बात मुझे खटकती है। राजस्थान का एडवोकेट जनरल राजस्थान हाई कोर्ट को या राजस्थान सेक्रेटरियेट को लाज के बारे में एडवाइस दें, विधान सभा को एडवाइस दें, या हाई कोर्ट में मुकद्दमों के बारे में जहां कोई सेक्शन अल्ट्रा वाइरस डिक्लेयर करने का प्रयत्न किया जाता है, वहां पर अपनी राय दे, इसके लिये जरूरी है कि उनका कार्यालय जयपुर में या जोधपुर में हो। मैं समझता हूं कि व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, लेकिन संस्था से बड़ा नहीं होता। इस कारण जहां मैं उनकी नियुक्ति का स्वागत करता हूं, वहां साथ-साथ यह अवश्य मांग करूंगा कि राजस्थान के एडवोकेट जनरल का कार्यालय जयपुर में या जोधपुर में होना चाहिये। इन दोनों जगहों में से कहां होना चाहिये इस विवाद में, मैं नहीं पड़ना चाहता, होना तो जयपुर में चाहिये, लेकिन जयपुर में न होकर दिल्ली में हो, यह उचित नहीं है। मुझे इस बात का भी खेद है कि जब मैंने इस बात के लिए बातचीत करने का प्रयास किया तो मुझे बताया गया कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के क्या कन्डीशन्स हैं, इसका पता स्वयं हमारे कानून मंत्री को भी नहीं है। मैं समझता हूं यह नहीं होना चाहिये। हमारे राज्य के अन्दर यदि कोई चपरासी या क्लर्क भी नियुक्त किया जाता है तो उसकी टर्म्स और कन्डीशन्स तय होती हैं, लेकिन यहां एडवोकेट जनरल जैसे बड़े व्यक्ति की नियुक्ति की जाये और उसके लिये टर्म्स और कन्डीशन्स तय नहीं हों, यह तय नहीं हो कि उनका कार्यालय कहां होगा या वह क्या काम करेंगे, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के हित में अच्छा नहीं है। और प्रशासन के लिये भी अच्छा नहीं है।

इसके अलावा मैं एक बात राजस्थान जुडीशल सर्विस के सिलेक्शन के बारे में कहना चाहूंगा। राजस्थान जुडीशल सर्विस में मुनसिफों का जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें कई बरसों से लगातार जो इन्टरव्यूज होते हैं, वहां कोई कोर्ट का जज नहीं बैठता। इन्टरव्यू में जहां आदमी का जुडीशल अप्रयुमेन जज करना हो, जहां उसका जुडीशल एक्सपीरियन्स जज करना हो, जहां उसकी जुडीशल नालेज जज करता हो, इसके लिये जरूरी है कि हाई कोर्ट का जज भी वहां इन्टरव्यू में बैठे और पहले

(160)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जाता था, लेकिन पिछले कई साल से न तो हाई कोर्ट का कोई जज जाता है और न ही उनका कोई प्रतिनिधि जाता है, और इनके अभाव में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इन्टरव्यु होता हैं वह दोषपूर्ण है। पहले हाई कोर्ट के जज इन्टरव्यू में बैठते थे लेकिन उनको ऐसा लगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी बात नहीं मानी जाती, इसलिये उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया. और पब्लिक सर्विस कमशीन का तिरस्कार किया और बायकट किया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात पर भी वह सीरियसली विचार करें।

अच्छा तो यह था कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और कानून मंत्री माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलकर इस डेडलाक को हटाते और कोई न कोई रास्ता निकालते जिससे कि सारे राजस्थान में जो आर० जे० एस० का सिलेक्शन होता है जिसके कारण न्याय-प्रशासन चलता है उसमें उचित व्यक्ति आ सकें और इन्टरव्यू में भाग ले सकें। इसके विपरीत हो यह रहा है कि पिछले कई सालों से लगातार उनके न आने की इस बात की ओर जो प्रशासन में रहने वाले मंत्री हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन के चैयरमैन हैं वह गम्भीरता ध्यान नहीं देते है। इसका कोई न कोई हल निकालना चाहिए।

इसके साथ में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट के जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं और एडवोकेट्स का पेनल है अथवा सबोर्डिनेट जुडिशियरीज में जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स का पैनल है बने हुए हैं उनमें एडवोकेट्स की नियुक्ति राजनैतिक दृष्टिकोण से की जाती है। मैं यहां पर उनके नामों को उद्धृत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिद्धान्त के रूप में यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में नियम बनने चाहिए और सिलेक्शन होना चाहिए ताकि इसके अन्दर जो प्रतिभासम्पन्न कानून के अन्दर अनुभव वाले व्यक्ति हैं, नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, जो राज्य के लिए एक देन हो सकते हैं उस व्यक्ति का सिलेक्शन होना चाहिए चाहे वह किसी पार्टी का हो, किसी दल का है, किसी से संबंधित हो या न हो लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो सारे व्यक्ति पैनल में हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट के ऑफिस में आये हुए हैं वे किसी न किसी मंत्री के कृपापात्र हैं या ऐसे लोग हैं जो उनके चुनाव एरिया में काम करते रहे हैं उस नाते से उनकी नियुक्ति की गई है। मैं चाहूंगा कि जब इस बात की बार बार घोषणा की जा रही है कि अब भाई भतीजावाद को, भ्रष्टाचार को और अन्य चीजों को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं तो मैं समझता हूं कि इस कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए, और आने वाले सालों में जहां जहां भी नियुक्तियां हों वह सिलेक्शन से होना चाहिए और इसके लिए नियम बनाने चाहिए कि जिससे इन्टरव्यू होकर जिसमें हाईकोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज या अन्य व्यक्ति बैठकर उनका सिलेक्शन करें, तो मैं समझता हूं कि अधिक उचित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके साथ में यह भी मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थानी के अन्दर यदि हम हमारी सरकार पर जितनी डिग्रियां होती हैं उनको देखेंगे तो लगेगा कि वास्तव में यदि जिस समय कोई राज्य सरकार को दफा 80

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का नोटिस देता है या डिमाण्ड आफ जस्टिस करता है, न्याय की मांग करता है, उस समय वहां पर निश्चित रूप में कोई बहुत बड़ा अधिकारी होना चाहिये जो आब्जेक्टिवली उस पर विचार करके उसका निर्णय ले तो इससे बहुत बड़ा लिटिगेशन बन्द हो सकता है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि डिमाण्ड आफ जस्टिस करने के बाद या सेक्शन 80 का नोटिस देने के बाद काफी समय गुजर जाता है और वह फाइल ला सेक्रेटरी के पास नहीं आती है और वह एल. डी. सी. या यू. डी. सी. के पास पड़ी रहती है और निर्णय नहीं लिया जाता है तो इसके कारण लाखों रुपयों का नुकसान होता है और लिटिगेशन में राज्य सरकार को जाना पड़ता है। हाई कोर्ट में एरियर्स बढ़ते हैं, रिट एप्लीकेशन्स होती हैं और छोटे छोटे कर्मचारियों और अधिकारी जिनके साथ में अन्याय होता है वह वहां के चक्कर काटते फिरते हैं, और जस्टिस के लिए और न्याय के लिए उनको चक्कर लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है जो कि अन्ततोगत्वा हमारे पब्लिक एक्स-चैकर पर बोझ बनता है। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसके ऊपर न्याय मंत्रीजी विचार करेंगे और दफा 80 के बाद में तुरन्त कार्यवाही करके यदि कोई मांग न्यायपूर्ण है और कोई संकट हैं तो उसको हटा दिया जाय और उसको न्याय दिया जाय।

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए और इस प्रकार से उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है तो कम से कम जो जुडिशियरी के अधिकारी हैं, जो अधिकारी हमारी राज्य सरकार के हैं, जो कर्मचारी या अधिकारी हैं जिनके साथ में अन्याय हुआ है चाहे वह प्रोमोशन का मामला हो, चाहे सीनियोरिटी का मामला हो, चाहे फिक्सेशन का मामला हो, चाहे सिलेक्शन का मामला हो वह सारे मामले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स से तय हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बोझ हाई कोर्ट से हटेगा और वास्तव में रेडी जस्टिस उनको मिलेगा। इसके बारे में क्या क्रियात्मक कदम उठाये जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बन रहा है उसके लिए लेजिस्लेशन कौन सा ला रहे हैं इसके बारे में घोषणा करें।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक न्याय के प्रशासन की व्यवस्था है यह तो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी हाई जुडिशियल कोर्ट है वह बाई एण्ड लार्ज ईमानदार हैं। हमें इस बात का फक्र है। हम इस बात को एप्रिशियेट करते हैं, लेकिन लोवर लेवल पर नीचे के स्तर पर वहां पर भ्रष्टाचार के संकेत मिलते हैं। लेकिन इसके बारे में यह कहना कि निरंकुश होती चली जा रही हैं, मैं समझता हूं कि उसके कारण जुडिशियरी पर एक रिफ्लेक्शन होगा, जुडिशियरी की इन्डिपेन्डेन्स के ऊपर एक रिफ्लेक्शन होगा। जुडिशियरी का अपना तरीका है। जो उनके जजमेंट करने का अधिकार है वह संविधान के अन्दर हैं, कानून के अन्दर हैं, जो सिल्वर लाइनिंग है, गोल्डन लाइनिंग है हमारे डेमोक्रेटिक सेट अप के अन्दर उसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश रखने का प्रयास न करें। उसे अपने तरीके से काम करने दें। पूरी छूट दें। विजिलेन्स कमीशन की बात है। हाई कोर्ट है इस प्रकार पहले भी डिस्ट्रिक्ट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जज को विजिलेन्स कमीशन के रूप में रखा जाता था और अब भी रखा जाता है। जहां कहीं भ्रष्टाचार का संकेत हो वहां निश्चित रूप से उनका निराकरण होना चाहिए। उसको लेकर जुडिशियरी पर एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हावी होने का और किसी प्रकार का दोष लगाने का प्रयास किया तो देश के लिए दुर्दिन होगा। That would be a bed day for the independence of Judiciary मैं कहना चाहूंगा कि इस बार पूर्ण इन्डिपेन्डेन्स के साथ काम करने का अवसर दिया जाय। उसके कारण हमारे प्रदेश को और हमारी जनता को वास्तविक न्याय मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष, एक बात मैं पुलिस के बारे मे कहना चाहता हूं। पुलिस के बारे में जो वाद-विवाद लम्बा चौड़ा हुआ उसकी विगत में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। सत्तारूढ़ के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों की दुर्घटनाएं सुनाई हैं, दर्दभरी आहें सुनाई हैं, मैं समझता हूं वह इस बात का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन पुलिस विभाग के साथ में लाचारी है। पुलिस विभाग ही भ्रष्टाचार का मूल कारण हो ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। जिस प्रकार प्रदेश के दूसरे विभाग है उसी प्रकार से पुलिस विभाग है। यदि पुलिस विभाग के लिए यह कहा जाय जैसा कि एक माननीय विधायक राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी दल के लोगों ने देश के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आंदोलन होते हैं, सत्याग्रह होते हैं, जुलूस निकलते हैं, प्रदर्शन होते है इसके कारण से हमारी पुलिस की संख्या कम होना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है। सत्ता बनती है और बिगड़ जाती है, बदल जाती है, बड़े बड़े शासन बदल जाते हैं, लेकिन इसके कारण से यह कहना कि जनता यदि महंगाई है तो महंगाई के खिलाफ मार्च न करें, मांग न करें, प्रदर्शन न करें; यदि आदमी भूखों मरे तो गांव में भूखे लोगों का मार्च न हो सके, यदि किसी एरिया के अन्दर पानी नहीं है तो पानी की मांग को लेकर जनता नहीं आये उसको यह कहें कि यहां के लोगों को विरोधी दल के लोग भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह जनतन्त्र और प्रजातन्त्र की हत्या करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अच्छा तो यह था कि आज के युग के अन्दर प्रजातन्त्र और लोकतंत्र की रजत जयन्ती मनाई गई है संविधान अक्षुण्ण है, पुलिस को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। विधान सभा के सामने प्रदर्शन होते हैं इस मांग को लेकर कि महंगाई भत्ता दिया जाय, छुट्टी दी जाय, हमारे साथ में यह रियायतें दी जायं। तो यह एक मानवीय प्रश्न है इसको दल के अन्दर नहीं लेना चाहिये। वह चाहे कर्मचारियों का सिविल लाइन्स के अन्दर आन्दोलन हो, चाहे विधान सभा के बाहर आन्दोलन हो चाहे अन्य स्थान पर हो मंत्री महोदय को जाना चाहिये और उनकी बात को सुनना चाहिए और सुनकर निर्णय लेना चाहिये। यह युग वह नहीं है और उस युग के अन्दर भी जहांगीर के समय में घंटा बजता था तो जहांगीर खुद वहां तक जाकर उसको सुनता था, लेकिन आज एयर कन्डीशन्ड चेम्बर में बैठ जायं और बाहर पुलिस को लाठी लेकर, हेलमेट लेकर और गैस के सेल लेकर खड़ी कर दें तो यह गलती पुलिस के कर्मचारियों की नहीं है और यह गलती राजनेताओं की है। गलती मन्त्रियों की है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गलती हमारी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपकी है। आप रुक क्यों गए हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जहां एक ओर यह कहा गया है कि अपराधों की संख्या बढ़ी है। वह जो कर्नल टॉड के समय स्थिति थी, वह, जब टोडरमल हुक्का लेकर चलते थे, वही आज की स्थिति है। मुझे उस समय दुःख हुआ जब माननीय सदस्यों ने यह कहा कि मारपीट के अलावा और रास्ता क्या है? इस प्रकार से कह कर आप विधान सभा के पटल पर पुलिस को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन दें। उनको लीगलाइज करें। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में यह अत्यन्त अनुचित है। पुलिस का कार्य मुश्किल है, इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन यह कहा जाये कि लोगों के लिए जो कानून का प्रावधान है, जो रूल ग्राफ लॉ है, उसको समाप्त करके, पुलिस जनता को डण्डे लगाये, पीटे। मैं समझता हूं कि यह, मंत्री महोदय स्वीकार नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आन्दोलनों का युग है। जनतन्त्र का युग है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आंदोलन, कर्मचारियों के आंदोलन, चपरासियों के आंदोलन, मेडिकल के बेरोजगार डॉक्टर अगर अपनी मांग लेकर आते हैं। उनको क्षुधा सताती है। इस कारण अनइम्पलायमेन्ट के कारण जब वह मांग लेकर आते हैं तो वास्तव में जो कुछ उनकी स्थिति है। उनके साथ बैठ कर बातचीत करें। कन्स्ट्रक्टिव रूप से उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करें। लेकिन उनके लिए लाठी, गोलियों और अश्रुगैस चलायें। जब यहां पर आकर, लोगों का लाठी चार्ज के कारण खून बहे। विद्यार्थियों की हड़ताल पर जुल्म करें तो उनको हम यहां आकर डिफेन्ड करने का प्रयास करें तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के समय में जो राय बहादुर होते थे, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ मिल कर यहां के आजादी के आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया करते थे, वह भी यही किया करते थे कि पुलिस लोगों के साथ हत्याकांड किया करती थी, अत्याचार करती थी तो वह इसी प्रकार से डिफेण्ड किया करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के युग में आंदोलन होंगे। आंदोलन हों तो हमें उनको सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। उनको सुनें और उनको हल करने का प्रयास करें। लाठी-गोली की सरकार इस युग में नहीं चलेगी। जार का जमाना, औरंगजेब और विक्टोरिया का जमाना, लार्ड माउन्ट बेटन का काल आज समाप्त हो चुका है। यदि लाठी-गोली चला कर, पुलिस के डण्डे के सहारे जनता को दमन करने की कोशिश की जायगी तो यह राज हमेशा ही चलता रहेगा, इसकी कोई गारन्टी नहीं लें सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम लेकर नहीं चले और जो दमन की बात करते हैं, पुलिस के लोगों को ऐसे कामों के लिए उकसा रहे हैं कि वह डण्डे कर्मचारियों की हड़तालों पर, विद्यार्थियों पर और जनता पर बरसाये।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यह डण्डा उन पर बरसाने के लिये नहीं है। यह उनकी रक्षा करने के लिये हैं। यह डाकुओं, चोरों और अपराधियों पर बरसाने के लिए यह डण्डे काम में आने चाहिए। पुलिस हमारी रक्षा पंक्ति है। यह कहा जाये कि वहां पर आदमी जिन्दा था मरा हुआ बता दिया। यह तो कोई अपराध नहीं है। यह डिफैन्ड किया जाये। लेकिन जनतान्त्रिक आंदोलनों पर पुलिस लाठी-डण्डे बरसाये तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यह हमारी अप्रोच ठीक नहीं है। इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। वह यह है कि सारे देश में आंदोलन, प्रदर्शन या किसी प्रकार की सभायें, जुलूस या और किन्हीं समस्याओं को लेकर होते हैं। उस पक्ष में बैठे हुये लोग भी इस बात को जानते हैं। उन्होंने भी जुलूस और प्रदर्शन किये हैं। आज भी यह करते हैं। लेकिन जब विरोधी पक्ष से जुलूस या प्रदर्शन किया जाता है तो वह कहते हैं कि ये लोगों को भड़काते हैं। उकसाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मंहगाई का प्रश्न आज देश का ज्वलन्त प्रश्न है। अगर कोई मंहगाई के प्रश्न को लेकर आता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उकसाने के कारण हुआ है। अगर महंगाई के प्रश्न को लेकर दिल्ली के अन्दर प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, स्थान स्थान पर मार्च होता है। डाट के कारण अनाज नहीं दिया जाता है तो लोग खड़े होंगे। अनाज के प्रति लोग आवाज बुलन्द करेंगे। मैं समझता हूं कि यह हमारे सिद्धान्त का प्रश्न है। हमारे सदन का प्रश्न है हमें जनता की आवाज को बुलन्द करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस को हम साधारण कर्मचारी या नफरत की निगाहों से देखें, यह गलत है। क्योंकि वह काम अपने मन से नहीं करते हैं। पुलिस कर्मचारी के भी बाल-बच्चे हैं। उसको भी आवश्यकता रहती है उसको भी महंगाई सताती है। तनख्वाह कम है। वह हमारे में से ही एक है। लेकिन जो जनतन्त्र के अन्दर दमन करने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से विरोध करूंगा। मैं चाहूंगा कि वह दिन आये जो बंगाल के इतिहास में एक साक्षी है। जब न्याय के रूप में जनता के ऊपर दमन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने खड़े होकर कहा था, नहीं। ब्रिटिश सरकार के समय नेवी के विद्रोहियों ने देश को नयी दिशा दी है। वह समय दूर नहीं है जब आपकी पुलिस जिसको आप गुमराह करके, जनता का दमन करके, अपनी सत्ता में मदहोश होकर बैठे हैं। गरीब जनता का खून बहाने के लिए उकसाने की कोशिश करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है, वह दिन आयेगा। जब वह खड़े होकर कह देंगे, नो मोर।

श्री खेतसिंह : अब आपके दल का समय समाप्त हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सचेतक महोदय ने संकेत दिया है कि मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस बिन्दु पर अधिक कहूं। मैं यह कहूंगा कि हम सब क्रियात्मक रूप से कान्स्ट्रक्टिव अप्रोच करें। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जनता के अभाव अभियोगों को मिटाने के लिए वह और हम कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया है। मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा। क्योंकि काफी विस्तार से माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आजादी के बाद जिस तरह से पुलिस को रिआर्गनाइजेशन करना चाहिए था, वह हम नहीं कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में दो तीन बातें, मैं कहना चाहता हूं। जिससे हम लोगों पर उसका असर पड़ता है। जो गांवों और कस्बों में चोरियां होती हैं। तो मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां जिस घर में चोरी होती है, वह चोरी होने के बावजूद भी वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराने से डरता है। उसकी जानकारी में नहीं है कि किसने चोरी की है। परन्तु उसको थाने में जाने से परेशानी नजर आती है। वह उससे डरता है। इसलिए पुलिस को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि ऐसी वारदातें होती हैं, तो उसमें आम जनता को विश्वास दिला सकें। उसको यह विश्वास दिलायें कि आपके यहां चोरी हुई है, जो उचित होगा यह जानकारी करेंगे। उसकी मदद करेंगे।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी पुरानी ब्रिटिश परम्परा है, पुलिस के गवाह बनाने की। ऐसे आदमियों को गवाही में चुना जाता है, गांवों और कस्बों से ऐसे आदमियों को चुनते हैं जो वहां पर न्यूसेंस क्रियेट करते हैं। और उन लोगों से, चूंकि वह पुलिस के गवाह होते हैं, पुलिस को जब जरूरत होती है तब काम लेते हैं। इसलिए यह लोग समाज में अनेक प्रकार की वारदातें करते हैं और अनेक प्रकार के कारनामे करते हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं। उनके बारे में कभी अगर पुलिस को कहा जाय कि यह लोग इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, तो पहले तो डरते हैं कहने से और कह भी देते हैं तो उसके बाद कार्यवाही नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज के अन्दर हर प्रकार से सभी लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं परन्तु उन पर कार्यवाही सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वह पुलिस की वक्तन बवक्तन मदद करते हैं। चूरु जिले के अन्दर, छापड़, रतनगढ़, सुजानगढ़ कई मौके ऐसे आये हैं, जब मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशानी वहां के लोगों को होती है। आप मेहरबानी करके इन लोगों को कहिये कि इस प्रकार की न्यूसेन्स नहीं करें। वे कहते हैं, हमारे पास कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत हम इन्हें कह सकें। मैं नहीं सोच पाता, जहां पर आम नागरिक की सुरक्षा का प्रश्न पुलिस के सामने आता है, इस वक्त समाज के अन्दर चन्द लोग जो न्यूसेन्स करने वाले होते हैं, शरारत करने वाले होते हैं- उन लोगों से समाज को प्रोटेक्ट नहीं करती तो फिर क्या करेगी। इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने शराबबन्दी के मामले के अन्दर कहा था कि शराब पीकर आज लोग न्यूसेन्स करें और वह भी ऐसे स्थान पर जहां पर आम लोगों की आमद रफ्त हो, फिर भी उनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। दुर्भाग्य यह है कि शराबबन्दी के मामले में ऐसी नीति अपनी बना ली है कि शराबबन्दी नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पुलिस के छोटे कर्मचारी शराब पीकर

(श्री फूलचन्द जैन)

ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं बजाए इसके कि जो बदमाशी करते हैं उनको रोकें। मैं इन छोटी मोटी बातों की ओर पुलिस विभाग का ध्यान खींचना चाहता हूं। आज आम लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा बनी हुई है कि पुलिस वास्तव में हमारी रक्षा नहीं करती। इसलिए जब हमने मनोवैज्ञानिक ढंग से जब दूसरे कई प्रकार के सुधार पुलिस विभाग में किये हैं, पुलिस विभाग में एफिशियेन्सी लाने के दृष्टिकोण से हमने कदम उठाये हैं तो कोई इस प्रकार का नियम हमको बनाना चाहिए जिससे ऐसे जो लोग हैं, जो इस प्रकार का वातावरण बनाये हुवे हैं समाज के अन्दर उससे पुलिस विभाग समाज की रक्षा कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं, पुलिस का रोल है समाज के अन्दर, प्रशासन के वह बड़ा काम्प्लीकेटेड है। जैसा जनसंघ के माननीय नेता महोदय ने कहा, पुलिस जुलूस के उपर लाठियां चलाती है, लाठी, गोली और अश्रु गैस की सरकार नहीं चलेगी। मैं मानता हूं कि यह होता है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया, पुलिस क्या रोल अदा करे। सवाल यह आता है। हम कतई पसन्द नहीं करते हैं इस बात को कि जनता के जन आन्दोलन को सख्ती से दबाया जाय। जन आन्दोलन को सख्ती से दबाया नहीं जा सकता। जन आन्दोलन को जब भी सख्ती से दबाने की कोशिश करेंगे तो जन आन्दोलन और उभरेगा, यह खत्म कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक विषम परिस्थिति भी हमारे सामने है, जब आन्दोलन जिन मर्यादाओं पर चलना चाहिए जब उन मर्यादाओं में नहीं चलता है तो उसके बाद पुलिस को किसी न किसी रूप में सामने आना पड़ता है। नहीं आये तो परेशानी और आये तो परेशानी। इस तरह से हर मामले में पुलिस का रोल है। उसके दोनों पहलू हैं जो समाज के सामने आते हैं। इसमें दो राय नहीं हैं। परन्तु मैं जिस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं, वह यह है जगह जगह चूरू ज़िले में कई चोरियां पिछले दिनों के अन्दर हुई। मैं कह सकता हूं, कई चोरियों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई, कई चोरियों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। इस भय के वातावरण में जो रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई, लेकिन जब कि तफतीश के नये तरीके निकले हैं, उनके बावजूद भी पुलिस सही रूप के अन्दर चोरी का पता लगा कर लोगों को संतोष दिला सके यह स्थिति हम नहीं बना पाये हैं। आज समाज की आर्थिक और दूसरी स्थितियां बनती जा रही हैं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि वह चाहे नयी किस्म की चोरी हों, परन्तु उन चोरियों के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ने लग गये हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि नीचे के लेवल पर पुलिस के कर्मचारी या दूसरे अधिकारी हैं, उनको इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन डेफीनेट गाइडेन्स के तौर पर दिये जांय, यह खास तौर से मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कितनी रिपोर्टस पुलिस के सामने आई, किनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? इसके सम्बन्ध में वर्तमान में व्यवस्थायें हैं, वह मौजूद हैं परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वह सब कागजी कार्यवाही की पूर्ति करने तक सीमित है। इसलिये मैं चाहता हूं क्योंकि पुलिस विभाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी आती है,

(श्री फूलचन्द जैन)

जो सब प्रकार की जिम्मेदारी है, उसका अहसास करके इस विभाग को और अच्छे ढंग से सुसंगठित किया जाय। जैसे रेवेन्यू विभाग की डिमाण्ड आई थी, उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार के कुछ मामले पटवारियों के होते हैं, उसी तरह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पुलिस विभाग की ज्यादातर शिकायतें आती हैं। मैं नहीं कहता, पुलिस विभाग के अन्दर भ्रष्ट लोग मौजूद हैं, परन्तु मैं कहना चाहता हूं, ऐसा विभाग है यह जो समाज के अन्दर से भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करने में मददगार हो सकता है। इसलिए ऐसे विभाग को किसी प्रकार से ठीक करें — इसके बारे में हमें सोचना चाहिये और इसके अन्दर हमें नीचे के लेवल पर सुनिश्चित योजना के द्वारा काम करने का आधार रखना चाहिये, काम करने का परीक्षण करना चाहिये जिससे काम का सही मूल्यांकन हो सके। इसकी जवाबदारी ऊंचे अधिकारियों पर हो।

एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट है, इस एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सब जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, उनको कानूनी निगाह से हम साबित करके यह सोचें कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे या कर सकते हैं तो यह नामुमकिन बात है क्योंकि भ्रष्टाचार के इतने तरीके निकल गये हैं कि उन्हें कानून की गिरफ्त में लेना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिये कानून के द्वारा या कानून की बिना पर चल कर ही नहीं परन्तु हमारा दृष्टिकोण भी ऐसे मामलों के अन्दर इस प्रकार का हो कि जो जेनुइन केसेज हमारे सामने आये तो बजाय इसके कि शिकायत करने वाले को तकलीफ दें, हम उसके मददगार हो कर चलें, और अनुभव के आधार पर हम सहायता पहुंचा सकें इस प्रकार का हमारा एप्रोच होना चाहिये जिससे जो शिकायत करने वाला है वह यह समझे कि मेरी शिकायत सही है तो मुझे तकलीफ होने के बजाय मदद मिलेगी। शिकायत करने वाला अपनी रेस्पान्सिबिलिटी को फील करके समाज का एक नागरिक होने के नाते शिकायत करता है। उसकी वही जिम्मेदारी है जो प्रशासन में बैठे हुये या एन्टी करप्शन में बैठे हुये लोगों की है, दोनों की जिम्मेदारी एक हो जाती है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के अन्दर मदद करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पुलिस विभाग की अपनी डिफीकल्टी हैं, वहां उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। इसलिये इन जिम्मेदारियों को अहसास करते हुये जो कुछ अब तक कदम उठाये हैं उनसे भी ठोस उपाय उठाने की आवश्यकता है— यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मन्त्री जी।

श्री भोपालसिंह : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक दो आदमी रहे हैं, इतना समय बढ़ा दिया है तो थोड़ा और बढ़ा दें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक दो आदमी रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पन्द्रह मिनिट में बोल देंगे। इतना निवेदन है।

श्री गोपालसिंह : मुझे थोड़ा सा कहना

श्री शंकरलाल : सबको समय दिया जाय तो हमें भी दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सात आठ माननीय सदस्य हैं, देख लीजिये, एक घण्टा तो चाहिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक घण्टे का समय बढ़ा दें।

श्री मोहन लाल छंगाणी : दो तीन मिनिट बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट में तो माननीय सदस्य कह भी नहीं सकते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कुछ माननीय सदस्यों को ज्यादा समय नहीं दिया जाता तो हमें समय मिल जाता।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम पांच मिनिट में समाप्त कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नम्बर मेरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं एक तो न्याय प्रशासन के बारे में, दूसरी पुलिस के थर्ड डिग्री मेथड्स के बारे में। जहां तक न्याय प्रशासन की बात है, मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहूंगा। जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है, करीबन 16,000 स्कवायर मील का एरिया है और जब जैसलमेर स्टेट थी उस समय 19 हाकिम थे लेकिन अब पुलिस स्टेट न होकर वेलफेयर स्टेट बन गई है। वहां पर एक मुन्सिफ केम्प लगाता है 15 दिन के लिए पूरे जिले के अन्दर। वह भी फलोदी से आता है, जब जैसलमेर आता है तो फलोदी में केसेज का काम ठप्प हो जाता है। इतने बड़े जिले में एक अधिकारी। मैं नहीं कहता कि डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए या सिविल जज होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक मुंसिफ स्थाई तौर से जैसलमेर में नियुक्त होना चाहिए। उत्तर में शायद कहा जाएगा कि वर्कलोड कम है, यह मैं कहता हूं, यह मापदंड नहीं होना चाहिए। किसी भी वेलफेयर स्टेट के अन्दर, माडर्न स्टेट के अन्दर to give justice is the prime duty of the State. और यह कहना कि कितने केसेज के अन्दर न्याय प्रशासन मिलता है, उससे इसकी अहमियत नहीं पहचाननी चाहिए। न्याय प्रशासन की अहमियत उसकी मौजूदगी से है। मौजूदगी का असर वहां की कार्यप्रणाली पर, एग्जीक्यूटिव एक्शन्स पर, राशनलाइजेशन व स्टेबीलाइजेशन पर, पड़ता है। बहुत से जूरिस्ट्स ने कहा है कि अगर आप न्याय प्रशासन प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए तो बहुत बड़ी बात है और उस हालत के व्यक्ति के अधिकारों की Bill of rights में व्याख्या की जरूरत नहीं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि

(7.02 सायं)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

25 साल के बाद भी आज 19 हाकिमों के बजाए एक हाकिम भी स्थाई तौर से जैसलमेर में नहीं रहता। मैं आशा करता हूं कि

(श्री गोपालसिंह)

मंत्री महोदय, जो कि स्वयं न्यायाधीश रहे हैं, इस बात को समझेंगे और हमारी छोटीसी मांग को पूरा करेंगे।

जहां तक पुलिस का बात है, भारतीय पुलिस बहुत ही पुरानी प्रणाली रखती है। 1861 में शुरुआत होकर इसने अंग्रेजों के समय अनुशासन के साथ काम किया, उस संदर्भ में किया जैसा उनका काम था। उसके बाद में जैसे परिस्थितियां बदलीं, उनकी एक तसवीर अच्छी आती है, आज हमारी प्रशासन प्रणाली केवल पुलिस स्टेट न रहकर एक वैलफेयर स्टेट हो गई है। पहले जहां पर पुलिस का केवल ला एण्ड आॅर्डर से संबंध था, पर्सन और प्रापर्टी से था, वहां पर आजकल एक पुलिसमैन He is also a promoter of new values and a new social order.

और उसके अन्दर उन्होंने अनुशासन के साथ काम किया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। मौका आने पर राजनेताओं पर डंडा डाला है और जब राजनेता सत्ता में आगए तो उनको सैल्यूट करके उनके आदेश का पालन भी किया, यह अच्छी इमेज है लेकिन उसके अन्दर एक दाग है। जहां तक अपराध का डिटेक्शन है, उसके अन्दर जो उनके तरीके हैं वे वही पुराने हैं और उनमें कोई सुधार आज तक नहीं हुआ। रूरल एरियाज में नहीं पाया जाता शायद लेबोरेटरीज में किया होगा। मुझे बड़ा दुख होता है देखकर जब एक पुलिसमैन केवल एक सिपाही जो कोई थर्ड डिग्री से पीटता है एट दी बिड आफ थानेदार, वह इस बात को नहीं समझता कि कानून या न्याय के अन्दर प्रोवीजन नहीं है कि पुलिसमन इज इम्यून फ्राम दी ला। अगर वह पीटता है तो वह आफेंडर बन जाता है और अगर आफेंडर बनकर उसी स्तर पर ले जाते हैं जैसे आफेंडर हैं उसके बाद में उसकी क्या महत्ता रहती है, उसके प्रति लोगों में क्या इमेज बनती है, कैसे लोग उनके अन्दर विश्वास करें ? इतना ही नहीं बहुत से दोष पैदा होते हैं। जैसे गरीब आदमी आता है और वह सोचता है कि कहीं मुझे मार न दें, वह पैसा दे देता है। उससे ज्यादा साधन वाले व्यक्ति जहां क्रिमिनल्स होते हैं, पैसा देकर छूट जाते हैं और वे कम्पलेनेन्ट होते हैं, जब दूसरों को पिटवाना चाहते हैं तो पैसे देकर पिटवाते हैं। तो मेरे कहना का मतलब है कि डंडे को अख्तयार किया नहीं जाय। It should be stopped, it should be substituted by tact, knowledge and judgment.

कभी इस बारे में निराशा नहीं होनी चाहिए। हमारे पुलिस फोर्स के दिमाग में युक्ति नहीं है। जब डंडा फेंक देंगे तो उस समय दिमाग काम करना शुरू करेगा और कितना ही साफिस्टीकेटेड आफेंस हो धीमे धीमे अच्छा तरीका अपनाने लगे और कितना ही मुश्किल आफेंस क्यों न हो उसको डिटेक्ट कर सकेंगे लेकिन जब तक आपके हाथ में डन्डा है इट इज टेम्पटिंग टु बीट तो फिर कन्टेमिनेशन शुरू हो जाता है, कई इविल्स पैदा होते, ब्राइबरी का स्कोप बढ़ जाता है और उसका असर न्यायालय तक जाता है। इस बारे में विभाग सोचे और इसके अन्दर कुछ तरक्की लाये जो बहुत जरूरी है, इट इज लांग ओवरड्यू।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र भारतीया।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है पुलिस के बारे में । वैसे कई माननीय सदस्यों ने पुलिस के सिपाहियों के वेतनमान के मामले में काफी प्रकाश डाला है। सभी सदस्य जानते हैं और विभाग के अधिकारी भी जानते हैं कि सिपाही कितनी मेहनत करता है, वह एक गरीब तबके का आदमी वैसे माना जाता है, उसी तरह से आता है, सिपाही को रातदिन जैसी ड्यूटी बताओ वैसी देता है । मौत के घाट पर जाता है, सब तरह की समस्यायें उनके सामने आती हैं लेकिन वेतन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में उनका वेतन कम है । राज्य सरकार व गृहमंत्री से उन सिपाहियों के वेतन के बारे में विचार करना चाहिए । उनका वेतन कम से कम 150)से 200)होना चाहिए ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई, व घर का गुजारा अच्छी तरह से कर सके । सिपाही 24 घन्टे ड्यूटी देता है, हम देखते हैं कि रात दिन किसी मामलों में जांच करने जाते हैं तो सिपाही गांव गांव में दौड़ता है, कई दिनों तक रोटी उसको नहीं मिलती है, भला आदमी मिल जाए तो खाना खिलादे इस अल्प वेतन के अन्दर सारे इलाके में काम करते रहते हैं, ऐसी हालत में उनका वेतन अवश्य बढ़ना चाहिए)

मेरे इलाके में कुछ दिन पहले मैंने शिकायत जिला आरक्षी अधीक्षक से की दूसरी डिप्टी एस. पी. के पास कराई, वह शिकायत यह थी कि एक मोती की शिकायत थी जिसकी शादी कराई थी सराना तहसील में थोरी गांव में कराई और फिला गांव में उसका पीहर था । एक दिन कहीं गई थी वहां से राज्या नामक एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन सलूम्बर जो गावबा के अन्दर रहता है उसने मोती को पकड़ लिया ।

सभापति महोदय, ऐसी स्थिति उसकी नणद बता रही थी । उसने बताया कि उसको यानि कि मोती के पति की खूब पिटाई भी की । इसके बाद में गांव के लोग आये, जीप में डालकर भाग जाने लगे । लड़की को वापिस ले जाने लगे तो गांव के लोग आये और उसकी पिटाई की । मगर किसी तरह उस लड़की को वापिस ले आये । लेकिन उसके थोड़े दिन बाद यह इत्तिला मिली कि उसे वापिस उठाकर ले गये हैं । उसके लिये पुलिस के एस. पी. जो उदयपुर के हैं उन्हें रिपोर्ट की लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । उन लोगों ने डी. एस. पी. को भी रिपोर्ट की लेकिन उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस ने उस लड़की को राजिया के साथ भगा दिया । चौकी गांवड़ा पुलिस थाना सलूम्बर, चौकी गांवड़ा का हैड मोहर्रिर है उसके सहयोग से मोती को जाकर पुलिस ने वापिस दी है मोती के ससुर से 150)रुपया रिश्वत भी ली । उसके बाप से ली है यह भी लिखित में दिया है । पुलिस ने ही कोई कर्यवाही की और नहीं हैड कांस्टेबल के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। आज वहां पर कोई गरीब आदमी जाकर शिकायत करता है तो उसके साथ बुरा वर्ताव किया जाता है । मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पुलिस को इस मामले की कार्यवाही करनी चाहिये । इसके अलावा मैं आप से एक और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि चौकी दामड़ा के अन्तर्गत जो कि पलोदड़ा थाने के अन्तर्गत की जानकारी देता हूं कि आती है वहां की हैड मोहर्रिर प्राइवेट बसेज के मालिकों को परेशान करता है और उनसे दस दस रुपया रिश्वत लेते हैं

(श्री देवीलाल)

रिश्वत नहीं देते हैं तो उनको परेशान किया जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो आपको इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। इसी प्रकार इस एरिये के थानेदार भी रिश्वत लेते हैं और जो बस वाले रिश्वत नहीं देते हैं उनको परेशान किया जाता है अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिये। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (जयपुर) : सभापति महोदय, मैंने जो कट मोशन दिये हैं उसके लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय, आज हमारे यहां एक तरफ तो राज्य सरकार यह कहती है कि हम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना चाहते हैं दूसरी ओर जो कोर्ट्स की हालत है वह बहुत ही खराब है। आज लोगों को मुनसिफ मजिस्ट्रेटों के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है आज जनता बहुत ही परेशान है यह तो सभापति महोदय, जिस पर गुजरी हो वह जाने। मैं तो आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं इन कोर्ट्स में बहुत ही भ्रष्टाचार है। अभी हमारे सदन में माननीय सदस्य श्री गुमानमलजी ने कहा कि ऊंचे स्तर पर बड़े जजेज में हाइ कोर्ट के जो जज हैं वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जयपुर में जो कोर्ट्स हैं उनके बाहर जो चपरासी आवाज देते हैं उनके माध्यम से आज 5-5 और दस दस रुपया लोग लेते हैं और जब तक आप उसको रुपया नहीं देते हैं तब तक वह फाइल ऊपर नहीं आती है। चपरासी और पेरोकार मिले हुए है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ऊपर तक पैसे पहुंचते हैं। सभापति महोदय, न्याय एक दर्पण है और यह छोटी छोटी बातों से हम यह नापते हैं कि किस प्रकार का न्याय मिल रहा है। हमें देखने से मालूम होगा कि आज काफी यहां इन कोर्ट्स में भ्रष्टाचार है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज गरीब आदमियों को मजबूरन अपना काम करवाने के लिये पैसा रिश्वत देना पड़ता है। आज हम सभापति महोदय, जब यह बात करते हैं कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले और जल्दी केसेज के फैसले हों दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि कई केसेज में सालों गुजर जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सभापति महोदय, इसमें सुधार किया जाना चाहिये। हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। राज्य सरकार के सामने कई वार सभापति महोदय, जयपुर में हाइ कोर्ट के बैंच की स्थापना के लिये निवेदन किया जा चुका है। कई वार इस सदन में यह मामला माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया। अभी भी विधान सभा के 107 सदस्यों ने लिखित में प्रार्थना-पत्र दिया है मुख्य मंत्रीजी को और भारत सरकार को उन्होंने निवेदन किया है कि अगर जयपुर में बैंच रख दी जाय तो लोगों को काफी सस्ता और सुलभ शीघ्र न्याय मिल सकता है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि जयपुर के साथ साथ अगर राज्य

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सरकार कई और जगहों पर भी बेन्चेज खोले हाइकोर्ट की सभापति महोदय खोले तो खोल सकती हैं लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर है वहां तो कम से कम हाइ कोर्ट की बेन्च होनी चाहिये। यह बहुत बड़ा डिविजन है सभापति महोदय, और इसके होने से काफी लोग लाभान्वित होंगे। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से सभापति महोदय यह निवेदन है कि इस बारे में सरकार जरूर सोचे कि जयपुर में हाइकोर्ट बेन्च जल्दी ही खुल जाय। ऐसी मैं आशा रखकर चलता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर जरूर सोचेगी। सभापति महोदय, अगर जयपुर के अलावा भी इस प्रकार की बेन्चेज हाइ कोर्ट की रखी जावे तो काफी लोग लाभान्वित होंगे।

सभापति महोदय, मैं इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि वह यह है कि अभी बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने यह कहा था कि राज्य सरकार सिपाहियों का मैस अलाउन्स 40 की जगह 45 रुपये कर रही है यानि की पांच रुपये की बढ़ोतरी कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, यह पांच रुपये आज के जमाने में क्या वक्त रखते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें एक व्यवस्था यह भी होनी चाहिये कि जिस दिन छुट्टी हो और यह कान्स्टेबल्स जब अपने परिवार वालों से मिलने जावे और वहां अपने घर पर ही रोटी खा लेवें तो उस दिन के पैसे यहां पर नहीं जोड़े जाने चाहिये। उस दिन के पैसे डाइट के नहीं लगने चाहियें इतनी छूट तो उनको होनी चाहिये। इसके अलावा सभापति महोदय, आज हमारे प्रान्त से कान्स्टेबल की जो तनख्वाह है वह दूसरे प्रान्त के कान्स्टेबल्स की तनख्वाह से बहुत कम है हमारे यहां पर आज कान्स्टेबल को सिर्फ 70 रुपये दिये जाते हैं यह बहुत ही कम है। इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां के कान्स्टेबल का स्तर जो अभी नीचे है वह दूसरे प्रान्त के कान्स्टेबल्स के बराबर लाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। आज उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि वे बेचारे अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला सकते हैं। उनका पालन-पोषण ठीक तरह से नहीं कर सकते है। इसलिये वे बेचारे अपने बच्चों का पेट पालने के लिये यह करते हैं। इसके साथ ही सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां विधान सभा चलती है जब पुलिस के सिपाही यहां प्रहरी लगते हैं और रात को बहुत देर तक बैठे रहते हैं। आज उन्हें ओवर टाइम मिलता है। वे बेचारे दिन भर और रात को काफी देर तक बैठे रहने से यहां पर अपने ही पैसों से नाश्ता पानी करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इनको ओवर टाइम अलाउन्स मिलना चाहिये या कोई ऐसी व्यवस्था इनके लिये होनी चाहिये जिससे इनको राहत पहुंचे क्योंकि इन्हें कोई अलाउन्स नहीं मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा अलाउन्स मिलना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अभी समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। आज जो हमारे थानों में व्यवस्था है उसे और स्ट्रोंग करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, यह स्थिति है कि लोग दुर्गापुरा और सांगानेर के बीच गाड़ियों से उतर कर

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

चोरियां करके चले जाते हैं और पुलिस उन्हे पकड़ने में असमर्थ रही है। मेरा निवेदन है कि सभापति महोदय, आज इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर जयपुर जिले की पुलिस ऐसी नाकाबिल साबित हुई है कि इससे ज्यादा तो क्या होगा जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के आफिस से टाइपराइटर चोरी हो गया जो आज तक नहीं पकड़ा जा सका तो बेचारे दूसरे लोगों के घरों में चोरियां होती हैं उनकी कौन सुनेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरफ राज्य सरकार को ध्यान देने की विशेष जरूरत है। सभापति महोदय, आज जयपुर में सैंकड़ों की तादाद में करेप्शन के केन्द्र चल रहे हैं। आज हमारे जयपुर में सैंकड़ों जुए के अड्डे चल रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। यह सब काम पुलिस की निगरानी में है। लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि राज्य सरकार को चाहिये कि इस ओर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिये। इसके साथ में, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारे राजस्थान थाने कोंस्टीट्यूट हुए हैं वे बहुत ही पुराने जमाने के हिसाब से बने हुए हैं उनके एरिया को वापिस दुबारा रिकोन्स्टीट्यूट करने चाहिये। मैं आपको निवेदन करूं जामडोली और खारे जो कि सांगानेर थाने में लगते हैं वह बगरू के पास है उसे वहां नहीं रखकर बगरू में रखा जाना चाहिये क्योंकि अगर किसी को रिपोर्ट करनी होती है तो उसे आने में समय लग जाता है तथा पुलिस को भी इसमें कार्यवाही करने में देर लग सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसमें थाने के जो एरियाज हैं उन्हें रिकोन्स्टीट्यूट करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सभापति महोदय, अभी कुछ समय पहले हमारे विधान सभा के सामने पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था उसमें जनसंघ वालों की घुसपैठ से लोगों को उकसाया गया जिससे हुआ था।

(7.20 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, अब तो यह सदस्य इस बात पर आ गये हैं कि अब यह बच्चों को बरगला रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जयपुर में आदर्श विद्या मन्दिर की एड बन्द हो गयी तो आदर्श विद्या मन्दिर के टीचर्स ने उन बच्चों से कहा कि विधान सभा के बाहर चल कर धरणा दो वरना तुम्हारी हाजरी नहीं होगी। तो उपाध्यक्ष महोदय, आज जनसंघ वाले इस तरह की हरकतों पर आ गये कि जिससे छोटे बच्चों को फुसला कर राजनीति में फंसा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को सात आठ साल के उन्हें फुसलाया जाता है.... इस तरह से मैं कहूंगा कि राजनैतिक दल गलत तरीके से प्रोत्साहित करके लाठी चार्ज करवाने का काम न करें। आज सवेरे ही जिस मामले में ध्यान आकर्षण कराया था इसी प्रकार पनिशमेन्ट दे जिस प्रकार दी है तो निस्संदेह सुधार आयगा। यदि दबाया जायगा तो सदन में भी खुले रूप में कहने में संकोच नहीं होगा। मुख्यमंत्रीजी एवं गृहमंत्रीजी ने जो काम किया है वह बहुत

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सराहनीय है। जो पुलिस की बात होती है उस पर गम्भीरता से उनको सोचना चाहिये और छोटे कर्मचारियों को राहत पहुंचाने की जो बात कही है उसका उचित रूप से समाधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और न्याय प्रशासन ऐसे मामले हैं जो सारे समाज को एक तरह से नियन्त्रण में रखते हैं। पुलिस का जैसा रोल हमारे आन्तरिक मामलों में इसी से साफ जाहिर है कि इन्दिराजी ने सारे देश को कन्ट्रोल करने की चेष्टा की तो सबसे पहले उन्होंने गृह विभाग अपने हाथ में लिया और सारे प्रान्तों के मुख्य मंत्रियों को निर्देश दिया कि गृह विभाग वे अपने पास ही रखें फिर परिस्थितियों ने बहुत ज्यादा तादाद में सारे देश को अपने पीछे रख दिया तो फिर से इसको ढील देने की कोशिश करली और केन्द्र में नये गृह मंत्री की व्यवस्था कर दी। इसलिये अब यहां पर भी मुख्य मंत्रीजी किसी दूसरे मंत्री को गृह विभाग सौंप दें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन के कारण से ही अपराध और भ्रष्टाचार फैलते हैं। राजनैतिक कारण तो अन्य महानुभावों ने आपको बतला दिये। लेकिन सबोर्डिनेट्स पर जो प्रेसर पड़ता है उसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री के बोडी गार्ड हैं गनमैन उनको भैंस चाहिये थी, उनको लूट्ट के चौधरी की भैंस पसन्द आगयी। थाने में रिपोर्ट करा दी कि दो साल पहले मेरी भैंस खो गयी थी। अब उसका पता चल गया है वह लूट्ट के चौधरी के पास है। वह दिलायी जाय। उसको ले लिया। उसने कोर्ट से फैसला करा लिया। उस चौधरी को भैंस वापिस मिल गयी। लेकिन पुलिस की ओर से उस पर दबाव पड़ता रहा है कि भैंस दे दे नहीं तो खमियाजा उठाना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद भी उस गनमैन को सौंप देना पड़ा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गनमैन का नाम बता दीजिये।

श्री झाबरमल : नूंवा के हैं। मुख्य मंत्रीजी जानते हैं।

नीम के थाने में जिस प्रकार का ऐक्शन लिया आइ.जी.पी. साहब को धन्यवाद दूंगा कि 25 वर्ष बाद ऐसा स्टेप लिया जिससे शीर के लोगों को राहत मिली है। नीम के थाने का एरिया चम्बल के डाकुओं के एरिया से मिलता जुलता है। ऐसे भयंकर डकैत पकड़े गये जयपाल डकैत। रामपाल गूजर का मर्डर किया। उस छापे में जो चीजें बरामद हुई उनमें एक डायरी भी बरामद हुई जिसमें यह लिखा था कि पुलिस अधिकारी का परसेन्टेज बांधा हुआ था। रामपाल गूजर का मर्डर किया गया। उसमें तीन मर्डर तो आज भी फरार हैं। चोरियां भी बढ़ी है जिस तरह से पहले उन पर काबू पाया गया लेकिन अब जो यह बढ़ोतरी हो रही है उससे जाहिर है कि बदमाशों को काबू करने में ढील आगयी है। हर पांचवे चौथे रोज चोरियां हो जात

(श्री झाबरमल)

है और मरडर करने वाले आज वैसे ही घूम रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता था कि जिस तरह से कार्यवाही शुरू की गयी थी उस टोन में उसको चालू रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का महकमा ऐसा है कि जिस पर एक तरह सुरक्षा और दूसरी तरफ शान्ति इन दोनों का भार इन पर पड़ा हुआ है। बाड़ ही खेत को खाने लग जाती है तो खेत सुरक्षित नहीं रहता है। इसके लिये मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं। सारे समाज का सेट अप ही ऐसा हो गया है जिसमें यह भी बच नहीं सकता। इनको भी उसका शिकार होना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनको प्रेरित करती है वह यह है कि आज का समाज नैतिकता से हटकर भौतिकवाद की ओर चला गया है। भौतिकवाद में मनी मेटर्स महत्वपूर्ण होते हैं। जिस समाज में मनी मेटर्स महत्वपूर्ण हो जाय वहां भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है चाहे पुलिस विभाग हो या और कोई हो। क्या वह अलग रह सकता है ? नहीं। लेकिन मैं ख्वाहिश करूंगा कि जब तक समाज में ऐसा वातावरण न पैदा हो जाय तब तक पुलिस विभाग को ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना है।

सीकर का उदाहरण दूं। नये एस. पी. गये। नवयुवक हैं आयडियलिस्टिक भी है। उन्होंने जिस ऐफिशियेन्सी से काम किया अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगे। इससे जाहिर होता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि सब लोग समाज में शान्ति से रहने लग जायं। वह चाहती है कि कुछ न कुछ अव्यवस्था बनी रहे।

पुलिस में जिन चीजों की कमी है वह मिलनी चाहिये। सबसे पहला मुद्दा है वह यह है कि कान्स्टेबल को और पुलिस अधिकारी को 1861 में पुलिस एक्ट बना था तब से उसको 24 घंटे ड्यूटी पर समझा जाता है और उससे 24 घंटे काम भी लिया जाता है। माननीय सदस्यों मैंने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा। मैं भी कहता हूं कि जिस कान्स्टेबल से वह एक्सपेक्ट करते हैं कि वह 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे, होली, दीपावली और कोई त्यौहार हो, फिर भी वह 24 घंटे ड्यूटी पर तैयार रहता है। इसलिये सबसे पहली आवश्यकता है कि ड्यूटी के घंटे निर्धारित किये जायं और उनका पैसा बढ़ाया जाय। आज ग्रेजुएट्स कान्स्टेबल भर्ती होने लग गये हैं। उनको उनकी यूनियन बनाने का मौका दिया जाय जैसा आचार्यजी ने कहा कि यही एक संगठन बचा है जहां पर यूनियन नहीं है। यदि कान्स्टेबल पिसता रहा और जैसे ग्रेजुएट्स कान्स्टेबल भर्ती हो रहे हैं तो ये आपको मजबूर कर देंगे और फिर आपको मजबूर होकर यूनियन को मान्यता देनी होगी। इनकी यूनियन बनने के बाद आपको हैल्प हो जावेगी। आइ.पी.एस. आर.पी.एस. है, आपने बनाली है, यूनियन नहीं बनने देते हैं तो सहूलियत नहीं रहेगी और आपका अधिक इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

थानों में रिपोर्ट दर्ज होती है तत्परता से काम नहीं होता है क्योंकि साधन उनके पास नहीं है। जीप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप टेलीफोन से जोड़ दीजिये हरएक थाने को जिससे कि आपको हैड-क्वार्टर पर सूचना मिल जाय।

Page No 176

(176)

(श्री झाबरमल)

यह भी सुझाव दिये गये थे कि एन्टी-करप्शन को और सिविल पुलिस को अलग अलग रखा जाय । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि फील्ड में जो काम करते हैं इन्वेस्टिगेशन का उनको ला एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने वालों से अलग रखा जाय। जैसे राष्ट्रपति आ रहे हैं तो वे लोग सुबह वहां से चल देते हैं । पीछे वहां पर लूट हो या चोरी हो उसको कोई देखने वाला नहीं है । ला एन्ड ओर्डर मेन्टेन करने वालों के लिये अलग ड्यूटी मेन्टेन होनी चाहिये इसके साथ साथ जो शिकायतें की जाती हैं उनकी एफ. आइ. आर. दर्ज नहीं होती । इनीशियेटिव नया फार्मुलेट करने के लिये मेरा सुझाव है कि जिला हैड क्वार्टर में एस. पी. की अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी का गठन किया जावे जिसमें जन प्रतिनिधि भी शामिल हो जो इन सारी शिकायतों पर बैठकर विचार करें ताकि इनमें थोड़ी गति आ सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद न्याय प्रशासन पर भी मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा । इसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । हाइ कोर्ट की बैंच जयपुर में आनी चाहिये । इसका तो पुरजोर शब्दों में मैं स्वागत करता हूं कि यह बैंच हो जावेगी ।

पर जो सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, जिला हैड क्वार्टर हैं, तहसील हैड क्वार्टर हैं वहां पर अभी तक 150 के लगभग मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं और उनके पास मुकद्दमों की संख्या 1500 से दो हजार की है । जबकि एक व्यक्ति चार सौ से छः सौ तक के मुकद्दमों का फैसला कर सकता है । इससे अधिक उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती तो सबके लिये समय अमूल्य है । चार पांच साल अमूमन एक मामले में लग जाते हैं । इससे स्पष्ट है कि उनका वर्कलोड बढ़ गया है । तो इस ओर भी देखा जाना चाहिए और उचित समाधान इसका भी निकाला जाना चाहिए ताकि सभी मामले जल्दी फैसले हो जावें ।

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेण्डमेंट आवेंगे तब उनका वर्कलोड और बढ़ जावेगा इसलिए कहूंगा कि न्याय प्रशासन को ज्यादा गतिशील करने के लिये मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के कोर्ट ज्यादा बढ़ाने चाहिए । जब लोक-सभा की सीटें बढ़ सकती हैं, विधान सभाओं की बढ़ सकती है तो कोई कारण नहीं कि जनता को सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने हेतु मुंसिफ कोर्ट ज्यादा न बढ़ाये जावें ।

इसके अतिरिक्त एक बात और भी है मुंसिफ कोर्ट में देखा है कि मानों कुंभ का मेला लग गया है । एक रोज एक केस होगा तो पांच उनके साथ होंगे, मुंसिफ मजिस्ट्रेट को पता नहीं कि किसमें तारीख दे रहे हैं और किसमें बहस सुननी है । भारतीयजी वकील ने इसके लिये यह कहा था कि वे श्मशान में जाना ज्यादा पसन्द करते हैं बनिस्बत ऐसे कोर्ट में खड़े होने के, कोर्ट में मजिस्ट्रेट तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्का करना पड़ता है । बाजार में जैसे सब्जी मारकेट में भीड़ रहती है वैसी भीड़ इन कोर्टों में रहती है ।

उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : समय हो चुका है आपका ।

(श्री भाबरमल)

मैं तो अपने दल का एक ही सदस्य हूं। मैं ही सदस्य हूं, मैं ही नेता हूं। आज न्याय प्रशासन जिसे कहा जा रहा है मेरे अनुभव से इसे न्याय प्रशासन न कहकर कानून प्रशासन कहा जाय तो उचित रहेगा। यहां बहुत सी ऐसी दन्त कथाएं भी सुनी हैं। पहले के समय में न्याय देने के लिये न्यायकर्ता को स्वयं की बुद्धि का उपयोग करने की भी छूट होती थी जिसमें वह सही तथ्य मालूम कर सके और इस बात की चेष्टा भी करते थे। मशहूर चौधरी की बातें हम सुना करते थे देहातों में। वे लोग अपने विवेक का उपयोग भी करते थे और स्वयं चेष्टा करके यह जानने की कोशिश करते थे कि गलती कहां है। पर आज इस न्याय पद्धति में दो तरीके हैं। एक तो गंगाजली और दूसरा इवीडेन्स विटनेस जिसे आप कह सकते हैं। आज जैसा श्री जैन साहब ने भी कहा था विटनेस ऐसा हो जो विश्वास क्रिएट करता हो। पर आज के जमाने में जबकि हमारा मोरल स्टेन्डर्ड नीचे चला जा रहा है किसी को भी आप विटनेस के लिये खड़ा कर सकते हैं। आजकल गंगाजली को तो लोग मां का दूध समझने लगे हैं। गंगाजली लेकर भी झूंठ बात कहते बिलकुल संकोच नहीं करते। इसलिए न्याय प्रशासन को कानूनी प्रशासन कहें तो अधिक ठीक रहेगा। इसलिए इसका पुनर्गठन इसी तरह से किया जाय कि यह वास्तव में न्याय प्रशासन बने।

(7.35 सायं)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसीने चाहे मरडर किया हो, चोरी की हो, अगर वह अपने बयानों के अन्दर ठीक तरह से रहता है तो इसी आधार पर साफ बच जाता है। ऐसी सूरत में मौजूदा हालत में न्याय कर्ताओं की ओर भी अधिक जिम्मेदारी हो गई है सच्चाई का पता वे किसी तरह से लगावें। कठोर परिश्रम इसके लिए हम सबको करना पड़ेगा न्याय की प्रतिष्ठा को पुन: प्रतिष्ठापित करने के लिये।

यह कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक दो सदस्य और हैं। 7-45 बजे तक वे बोल लें। फिर सरकारी उत्तर हो जावेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो मिनिट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हैडिंग ही पढ़ूंगा केवल।

श्री अध्यक्ष : आपके बारे में धारणा है कि आप जो कहते हैं वही करते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : अभी अभी मैंने आंकड़े पढ़े कि हम इतने आगे बढ़ गये, इतने घट गये। मैं समस्या के मूल में जाना चाहता हूं। आगरा की एक स्टडी टीम की रिपोर्ट मैंने देखी। सोशियोलोजी वालों की स्टेडी का यह निचोड़ है। उसके आधार पर उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजों का जब आगरा में राज आया और थाने जब वहां बने तब क्या पोजिशन क्राइम की थी और उससे पहले क्या थी ?

इसके चार पांच क्राइटेरिया बताये डकैती रेप मरडर आदि। काफी स्टडी

(178)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

करने के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जहां जहां पर पुलिस के थाने पहुंचे यह हिस्टोरिकल स्टेडी है कि वहां वहां ये अपराध बढ़े ही नहीं बल्कि जहां नहीं होते थे अपराध वहां भी होने लग गये। मैं इनको भले ही नहीं मानूं। आप भले ही नहीं माने पर है यह हिस्टोरिकल फैक्ट और वैल प्लांड स्टेडी पर आधारित सोशियोलोजी टीम की स्टेडी का निचोड़। हमें यह देखना पड़ेगा कि पुलिस का क्राइम से क्या सम्बंध है। इसके लिये राजस्थान के लिये भी मेरा सुझाव होगा कि यहां भी एक सोशियोलोजी स्टेडी कराने की आप योजना बनायें तो इसका भी पता तो लग सके।

आगरे की यह स्टेडी बहुत डिस्टर्बिंग है वे स्पष्ट कहते हैं कि पहले ये क्राइम जहां नहीं होते थे वहां थाने जैसे ही गये वहां भी ये क्राइम होने शुरू हो गये।

अध्यक्ष महोदय, जोला और आर्डर का कन्सेप्ट है वह आज पुराना हो चुका है। आज नई नई परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं पुलिस को आज इन नई परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजस्थान में हुई एक दो तीन हड़तालों में मेरा भी सहयोग रहा है। उन पर से मैं कह सकता हूं कि जब से यह नई सरकार उदय में आई है पुलिस का अच्छा बर्ताव रहा। सवाई माधोपुर के बारे में मेरी जानकारी है कि जहां पिछली बार पुलिस ने सेठ का पूरा पूरा साथ दिया था इस बार वह तटस्थ रही उसने मजदूर और सेठ में भेद नहीं किया।

दूसरा मुझे अनुभव हुआ। रोडवेज की हड़ताल के अवसर पर। इस में भी पुलिस तटस्थ रही। चित्तौड़ में जरूर अलबत्ता कुछ सीमा तक पुलिस ने इन्टरफियरेन्स किया। तो यह जो परम्परा है मजदूर सेठों के बारे में या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में और हड़तालों के बारे में इस सरकार की जो इसने डाली है, इस परम्परा को मजबूत किया जावे। मजदूर अगर शांति से एजीटेट करता है, बिना किसी प्रापरटी को नुकशान किये या तोड़ फोड़ किये तो पुलिस ऐसे मामलों में अधिक से अधिक तटस्थ रहे इस परम्परा को मजबूत किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारा पुलिस का विभाग है उसके दो फंक्शन हैं मामलों का इन्वेस्टिगेशन का और फिजिकल फंक्शन इन्वेस्टिगेशन के विंग को और भी अधिक वैज्ञानिक आधार पर मजबूत करने की आवश्यकता है। सम्भव हो तो इसे बिलकुल अलग एक विंग बना दिया जाय। इसका सोशयोलोजी एस्पेक्ट भी है यह मानकर चला जाय। इसी तरह क्राइम के कन्ट्रोल के लिये नये नये वैज्ञानिक मैथड इवाल्व किये जायं।

आज डकैत भी नये तरह के हो गये हैं। आज आपके हमारे बीच में कई डकैत हो गये। वे आसानी से पकड़े भी नहीं जाते इस तरह से इन डकैतों को आसानी से पकड़ा जाय इस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन मशीनरी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जावे। क्राइम डिटेक्शन के नये तरीके अमल में लाये जावें। यहा मेरा नम्र निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, जो थानेदार के बारे में बात चलती थी। मैं आपको के. सी. पन्त जो हमारे भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मन्त्री हैं, उन्होंने बताया है कि आज

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

जो जनता का और पुलिस का मिलान होता है वह एस. एच. ओ. और कांस्टेबल के लेवल पर होता है। मुझे दुःख है एस. एच. ओ. की रेपुटेशन और बिहेवियर में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा इस बारे में कोई स्वस्थ परम्परा डाली जाय और कोई न कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जाय। आज एस. एच. ओ किसी को गिरफ्तार करता है तो वह कर सकता है और जो उसके टाइम का दायरा है उसमें वह जो करना चाहता है, कर गुजरता है।

पुलिस और जनता के इन्टर सेक्सन में कोई न कोई क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में कह दूं····

श्री अध्यक्ष : You have already taken three minutes more. I will not allow any more.

श्री मोहनलाल छंगाणी: फलोदी के बारे में मुन्सिफ कोर्ट नहीं है, जैसलमेर से आते हैं। हमने 6 महीने पहले भी चौधरी साहब को निवेदन किया था कि फलोदी में इसकी स्थापना की जाय ताकि न्याय मिल सके। अब चौधरी साहब कोई न कोई निर्णय ले और इस सदन में शुभ सूचना दें। दूसरी बात सब सदस्यों से कह दी है- कांस्टेबल की सैलेरीज के बारे में, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा इनकी सेलेरी स्कीम बढ़ाई जाय। जब यहां के कांस्टेबल 70) रुपया में पड़े रहते हैं तो उनकी तनख्वाह का स्तर बढ़ाया जाय और अगर यह नहीं किया गया तो वही बात बनी रहेगी। यहां के जो प्रहरी हैं मैं 7-8 महीने पहले भी निवेदन किया था आज भी उनको 8-9 बजेंगे। वे लोग कैन्टीन में खा नहीं सकते क्योंकि वेचारे गरीब हैं। कई एम. एलएज. ने भी आप को कहा है तो ऐसे समय में उनका हाइ ड्यूटी अलाउन्स बढ़ाया जाय। अध्यक्ष महोदय थाने के नियम भी बराबर नहीं है। उसी के लिये कहूं शेरगढ़ में और बेंचू में थाना है। शेरगढ़ में 80 हजार की आबादी पर है और बेंचू में 45 हजार है। थाने की व्यवस्था के बारे में अभी सवाल उठाया गया।

हाइकोर्ट की बेंच के बारे में, वह ऐसा मसला है जिसके बारे में बहुत ही ढंग से सोचकर कई कमेटियों ने, कई निर्णायकरूप में यह तय किया गया कि कोई कनफ्लिक्टिंग ओपीनियन नहीं हैं। राजनीति से अलग रहें। इस निर्णय के आधार पर जोधपुर में इन्टेग्रेटेड सीट कायम की गई थी। मैं यह मानकर चलता हूं जो हाइ कोर्ट के बेंच की बात कहते हैं, वे भी वैसे मेरे मित्र हैं और अगर बेंच की बात नहीं कही तो वकील लोग वोट नहीं दिलायेंगे।

(कई मा० सदस्यों के बीच में व्यवधान करने पर अध्यक्ष)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : नो। सरकारी पक्ष का उत्तर।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ··· मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : नहीं। विधि मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज न्याय प्रशासन के मांग

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

के विषय में 48 कट मोशन्स आये हैं और इनमें काफी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। उन सब विचारों को कट मोशन्स को देखकर मैं इनको 7 विभागों में विभक्त करता हूं। पहला है—

(1) Separation of judiciary from the executive.

(2) Delay in disposal and arrears of cases in courts.

(3) Cheaper and speedier justice.

(4) Corruption in courts.

(5) Creation of Highcourt Bench at Jaipur.

(6) Location of some posts in different parts of Rajasthan State.

(7) एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की शर्तें और इनके बारे में।

पहला पाइन्ट सेपरेशन के बारे में मेरा निवेदन है कि अपने संविधान की आर्टिकल 50 के नीचे यह दिया गया है कि भारतवर्ष में न्याय पालिका और कार्य पालिका को अलग अलग किया जाय। उसके तहत हमारे यहां जस्टिस बाफना की अध्यक्षता में सन् 1957 में एक कमेटी कायम हुई थी जिसने 58 में रिपोर्ट दी। जिसके मुताबिक एक्जीक्यूटिव आर्डर्स के जरिये 62 में 50 सब डिविजन्स में न्याय पालिका और कार्य पालिका को अलग अलग किया गया था। इसके बाद सन् 65 में चार और सब डिविजनों में इनको अलग अलग किया और सन् 69 में 23 और सब डिविजन्स राजस्थान में बने, उन सबको। इस तरह 83 जो राजस्थान में सब डिविजन्स है उनमें न्याय पालिका और कार्य पालिका का काम अलग कर दिया गया। इनमें आइ.पी. सी. और रेल्वे एक्ट के जितने मुकद्दमे हैं वे सब मुन्सिफ कोर्ट में होते हैं। एक्साइज एक्ट, फुड एडल्ट्रेशन के तहत और म्यूनिसिपल एक्ट उनका काम अब भी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करते हैं। इसके लिये एक दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज की सलेक्ट कमेटी बनी है और उसने एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बिल नया बनाया है जो अभी राज्य सभा में पास कर लिया गया है और लोकसभा में पेन्डिग है। उसके मुताबिक अबतक जितने अलग अलग किये गये थे वे एक एग्जीक्यूटिव आर्डर्स से किये गये थे लेकिन अब लेजिस्लटिव इनेक्टमेंट हो जाने के बाद वे दोनों कानून से अलग हो जावेंगे मेरे ख्याल से दो तीन महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरे खयाल से राज्य सभा में पेन्डिग होगा, लोक सभा में नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं, ऐसी बात नहीं है फाइनेन्स बिल ही पहले लोक सभा में ओरिजिनेट होते हैं बाकी कोई भी बिल राज्य सभा में ओरिजनेट हो सकता है।.... तो इसमें लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट के नीचे यह ज्युडिशियरी कार्य पालिका और न्याय पालिका के फंक्शन जुदा जुदा हो जायेंगे, फिर इस तरह की बात नहीं होगी। 107

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

और 145 के जुरिसडिक्शन है वही एस. डी. एम. में पास रहेंगे बाकी काम न्याय पालिका का रहेगा।

दूसरा सवाल डिले का है और एरियर्स का है। हमारे यहां जैसा आप सबको मालूम है सन 1961 में मनुष्य गणना में 2 करोड़ 2 लाख की आबादी थी जो आज 2 करोड़ 56 लाख के आस पास है लेकिन कोर्ट्स की तादाद वही है जो पहले थी। अब आबादी के बढ़ने से दूसरी वजहों से मुकद्दमे ज्यादा होने लगेंगे। आज 31 दिसम्बर, 1972 के आखिर तक जितनी कोर्ट्स हैं राजस्थान में उन्हें 1 लाख, 30 हजार, 965 मुकद्दमें बकाया थे। हमारे पास 132 कोर्ट्स मुन्सिफ की, 46 डिस्ट्रिक्ट जजेज की, 23 एडिशन सैसन जजों की और 18 कोर्ट्स सिविल जजेज की हीं। एक हाइकोर्ट है जिसमें 8 परमानेन्ट जजेज की पोस्टें हैं, पांच एडिशनल हाइ कोर्ट जजेज हैं जिनमें से आज दस हैं, तीन सीट खाली हैं और हाइ कोर्ट में जो बहुत ज्यादा केसेज हैं हिन्दुस्तान भर में एरियर्स बहुत बाकी हैं। ....तो हाईकोर्ट के एरियर्स की जांच करने के लिए, सुझाव देने के लिए एक एरियर्स कमेटी भारत सरकार ने मुकर्रर की है हाइकोर्ट्स के लिए जो कि सब जगह घूमी है और अपने सुझाव दिये हैं तो एरियर्स क्यों ज्यादा बढ़ते हैं इसके भी दो तीन मुख्य कारण बताये हैं। एक तो एक्सप्लोजन आफ पापुलेशन और दूसरे लिटीगेन्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जो अपने केसेज को अदालतों में दायर कर देते हैं और किसी न किसी बहाने से एडजोर्नमेंट्स लेते हैं। तीसरे जो अच्छे वकील हैं उन्हीं के पास केसेज आते हैं क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उनका केस अच्छा वकील लड़े। तो अच्छे वकीलों के पास जाने से वह केसेज कुछ ही हाथों में सेन्टर हो जाते हैं और वह पांच पांच अदालतों में जायें तो मुश्किल होता है और फिर वह एडजोर्नमेंट सीक करते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से डिले होती जाती है लेकिन इसमें भी कोशिश यह हो रही है कि इन केसेज को हम जल्दी से जल्दी किस तरह से साफ करें। वैसे तो जैसा मैंने पहले बताया कि 132 मुन्सिफ कोर्ट्स हैं, जैसा एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब 1,30,965 केसेज पेन्डिंग हैं तो एक एक हजार केसेज तो हर कोर्ट में बकाया होंगे। फिर हर महीने उनका इन्स्टीट्यूशन हो तो यह सम्भव नहीं है किसी भी मुन्सिफ के लिए इतने केसेज को ट्राइ करना और उनके ऊपर अपना ध्यान देना। तो सरकार इस पर पूरा विचार कर रही है पिछली साल भी हाइकोर्ट ने कम से कम 20 कोर्ट्स मुन्सिफ को देने की मांग की थी, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने मांग की है कि उनके इलाके में मुन्सिफ कोर्ट कायम की जायं लेकिन आर्थिक कमी के कारण हम और बढ़ा नहीं सकते। अब हम सोच रहे हैं, गम्भीरता से सोच रहे हैं कि किस तरह से हम कुछ कोर्ट्स को बढ़ायें जिससे लोगों को जल्दी से न्याय मिले।

श्री निरंजननाथ आचार्य: सब्जेक्ट टू दी आर्थिक स्थिति।

श्री रामचन्द्र चौधरी: यह तो है ही। डिले के बारे में जैसा मैंने अभी अर्ज किया हाइकोर्ट भी बहुत विजिलेन्ट है और चीफ जस्टिस और दूसरे जजेज भी जगह जगह

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कोर्ट्स का इन्सपेक्शन करते हैं, उनको देखते हैं और उन्होंने एक माप भी कायम कर दिया है कि इतने केसेज तो डिस्ट्रिक्ट जज, इतने केसेज ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज और इतने केसेज मुन्सिफ तय करेगा एक ही महीने में और अगर उसका काम क्वान्टिटी और क्वालिटी के लिहाज से उतना नहीं होता तो उसके खिलाफ रिमार्क्स होते हैं और कम्युनिकेट होते हैं। इसके बिना पर बहुतसों को सुपरसीड भी किया जाता है। तो इस तरह से हर किस्म से यह कोशिश की जा रही है कि डिले नहीं हो और लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले और ओल्ड केसेज के लिए तो हाइकोर्ट ने यह भी कर रखा है कि जो ओल्ड केसेज हैं उनकी डे टू डे प्रासीडिंग्स की हर महीने रिपोर्ट की जाये तो 'एवी पासीबल केयर इज टेकन' की देरी नहीं हो और सही तरीके से काम जुडीशरी का चले जिससे लोगों को राहत मिल सके।

तीसरी चीपर एण्ड सुपीरियर जस्टिस के लिए कटमोशन्स हैं और सदन के माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अपने अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। इसके लिए मैं यह मानता हूं कि इस समय जो जस्टिस हम दे रहे हैं वह बहुत महंगा है लेकिन उसमें ज्यादा बड़ा भाग तो हमारे साथियों का है जो कि बहुत से वकील हैं। याने गवर्नमेंट का इतना खर्चा नहीं होता जितना उनकी फीस में। इसको तो हम अवोइड नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य: इसको इल्यूमिनेट करके फिर कह दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसके अलावा हम यह कोशिश कर रहे हैं कि एक सिविल प्रासीजर कोड का अमेन्डमेंट भी भारत सरकार के जेरतजवीज है जिसमें यह सुझाव आया है कि किस तरह से जो लाल फीताशाही है उसको कम करके लोगों को राहत दे सकते हैं और चीफ जस्टिस दे सकते हैं। तो इसके लिए पूरी तरह से भारत सरकार भी जागरूक है और अपनी सरकार भी जागरूक है। हम और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से स्पीडी जस्टिस मिले और चीपर जस्टिस मिले।

चौथा पाइन्ट आपका 'करप्शन इन कोर्ट्स' है। इसके बारे में मेरा यह मान्यता है कि जुडीशरी में और महकमों के बजाय करप्शन कम हैं। जैसा कि अभी हाइकोर्ट के लिए या दूसरी कोर्ट्स के लिए जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां करप्शन नहीं है। लोअर कोर्ट्स में जहां भी शिकायतें आती हैं, मैं यह नहीं कहता कि निर्मूल नष्ट है लेकिन उसको भी रोकने के लिए एक हायर जुडीशरी का सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज को रजिस्ट्रार विजिलेन्स पोस्ट किया हुआ है जो कि सरप्राइज विजिट करता है कोर्ट्स की' कोई कम्पलेन्ट आती है तो उसको देखता है और इसमें कार्यवाही भी करता है और इसके अलावा चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिसेस भी मुफस्सिल कोर्ट्स का दौरा करते हैं और लोगों की शिकायतें सुनते हैं और कोई ऐसी शिकायतें उनके नोटिस में आती है कि कोई आदमी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, बेईमानी कर रहा है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेता है। मैं परसों ही चीफ जस्टिस साहब से यहां मिला था तो मैंने यह सारी बातें बताई थीं कि हमारे पास कटमोशन्स भी आये हैं और बहुत से माननीय सदस्यों का विचार भी है····

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप क्या जवाब दें यह पूछा होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : .... कि जुडीशरी में करप्शन है। जुडीशरी एक ऐसा महकमा है जिसमें करप्शन नहीं होना चाहिए....

श्री मोहनलाल छंगानी : पुलिस वाले चिल्लायेंगे साहब।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपकी तरफ से दूसरे महकमों में छूट है ? होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : और मेरे साथी आजिक पढ़े हुए होते तो यह ऐतराज नहीं करते। मेरा यह मतलब नहीं है कि किसी को छूट हो लेकिन जुडीशरी इतना पवित्र पेशा है कि इसकी इम्पोर्टेन्स यह है कि इसको कान्स्टीट्यूशन से भी अलग रखा है और सब तरह से हम इसको इन्डीपेन्डेन्ट मानकर चलते हैं और आपने भी जुडीशरी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के, हाइकोर्ट के देखे हैं कि वह किसी के बन्धन में नहीं, किसी के अधीन नहीं और अपनी इन्डीपेन्डेन्ट ओपीनियन देते हैं। ऐसी संस्था है उसमें तो मैं समझता हूं कि अगर कोई भी डिस-आनेस्ट' आदमी है तो वह संस्था को कलंक लगाता है' इसलिये मेरा निवेदन यह करना था कि जुडिशियरी में किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचार हो तो वह हमारे लिये ही नहीं हमारे देश के लिए कलंक की बात है और इसको हमें सीरिअसली लेना चाहिए....

श्री मोहनलाल छंगाणी : चीफ जस्टिस ने क्या कहा ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : कट मोशन्स के सम्बन्ध में क्या कहा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : चीफ जस्टिस से बात की। उन्होंने कहा, मैं हर जगह हर मुफस्सिल कोर्ट में छ: महीने, आठ महीने में जा-जाकर देखूंगा कि कहां पर हमारे आफिसर कैसे हैं और जो भी गिल्टी आफिसर पाया गया, जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं पायी गई, उसको मैं देखूंगा....

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आगे आगे देखिये, होता है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पांचवा पाइन्ट है, क्रियेशन आफ ए हाइ कोर्ट बैंच...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इन जयपुर।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन जयपुर, और तो कहां ...

श्री निरंजन नाथ आचार्य : भूल से आप उदयपुर न कह दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अलवर, अजमेर, सब जगह कर दें साहब।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप सब लोगों को यह तो मालूम है, एक सत्यनारायण राव कमेटी सन् 1957 में बनी थी, 1958 में उसने रिपोर्ट पेश की। उसको यह सौंपा गया था कि हाइ कोर्ट की सीट कहां होनी चाहिए और बैंचेज कहां होनी चाहिए। दीज वर द पाइन्ट्स आफ रेफरेन्स टू देट कमेटी। उस कमेटी ने कहा था, राजस्थान में हाइ कोर्ट की सीट एक होनी चाहिए जोधपुर में...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उसके तो राजस्थान की राजधानी के बारे में प्रश्न सौंपा गया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : हाइ कोर्ट का क्वेश्चन भी था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं बता रहा हूं, उसकी बिना पर, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोधपुर में हाइ कोर्ट की सीट कायम की गई। तब से लेकर अब तक इस पर भिन्न भिन्न लोगों के···

श्री निरंजननाथ आचार्य : मत-मतान्तर।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मत चलते रहे हैं····

श्री मोहनलाल छंगाणी : राजनैतिक कारणों से।

श्री रामचन्द्र चौधरी : काफी उत्तेजना-पूर्ण वातावरण भी रहा····

श्री प्रद्युम्नसिंह : सबकी स्पष्ट राय है कि यहां पर सीट हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 132 एम.एल.ए. ने दस्तखत करके दिये है, उसके बारे में क्या कहते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सिगनेचर जिनसे करवा लिये, उन्हें मालूम नहीं है किस पर किये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसके बारे में सुन लीजिये। कई सदस्यों ने बताया कि 133 ने कहा कि जयपुर में बेंच होनी चाहिए कभी 127 ने कहा, कभी 123 ने कहा, कई सदस्यों ने अपने अपने मत दिये हैं कि जयपुर में बेंच होनी चाहिये, तो जो पालिटिकल प्रेसर या राजनैतिक प्रेसर है, वैसे तो परि-स्थितियोंवश बहुत से काम होते हैं, लेकिन एज फार एज मेरिट ग्राफ द केस आर कन्सर्न्ड, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि एक तो राजस्थान के एरिया को छोड़िये, राज-स्थान इतना बड़ा प्राविन्स नहीं हैं जिसमें आप कोई बेंचेज कायम कर लें। एरिया तो बहुत बड़ा है, आबादी इतनी ज्यादा नहीं है और न हमारे साधन है······

श्री प्रद्युम्नसिंह : केरल में बैंच है, केरल हमसे छोटा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सुन लीजिये, अगर एक जगह ही हाइ कोर्ट की सीट होती है तो उसमें जो बार है वह डवलप होती है, और जगह जगह बेंच बना दें

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह चौधरी जी ने नहीं कहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो इतनी बढ़िया बार आपकी नहीं होगी। दूसरा कारण यह है कि कुछ आनरेबल जज ऐसे होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है केसेज में, जैसे इन्कम टेक्स ला है, सेल्स टैक्स ला है, इलेक्शन पिटीशन ला है, कम्पनी ला है। अगर आपकी हाइ कोर्ट की एक सीट होगी तो उसमें कोई न कोई जज स्पेशलाइज करेगा। जब भी कोई ऐसा केस सामने आयेगा तो वह वहां होंगे···

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सब पर लागू होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : केरल सरकार ने नहीं माना है इस सिद्धान्त को, केरल की

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आबादी की राजस्थान से आप तुलना करलें, वहां पर भी बेंच हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नई बेंच बना रहे हैं अन्य प्रान्तों में उनमें क्यों बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को सुन लें।

श्री खेतसिंह : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि बीच बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र चौधरी : बेंच हो जायेगी तो स्पेशलाइजेशन जो जज करते हैं, वह हाइ कोर्ट के टुकड़ों में बंटने से नहीं कर पायेंगे क्योंकि हर जगह पर स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते।

तीसरी बात लायब्रेरी की है। जो माननीय सदस्य वकील रह चुके हैं वह जानते होंगे कि लाइब्रेरी का लोयर से कितना ताल्लुक है। जब एक केस को लेकर बैठते हैं तो जो अच्छे वकील हैं उनकी लाख, दो लाख की अच्छी लायब्रेरी होती है लेकिन फिर भी कानून की किताब तलाश करने लगते हैं तो उनकी लायब्रेरी में नहीं होती हैं। इसलिए एक बहुत बढ़िया लायब्रेरी बनानी है, डवलप करनी है तो वह एक जगह हो सकती है, जगह जगह नहीं बन सकती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मोबाइल कर दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बढ़िया लाइब्रेरी एक जगह होनी चाहिए। आइ एम टेलिंग यू।

अब सवाल आया, एक आर्गुमेंट दिया बहुत से माननीय सदस्यों ने एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है जोधपुर में जाना। धौलपुर वाले प्रद्युम्नसिंह हैं

श्री फूलचन्द जैन : इनको नहीं जाना पड़ता।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोटा वाले हैं

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा कितनी दूर पड़ता है जोधपुर से।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं बड़े आदमियों की बात नहीं कहता, वह कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैं बात करता हूं कॉमन मैन की। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जो समाजवादी समाज का मानने वाली सरकार है, वह कैसे इन गरीबों के खर्चों को बढ़ावा देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं हाइ कोर्ट में सिर्फ अपील होती है, कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाइ कोर्ट में नहीं है। इसलिए जो खर्चा है गवाह लाने का डाकूमेंट पेश करने का, वह ओरिजिनल कोर्ट है वहां पर हो जायगा अब आप यदि धौलपुर से यहां चल कर आयेंगे तो आपके दस रुपये तो खर्च हो गये। जोधपुर है आगे, वहां चलकर जायेंगे तो दस और खर्च हो जायेंगे। तो दस रुपये में कैसे ज्यादा खर्च होता है। दूसरी बात है कि न्याय महंगा होता है तो वकीलों की फीस से और दूसरे खर्चे से, इसलिए यह कहना माननीय सदस्यों का गलत है

श्री प्रद्युम्नसिंह : बार बार पेशी पर जाना पड़ता है उससे ज्यादा खर्च होता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपके केसेज कितने चल रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गवाहों को ले जाना पड़ता है, उसमें खर्च होता है। मैं निवेदन करता हूं, सस्ता न्याय देने के लिए हाइ कोर्ट की बैंच यहां स्थापित करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा निवेदन सुन लीजिये, एक बार····

श्री खेतसिंह : आपकी पार्टी के नेता क्या कहते हैं···

श्री अध्यक्ष : Proceed further.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिए-यह मेरी मांग है।

श्री खेतसिंह : आपके नेता से पूछ लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक बात धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, गरीब आदमी वहां कैसे पहुंचेगा। इसमें गरीब का सवाल नहीं है, गरीब बेचारे के तो नीचे मुकदमे रह जाते हैं···

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : हाइ कोर्ट बहुत खर्चीला पड़ता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हाइ कोर्ट ऐसा नहीं होता कि हर तरह के मुकदमे वहां पहुंच जायं, वहां सलेक्टेड मुकदमे पहुंचते हैं। हर तरह के केसेज हाइ कोर्ट में जाने लगें तो अभी दस हजार मुकदमे पेंडिंग हैं वह बीस हजार हो जायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप ना कह दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब लोकेशन के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है···

श्री निरंजन नाथ आचार्य : रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट देकर एक गुदगुदी पैदा कर दी है कि यहां पर भी होनी चाहिए बैन्च, इसके सम्बन्ध में भी आप कह दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : शुरू में ही अर्ज कर दिया है। पोलिटिकल प्रेशर में कोई भी परिस्थिति पैदा हो सकती है लेकिन जो मेरिट्स है वह मैने यहां पर रख दिए हैं।

एक बात जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कही है कि पी. एस. सी. के इन्टरव्यू में जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट के लिए होते हैं उसमें हाइ कोर्ट के जज को नहीं बुलाया जाता है और इसलिए लोगों के साथ इन्साफ नहीं हो पाता है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। उनके न आने का कारण मैंने पहले भी निवेदन किया था। हर महकमे के जो हैड्स है उनको इन्टरव्यु के लिए बुलाते हैं। आर. ए. एस. में उनको और आर.जे.एस. में हाइ कोर्ट के जज को। लेकिन उन्होंने एक बात कही, हाइ कोर्ट के जज आएंगे तो जो पी. एस. सी. का बोर्ड बैठेगा उसके वे चेयरमैन होंगे। यह तो सिलेक्शन का काम है और वह पी.एस.सी ही करती है। हाइ कोर्ट के जज आते हैं एज ए मेम्बर आफ दी बोर्ड, एज एक्सपर्ट्स आते हैं इसलिए उनको चेयरमैन नहीं बना सकते है। चेयरमैन तो वही होगा जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बैठेगा, वही उसका चेयरमैन होगा। इसलिए हमारे सामने दिक्कत आई लेकिन फिर भी हाइ कोर्ट के चीफ जस्टिस

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

जगतनारायण जी और छंगाणी जी रिटायर्ड हो चुके हैं, इन दोनों से आप पूछ सकते हैं। हमने उनसे कहा है कि यह आप लोगों का काम है, आप इसमें हमारी मदद करें ताकि बेस्ट से बेस्ट मुंसिफ कैडर को सिलेक्ट कर आपको दे सकें। आप लोग नहीं आते हैं तो हमारी मजबूरी होती हैं और अपने बेसिस पर ही सिलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने बाद में मान लिया कि सिलेक्शन में आदमी भेजेंगे, चाहे वे किसी को भी भेजें। बोर्ड का चेयरमैन तो पी.एस.सी. का मेम्बर ही होगा, इसको उन्होंने मान लिया है। लेकिन जब मुंसिफ मजिस्ट्रेट का इन्टरव्यू होने लगा तब फिर उनको बुलाया कि आपको आदमी, जज भेजिए। उन्होंने कहा कि आपके इन्टरव्यू में एक-डेढ महीना लगेगा और इतने दिन हाइ कोर्ट जज को वे स्पेअर नहीं कर सकते हैं इसलिए वे नहीं आ रहे हैं। आप चाहें तो यह बात जगतनारायण जी से पूछ लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बेकलाग को रिमूव करने के लिए कोई न कोई रास्ता तो निकालना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमने कर दिया है और उन्होंने मान लिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बात सुपरगेसी की है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हाइ कोर्ट के जज इन्क्वायरी में लगा दिए जाते हैं। दो जज इलेक्शन पिटीशन में लगा दिए हैं इसलिए सारा काम सफर हो रहा है। एक-दो महीने इन्टरव्यू में लग जाते हैं तो एक जज को वहां लगाना होता है इसलिए वे इतने दिनों के लिए किसी जज को स्पेअर नहीं कर सकते हैं।

पी. पी. के अपाइन्टमेंट के बारे में भी यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा है। हम हमेशा पी.पी. का अपाइन्टमेंट डिस्ट्रिक्ट जज की सिफारिश और उस पर रिकमन्डेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, उस पर करते हैं। नियमों में यह दिया गया है। उसके मुताबिक तीन आदमियों का एक पेनल आ जाता है और उसमें से अपाइन्टमेंट करते हैं। अब जो गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट की बात है उसमें हम हमेशा हाइकोर्ट की राय से करते हैं। अब जो क्रिमीनल प्रोसीजर कोड आ रहा है, उसमें यह कानून बना दिया है कि गवर्नमेंट एडवोकेट को हाइ कोर्ट की राय से अपाइन्टमेन्ट किया जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है।

यहां पर एडवोकेट जनरल के आफिस के बारे में भी बात चीत हुई थी। तो इसमें यहां पर कन्डीशन के बारे में कहा है। मुझे कन्डीशन के बारे में मालूम नहीं ऐसी बात नहीं है इसलिए आफ हैन्ड नियुक्ति की टर्म्स बनाऊं यह ठीक न होगा कहूंगा। क्या कन्डीशन है यह तो याद नहीं है लेकिन जो कन्डीशन तय हुई थी उस वक्त मुझसे भी पूछा गया था। सी. एम. ने और हमने तय की है। उन्होंने यह कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करता हूं जो एडवोकेट जनरल के काबिल केसेज हो उनको मेरे पास भेजिए। आपके सुप्रीम कोर्ट के केसेज को मैं डील करूंगा और जो हाइ कोर्ट के केसेज हैं उनको भी देख लूंगा और एडवाइज के रूप में रिटेनिंग फी एक रुपया लूंगा और 1500/-

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

रुपये की तनख्वाह नहीं लूंगा। इस तरह की कन्डीशन बताई थी। वे आल इन्डिया फेम के आदमी हैं। इस वक्त ज्यादा काम हमारा सुप्रीम कोर्ट से पड़ता है। हाइकोर्ट के केसेज में भी उनको बुलाते हैं। इसलिए जो कन्डीशन तय हुई है वे तो मेरी और मुख्य मंत्री जी की राय से ही तय हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि कानून के खिलाफ हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आफिस कहां रहेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके लिए हम सोच रहे हैं। इस तरह से माननीय सदस्यों ने जो कटमोशन रखे हैं, उन पर आपने विचार व्यक्त किए हैं उसका मैं जवाब दे चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य एक मत से ला की न्याय प्रशासन की जो डिमान्डस है उनको पारित कर देंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान (कारागार मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कारागार के सम्बन्ध में लगभग 27 कटमोशन दिए गये है और कुछ माननीय सदस्यों ने इनके सुधार के सम्बन्ध में सदन में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बातें शिकायतों के रूप में आई और कुछ जेलों में किस प्रकार का सुधार किया जाए, जेलों का कार्य किस प्रकार अच्छा किया जाये इस सम्बन्ध में अपने विचार सदन के सामने रखें। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में, माननीय सदस्य श्री शास्त्री जी जो कि उदयपुर से आए हैं, उन्होंने दो-तीन बातें गम्भीरता की बताई है। सबसे पहले मैं उनकी बात का ही उत्तर देना चाहूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सज्जनं प्राम वन्दे।

श्री ओंकारलाल चौहान : आपने चूरू, अजमेर और धौलपुर जेल के सम्बन्ध में यह कहा है कि यहां से कैदी भाग गए। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू में 6-7-72 को घटना घटी और इस सम्बन्ध में श्री मालमसिंह हैड वार्डर, असिस्टेन्ट जेलर मोहम्मद इब्राहिम इनको जांच कर सजा दी गई है।

अजमेर जेल के सम्बन्ध में जो पाकिस्तानी नेशनल के बारे में बताया गया है उस सम्बन्ध में जो व्यक्ति दोषी थे उनको सजा दी गई है और उसके लिए 6 एम्प्लाईज को सस्पेन्ड किया गया है जिसमें एक असिस्टेन्ट जेलर था, हैड वार्डर और तीन वार्डर थे और अभी भी इसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चल रही है और इस सम्बन्ध में पुलिस में केस भी दर्ज करा दिया गया है। इनकी इन्क्वायरी चल रही है।

धौलपुर जेल के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। जो कैदी वहां से चले गये उस सम्बन्ध में हैड वार्डर भगवानसिंह जो था उसका चालान कोर्ट में किया गया और उसको सस्पेण्ड भी किया गया है। इस तरह से यह जो तीन जगहों की बात थी इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। कुछ सुझाव जेल के सम्बन्ध में क्या होने चाहियें

(श्री ओंकार लाल चौहान)

सुधार आये हैं। मैं समझता हूं कि 25 सालों के पहले और इन 25 सालों के अन्दर जेलों में काफी सुधार हुए हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने शिक्षा के संबंध में, कुछ तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में और कुछ व्यवहार के सम्बन्ध में ध्यान खींचा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक जेल के अन्दर व्यवहार का सवाल है वह काफी अच्छा रहा है, और आज तक ऐसी शिकायत पैदा नहीं हुई है कि आज तक कोई असन्तोष वहां पर इस बारे में पैदा हुआ हो। शिक्षा के सम्बन्ध के बारे में परीक्षाएं जो होती हैं मैं समझता हूं कि वहां वे बन्दी लोग उनमें बैठते है और कई परीक्षाएं उन्होंने वहां पर पास की है।

सबसे अच्छा जो काम मैं समझता हूं जेलों में हुआ है वह ओपन एयर कैम्प्स में हुआ है। राजस्थान के अन्दर चार जगहों पर ओपन एयर कैम्प्स चालू किये गये हैं और पांचवां जैतसर जेल में किया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसे कैम्प्स में लोग वहां पर जाते हैं और खेती-बाड़ी और अपना धन्धा करते हैं। कोई खर्चा नहीं होता है और स्वयं अपना जीवन-यापन करने के लिए काम करते हैं....

श्री केदारनाथ : एम.एलएज. को भी वहां रखना चाहिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : एम.एल.ए. साहबान को देखना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके साथ चलेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : इसलिए माननीय सदस्या जो चित्तौड़ से आई हैं उन्होंने ओपन एयर कैम्प्स के बारे में कहा है कि वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं समझता हूं कि उनकी राय उचित प्रतीत नहीं होती है। आप देखेंगे कि कम से कम उनको एक सुविधा है कि वे अपने परिवार के साथ वहां पर रह सकते हैं और अपना काम काज ठीक प्रकार से चला सकते हैं।

एक बात और सामने आई है और माननीय सदस्य ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे छूटने के बाद वे अपना जीवन यापन करने के सम्बन्ध में आगे बढ़ सकें। इस संबंध में जेलों में फैक्ट्रीज हैं। उनके अन्दर कई प्रकार की तकनीकी शिक्षा दी जाती है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह पढ़ कर सुनाता हूं कि क्या क्या तकनीकी शिक्षायें दी जाती हैं-कपड़ा बुनाई, बढ़ई गिरी का काम, चर्म-उद्योग, गलीचा उद्योग, दरी बनाने का उद्योग, मशीनी सिलाई का काम, रंगसाजी का काम, साइकल, स्कूटर रिपेयरिंग वर्क, बैण्ड बाजा, इत्यादि का वर्क। यह मैं प्रसन्नता की बात मानकर चलता हूं कि उदयपुर और जयपुर का बैण्ड इतना अच्छा कारागार का है कि वह जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है, जाता है। उसकी आधी कमाई उनको मिलती है और आधी कमाई जमा होती है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जेल से छूट कर जायेंगे तो बाहर भी बैंड बजाते रहेंगे। वह तो पुराना काम है नया काम सिखाइये।

श्री ओंकारलाल चौहान : भार्गव साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं

(श्री ओंकार लाल चौहान)

कि कोई काम जिसमें जीवन में श्रम का महत्व बढ़ता है उसकी तारीफ करनी चाहिये कि श्रम से काम करके जिन्दा रहते हैं। क्या आपकी यह मन्शा है कि श्रम न हो और उसी जगह पर बैठे रहें। कलप्रिट की हैसियत से आये थे और उसी हैसियत से बाहर जायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उदयपुर में प्रारम्भ किया है इस प्रकार के अच्छे नये काम शुरू करें।

श्री अध्यक्ष : Please don't disturb.

श्री ओंकारलाल चौहान : इस प्रकार के तकनीकी कामों से वहां के कैदियों की हालत में सुधार हुआ है। साइकल और स्कूटर के रिपेयरिंग का काम उदयपुर में चल रहा है और उसके अन्दर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसमें भी पहले से काफी प्रगति हुई है और वह लोग प्राइवेट काम करते हैं और उस काम में फायदा भी हुआ है।

इसी प्रकार से पढ़ाई यानी शिक्षा की बात चल रही है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति, वर्धा के अन्दर कई जनों ने परीक्षाएँ दी हैं। 45 लोगों ने परीक्षाएं दी हैं। इसी प्रकार से बम्बई हिन्दी विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठे हैं। इस प्रकार से एक एक कार्यक्रम चल रहा है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जो बन्दी वहां पर जाता है उसकी प्रगति होती है और उसको सुधारने की कोशिश की जाती है।

श्री केदारनाथ : जब से आप जेल मंत्री बने हैं, भार्गव साहब जेल में नहीं गये हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं दावत देता हूं वे जरूर पधारें। (बहुत जोर से हंसी) मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपके साथ चलूंगा तो अच्छा होगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : अवश्य मैं चलने को तैयार हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि जेलों के संबंध में

श्री केदारनाथ : अब मान गये साहब। डिमाण्ड पास हो जाय।

श्री ओंकारलाल चौहान : शिक्षा का जहां सवाल आया था तो कहा था कि कितने लोग उसे जीवन में अपनाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ और प्रगति आनी चाहिए और इस प्रकार से भी कार्य होना चाहिए कि जिससे हम यह समझें कि कुछ आगे हम करना चाहते हैं जैसे कि तकनीकी शिक्षा में टेलरिंग का काम है या दरी बनाने का काम है, गलीचे बनाने का काम है उसमें यहां से जाने के बाद में उनको ऐसे साधन नहीं मिलते हैं जिससे उनका आगे का काम चल सके। इसलिए राज्य सरकार के यह विचाराधीन है कि अगर उनको कुछ लोग इस प्रकार का मिल जाय कि जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें, जैसे कि उनको सिलाई की मशीन दी जाय जिससे

(श्री ओंकारलाल चौहान)

वह अपना साधन करके जीवन चला सकें। रोजी के लिए उनको साधन मिल जायं तो उससे भी वे अपना गुजर कर सकते हैं...

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह माननीय मुख्यमंत्रीजी से कह रहे हैं सब सुझाव।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह अपने विचार प्रकट किये जा रहे हैं कि इस प्रकार की अगर योजना हम चालू करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इसमें प्रगति कर सकते हैं। उनको रिहेबिलिटेट करने की अत्यन्त आवश्यकता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब छोड़ दें। मांग पास करा लें।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं माननीय अध्यक्ष, एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें जेलों के संबंध में अपनाई हैं और जितने भी सुझाव आये हैं उनको पूरा ध्यान में रखा जायगा और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन को पूरा करने में कुछ भी हो सकता है उसके संबंध में किया जायगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि जेल की जो डिमाण्ड है उसको पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गृह मन्त्रीजी।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे भी इस सदन में 17 साल से ज्यादा होगया लेकिन आज पहली मर्तबा पुलिस के बारे में कन्स्ट्रक्टिव सुझाव भी आये हैं, उनकी प्रशंसा भी की है, जहां क्रिटिसिज्म होना चाहिए था वहां पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, और उसके साथ-साथ एक हमदर्दी दिखाई और ऐसा महसूस करवाया कि भारत की पुलिस भी है और राजस्थान की पुलिस भी है तो राजस्थान की पुलिस जनता से दूर नहीं है। इसके साथ साथ कुछ बहुत अच्छे सुझाव आये हैं और उन सुझावों के बारे में मैं अपना उत्तर देना चाहता हूं।

मिसाल के तौर पर कमीशन के बारे में एक सवाल आया। मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था कि एक कमेटी हम लोग नियुक्त कर रहे हैं। वह कमेटी नियुक्त होगई। उसको यह जो टर्म्स आफ रेफरेन्स दिये गये थे उसमें यह भी था कि जो पुलिस कमीशन्स कि रिपोर्ट्स आई है उनको पढ़ें, और उसके साथ-साथ राजस्थान की मुकामी हालत है उनको देखें और उनको देखने के बाद आवश्यक सुझाव दें। मैं पुलिस कमीशन का स्वागत करता हूं, लेकिन डर यह लगता है कि पुलिस कमीशन बैठाया तो साल दो साल लग जायेंगे, लेकिन और हम इस रिपोर्ट के ऊपर अगले साल जब इस डिमान्ड को लेकर आयेंगे उस वक्त तक इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि उसमें जो कमियां हैं या कमजोरियां होंगी और उन कमियों और कमजोरियों पर सदन के माननीय सदस्य जो भी राय देंगे और जिनके ऊपर अमल कर सकते हैं उन पर यकीननतौर पर अमल करेंगे।

इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि सिपाहियों का 5 रुपये का जो लोकल एलाउन्स था वह बढ़ाया गया है और इसके कारण 20 लाख

Page No 192

(192)

(श्री बरकतुल्ला खां)

रुपया सालाना का खर्चा राजस्थान के ऊपर आया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सदन के अन्दर एक वातावरण बना है कि उन लोगों को रुपये मिलने चाहियें। मैं यहां, माननीय अध्यक्ष, आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अभी रूल है उसमें एमेंडमेंट करके उस रूल विथ कर लेंगे कि जिसके कारण बाहर रहने के ऊपर पूरा नहीं मिलता था और एक मिकदार के अन्दर उनको वहां डाइट खानी पड़ती थी वह विथड्रा कर लेंगे।

(करतलध्वनि)

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष, कुछ बातें यहां पर आई खासतौर से ब्लेक दिसम्बर के बारे में और मुस्लिम लीग और दूसरी धार्मिक संस्थाओं के बारे में जो पोलिटिक्स में हिस्सा लेती है। जहां तक ब्लेक दिसम्बर का संबंध है उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी ड्यू प्रिकाशन है वह हमने ले ली हैं, लेकिन जो लोग यह चाहते हैं कि हमें डराकर, धमका कर या चिट्ठी लिखकर या टेलिफोन करके हमें पर्दानशीन औरतें बना दें उसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पुलिस जागरूक है और पुलिस इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि इन तमाम चीजों को समझें और कौन लोग इनके पीछे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन लगता ऐसा है कि एक तरीके की साजिश है और यह साजिश इसलिए की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को घबराया जाय, एडमिनिस्ट्रेशन को घबराया जाय और इस तरीके का वातावरण बनाया जाय कि लोगों का दिमाग हटकर इसकी तरफ आ जाय मैं समझता हूं कि जो गलत है। लड़ाई हुई थी और हमने जमकर मुकाबला किया और घर के अन्दर छुरा भोंकना चाहते हैं तो चाहे कोई भी लोग हों उनका मुकाबला होगा और शक्ति से मुकाबला होगा और ताकत से मुकाबला होगा और ब्लेक दिसम्बर का नाम लेकर डराते हैं तो कोई डरने वाले नहीं हैं और न उससे हम डरना चाहते हैं।

जहां तक मुस्लिम लीग का संबंध है, केवल मुस्लिम लीग ही नहीं बल्कि जितनी भी धार्मिक, पोलिटिकल संस्थाएँ हैं वे आगे चलकर इस देश के लिये खतरा बन सकती हैं, लेकिन आज मुस्लिम लीग आगे आई है और मुस्लिम लीग सामने आई है कुछ बातों को लेकर, कुछ बातों को तोड़मरोड़कर तो मैं यह चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने पहले अनकन्सोलिडेट पब्लिसिटी मुस्लिम लीग को दी वह पब्लिसिटी हमें नहीं देना चाहिए। जब हमने 42 के अन्दर रिजोल्यूशन पास किया तो वह पाकिस्तान का नाम लेते हुए झिझकती थी हमने नाम दिया उन्हें सन् 42 के अन्दर रेजुलेशन पास किया तो पाकिस्तान का नाम लेते हुये झिझकते थे। हमने नाम लिया नहीं, न ऐसो प्रॉमीनेंस की जरूरत है। मुस्लिम लीग ने न कौम का भला किया है और न देश का भला किया है। जो कुछ किया है, उससे लोगों को नुकसान पहुंचा है। भारतवर्ष को नुकसान पहुंचा है। जैसा कभी वह करते रहे हैं। लेकिन बंगला देश ने यह साबित कर दिया है कि धर्म के नाम पर कौम नहीं बन सकती है। लेकिन कुछ लोग फ्रस्टेट्रेड हैं। उनकी

(श्री बरकतुल्लाखां)

कुछ प्रिवेंसेज हैं। तो इस मसले पर जो जोधपुर में पोलिटिकल मुस्लिम आये हैं, ये वही लोग हैं जो सिण्डीकेट के मेम्बर हैं। जो पहले सिण्डीकेट में थे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जनसंघ भी सिण्डीकेट के साथ था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जनसंघ का साथ न कभी है, न होगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं मुस्लिम लीग के बारे में बता रहा था। किस तरीके के लोग आ रहे हैं। वही आ रहे हैं जिनकी पोलिटिकल एम्बीसस है लेकिन जनता ने जिनको डिस्कार्ट कर दिया है। जनता ने डिस्कार्ट कर दिया तो उनको कोई न कोई सिलसिला चाहिए। जिनको सिण्डीकेट में जाने से फायदा नहीं होता है या फायदा नहीं हुआ है, वह मुस्लिम लीग बना रहे हैं। मुस्लिम मशावरात बना रहे हैं। वह जनता में यह कोशिश कर रहे हैं कि हम एक कौम हैं। मैं कहना चाहूंगा मजहब अलग हो सकता है। भाषा अलग हो सकती है लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान के बाहर, हम हिन्दुस्तानी हैं। हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तानी रहेंगे। इस वक्त ये छोटी छोटी चीजें सामने आती हैं तो चिन्ता तो होती है क्यों सेन्स आफ डिस्क्रिमिनेशन वह लोग पैदा कर रहे हैं। वह इससे फायदा उठाना चाहते हैं। ये वह लोग हैं जो यह सोचते हैं कि अब मुस्लिम लीग का सहारा लें। मेरे जनसंघी भाई माफ करें, यह इलेक्शन नहीं, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, उसके अन्दर मुस्लिम मजलिस ने जनसंघ का साथ दिया था और पालियामेंट के अन्दर बड़े बड़े लीडरों ने मुस्लिम मशावरात के कहने पर वोट दिया था। इस तरह से हमारे उनके बीच में कामन लैंग्वेज है। सब को हम बराबर मानते हैं। मैं ऐसी जमातों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूं। चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों। वह यह समझते हैं कि यह हिन्दू है या यह मुसलमान है। लेकिन जो सेक्युलर पार्टी है, वह कभी इस चीज को नहीं रख सकते हैं कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कौम अलग हो सकती है। कौम एक होती है, मजहब अलग हो सकता है। मैं इंगलैंड गया। वहां कई मजहब के लोग हैं लेकिन एक कौम है, इंगलिश मैन हैं। कैरो गया। वहां इजिप्शियन लोग हैं। सभी इजिप्शियन कहलाते हैं। भले ही लोग कितनी ही तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हों। मैं फिर कहूं, मुझे माफ करेंगे। जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने अंग्रेजी जमाने में इस्तीफा दिया था तो एक तरफ जिन्ना साहब थे और दूसरी तरफ हिन्दू महासभा थी, दोनों ने मिलकर डे आफ डिलीवरेंस बनाया था। तो मैं यह कहना चाहूंगा, जिस किसी को शिकायत होगी तो दूर होगी। वह दूर की जायेगी। लेकिन कोई यह समझे कि बरकतुल्ला चीफ मिनिस्टर है, इसलिए मुसलमानों की कौम उसके पास आ गई है, यह नहीं होगा। गरीब की मदद करनी है, बराबर करेंगे। चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो। हमारे यहां कुछ कौमों का रिजर्वेशन किया है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का। इसलिए आजकल कुछ लोग इस बारे में नारा उठाते हैं। वह इसलिए उठते हैं कि हमारी जो यूनिटी आई है, उसको बिगाड़ा जाये। लेकिन माननीय अध्यक्ष, मुझे यह कहते हुये खुशी होती है

(श्री बरकतुल्ला खां)

कि आज मुस्लिम लीग की हालत क्या है। यह वह लोग हैं जो कि न तो कभी इलेक्शन जीते हैं कम से कम राजस्थान के अन्दर। यह भी कहते हुये खुशी होती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बार्डर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वह मुस्लिम लीग को कायम नहीं कर सके हैं। और न कायम हुई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम जागरूक हैं। दूसरी पार्टियां जो लॉ एण्ड आर्डर को डिस्टर्ब करती हैं, अपनी नजर हम उन पर भी रख रहे हैं। ताकि कोई सिचुएशन पैदा नहीं हो। लेकिन अगर कोई खुदकुशी करना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। आजाद मुल्क है।

एक माननीय सदस्य : आफेन्स हो जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं समझता हूं, यह सुनना पड़ेगा इस तरीके से अलग होकर न कोई देश का भला कर सकता है और न कोई कौम का भला कर सकता है। न अपना भला कर सकता है। इसलिए मुस्लिम लीग बन जाने से न हमारे में कोई घबराहट है, न बेचैनी है। मुस्लिम लीग बनी है। मशावरात भी बनी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बिल भी लेके आये हैं। भले ही कोई समझे या नहीं कि यह क्या है। यहां तक की 90% लोगों को यह पता ही नहीं है कि अलीगढ़ यू० पी० में है, या बिहार में है। उनको यह भी पता नहीं होगा। दूसरा यह है कि लॉ के बारे में उनको यह डर है कि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल जायगा। कौन लॉ बदल रहा है। टर्की ने लॉ बदला है। उसमे सिवल लॉ को लिया है। यहां का मुसलमान कहता है कि लॉ बदल जायेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। कौन जबरदस्ती करेगा। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आयेगा वैसे वैसे बावेला उठायेंगे। डा० फरीदी साहब ने कहा कि हमने सभी को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। एम० पी० जी ने कहा, न तो कोई टेलीफोन आया और न हमें बुलाया गया। तो जैसे 2 इलेक्शन आगे आने वाले हैं यह बात बढ़ेगी। 'लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि आज के दिन ऐसी छोटी मोटी बातें उठती हैं और यह दुनियां के सामने साबित करता है कि हिन्दुस्तान के अन्दर आजादी है। लेकिन यह भी बात सही है कि आजादी में इण्टरफियर नहीं होगा। यह भी बात सही है कि कोई शख्स, मुल्क या कौम के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है, हिन्दु हो या मुसलमान है, किसी भी पार्टी का कोई भी शख्स हो, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मुल्क और मुल्क के लोग सहन नहीं करेंगे।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां और सुझाव आए, यह भी सुझाव आया आज के दिन ही हमारी सोसायटी बहुत ही कोम्पलेक्स होती जा रही है। यह बात ठीक है कि सोसायटी कोम्पलेक्स होती जाएगी और हर मामले में स्पेशलाइजेशन जरूरी है। पहले लेबर का क्वेश्चन नहीं उठता था, स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं होता था और कोई तरीके नहीं होते थे लेकिन स्पेशलाईजेशन की आज जरूरत है और उसकी ओर हम बराबर जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमने लेबोरेट्री कायम की है जो हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे या तीसरे नम्बर आती है। हमने फोरंसिक

(श्री बरकतुल्ला खां)

को डवलप किया है, हमने फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट्स कायम किये हैं। वायरलैस के बड़े 2 सेट्स, जयपुर अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर जहां से वायरलेस से बाकी चौकियों से कम्यूनिकेशन हो सकता है। इसी तरह से और शहरों को भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं और इसी तरीके से हमारी डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर वायरलेस का एक नेट वर्क कायम कर रहे हैं जिससे कनेक्ट होते रहें। इसकी भी हम कर रहे हैं।

इसी तरह से इस बात की कोशिश कर रहे हैं स्पेशलाईजेशन हो। और आज की दुनिया के अन्दर स्पेशलाईजेशन का मतलब यह है कि मेन शुड नो मोर एन्ड मोर अबाउट लैस एण्ड लैस। बिल्कुल ऐक्सपरटाईजेशन करना जरूरी है लेकिन फिर भी क्राईम को प्रिवेंट करना आज की कोम्पलेक्स सोसायटी में मुश्किल है। क्राइम कहां नहीं हुये हैं, दुनिया में। प्रेसीडेंट केनेडी की हत्या हुई। प्रेसीडेन्ट आफ यूनाईटेड स्टेट की हिफाजत नहीं कर सके। लेकिन इसके लिये जैसा एक इकबाल का शेर हैं और जिसको मैं पार्टियों में सुनाता हूं। यहां शेर तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन अर्ज करता हूं कि वह खुदा से बात करते हुए कहता है कि तूने रात बनाई मैंने चिराग बना लिया, तूने रात बनाई मैंने लैम्प बनाया, तूने जहर पैदा किया मैंने ऐन्टीडोट बना लिया। इसलिये कोंस्टेंट वाचफुलनेस की, कोंसटेंट विजिलेंस की जरूरत है। जब तक यह नहीं होगा उस वक्त तक काफी अनअवेयरनेस पकड़े जाते रहेंगे। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी सिविलाईज्ड सोसायटी हो उसका यह फर्ज होता है कि जो लॉ अबाईडिंग सिटिजन्स बनने के लिए यह भी उसका फर्ज होता है जो उसको इंस्टीटयुशन्स को प्रोटेक्ट करें वरना डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी में कोई फर्क नहीं रहता। जिस दिन मोबोक्रेसी हो जाऐगी उस दिन यकीनन नेपोलियन की तरह who will send a few graves गोलियां चलेंगी। इसलिये डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन का प्रोटेक्शन जरूरी है। मैं यह मानता हूं कि लोगों को आजादी है। इस आजादी को कोई छीनना नहीं चाहता। लेकिन कोई असेम्बली भवन में घुसना चाहे या आपके असेम्बली के अन्दर कुछ करना चाहे और आपकी असेम्बली की डिग्निटि को हार्म करे या असेम्बली को हार्म करे तो यकीनी तौर पर हम अपने फर्ज का अंजाम नहीं देंगे अगर हम उनको नहीं रोकेंगे। इसी तरह से दूसरी इंस्टीच्यूशन्स भी हैं, डेमोक्रेटिक इस्टीच्यूशन्स हैं जिनकी हिफाजत करना जरूरी है।

जहां तक करप्शन का सम्बन्ध है, काफी दोस्तों ने यह कहा कुछ ने कहा कि यह कम हुआ है, किसी ने कहा कि कम नहीं हुआ है। मैं यह समझता हूं कि करप्शन कम हुआ है और मैं समझता हूं कि ऊपर के लेवल के बारे में जो शुबा था वह कम से कम शुबा जाता रहा है और पहले जो हमेशा आवाज लगती थी कि ऊपर से शुरू करो फिर नीचे तक आओ। ऊपर से शुरू किया है और नीचे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मोडर्न तरीके हैं उसको इस्तेमाल करवाने के जरिये भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। यह भी कहा गया कि मार से चोरी बरामद होती है लेकिन मार से ही चोरी बरामद हो ऐसी बात भी नहीं हैं। यह भी शिकायत होती है कि

(श्री बरकतुल्ला खां)

साहब चोरी बरामद नहीं होती और चोरी बरामद करते हैं तो कई दफा ज्यादती थोड़ी बहुत होती है। जहां मुझे यकीन हुआ कि ज्यादती हुई है तो मैंने सी.आई.डी. की इन्क्वायरी में कुछ केसेज दिये हैं। कुछ केसेज में आदमी काबिल नहीं रहा क्योंकि ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाज वक्त यह भी नहीं कर सकते कि मुजरिम आये और उसको कहें कि आईये भैयाजी, चाय मंगाऊ, खाना खाईये और खाना खाने के बाद आपकी मर्जी हो तो बता दीजिये। यह भी नहीं होगा। टेक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। मारपीट से ज्यादा टेक्टफुल्ली हैंडल करने की जरूरत है। आज साइन्टिफिक बैक ग्राउन्ड की जरूरत है।

इसी तरह से आज माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि एफ.आई.आर. की कापी मिलनी चाहिये। इसके लिये पहले से इंस्ट्रक्शन्स हैं। मैं दुबारा रिपीट इंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कि जो भी एफ. आई. आर. की कापी लेना चाहे उसको मिलनी चाहिये।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कुछ बातें करना चाहता हूं और यहां कहना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को कि जहां हमारी पुलिस के बारे में कहा जाता है वहां इस चीज की ओर भी गौर किया जाय कि दूसरे प्रान्तों में क्या हाल है। रात को कोई मोटर नहीं ले जा सके, बैलगाड़ी ले जा नहीं सके, पचास पचास ट्रक्स की केनोय बनती है और केनाय बन कर पहली गाड़ी में पुलिस वाला और पिछली गाड़ी में पुलिस वाला और बीच में कार्स होती हैं। इस तरह से वहां जाते हैं। यहां की राजस्थान की जनता को धन्यवाद है, यहां की पुलिस को धन्यवाद है कि उन्होंने लॉ एण्ड आर्डर के परसन्टेज को कायम रखा है और आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेशनल हाई वे पर कोई रोक नहीं हुई। यह बात सही है कि क्राईम के रजिस्ट्रेशन में बढोतरी हुई है। लेकिन इसके साथ ही यह भी देखें आप कि 20 परसेंट से ज्यादा झूठे रजिस्ट्रेशन हुये हैं केसेज में। हम यह चाहते हैं कि जो पुलिस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिये ताकि यह फीलिंग न हो कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं या पुलिस केस रजिस्टर नहीं करना चाहती है। लेकिन 20 परसेन्ट ऐसे केसेज भी आये हैं जिनमें झूठे मुकदमें हुए हैं।

इसी तरीके से मैं और भी अर्ज करना करना चाहूंगा कि जहां तक हरिजनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का सम्बन्ध है, इसके अन्दर अब तक मेरी जानकारी के मुताबिक 64 केसेज ऐसे हुये हैं जिनमें हरिजनों के साथ छुआछात बर्ती गई। उसमें से 47 केसेज के चालान हो गए हैं और 12 केसेज सही नहीं पाये गये। इसी तरीके से पुलिस के कदम सोशल ओब्जेक्टिव को ओर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं। कुछ पुलिस के अफसरों को रिटायर किया है। अभी यहां मैंने दो तरीके की आवाज सुनी। एक आवाज यह उठी कि क्यों किया लेकिन खुशी से नहीं करते हैं। चार आर.ए.एस. अफसरों को रिटायर किया है। चार इंस्पेक्टरों को रिटायर किया है, 25 सब इस्पेक्टरों को किया है। 25 साल

(श्री बरकतुल्ला खां)

की सर्विस कम्पलीट होने पर कम्पलसरी रिटायर किया है। तो यह एक सिलसिला चालू किया है और जो चल रहा है जिसमें सबका सहयोग मिल रहा है और उस सहयोग को लेते हुये हम चल रहे हैं।

इसी तरीके से, माननीय अध्यक्ष, मैंने एक पत्र लिखा है जो शायद आपकी सेवा में आज पेश हो गया होगा या एकाध दिन में हो जाएगा जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो विजिलेंस कमेटियां बनाई हैं, आपको निवेदन किया है कि दो एम. एल. ए. आप नोमीनेट कर दें ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी शिकायतें हों वह कमेटी के सामने आवें। हमारे इलेक्टेड रिप्रजण्टेटिव इन्वोल्व्ड हों। वे इन सब चीजों को समझें। उनकी तकलीफों को, उनके दुखों को समझें। कहां ज्यादती होती है। किस तरीके से अपनी राय दें और राय नहीं मानी जावे तो गवर्नमेंट के पास आवे। क्योंकि यह चीज केवल गवर्नमेंट लेवल से नहीं मिट सकती। यह सब चीजें, सबकी प्राब्लम्स एक साथ जोड़नी पड़ेगी। केवल एक पुलिस ही वहां नहीं है, और भी विभाग हैं जहां थोड़ी बहुत ज्यादतियां होती हैं और वे सारी कम्पलेंट्स पर डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर बैठेंगे और बैठने के बाद वह कमेटी के सामने आयेगी। उस कमेटी के अन्दर दो एम एल. एज. होंगे और एक जिला परिषद का नोमीनी होगा जिसको जिला परिषद नोमीनेट करना चाहे वह हो जायेगा। इसी तरीके से जहां तक बोर्डर का सम्बन्ध है, वहां के लिये हमारी आर. ए. सी. क्या कर रही है, क्या उनके पास है, इसके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो हमारी आर०ए०सी० की बटालियन्स बोर्डर पर है और हिफाजत कर रही हैं, वे पूरी तौर से तैयार है कि जिस किसी काम के लिऐ हुक्म दिया जाएगा, वह सर अंजाम करेगी।

जहां तक पुलिस कर्मचारियों का संबंध है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस सदन की उनके साथ हमदर्दी है, उस बारे में यहां चर्चा हुई। उनके पेन्शन रूल्स हैं। जो एक्टि सर्विस में मरते हैं, जो मुकाबला करते हुए मरते हैं, उनके लिए बेनीवोलेंट फंड है जिसके द्वारा उनको पैसा दिया जाता है और इसी तरीके से पुलिस में कोशिश यह की जाती रही है कि जो जनता की रक्षा के लिये डकैतों के मुकाबले में हिम्मत और बहादुरी दिखाते हैं और अपनी जान देते हैं उनको पूरी मदद मिलनी चाहिये और उनके परिवार, बच्चों की शिक्षा, व बेवाह की देखभाल होनी चाहिये, पेन्शन मिलनी चाहिए, बेनीवलेंट फंड से रुपया मिलना चाहिए और साथ साथ यह फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि पिता नहीं या पतिनहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए तमाम अधिकारी इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो उनके जूनियर्स मारे गए हैं, उनके परिवारों की देखभाल की जाये।

डकैतियों का जहां तक संबंध है, राजस्थान भाग्यशाली है जहां पर एक बार सारी गैंग्स लिक्विडेट कर दी गई थी और अगर हमारी पुरानी पर्फार्मेन्स देखी जाए तो ज्यादा बुरी नहीं है :

46 डकैतों को पकड़ा, 14 को मारा, 1 ने अपने आप को सरेंडर किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सोशल कन्डीशन्स ऐसी पैदा हो गई हैं जिनके कारण ही ये डकैतियां हैं। मिसाल के तौर पर चम्बल घाटी में

(श्री बरकतुल्ला खां)

और खास तौर से मध्यप्रदेश के इलाके में जहां हरिजनों पर ज्यादतियां हुई, वहां हरिजनों ने गैंग्स बनाये, कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उनकी गैंग्स बनी तो इस तरीके की सेल्फ-प्रोटेक्शन के लिये एक गैंग बनी। दूसरी बात यह जो इलाका है भरतपुर, मोरेना, भिंड और झांसी, उस जमीन पर चूंकि सोशल एजूकेशन नहीं हुई, दूसरी एजूकेशन नहीं मिली, लोगों को पूरे तरीके से प्रोटेक्शन नहीं मिला, उसका नतीजा यह निकला कि लोग इसके गीत गाने लगे और मानने लगे कि बड़ा इज्जत वाला पेशा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, ह्यूमन लाइफ है, उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं लेकिन उसके मुकाबले में यह भी देखना पड़ेगा कि जिनके घर उजाड़े जाते हैं, जिन बहनों के माथे का सिंदूर मिटा दिया जाता है, जिन माताओं की कोख सूनी कर दी जाती है, उनके लिए क्या करें। सख्ती से इन्तजाम करना पड़ता है वह इसलिए कि जो कानून और व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वह विश्वास खतम नहीं होना चाहिये। एक बार खतम हो गया तो सिचूएशन ऐसी क्रीएट हो जाएगी जहां पर पता नहीं लग सकता कि क्या हो सकता है। इसलिये एक तरफ हम विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ जो डकैत हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके परिवार हैं, वहां तक पहुंचना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि तुम समाज के अंग हो लेकिन जो दूसरों के साथ ज्यादती करेगा, वह ज्यादती बर्दाश्त नहीं हो सकेगी।

धौलपुर व राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने आर० ए० सी० के बारे में कहा। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी कोशिश करके आर० ए० सी० बटालियन को वहां भेज देंगे।

इसी तरीके से कैम्पस के बारे में कहा गया। जहां तक कैम्पस का सवाल है, जहां इन्टरोगेशन के लिए दूर से बुलाया, कैम्पस की व्यवस्था करके, इन्टरोगेट करके छोड़ना है तो छोड़ दिया पकड़ना है तो पकड़ लिया, इसमें ज्यादती करने की जरूरत नहीं। एक तरफ यह कहें कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उसी जबान में कहें कि अत्याचार होते जा रहे हैं, यह ठीक नहीं। अत्याचार बढ़ेंगे तो अपराध भी बढ़ेंगे लेकिन किसी जगह पहले से अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, खास तौर से जो पुलिस और उनके इन्चार्ज हैं, उनका कर्त्तव्य है कि उनकी रक्षा करें और अन्ड्यू हैरसमेंट न करें।

इसी तरीके से, अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो चीजों का जिक्र करूंगा। आज छंगाणी कमीशन के बारे में बात हुई थी। हमने उस ओर पूरा मन लगाया है और जरूरत पड़ेगी तो छपवाकर माननीय सदस्यों को भेज देंगे। उसके अन्दर सुझाव थे जिनका संबंध डाइरेक्टली राज्य सरकार से तो नहीं था बल्कि भारत सरकार के साथ था। वह हम भारत सरकार के नोटिस में लाए हैं लेकिन जहां तक राजस्थान कमीशन ने राजस्थान के किसी कर्मचारी पर भी जिम्मेदारी पिन डाउन नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट या ग्रुप लीडर्स को बंटवायेंगे, या जरूरत हुई तो सभी माननीय सदस्यों को बंटवायेंगे।

(श्री बरकतुल्ला खां)

होम गार्ड्स के संबंध में कहा गया। मैं मानता हूं होम गार्ड्स हमारी बैकबोन है। युद्ध के समय उन्होंने बहुत काम किया और आज भी चुनाव के समय उन्होंने लॉ एण्ड आर्डर बनाकर रखा। होम गार्ड्स की ट्रेनिंग हम उन्हीं लाइन्स पर दे रहे हैं जिन लाइन्स पर भारत सरकार ने कहा। जहां तक वेतन का संबंध था, वह होम गार्ड्स आर्मी के साथ लगे हुए थे, उनके पेमेंट में देरी हो गई। अब रुपया आ गया है, पेमेंट कुछ का हो गया, बाकी का 15 दिन के अन्दर हो जाएगा, यह वित्तीय वर्ष खतम होने से पहले उनका पेमेंट हो जाएगा।

यह सरकार लाठी गोली की नहीं है। आज लाठी गोली की जो बात कहते हैं उनको याद दिलाता हूं कि उन्होंने भी सरकार बनाई थी, उन्होंने प्रशासन को संभाला था तो उन्होंने भी जहां जरूरत पड़ी, ताकत का इस्तेमाल किया है……

श्री केदार नाथ : यहां तो चान्स ही नहीं मिला।

श्री बरकतुल्ला खां : यू० पी०, मध्य प्रदेश सब जगह मिला लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतना जल्दी न भूलो। अगर हमने जुर्म किया है तो सजायाब होंगे, सजा मिलेगी लेकिन उसी जमाने में कर्मचारियों की स्ट्राइक भी हुई थी, उसी जमाने में और झगड़े भी हुए थे और उसी जमाने में पुलिस का इस्तेमाल हुआ था जिस चौके में सब लोग बैठे थे तो आज कहना कि यह लाठी-गोली की सरकार है, ऐसा नहीं है। और यह कहना कि सरकार बदलेगी और हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। जो जी चाहे करना।

श्री फूलचन्द जैन : आएगी ही नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां : सीना किसका है, जिगर किसका है, जब समय आए तो देख लेना आज मत डांटिए, जरा जल्दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिमाण्ड्स हमने सदन के सामने रखी हैं उनको पास किया जावे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय मुख्य मन्त्री जी ने कान्सटेबल्स की सेलेरी के बारे में कुछ नहीं फर्माया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि…

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, निवाई में जो घटना हुई है उसके बारे शासकीय वक्तव्य गृह मन्त्री द्वारा दिये जाने के बारे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 9 बज गये हैं, बाद में हो जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं।

कई माननीय सदस्य : बाद में हो जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पूरी जानकारी बाद में दे तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दी है तो बाद में कोई तारीख मुकर्रर कर दी जायेगी उसके

(श्री अध्यक्ष)

लिए। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,44,06,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 मुख्य शीर्षक 22–कारागार के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91,15,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

यह मांग स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गयी

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,22,43,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार दिनांक 15 मार्च, 1973 के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9-02 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 15 मार्च 1973 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 494 की सूची)

तहसील माण्डल में कम से कम जिस दर से भुगतान किया गया उसका विवरण

क्र. सं	भुगतान की अवधि	कार्य का नाम	कम से कम भुगतान का विवरण			
			भुगतान की दर			
			पुरुष	स्त्री	बच्चा	प्रतिशत
1.	नवम्बर 1972 द्वितीय पक्ष	बेमाली तालाब	0-74	0-61	0-49	51%
2.	दिसम्बर 1972 प्रथम पक्ष	बेमाली तालाब	1-00	0-84	0-67	33%
3.	दिसम्बर 1972 द्वितीय पक्ष	आलमाख तालाब	0-06	0-89	0-71	29%
4.	जनवरी 1973 द्वितीय पक्ष	गोकुलपुरा तालाब	0-87	0-72	0-58	42%
5.	जनवरी 1973 द्वितीय पक्ष	करठा तालाब	0-63	0-77	0-62	69%

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 498 को सूची)

वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विभिन्न मोहल्लों में नल लगाने को जिलेवार व स्थानवार प्रस्तावों की सूची जो 5 लाख 50 हजार के प्रावधान के पक्ष में स्वीकृत किये गए।

क. सं.	नाम जिला	नाम नगर पालिका पंचायत समिति	स्थान का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	बीकानेर	नगरपालिका बीकानेर	बीकानेर	38946
		,, देशनोक	देशनोक	8950
		,, भीनासर	भीनासर	5750
		,, नोखा	(नोखा) जसरासर	3960
2.	चूरू	नगरपालिका चूरू	चूरू	26550
3.	डूंगरपुर	पंचायत समिति, आसपुर	ग्राम बोड़ी नामाबड़ा	5595
			नामा छोटा	22315
			बमकोडा	2130
			फलादाल बडली	1648
			दलाहेम्बा	44475
4.	गंगानगर	नगरपालिका हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	27300
5.	भीलवाड़ा	पंचायत समिति सुवाना	खुरेडा	5175
			सुवाना	15815
6.	झुंझुनूं (सीकर)	नगरपालिका श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	21200
7.	झुन्झुनूं	नगरपालिका मण्डावा	मण्डावा	3600
		,, चिड़ावा	चिड़ावा	13506
		,, बगड़	बगड़	13900
		,, पिलानी	पिलानी	27248

1	2	3	4	5
8.	नागोर	पंचायत समिति मेड़ता	मेड़ता	10639
		नगरपालिका मेड़तासिटी	मेड़तासिटी	2703
		नगरपालिका कुचामन रोड़	कुचामन रोड़	15980
9.	जयपुर	पंचायत समिति बैराठ	अमरसर	17515
		,, ,, शाहपुरा	मनोहरपुरा	19500
		नगर परिषद्, जयपुर	जयपुर	3700
		नगर पालिका फुलेरा	फुलेरा	17338
10.	झालावाड़	नगरपालिका झालावाड़	झालावाड़	12228
		पंचायत समिति डग	चोमेला	15360
		नगरपालिका झालरापाटन	झालरापाटन	10765
11.	कोटा	नगर पालिका छबड़ा	छबड़ा	13725
		,, भवानी मंडी	रामनगर	10593
		,, रामगंजमन्डी	रामगंज मन्डी	26516
		ग्राम पंचायत केथून	केथून	4430
12.	अजमेर	नगरपालिका केवड़ी	केवड़ी	6703
13.	टोंक	नगरपालिका निवाई	निवाई	43645
		पंचायत समिति खगार	खंगार	10397
		नगरपालिका मालपुरा	मालपुरा	17975
			कुल योग	549798
			अर्थात्	5,50,000

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्रामीण क्षेत्रों के राशन कार्ड

500. श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर कराये जाते है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार विकास अधिकारी के बजाय सरपंचों तथा वार्ड के पंचों के हस्ताक्षर कराना उचित नहीं समझती ?

उत्तर

जी हां ।

क्योंकि विकास अधिकारियों के अधीन को स्टाफ होता है उससे राशन कार्ड बनवा लिये जाते हैं ।

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले

501. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों (थर्ड ग्रेड टीचर्स) के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में करना मना है ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले के कुछ अध्यापकों ने अन्य जिलों से अलवर जिले में तबादले के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं मगर उनके तबादले नहीं किये गये ? यदि हां, तो किस कारण से ?

उत्तर

(1) जी, हां । आदेश सं० ई०डी०बी० ई.एल. ई. । सी । 1938 । स्पे । 70 दिनांक 13-12-71 के द्वारा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज० बीकानेर ने अन्तर्जिला स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगा रखा है ।

(2) जी हां । प्रश्न नं० 1 के उत्तर में अंकित आदेश के अन्तर्गत तबादले नहीं किये गये ।

उद्योग निदेशालय के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

502. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उद्योग निदेशालय में अनेक राजपत्रित अधिकारी वरिष्ठ पदों पर पदासीन हैं जब कि उनके विरुद्ध उनकी नियुक्ति की तिथि से अनेक शिकायतें आदि राज्य सरकार को प्राप्त होती रही है ?

(2) यदि हां, तो कृपया उन वरिष्ठ अधिकारीगण के नाम व वर्तमान पद बताने का कष्ट करें जिनको कि उक्त जांच के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दण्डित किया गया है ?

(3) ऐसे अधिकारियों को जयपुर में उच्च पदों पर रखने पर प्रशासन का क्या हित हो सकता है ?

(स्थगित किया गया)

सिरोही जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को पानी व बिजली की सुविधा

503. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति क्षेत्र की किसी भी पंचायत ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवास हेतु भूमि नहीं दी है ? और यदि दी है तो किस किस गांवों में कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को किन किन गांवों में पानी व बिजली की सुविधा दी गई है ? यदि नहीं तो कब तक पर्याप्त बिजली व नल की व्यवस्था कर दी जायगी ?

उत्तर

1. इस प्रश्न का संबंध विकास विभाग से है।

2. सिरोही जिले में स्वरूपगंज कालन्द्री, बरदा, रोहिरा, पोसालिया, मोहब्बत नगर, मंदार, मारजा, रेवदर, निमाज, दांतरी व जवाल में ग्रामीण जल प्रदाय योजना का कार्य पूर्ण किया जाकर पेय जल देना प्रारंभ कर दिया गया है।

साधारणतया पाइप स्कीम वाले ग्रामों में अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में पाइप लाइन डाली जाती है। जिन ग्रामों में यह कार्य रह गया है, वहां विशेष प्रावधान कर पाइप लाइन डालने की व्यवस्था की जा रही है।

निम्न ग्रामों में अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में नल लगाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में जल प्रदाय विभाग द्वारा निम्न प्रकार से धनराशि आवंटित की है तथा कार्य प्रगति पर है।

1. मदार	12,000	रुपया
2. रेवदर	8,000	,,
3. नीमाज	8,000	,,
4. मारज़ा	8,000	,,
5. पोसालिया	8,000	,,
6. जवाल	5,000	,,

अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों में बिजली लगाने का कार्य राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता है।

पाली जिले के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति

504. श्री मोहनराज (बाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले का आदिवासी गरासिया क्षेत्र पिछले 6 वर्षों में से 4 वर्षों तक अकालग्रस्त रहा है और इस कारण आदिवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि यह क्षेत्र जवाई बांध के कैचमेन्ट एरिया में होने से सिंचाई हेतु कोई तालाब का बांध बनाये जाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है और इस कारण

(श्री मोहनराज)

सिचाई के साधनों के अभाव में भविष्य में भी सिंचाई हेतु अन्य उपाय न होने पर हालत दिन पर दिन गिरती ही जायगी ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1969-70 में इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपलब्ध कच्चे एवं खण्डहर कुओं को पक्का कराने के लिये प्रति कुआ एक आदिवासी परिवार को 1000 रुपया अनुदान के रूप में देने की एक योजना बनाई गई है ?

(4) क्या सरकार अकाल राहत के अन्तर्गत अथवा समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त सहायता दिलाने की योजना पर पुनः विचार करेगी ताकि इस क्षेत्र के आदिवासियों को राहत मिल सके ?

उत्तर

1. यह सही है कि पिछले 6 वर्षों में से 2 वर्षों में बाली तहसील का गरासिया आदिवासी क्षेत्र अभाव ग्रस्त रहा है। इसका उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

2. यह सही है कि जवाई बांध कैचमेन्ट में कोई सिंचाई तालाब नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसकी वर्तमान में जितनी क्षमता है उसको देखते हुये पानी कम आता है। इसी कारण से नदी का पानी इस बांध में डालने की योजना बनाई गई है एवं उस पर कार्य चालू कर दिया गया है।

3. यह सही नहीं है। सिचाई हेतु कुओं को पक्का कराने की कोई योजना सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 में नहीं बनाई गई।

4. कोई योजना इस प्रकार की बनी ही नहीं। ऐसी दशा में पुनर्विचार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाड़मेर जिले की स्वीकृत नल योजनाएँ

505. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1972-73 में बाड़मेर जिले की कौन कौन सी नई नल योजनाओं को स्वीकृति दी गई? प्रत्येक पर कितनी कितनी धनराशि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई है ?

(2) उक्त नल योजनाओं का काम किस किस स्तर पर चल रहा है ?

(3) अब कब तक नल योजनाओं से उनकी पूरी क्षमता के अनुसार लोगों को पीने का पानी मिलना प्रारम्भ हो जायगा ?

उत्तर

1. सूची संलग्न है।

2. उक्त नल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा जनवरी 73 तक खर्चा उनके सामने सूची में अंकित है।

3. उक्त योजनाओं का कार्य यदि समय पर आवश्यक सामान की उपलब्धि हो जाती है तो वित्तीय वर्ष 1973-74 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है और तत्पश्चात ही उनकी पूरी क्षमता के अनुसार लोगों को पीने का पानी मिलना प्रारम्भ हो जावेगा।

प्रश्न नं० 1 व 2 की सूची

जिला	योजना का नाम	योजना की अनुमानित लागत	वर्ष 1972-73 के लिये आवंटित धनराशि	जनवरी माह 73 तक खर्चा
बाड़मेर	लोहारवाड़ा मीमतल क्षेत्रीय योजना	8.70	2.00	9651
	भाडका चुली मादरेश	13.50	3.50	—
	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कानासर-कश्मीर	1.60	1.00	1,51,009
	डोली से असरवा क्षेत्रीय योजना	2.00	1.50	11,947
	भटाला हाड़	19.50	3.00	2,24,713
	पादरू गोलिया	15.45	2.50	1,48,545
	असाडा टापरा क्षेत्रीय योजना	15.65	2.50	1,73,660
	पारलू से उमरलाई	2.60	1.60	16,476
	गूंगा से हरवाचा	1.10	1.10	64,873
	मियार से बलाई	4.20	2.00	36,100
	तुरबी खडिन	44.30	10.00	4,91,052
		128.50	30.70	13,30,028

उदयपुर स्थित पिक्चर पैलेस सिनेमा की लीज

506. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर स्थित "पिक्चर पैलेस" सिनेमा मेवाड़ गवर्नमेन्ट द्वारा कितने वर्षों की लीज पर दिया गया था एवं कब दिया गया था ?

(2) क्या "पिक्चर पैलेस" सिनेमा की लीज का टाइम खत्म हो गया है और कब से ?

(3) क्या इस पिक्चर पैलेस सिनेमा का लीज का टाइम बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो कब एवं कितने वर्षों के लिये ? यदि नहीं, तो सरकार ने अब तक इसे अधिकार में क्यों नहीं लिया है ?

(4) क्या सरकार इसे अपने अधिकार में लेने का इरादा रखती है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

निम्बाहेड़ा, तथा प्रतापगढ़ का शक्कर का कोटा

507. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

निम्बाहेड़ा तथा प्रतापगढ में किस किस फर्म को कितनी कितनी शक्कर का कोटा माह जनवरी तथा फरवरी, 1972 में दिया गया और उप-भोक्ताओं को कितनी कितनी शक्कर प्रति व्यक्ति वितरित की गई ?

उत्तर

माह जनवरी एवं फरवरी 72 में निम्नलिखित व्यापारियों को चीनी का कोटा आवंटित किया गया—

निम्बाहेड़ा

	जनवरी, 72	फरवरी, 72
श्री रंगलाल अंबा लाल प्रतापगढ	690	460 क्वि.
मांगीलाल केशरीमल	690	460 क्वि.

उपभोक्ताओं को जनवरी एवं फरवरी, 72 दोनों महीनों का कोटा 350 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया गया ।

राजस्थान साहित्य अकादमी

508. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री जनार्दनराय नागर के कार्यकाल की अवधि 9 दिसंबर, 1971 को समाप्त हो गई थी ? यदि हां, तो फिर किस आदेश एवं नियम के अंतर्गत उनका कार्यकाल किस अवधि तक के लिये बढ़ाया गया ? कृपया नियम एवं आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समाप्त हुई अवधि के पश्चात भी श्री नागर ने

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अकादमी की नई जनरल कौन्सिल का गठन नहीं किया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि श्री नागर के अध्यक्ष काल में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा श्री शंकर सहाय सक्सेना की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो उक्त समिति का गठन किस आदेश के अंतर्गत किया गया ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उक्त गठित जांच समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) उक्त जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को किस तिथि को प्राप्त हुआ व अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि अकादमी विधान की धारा 9 के विपरीत श्री नागर ने स्वयं द्वारा संचालित संस्था राजस्थान विद्यापीठ के एक कार्यकर्ता को कोषाध्यक्ष बनाया ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या यह सही है कि श्री नागर की अनियमितताओं के संबंध में राज्य सरकार को मार्च, 1972 में एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कृपया उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. जी, नहीं।

2. जी, नहीं। वर्तमान पंचम सरस्वती सभा का गठन श्री नागर के कार्य काल में ही मार्च, 1972 में किया गया।

3. जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

4. जी, नहीं। समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

5. जांच प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

6. जी हां। साहित्य अकादमी की कार्य-कारणी की बैठक में यह बात तत्कालीन अध्यक्ष के ध्यान में ला दी गई थी।

7. मार्च, 1972 में दो ऐसे पत्र प्राप्त हुये हैं। पत्र लेखक का नाम और तिथि बताने पर ही पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जा सकती है।

210

राजस्थान सरकार

शिक्षा (प्रकोष्ठ 4) विभाग

क्रमांक एफ । (39) शिक्षा-4/70 दिनांक 2-1-1971

आज्ञा

राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में हुई अनियमितताओं की जांच के लिये राज्यपाल महोदय ने एक जांच समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें मनोनीत सदस्य निम्नलिखित हैं :-

1.	श्री शंकर सहाय सक्सेना	अध्यक्ष
2.	शासन उप सचिव, शिक्षा (प्रकोष्ठ–4 विभाग)	सदस्य
3.	श्री के० के० महर्षि, संयुक्त निदेशक कालेज, शिक्षा	सदस्य
4.	डॉ० शिव स्वरूप शर्मा, अंचल अध्यक्ष विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग गवर्नमेंट कालेज, कोटा	सदस्य
5.	परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (लोकल एण्ड आडिट)	सदस्य
6.	श्री उपदेशनारायण माथुर, संयुक्त विधि परामर्शी	सदस्य

यह जांच समिति एक माह की अवधि में ही अकादमी संबंधी निम्नलिखित मामलों की विस्तृत जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा यह भी सिफारिश करेगी की राजस्थान साहित्य अकादमी का भावी स्वरूप किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाय ?

निम्नलिखित प्रसंग व प्रकरण में समिति जांच करेगी :--

1. अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा सरस्वती सभा तथा संचालिका के निर्वाचन का आदेश दिया गया था, सही था या नहीं ?

2. क्या यह वैधानिक था कि निम्नलिखित सदस्यों के चुनाव में, सरस्वती सभा से परामर्श लिये बिना ही अध्यक्ष साहित्य अकादमी ने विधान के अंतर्गत पूर्व में, सरकार व अकादमी द्वारा की गई कार्यवाही को, वैधानिक धाराओं तथा उनसे प्रसूत मर्यादाओं का सावधानीपूर्वक परिपालन न बता कर उन्हें केवल अपनी ओर से इस प्रकार अनुचित ठहराया :–

   1. सृजन धर्मीख्यात साहित्यकारों में, जो साहित्यकार है नहीं, उनको भी चुन लिया गया है और 15 साहित्यकारों के बजाय 16 सदस्य निर्वाचित किये गये हैं ।

2. संबंधित संस्थाओं के रिजेक्टेड पेनलों में से प्रतिनिधि ले लिये गये हैं।

3. विधिवत् घोषित संस्था प्रतिनिधि का नाम बदल दिया गया है।

4. संविधान प्रदत्त आयु-बंध को नहीं मान कर कम से कम 30 वर्ष से कम का प्रतिनिधि चुन लिया गया है।

5. भाषाविदों में साहित्यकार चुने गये हैं, भाषा विद् कम।

6. कुल 5 सरकारी मनोनीतों के बजाय 8 सरकारी सदस्य मनोनीत होने से सरस्वती सभा के मनोनीत सदस्यों तथा गवर्निंग बोर्ड में मनोनीत सदस्यों की वैधानिक संगति में भंग हुआ है तथा विधान सम्मत संख्या के उपरान्त गवर्निंग बोर्ड में 3 से अधिक सदस्य हो गये हैं।

7. अकादमी के संविधान प्रदत्त विभागों का गठन सम्यक रूप में नहीं हुआ है और उनका गठन गौण एवं छिन्न भिन्न रूप में किया गया है।

8. पिछले 10–11 वर्षों से सिद्ध एवं असल में लागू नियम तथा विधि–विधान तथा मर्यादाओं को भंग किया गया है तथा गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त 3 सरकारी सदस्यों को विधान के विपरीत सरस्वती सभा का सदस्य मानकर बरता गया है।

9. सर्वोपरि प्रतिनिधि सदस्यों के लिये निर्वाचनार्थ जो पहली सरस्वती–सभा की बैठक दिनांक 13–4–69 को बुलाई गई उसमें उम्मीदवार सदस्यों को भी विधिवत सदस्यों के रूप में निमंत्रित किया गया है जिससे चुने जाने वाले सदस्यों ने स्वयं ही अपने निर्वाचन में भाग लिया है और स्वयं को मत दिया है।

3. यह समिति अकादमी के हिसाब किताब का ब्यौरा प्राप्त करेगी और यह बतायेगी कि अब तक चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर अकादमी के हिसाब किताब किस तरह नियमानुसार रहे हैं ?

आज्ञा से,

ह०

(जगन्नाथ सिंह मेहता)

आयुक्त एवं शासन सचिव।

औद्योगिक दृष्टि से राज्य के पिछड़े हुए जिले

509. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले स्वीकार किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माना गया है उनके लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या इन जिलों का औद्योगिक सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि हां, तो कौन से जिले में क्या क्या उद्योग स्थापित हो सकते हैं ? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. सोलह जिले पिछड़े घोषित किये गये हैं। सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :—

(1) इन जिलों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा छः प्रतिशत ब्याज दर पर तथा इन्डस्ट्रियल वित्त निगम व इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) उपरोक्त रकम की अदायगी 15-20 वर्षों में की जाने की सुविधा प्राप्त है।

(3) निम्न केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन :—

(अ) चयनित छः जिलों में नये उद्योगों में लगाई जाने वाली पून्जी (Fixed investment) पर 10 प्रतिशत अनुदान।

(ब) मशीनों तथा कच्चे माल के आयात हेतु प्राथमिकता की योजना।

(4) राज्य सरकार द्वारा पिछड़े जिलों के औद्योगीकरण हेतु centre-structure के विकास के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(5) पिछड़े जिलों की औद्योगिक सम्भावनाओं के लिये सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

(6) इन पिछड़े जिलों में लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार तथा राज्य के विभिन्न निगमों इत्यादि के सहयोग से सघन अभियान भी चलाया जाता है जिनसे सामान्य जनता को पिछड़े जिलों के औद्योगीकरण के लिये बनाये गये कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है। इन्हीं अभियानों में जो भी व्यक्ति लघु उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें प्रशासनिक तथा वित्तीय सहायता देने का भी प्रयत्न किया जाता है।

(3) जी हां। सिवाय जैसलमेर, जालौर, सीकर, टौंक जिलों के जिनके सर्वेक्षण की कार्यवाही चालू है सर्वेक्षण के फलस्वरूप जिन उद्योगों के लगाने की सम्भावना सामने आई है, उनकी सूची (ब)

(उद्योग मन्त्री)

सदन की मेज पर रख दी गई है। उपलब्ध रिपोर्ट की एक एक प्रति प्रस्तुत है।

(रिपोर्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सूची (अ)

पिछड़े एरिया की लिस्ट

1. अलवर
2. जोधपुर
3. बाड़मेर
4. जैसलमेर
5. जालोर
6. सिरोही
7. चूरु
8. नागौर
9. भीलवाड़ा
10. उदयपुर
11. डूंगरपुर
12. बांसवाड़ा
13. झालावाड़
14. टोंक
15. सीकर
16. झूंझुनूं

214

LIST OF CANDIDATE INDUSTRIES BASED ON THE LATEST SURVEY REPORT

1. Alwar District.

1. Printing Machines.
2. Rubber Machinery.
3. Ceramic Machines.
4. Leather goods machines.
5. Power tiller and Agricultural Implements,
6. Scooters.

2. Banswara 1968

(1) Leather Tannery. (2) Western Type shoes and Chappples (3) Bone Mill. (4) Woollen carpet, Jat Patti etc. (5) Exercise books (6) Synthetic cattle feed (7) Automobile workshop (8) Type retreading, (9) Wooden stationery and Electrical items.

3. Barmer 1970

(1) Western type shoes (2) Bone crushing (3) Leather Tannery (4) Washing Soap (5) Woollen carpet and Hosiery (6) Goat Hair Tents.

4. Candidate Industries in *Bhilwara Distt.*

1. Mica Based Industries

(a) Mica insulating bricks.
(b) Micanite sheets.
(c) Mica powder.
(d) Mica splitting unit.
(e) Mica Insulators in Electrical Appliances.

2. Light Engineering Industry, Foundry & toparts.
3. Agricultural implements.

4. Bicycle accessories.
5. Non Ferrous Metal Industries.
6. Roofing tiles.
7. Wire nails.
8. Ceramic war works.

5. *Churu 1971*

(1) Plastic Boards (2) Guar Gum (3) Woollen Namdas (4) LeatherTanning(5)Sarkanda Furniture andMuddah(6)Bone Crushing (7) Chalk Cryons (8) Plastic products (9) Leather Footwear (10) Paints and Varnishes (11) Agricultural Implements (12) Ready made Garments (13) G. I. Pipes and Fittings (14) P. V. C Pipes.

6. *Dungarpur.*

Consumer Industries.

(1) Industries based on Milk Dairy. Products (2) Food Industries (3) Engg. Industries (4) Agriculture Machines & spares (5) Drugs and Pharmaceuticals 6). Accessories for textile mills (7) Synthetic cryolit Aluminium fluoride & Fluorine chemicals (8)Ginger powder(9)Small scale Tannery to leather shoes (10) Gloves (11) Highdensity polythene wollen bags, p. v. c. strips (12) Cast Iron & chilled Iron balls.

7. *Jhalawar 1968*

(1) Fruit Preservation (2) Western Type shoes (3) Agricultural Implements (4) Ready made Garments (5) Carpentry (6) Cotton Hosiery.

8. *Jhunjhunu.*

1. Woollen Yarn, Carpets, Namdas & woollen Hosiery.
2. Leather footwear 3. Agricultural Implements. 4. Ready

made garments 5. Foundry 6. Chalk Crayans 7. Wooden Electrical accessories 8. Phynyle 9. R.C.C. pipes 10. Pumping sets. 11. Fire bricks.

9. *Jodhpur District.*

Resources Based.

(1) Onion powder plant (2) Dairy and Dairy products (3) Leather tanning (4) Bentonite activation plant (5) White cement (6) Mechanised shoe Mfg.Units.

10. *Nagaur.*

Resources Based.

(1) Plaster of Paris (2) Chalk crayons (3) Marble cutting & engraving (4) Precipitated chalk (5) Caustic Soda.

11. *Sirohi.*

1. Leather Tanning.
2. Tomato Juices, Ketchups and sauce.
3. Straw Boards.
4. Isabgol powder.
5. Bamboo products.
6. Lime stone and Marble crushing and processing.
7. Calcite powder.
8. Quartz Pulverising Mill.
9. Cotton Ginning and pressing.
10. Plastic products.
11. Card Board boxes.

12. *Udaipur.*

Resources based :

1. Spun concrete cement Pipe, 2. Rock phosphate, Pulverising plants. 3. Soap stone Pulverising plant. 4. Barium Compounds. 5. Tannery.

Ancillary :

1. Cotton waste product.

Demand based.

1. Synthetic crayples & Aluminium Flouride. 2. Automobile Tyres & Tubes.

Others.

1. General Engineering 2. Machine Tools and Accessories 3. Automobile spares 4. Material Handling equipments, 5. Railway Coach fittings 6. Chemical equipments 7. Dairy equipments, 8. Food processing machinery, 9. Badkery machines, 10. Hospital and Surgical equipments, 11. Rubber processing equipments 12. Plastic Machines.

कोटपूतली नगरपालिका के कर्मचारी

510. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली नगरपालिका में कुल कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा इस समय कितने कर्मचारी पालिका में कार्य कर रहे है ?

(2) कोटपूतली नगरपालिका में किन किन कर्मचारियों की सर्विस बुक अभी तक है तथा पालिका कार्यालय में कर्मचारियों की आयु सम्बन्धी क्या रिकार्ड रखा जाता रहा है ?

(3) कोटपूतली नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा किन किन कर्मचारियों को जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था और वह किस आधार पर दिया गया था ? सूची सदन को मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर कितनी आयु मान कर किस किस कर्मचारी को सेवा मुक्त किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नगरपालिका सेवा नियम एवं निदेशक स्थानीय निकाय के परिपत्र सन् 70 के अनुसार यदि पालिका अध्यक्ष ने कर्मचारियों की जो आयु मानी है वह सही भी मान ली जावे तो भी उपरोक्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त नहीं किया जा सकता ?

(6) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों की जगह जो नये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं उनका किसी का भी नाम एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में दर्ज नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) 59 कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं।

48 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(2) जिन-जिन कर्मचारियों की सर्विस बुकें है उनकी सूची संलग्न है। नई नियुक्तियों में कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र में दर्ज आयु को उसके साथ संलग्न जन्म पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र आयु का आधार माना जाता है।

पुराने कर्मचारियों में जिनकी आयु सम्बन्धी ब्यौरा पालिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं था, उनसे मांगे जाकर दर्ज किया गया है।

(3) नगरपालिका कार्यालय जिन-कर्मचारियों की जन्म तिथि की सूचना उपलब्ध नहीं थी उनसे मांगी गई थी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां।

55 व 58 वर्ष से भी अधिक आयु मानकर। सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां।

(6) जी नहीं।

पांच कर्मचारियों में तीन कर्मचारियों के नाम दर्ज नहीं थे। नगरपालिका ने एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज को नियुक्ति हेतु नामावली भेजने के लिए लिखा था, परन्तु प्राप्त नामावली में दर्ज शुदा व्यक्तियों के उपस्थित न होने से अन्य व्यक्तियों से साक्षात्कार करके नियुक्तियां की गई थी।

219

-सूची कर्मचारियों न जिनकी सर्विस बुकें तैयार हैं

नाम	पद
1. श्री बनवारीलाल अग्रवाल	अधिशाषी अधिकारी
2. श्री घनसीराम शर्मा	लेखक
3. श्री शिवप्रसाद गुप्ता	लेखा लिपिक
4. श्री भोलाराम हरिजन	नाकेदार
5. श्री बाबूलाल	नाकेदार
6. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	नाकेदार
7. श्री जगदीशप्रसाद सैनी	सब नाकेदार
8. श्री मान सिंह मीना	सब नाकेदार
9. श्री रतीराम शर्मा	सब नाकेदार
10. श्री कमल प्रसाद आर्य	तिगरा फाटक

(220)

सूची कर्मचारियान नगरपालिका कोटपूतली जिनको दिनांक 8-12-70 को जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये गये

1. श्री घनसीराम शर्मा लेखक
2. श्री चिरंजीलाल स्वामी चपरासी
3. श्री भोलाराम हरिजन नाकेदार
4. श्री छोटेलाल शर्मा नाकेदार
5. श्री सुगनचन्द शर्मा नाकेदार
6. श्री डेडराज स्वामी नाकेदार
7. श्री मालीराम नायक चपरासी
8. श्री नारायण मीना चुंगी ढोल
9. श्री महादेव रावत ,,
10. श्री कल्लूराम सैनी चौकीदार
11. श्री लादूराम नायक जमादार सफाई
12. श्री लालाराम हरिजन जमादार सफाई
13. श्री दीनाराम हरिजन सफाई कर्मचारी
14. श्री बन्शीधर हरिजन ,, ,,
15. श्री सोहनलाल हरिजन ,, ,,
16. श्री विष्णु हरिजन ,, ,,
17. श्री बाबूलाल हरिजन ,, ,,
18. श्री हरिराम पुत्र शंकर हरिजन स० कर्म०
19. श्री हरिराम पुत्र मनफूल हरिजन स० कर्म०
20. श्री ताराचन्द हरिजन सफाई कर्मचारी
21. श्री जगदीश प्रसाद हरिजन ,,
22. श्री रामौतार हरिजन , ,,
23. श्री किशनलाल हरिजन ,, ,,
24. श्री दुर्गाप्रसाद हरिजन ,, ,,
25. श्री मामराज हरिजन ,, ,,
26. श्री बोदनराम हरिजन ,, ,,
27. श्रीमती उमरावती हरिजन ,,
28. श्रीमती पारवती हरिजन,, ,,
29. श्रीमती जानकी हरिजन ,, ,,
30. श्रीमती परभाती हरिजन ,,
31. श्रीमती सुडडो हरिजन ,, ,,
32. श्रीमती कमला हरिजन ,, ,,
33. श्रीमती अनारी हरिजन सफाई कर्मचारी
34. श्रीमती नरबदी स्त्री बोदन ह. स. कर्म.
35. श्रीमती नरबदी स्त्री रूडमल ह. स. कर्म.
36. श्रीमती नत्थी हरिजन सफाई कर्मचारी
37. श्रीमती प्रेम हरिजन ,, ,,
38. श्रीमती मगूरी हरिजन ,, ,,
39. श्रीमती पूरनी हरिजन ,, ,,
40. श्रीमती सन्तरा हरिजन ,, ,,

गोदाराम मीना
अध्यक्ष
म्युनिसिपल बोर्ड, कोटपूतली

221

सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सूची

क. सं.	नाम	पद	आयु	
1.	श्री सुगनचन्द शर्मा	नाकेदार	55 वर्ष से अधिक	
2.	श्री डेडराज स्वामी	"	"	
3.	श्री चिरंजीलाल	चपरासी	58 वर्ष से अधिक	
4.	श्री मालीराम नायक	"	"	"
5.	श्री दीनाराम हरिजन	सफाई कर्मचारी	"	"
6.	श्री सोहनलाल हरिजन	"	"	"
7.	श्रीमती उमरावती हरिजन	"	"	"
8.	श्रीमती जानकी हरिजन	"	"	"
9.	श्रीमती परमाती हरिजन	"	"	"

गोदाराम मीना
अध्यक्ष
म्युनिसिपल बोर्ड, कोटपूतली

सिरोही कालेज का विज्ञान खण्ड

511. श्री शांतिलाल कोठारी (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार सिरोही कालेज के विज्ञान खण्ड (साइन्स ब्लॉक) जो कि अधूरा है, को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इसे पूरा करा दिये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

सिरोही महाविद्यालय के अधूरे विज्ञान खण्ड (साइन्स ब्लोक) को पूरा कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। अगले वर्ष में 25,000) रु० का प्रावधान करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

राजसमन्द की पाल पर नौचौकी पर्यटन केन्द्र के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि

512. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की राजसमंद पाल पर नौचौकी एक पर्यटकों का आकर्षक स्थान है जहां सैकड़ों पर्यटक प्रतिदिन इसका लाभ उठाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि निदेशक पर्यटन विभाग राजस्थान के पत्र संख्या एफ. एच. (Dev) डी. टी. 71/18/3/71 के अनुसार उदयपुर जिले में राजसमन्द की पाल पर नौचौकी पर्यटक केन्द्र के विकास के लिये पचास हजार रुपया स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो वह राशि कहां खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां, 50000/— रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 18-11-71 द्वारा दी गई थी पर नक्शे व अनुमान तैयार न होने के कारण उक्त राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 1971-72 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।

अकाल के स्थाई हल के लिए मास्टर प्लान

513. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने डी.पी. कार्यालय के अन्तर्गत कौन कौन से जिले लिये हैं।

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त जिले में अकाल के स्थायी हल के लिए प्रत्येक जिले के लिये अलग से मास्टर प्लान बनाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम लिये हैं और क्या कदम कब तक लिये जावेंगे ?

(3) प्रत्येक जिले के लिये मास्टर प्लान कब तक तैयार कर दिये जावेंगे ? निश्चित तिथि से अवगत कराने की कृपा करें।

(4) मास्टर प्लान बनाने में जनता के प्रतिनिधियों से किस प्रकार सहयोग लिया जायेगा ?

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

1. डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न 10 जिले लिये हैं:—

1. जैसलमेर, 2. बाडमेर, 3. पाली 4. जालौर, 5. जोधपुर, 6. नागौर, 7. चूरू 8. बीकानेर, 9. बांसवाड़ा 10. डूंगरपुर इसके अतिरिक्त निम्न 6 तहसीलों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने का निश्चय किया गया है:—

जिला	नाम तहसील
उदयपुर	देवगढ़, भीम, खेरवाड़ा
अजमेर	ब्यावर
झुन्झुनूं	चिड़ावा झुन्झुनूं

2. इस योजना का प्रयोजन इन जिलों को अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है। प्रत्येक जिले के लिये केवल दो करोड़ की लागत की योजनायें हो ली जा सकती हैं ऐसी योजनाओं का मास्टर प्लान उपरोक्त प्रत्येक जिले के लिये बनाने का निश्चय किया गया है।

3. अब तक जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा जोधपुर के लिए लगभग 2 करोड़ की लागत के मास्टर प्लान बनाये जाकर इसकी प्रतिलिपि भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। शेष जिलों के मास्टर प्लान मई, 1973 तक बना लिये जावेंगे।

4. जिलों के मास्टर प्लान का प्रथम प्रारूप जिलाधीशगण बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित करते हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधीशगणों को आदेश दिये गये हैं कि वे मास्टर प्लान बनाते समय जिला सहायता परामर्शदात्री समिति की सलाह प्राप्त करें। इस प्रकार जिला राहत सलाहकार समिति के माध्यम से जन प्रतिनिधियों का सहयोग इस योजना को बनाने में प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है।

संस्कृत शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं

514. श्री हनुमान सहाय (बैराठ): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के संचालक सहायक संचालक, उप-संचालक, निरीक्षक के कार्यालय में कुल कितने पद हैं और इन पदों के लिये क्या योग्यताएं निर्धारित हैं और किस वेतन मांन की ?

(2) उक्त पदों पर कौन कौन व्यक्ति किस किस योग्यता के किस किस तारीख से कार्य कर रहे हैं ? कृपया वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताओं में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो 1962 से अब तक कितनी बार कब किस कारण से निर्धारित योग्यताओं में परिवर्तन एवं संशोधन किया गया है ?

उत्तर

1. राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के संचालक (निदेशक) कार्यालय में जो पद

(शिक्षा मंत्री)

स्वीकृत है उनकी सूची मय योग्यता एवं वेतनमान के संलग्न है।

2. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. जी हां। तालिका संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय सेवाओं में आबादी के अनुपात से भर्ती

515. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या राज्य के देहाती क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक हालत में सुधार हेतु अन्य उपायों के साथ साथ राजकीय सेवाओं में आबादी के अनुपात से भर्ती नियमित करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

2. क्या राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य से जानकारी लेकर 80 प्रतिशत नौकरियां देहाती क्षेत्र के कमजोर वर्ग के परिवारों के लिये सुरक्षित रखने हेतु नीति निर्धारित करेगी ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गई है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों को वेतन

516. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि प्रान्त में आटोमोबाइल वर्कशाप, होटल एण्ड रेस्टोरेंट सिनेमा, इन्जिनियरिंग, स्माल इण्डस्ट्रीज, वूल क्लीनिंग, वूल स्पीनिंग और प्रेसिंग एसवेस्टोज सीमेंट पाईप, कारपेट, गोटा किनारी, मारवल आदि 50 कर्मचारियों से कम संख्या वाले ऐसे उद्योग हैं जिनमें प्रत्येक में हजारों श्रमिक काम करते हैं।

2. न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत ऐसे उद्योगों मे न्यूनतम वेतन लागू करना राज्य सरकार अपना कर्तव्य समझती है ? यदि हां, तो इन उद्योगों को शिड्यूल में कब से शामिल कर रही है और कब से उनको न्यूनतम वेतन दिलाने की घोषणा कर रही है ?

उत्तर

1. जी, हां।

2. आटोमोबाइल, वर्कशाप, होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, सिनेमा, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज गोटा किनारी उद्योगों को न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत शिडयूल में शामिल करने की अन्तिम विज्ञप्ति नं. एफ./(5)(8) श्रम/69 दिनांक 9-3-73 को जारी कर दी गई है।

वूल स्पिनिंग तथा वीविंग फैक्ट्रीज को भी न्यूनतम वेतन अधिनियम के शिड्यूल में लाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशनार्थ दिनांक 8 फरवरी 73 को भेज दिये गये हैं।

(श्रम मंत्री)

वूल त्रिलनिंग पहले से ही न्यूनतम वेतन अधिनियम के शिड्यूल में शामिल है। ऐसबेसटाज सीमेंट पाईप, तथा मारबल उद्योगों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के शिड्यूल में लाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। वूल कारपेट उद्योग पहिले से ही न्यूनतम वेतन अधिनियम के शिड्यूल वेतन अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है, उनमें न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया उक्त अधिनियम की धारा 5 (1)(a) के अन्तर्गत की जायेगी, जिसके अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत जिन उद्योगों को लाना होता है, उसके प्रस्ताव प्रकाशित कर उन पर 2 माह में आपत्तियां मांगी जाती हैं और उसके पश्चात राज्य सरकार उनको अन्तिम रूप से प्रकाशित करती है।

यूरिया खाद

517. **श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि यूरिया खाद जिसकी कीमत करीब 50/ रुपये प्रति बोरी है खरीफ 1972 में 62 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से ब्लेक में बिकती रही हैं।

(2) क्या यह सही है कि सरकार किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद देने में असमर्थ रही है।

उत्तर

1. जी नहीं। खरीफ 1972 में यूरिया खाद की कीमत अधिक चार्ज करने के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। जांच करने पर जो भी इस बारे में दोषी पाये गये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है।

2. जी नहीं। सरकार की ओर से इस बारे में पूर्व सतर्कता बरती गई है कि किसानों को खाद निर्धारित दर पर ही मिले।

नावां तहसील के लूणवा ग्राम की जल प्रदाय योजना

518. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नावां तहसील के लूणवा ग्राम में जल प्रदाय योजना का कार्य कब शुरू होगा।

(2) क्या इस योजना को अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू करवाकर गरीब व्यक्तियों के लिये रोजगार दिलाया जा सकता है? यदि हां, तो क्या योजना को इसी साल सम्पूर्ण करवा कर योजना के अन्तर्गत गांवों को मीठे पानी दिलाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

1. जलप्रदाय योजना का कार्य माह नवम्बर 72 में प्रारम्भ किया जा चुका है।

2. यह योजना प्लान वर्क्स के तहत स्वीकृत की गई है, योजना कार्य सामग्री की उपलब्धि पर सन् 1974 के अन्त तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।

जोधपुर शहर में ट्रैक्टर का कारखाना

519. श्री रामसिंह (जायल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार, केन्द्रीय सरकार के निर्देशन पर जोधपुर शहर में एक ट्रैक्टर का कारखाना खोल रही है। अगर हां, तो कब तक।

(2) क्या यह सच है कि इस कारखाने हेतु जोधपुर शहर में जमीन अलाट एक्वायर करवा दी गई है। अगर हां, तो इस कारखाने के शुरू होने में विलम्ब क्यों हो रहा है।

(स्थगित किया गया)

अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए भवन निर्माण योजना

520. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जाति, भवन योजना के अन्तर्गत कितनी सहकारी समितियों (जिलावार) का पंजीकरण हुआ है और कितनी को सहायता दी जा चुकी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस सहायता योजना में कोई ऐसे असंगत प्रावधान हैं जैसे खुद की जमीन होते हुये भी भूमि का पट्टा आदि आदि हैं जिनके कारण अडचनें पैदा हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अड़चनों को शीघ्र दूर करने का विचार कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति भवन निर्माण योजना का रुपया दूसरे लोगों को दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची 'क' 'और' 'ख' सदन की की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां, क्राउन एक्ट के अन्तर्गत क्रय की गई अथवा अन्य नियमों के अन्तर्गत नि:शुल्क या नाम मात्र की कीमत से क्रय की गई जमीन के पट्टों को रहन रखने में अड़चनें पैदा हो रही हैं। इस समस्या को हल करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण वि० सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कस्बा सूरोठ में कन्या मिडिल स्कूल की मांग

521. श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति हिण्डौन के अन्तर्गत कस्बा सूरोठ की आबादी 6000 होते हुए भी वहां कन्या प्राइमरी शाला है जबकि छात्राओं की संख्या 200 है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां आने वाले सत्र में कन्या मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां। सत्र 1973-74 में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर

(शिक्षा मंत्री)

क्रमोन्नत करते समय मांग आने पर अन्य शालाओं के साथ इस शाला को क्रमोन्नत करने पर राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

सोफ्ट कोक का अभाव

522. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सोफ्ट कोक की बहुत कमी है तथा जो कोटा राजस्थान को मिला था वह प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस ओर क्या प्रयास किये ?

(2) क्या यह सही है कि अन्य प्रान्तों को रेल्वे वेगन्स मिले हैं पर राजस्थान सरकार को वेगन्स नहीं मिले हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार अपनी स्थिति को रेलवे मंत्रालय के सम्मुख अच्छी तरह से रखने में असमर्थ रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

इस विषय पर उच्चाधिकारियों के स्तर पर अनेक बार व्यक्तिगत सम्पर्क रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से स्थापित किया गया।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव

523. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भेड़-ऊन विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ जातिगत भेदभाव बरता जाता है ? यदि हां, तो क्या यह कानूनी अपराध नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भेड़-ऊन कल्पन अधिकारी के कार्यालय में सरकारी घड़े से अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा पानी पीये जाने पर कर्मचारियों में मारपीट हुई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) मुख्य ऊन कल्पन अधिकारी जयपुर के कार्यालय के अनुसूचित जाति के 4 कर्मचारियों की ओर से इस सम्बन्ध में एक शिकायत दिनांक 19-7-71 को राज्य सरकार को प्राप्त हुई और उस शिकायत पर तत्काल जांच कराई गई। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जो स्टाफ दोषी पाया गया, उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध राजस्थान जनपद, सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच जारी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

शिक्षकों की वरिष्ठता

524. **श्री यशवन्त सिंह नाहर** (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के शिक्षकों की वरिष्ठता निश्चित हो चुकी ? यदि हां, तो कौन कौन से शिक्षकों की ?

(2) उक्त वरिष्ठता क्या राज्यव्यापी या क्षेत्रीय है या विषय सम्बन्धी ?

उत्तर

(1) जिन अध्यापकों की वरिष्ठता निश्चित हो चुकी है, तथा जिनकी निश्चित करना बाकी है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) प्रथम श्रेणी के अध्यापक की वरिष्ठता राज्य-व्यापी है। द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की वरिष्ठता क्षेत्रीय स्तर पर निश्चित की जाती है।

तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की वरिष्ठता जिलावार निश्चित की जाती है।

जिन अध्यापकों की वरिष्ठता निश्चित हो चुकी है:—

1. वरिष्ठ अध्यापकों का वरिष्ठता सूची विषय वार।

2. प्रशिक्षित स्नातकों को सग्रथित वरिष्ठता सूची 1-11-1956 पर आधारित।

3. द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 31-8-1961 पर जोधपुर, बीकानेर मण्डल। (पुरुष महिला)

4. द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 31-8-1961 पर — उदयपुर कोटा मण्डल। (पुरुष महिला)

5. तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को वरिष्ठता सूची — (पुरुष महिला)

1. 1-9-61 पर।

2. 1-9-61 से 30-6-66 तक

6. द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 31-10-56 तक जयपुर अजमेर मण्डल (पुरुष महिला)

7. द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 1-9-61 से 30-6-66 तक उदयपुर कोटा मण्डल (पुरुष महिला) जोधपुर, बीकानेर (महिला)

जिन अध्यापकों की वरिष्ठता निश्चित करना बाकी है:—

1. द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 31-8-61 पर जयपुर, अजमेर मण्डल (पुरुष महिला)

2. द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की वरिष्ठता सूची 1-9-61 से 30-6-66 तक जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर।

राज्य में प्रकाशित होने वाले सामाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापन

525. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पाक्षिक, दैनिक व मासिक

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

समाचार पत्रों की संख्या और उनके नाम बताइये ? इनमें से कितने विज्ञापनों के लिये स्वीकृत हैं ? इन्हें किस दर से विज्ञापन दिये जाते हैं ? विज्ञापन की दरें कब किस वर्ष निर्धारित की गई थी ? इन दरों में क्या कमी संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो कब कब यदि नहीं तो किन कारणों से ?

(2) क्या यह सच है कि विज्ञापनों के लिये स्वीकृत कराने की पद्धति और विज्ञापन देने में राज्य सरकार की नीति भारत सरकार के दृश्य प्रचार निदेशालय से विपरीत है ? यदि नहीं तो भारत सरकार तथा राज्य जन सम्पर्क निदेशालय के नियमों में क्या अन्तर है ?

(3) क्या यह सही है कि विज्ञापन के लिये स्वीकृत पत्रों का वर्गीकरण मनमाने तरीके से किया जाता है ? यदि नहीं तो क्या तरीका अपनाया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि विज्ञापनों को स्वीकृत करने हेतु समिति की महीनों तक बैठक नहीं बुलाई जाती है ? यदि नहीं तो पिछले दो वर्षों में कब कब बैठक बुलाई गई ?

उत्तर

(1) प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल 608 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–'क')

जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, सरकार, जयपुर में राज्य द्वारा स्वीकृत सामाचार पत्रों की संख्या 213 है। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–'ख')

विज्ञापन के लिये स्वीकृत पत्रों की तीन श्रेणियां हैं, जिनकी दरें निम्न प्रकार हैं:—

	अ	ब	स
1-दैनिक समाचार	2-80	2-00	1-20 प्रतिकालम सें०मी०
2-साप्ताहिक	2-00	1-20	0-60 प्रति कालम सें० मी०
3-अन्य समाचार-पत्र	0-45	0-24	0-18 प्रतिवर्ग से० मी०

विज्ञापन की दरें विज्ञापन नियम सन् 1962 के अनुसार निश्चित है 10 प्रतिशत सरचार्ज मूल्य वृद्धि के कारण बढाया गया था और मई, 1971 में सामाचार पत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए डी० ए० वी० पी० की दर अधिक है तो उसके अनुसार भुगतान करने के आदेश निकाले गए हैं। इस प्रकार अच्छे पत्रों की रेट स्वत: ही अधिक हो गई।

(2) जी हां, भारत सरकार कॉन्ट्रेक्ट्स के आधार पर देती है, किन्तु राजस्थान सरकार विज्ञापन नियम 1962 के अनुसार कार्यवाही करती है।

(3) जी नहीं, आठ सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति है जिसके सदस्य पत्रकार हैं। उनके निर्णय के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। (समिति के गठन का आदेश सदन की मेज पर रख दिया गया है)। (परिशिष्ट- 'ग')

(जन सम्पर्क मंत्री)

(4) वर्तमान समिति का गठन जून, 1972 में किया गया था जिसकी दो बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी इस माह में हो रही है। इससे पिछले साल समिति का गठन न होने के कारण बैठकें नहीं हो सकीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अकाल राहत के लिये केन्द्र द्वारा दी गई सहायता

526. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) अब तक राज्य सरकार को अकाल राहत के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना धन व विभिन्न प्रकार का कितना गल्ला तथा अन्य प्रकार की सहायता देने का आश्वासन मिला है।

(3) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विभिन्न प्रकार की सहायता के लिये कितनी कितनी मांग की थी।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन कहां तक पूरा हुआ है।

(4) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को कम सहायता दी है। यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

1. 'केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अकाल राहत के लिये धन राशि का कोई आश्वासन नहीं दिया है। परिपाटी यह है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के लिखने पर केन्द्रीय दल भेजा करती है जो सारी स्थिति का जायजा लेकर मदवार खर्चे की अधिकतम सीमा हेतु सिफारिश करता है। इन सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार भी आदेश जारी करती है। जो केन्द्रीय दल नवम्बर 72 में राजस्थान आया था, उसने जो सिफारिशें की थी उनका मद-वार विवरण तालिका 'क' में दिया गया है।

विभिन्न प्रकार के गल्ला का जो आवंटन राजस्थान को किया उसका महीने वार विवरण तालिका 'ख' में संलग्न है।

(2) विभिन्न प्रकार के गल्ले की जो मांग की गई थी उसका विवरण तालिका 'ख' में दिया गया है जहां तक अकाल सहायता व्यवस्था हेतु धन राशि का संबंध है, दल को परिस्थितियों की जानकारी देने के लिये ज्ञापन दिया गया था।

3. आश्वासन के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कार्यवाही की है।

4. जो सहायता राजस्थान सरकार को नवम्बर 72 में आये केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर दी गई वह कम थी। इसी कारण राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पुनः स्थिति का सही रूप में जायजा लेने के लिये दूसरा अध्ययन दल भेजने के लिये लिखा था। अभी दूसरे दल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अन्य सरकारों को कितनी केन्द्रीय सहायता मिली इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है,

तालिका 'क'

खर्चे की अधिकतम सीमा जो नवम्बर मास में भेजे गये केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित की :—

वर्ष 1972-73 (रुपये लाखों में)

मद	राशि	विशेष विवरण
(अ) अनुदान		
1– सहायता कार्य		रुपये 140 लाख की राशि जो सम्वत् 2028 के लिये स्वीकृत सीमा में से बची रही थी, उसको भी इस वर्ष खर्च करने की अनुमति दी गई।
(क) मजदूरी व्यय	225.00	
(ख) श्रमिकों को राजस्थान केनाल क्षेत्र ले जाने हेतु	10.00	
2– निःशुल्क सहायता		
(क) नकद अनुदान	4.50	
(ख) चिकित्सा प्रबन्ध	5.00	
(ग) निष्क्रमणों को मुफ्त आटा	1.00	
(घ) दस्तकारों को सहायता	2.00	
3– पेयजल व्यवस्था		
(क) कुओं को गहरे कराना	20.00	
(ख) जल परिवहन एवं टांका निर्माण	7.50	
(ग) ट्यूब वेल्स का संधारण एवं उनको चलाने हेतु	7.00	

4– पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था

(क) पशु निष्क्रमण	9.00
(ख) चारा प्रदाय	20.00
(ग) पशु शिविर एवं पोषण केन्द्र	6.00
(घ) पशु चिकित्सा व्यवस्था	1.00
योग अ का	318.00

(ब) ऋण

1– सहायता कार्य

(क) सामग्री व्यय	55.00
(ख) दस्तकारों को सहायता	8.00
(ग) नये टैंकर्स खरीदने हेतु	40.00
(घ) चारा खरीद हेतु तकावी	20.00
योग ब का	123.00
पूर्ण योग 'अ' व 'ब' का	441.00

तालिका (ख)

जुलाई से मार्च 73 तक राजस्थान के लिये भारत सरकार से की गई

खाद्यान्न की मांग एवं प्राप्त हुए आवंटन का विवरण

क्र.सं.	मास का नाम	मांग की मात्रा			अन्य		आवंटन		अन्य			विशेष विवरण
		गेहूं	मक्का	बाजरा	माइलो	योग	गेहूं	मक्का	बाजरा	माइलो	योग	
1.	जुलाई 72	8640	—	—	—	8640	8640	—	—	—	8640	
2	अगस्त 72	80000	20000	—	—	100000	10810	—	—	—	10800	
3	सितम्बर 72	36300	3000	70000	—	46300	25000	1600	7000	—	33600	
4.	अक्टूबर 72	36000	8900	8000	—	52000	25000	8000	8000	—	41000	
5.	नवम्बर 72	45000	—	—	—	45000	2500	20000	—	—	45500	
6.	दिसम्बर 72	50500	—	15000	—	65500	16000	20000	—	—	36000	
7.	जनवरी 73	65000	15000	15000	—	95000	22000	20000	5000	—	47000	
8.	फरवरी 73	65000	15000	15000	—	95000	27000	15000	10000	10000	62000	दिनांक 10-[illegible]-73 को 80000 माइलो की मांग भेजी गई
9	मार्च 73	68030	15000	15000	—	98000	37000	3065	4935 चैनाइ	20000 1000	66000	

सांचोर के पाठशाला भवनों की मरम्मत

527. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन, कन्या उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन एवं लड़कियों के उच्च प्राथमिक पाठशाला भवन एवं सार्वजनिक छात्रावास भवनों की विशेष मरम्मत एवं भवन निर्माण के लिए पिछड़ा क्षेत्र देखते हुए भी हर साल सरकार से बहुत कम पैसा प्राप्त हो रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त भवनों की मरम्मत के लिए एवं नये कमरों के लिए हर वर्ष विशेष अनुदान दिलाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सरकार उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन सांचोर के लिए एवं जीव-विज्ञान कक्ष के लिये इस वर्ष विशेष अनुदान दिलाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. मरम्मत राशि की स्वीकृति भवन की पूंजीगत लागत के आधार पर तथा उपलब्ध प्रावधान के आधार पर दी जाती है। पिछड़े क्षेत्र हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है।

2. बजट में प्रावधान की दशा में गुणावगुण के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जायेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा गठित जिला-स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 484 की सूची)

जिन गांवों में समोच्च रेखा बन्दी, केश योजना व एनीकट (डी. पी. ए. पी.) कार्य किया गया उसकी सूची।

समोच्च रेखा बन्दी नियमित	केस योजना	एनीकट (डी. पी. ए. पी.)
1. लोरधा	1. कुवानिया	1. नागवाडा
2. भरडाजाल	2. गोपालपुरा	2. घम्बा
3. गढी	3. चिकलीतेवा	3. छोटी सखा
4. कानेलापाडा	4. इटावा	4. बलिडि
5. जोलाना		5. नाटावाडा
6. परतापुर		6. कुन्डला
7. साकरिया		7. कुटुम्बी
8. भेतवाला		8. टांडा मंगल
9. खेडिया		9. राम का मुन्ना
10. बिहारी पुरा		10. बस्सी
11. भण्डारिया		
12. घांटोल		
13. सालरिया		
14. टामटिया		

236

सूची बकाया

क्रम सं० नाम काश्तकार	गांव	बकाया रकम
समोच्च रेखाबन्दी		
1. श्री नाथू / कुरिया	सांकरिया	रु० 78)
2. श्री भूरा / नाथिया	"	रु० 100)
3. श्री लालजी / नाथू	"	रु० 100)
4. श्री कचरू /गोविन्द जी	"	रु० 191)
		रु० 469)
5 श्री चंचरलाल /प्रभा शंकर	परतापुर	रु० 265)
	कुल योग—	734)
डी० पी० ए० पी०		
1 श्री मोरिया, ठेकेदार	नागवाला	रु० 411)
समोच्च रेखाबन्दी व डी. पी. ए. पी. का कुल बकाया		रु० 1145.00

परिशिष्ट 5

अ. ता. प्र. सं० 221 की सूची

(ब) परक्यूशन टाइप ड्रिलिंग रिग मशीन

क. सं.	मशीन का मेक और किस्म	संख्या	खरीद का दिनांक	विशेष विवरण
1.	परक्यूशन रिग मशीन (2200 रिग)	3	1956	
2.	71 स्पीड स्टार परक्यूशन रिग	1	17- 4-63	
3.	मोबाइल परक्यूशन ड्रिलिंग रिग टाइप यू. पी. 200 (18)	12	21- 9-66	
4.	परक्यूशन ड्रिलिंग रिग मोडल वेल स्टार आर. आर. 1000/2500 ट्रेलर हैविंग कैपेसिटी 2500 पौंड टूल वेट	2	14-12-67 24- 8-67	
5.	मोबाईल परक्यूशन ड्रिलिंग रिग टाइप यू. पी 202	2	12-10-68	
6.	वेल स्टार परक्यूशन ड्रिलिंग रिग ट्रेलर माउन्टेड पोर्टेबल विद पी. 6 इन्जन	7	13-12-69 2- 1-70 20- 3-70 29- 4-70 21- 9-70 7-11-70	64 कमिन हैड से खरीदी गई
		29		

(अ) रोटरी टाइप ड्रिलिंग मशीन्स

क्र.सं.	मशीन का मेक और किस्म	संख्या मशीन	खरीद की तिथि	विशेष विवरण
1.	55 फैलिंग रोटरी रिग मशीन	1	8-2-66	
2.	रोटरी मशीन माडल 1500-एस. टाइप	1	22-12-58	
3.	फैलिंग वाकमायर मॉडल एफ. डब्ल्यू.एम. रोटरी-कम-परक्यूशन ट्रलर माउन्टेड ड्रिलिंग रिग	1	14-8-63	
4.	फलिंग मॉडल 2500 टेलर माउन्टेड रिग	2	14-8-63	
5.	जम्राय मॉडल 275 डब्ल्यू डाइरेक्ट सरक्यूलेशन टेलर माउन्टेड फुली पावर रोटरी ड्रिलिंग रिग	1	17-12-73	
6.	फैलिंग मॉडल 2500 ड्रिलिंग रिग	3-2-1	23-7-67	2 रिग उत्तर प्रदेश को बेची
7.	फैलिंग डब्ल्यू. इ. ओ. सी. ओ. जे. इ. डी.ए. रोटरी ड्रिलिंग मशीन	1	25-11-68	
8.	डब्ल्यू. ए. बी. सी. ओ (फैलिंग) 1500-5 माडल एस. ड्रिलिंग रिग		29-1-70 28-4-70	64-फेमिन हैड से खरीदी गई
9.	डब्ल्यू. ए. बी. सी. ओ.-2000 सी. एफ. (सेप नं. 903611) टेलर माउन्टेड डायरेक्ट सरक्युलेशन राटरी रिग	1	3-5-71	यूनीसेफ
			16—2=14	

(च) एअर ड्रिल टाइप ड्रिलिंग रिग मशीन

क्रम संख्या	मशीन का मेक और किस्म	संख्या मशीन	खरीद का दिनांक	विशेष विवरण
1.	29 एच. आर. हैल को डालन द होल ड्रिल रिग मशीन	1	26-10-70	यूनीसेफ से प्राप्त हुई.
2.	इंगर सोल रैन्ड डाउन द होल रोटरी ड्रिल रिग	1	24-12-70	,,
3.	एटलास कोपको वाटर वैल डाउन द होल डाज ट्रक माउन्ट ड्रिल रिग मशीन	1	11- 2-72	,,
		3		

परिशिष्ट 6

अ० ता० प्र० सं० 223 की सूची

प्रश्न 1 की सूची

	जनवरी, 1973 तक व्यय
पाइप लाईन पर	12,93,053
सिविल वर्क्स कुओं व ट्रायल बोरिंग पर	1,45,161
मिसलिनियस पर	4,347.08
	14,42,561.08

प्रश्न 3 की सूची

कुंजला ग्राम	2 बोरिंग
चोदसेन ग्राम में	2 बोरिंग
केमला ग्राम में	1 बोरिंग
बुद्धा चन्द्र जी में	1 खुला कुआ व दो बोरिंग

परिशिष्ट—7

(अ. ता. प्र. सं. 226 की सूची)

ओर से

जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ,
जिलाध्यक्ष, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ,
शाखा सवाई माधोपुर

क्रमांक

सेवा में,

दिनांक 21-6-72

माननीय मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार-जयपुर

विषय :—जिलाधीश सवाई माधोपुर एवं कार्यालय अधीक्षक श्री मथुरानाथ शर्मा द्वारा सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार।

महोदय,

मैंने पूर्व पत्रों में कार्यालय अधीक्षक द्वारा भ्रष्ट कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से निवेदन किया है। यह तो विदित नहीं कि उन पर क्या कार्यवाही की गई है किन्तु यहां कुछ और तथ्य इसी संदर्भ में प्रस्तुत कर आशा है कि आप अविलम्ब आवश्यक निर्देश देकर निवेदक को भी अवगत करवाने का कष्ट करेंगे।

केवल डेढ़ माह के लिए रिफ्रेशर कोर्स में जाने वाले पटवारियों के स्थानान्तरण कर उनके स्थान पर नवीन नियुक्तियां की गई हैं। नवीन नियुक्तियों से पूर्व राज्य सरकार अथवा राजस्व मंडल से एन०ए०सी० प्राप्त करना चाहिये था व ट्रेंड पटवारियों के न मिलने पर केवल मात्र रिक्त स्थानों पर ही नवीन नियुक्तियां की जानी चाहिये थीं किन्तु ऐसा न कर राज्यादेशों के विरुद्ध प्रशिक्षार्थियों का स्थानान्तरण कर उनके स्थान पर नवीन नियुक्तियों से राज्य सरकार पर करीब 1 लाख रुपये से अधिक का भार डाला गया है। इतना ही नहीं अपितु स्वार्थपरता के कारण शीघ्रता में अन्धा-धुन्ध नियुक्तियां कर पोस्टिंग करने में रिक्त पदों का ध्यान भी नहीं रखा गया जिसके कारण कई पटवारियों को अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये रिक्त स्थानों की तलाश के लिए कार्यालय अधीक्षक के पास चक्कर खाने पड़ रहे हैं।

अतः नवीन नियुक्तियों को अविलम्ब निरस्त कर अनधिकृत व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेनिंग में जाने से रोका जाना अपेक्षित है।

न केवल पटवार पद पर ही नवीन नियुक्तियां की गई हैं बल्कि कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को भी अनियमित रूप से स्वार्थ सिद्धि के लिये करीब 13 स्थानों को भरा गया है

इससे राज्य सरकार पर करीब 40,000) प्रति वर्ष का आर्थिक भार पड़ेगा। अत: ऐसी नियुक्तियां राज्य सरकार की मितव्ययता की नीति के प्रतिकूल है जो अविलम्ब निरस्त की जानी चाहिए।

जिले में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लगभग 60 से 70 के मध्य स्थानान्तरण किये गये हैं। यदि जांच की जावे तो इनमें अधिकांश स्थानान्तरण बिना किसी औचित्य के सिद्धान्त विहीन सिद्ध होंगे। इनके करने का मूलभूत आधार यही रहा है कि बाद में परेशान कर्मचारी इच्छित स्थानों पर जाने के कार्यालय अधीक्षक को धनराशि देकर अपना कार्य कराने को बाध्य हो। कुछ स्थानान्तरण पहिले धन प्राप्त कर नियमों के विपरीत किये गये हैं। स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लिपिक द्वारा किसी भी प्रकार के पत्रादि प्रस्तुत नहीं किये गये केवल कार्यालय अधीक्षक द्वारा गई है।

अत: इनकी जांच कर कार्यालय अधीक्षक को अविलम्ब निलम्बित किया जाना आवश्यक है। इन स्थानान्तरणों से यात्रा व्यय में राज्य सरकार पर करीब एक लाख रुपयों का आर्थिक भार पड़ेगा।

यू० आई० टी० हिण्डौन व गंगापुर से क्रमश: 2 लाख व 20,000) कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाकर प्राप्त करने की आम चर्चाएं सुनी जाती हैं। यह भी सुना जाता है कि उक्त धनराशि कुछ व्यक्तियों द्वारा श्री मथुरानाथ शर्मा कार्यालय अधीक्षक के मार्फत जिलाधीश सवाई माधोपुर को पहुंचाई गई है। इन चर्चाओं की भी जांच कर वास्तविकता का पता लगाया जाना अपेक्षित है जिससे प्रशासन के प्रति व्याप्त भ्रान्तियों का निवारण हो सके।

सुना जाता है कि हिण्डौन से अनुचित कार्यों के उपलक्ष्य में से प्राप्त लगभग 70 हजार रुपये जिलाधीश सवाई माधोपुर को देहली किसी प्रकार पहुंचाए गये जहां से जिलाधीश महोदय वायुयान द्वारा बम्बई जाकर उक्त धनराशि को स्वर्ण में परिवर्तित कर किसी अज्ञात बैंक में लॉकर में जमा करा कर देहली लौटे। जांच से ही पता लग सकता है कि क्या यह तथ्य सही है ?

जिले में राजस्व मण्डल से एक अधिक तहसीलदार आ जाने के कारण कई तहसीलदारों को मुख्यालय पर उपस्थित रख कर परेशान कर कार्यालय अधीक्षक द्वारा धन प्राप्त करने के बाद ही पोस्टिंग करने की भी शिकायत तहसीलदारों के मुंह सुनने को मिलती है। जांच की जानी चाहिए कि किन 2 तहसीलदारों को निलम्बित किया गया और किन किन को बिना निलम्बन मुख्यालय पर उपस्थिति देने हेतु पाबन्द किया गया और क्यों ? फिर उनका पोस्टिंग निष्पक्ष भावना से किया गया क्या ?

जिलाधीश ने ऑफीसर्स क्लब के नाम से जनता से हजारों रुपये पद का दुरुपयोग कर प्राप्त किये हैं। यह द्रव्य केवल शराब और मनोरंजनों में व्यय किया गया। इसी संदर्भ में

श्री लालचन्द नज्जूमल व्यापारी सवाई माधोपुर से 1000) रसीद नं० 1 से दिनांक 29-4-72 को एक केस में जेल भेजने का भय दिखा कर लिये गये जो बाद में प्रार्थी के पिता द्वारा उच्चाधिकारियों को शिकायत करने का भय दिखाने पर क्लब के एक सदस्य से बैंक का चैक देकर अदा किये गये। इसी प्रकार सरदार सम्पत्तसिंह निवासी सवाई माधोपुर से उसके ट्रक से सरकारी गाड़ी के मामूली से एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण क्लब के लिए 1000) लिए। ऐसे ही अनेक मामलों में धन प्राप्त करने की आम चर्चाएं व्याप्त हैं।

तहसीलदार महुवा के प्रशिक्षण में जाने पर उनका चार्ज नियमानुसार नायब तहसीलदार को दिलाया जाना चाहिए किन्तु ऐसा न कर सुना गया है कि उनका चार्ज तहसीलदार हिन्डौन को दिलाया गया। इस प्रकार एक तहसील का चार्ज दूसरे तहसीलदार को चार्ज दिलाने के पीछे उद्देश्यों का पता लगाने के लिये जांच आवश्यक है।

जिलाधीश महोदय द्वारा भ्रष्ट कार्यवाहियों में सहयोग देने के लिये जिन कर्मचारियों की चाह है उनके नाम वरिष्ठता के आधार पर निम्न सुने जाते हैं :—

1. श्री मथुरानाथ शर्मा	कार्यालय अधीक्षक
2. श्री हरनारायण शर्मा	उप–जिलाधीश हिन्डौन
3. श्री कृष्णदत्त त्रिपाठी	तहसीलदार करौली
4. श्री चांदमल जैन	तहसीलदार हिन्डौन
5. श्री पुरुषोतम आचार्य	तहसीलदार सवाई माधोपुर
6 श्री जोरावर सिंह	नायब तहसीलदार गंगापुर

इनके अतिरिक्त लिपिक वर्ग के कई कर्मचारी भी इन कार्यवाहियों में लिप्त सुने जाते हैं जो जांच से स्पष्ट हो सकेगा।

क्या श्रीमान जी उपरोक्त तथ्यों की जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। साथ ही निवेदन है कि अनियमित नवीन नियुक्तियों को अविलम्ब निरस्त किया जावे। इन सब कार्यों के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी कार्यालय अधीक्षक श्री मथुरानाथ शर्मा को अविलम्ब निलम्बित किया जाकर जांच की जावे जिससे वस्तुस्थिति सामने आ सके।

आशा है श्रीमानजी इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान कर निवेदक को भी अवगत करवाने का कष्ट करेंगे।

सादर,

विनीत

ह० जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ

(जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ)

जिला अध्यक्ष

Page No 244

(244)

परिशिष्ट 8

अ० ता० प्र० सं० 232 की सूची

खाद्यान्न वितरण माह वाईज जिला डूंगरपुर

माह का नाम	गेहूं द्रव्य	मक्का द्रव्य
अगस्त, 72	310	170
अक्टूबर, 72	1635	320
नवम्बर, 72	597	1590
दिसम्बर, 72	829	4547
जनवरी, 73	1289	7778
फरवरी, 73	3645	6145

नोटः—शहरी क्षेत्रों में गेहूँ 4 किलो व मोटा अनाज 4 किलो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं 2 किलो व मोटा अनाज 6 किलो की दर से वितरित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं न लेने पर 8 किलो मोटा अनाज दिया गया है।

जिला रसद कार्यालय डूँगरपुर (राजस्थान) चीनी

क्रम संख्या	माह	तहसील क्षेत्र डूँगरपुर	तहसील क्षेत्र सागवाड़ा	तहसील क्षेत्र आसपुर	योग	विशेष विवरण
1.	फरवरी, 72	920	690	230	1840	
2.	मार्च, 72	690	690	460	1840	
3.	अप्रेल, 72	1150	460	230	1840	
4.	मई, 72	690	690	460	1840	
5.	जून, 72	920	690	230	1840	
6.	जुलाई, 72	690	690	460	1840	
7.	अगस्त, 72	920	690	230	1840	
8.	सितम्बर, 72	920	460	460	1840	
9.	अक्टूबर, 72	920	690	230	1840	
10.	नवम्बर, 72	969	645	426	2040	
11.	दिसम्बर, 72	920	690	230	1840	
12.	जनवरी, 73	852	660	328	1840	
13.	फरवरी, 73	852	660	328	1840	

नोटः—फरवरी, 72 से दिसम्बर 72 तक शहरी बस्ती में प्रति यूनिट 1 किलो व ग्रामीण क्षेत्रों में 500 ग्राम प्रति यूनिट की दर से चीनी वितरित की जाती रही है।

शुद्धि-पत्र

(बुद्धवार, दिनांक 14 मार्च, 1973)

स्कम्भ सं० 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1.	नीचे से 4	लूणरम	लूणाराम
2.	,, 10	जन्वास्थ्य	जन-स्वास्थ्य
3.	ऊपर से 12	(सुजान्गढ)	सुजानगढ़
3.	नीचे से 9	इन	इस
7.	,, 7	निवानी	भवानी
7.	,, 4	पिावा	पिड़ावा
15.	,, 15	कर हे मां बतऊं	आंकड़े बताऊं
18.	ऊपर से 9	वनाने	बताने
19.	,, 2	नके	उनके
,,	नीचे से 17	ज्यदा	ज्यादा
,,	,, 16	बगया	बनाया
,,	,, 13	(श्री गंगानग)	(श्री गंगानगर)
20.	ऊपर से 7	े	हो
,,	,, 9	नीं	नहीं
21.	,, 6	श्री मूलचंद सामरिया 489	——
,,	,, 7	मुरी	मुरली
22.	नीचे से 11	खरदा	खरीदा
23.	ऊपर से 2	भले	भगले
25.	नीचे से 14	रल	साल
,,	,, 7	ुमरसिह	जुमार सिह
28.	,, 12	छगा एस ह	छगाणी ऐसा ही
31.	ऊपर से 12	रूप	रुपये
43.	,, 67	रज्य	राज्य
,,	,, 7	रमप्रसाद	राम प्रसाद
,,	,, 7	वर्ड	वार्ड
,,	,, 12	बेद	बैद

247

1	2	3	4
44.	नीचे से 9	प्रोशन	प्रमोशन
,,	,, 5	जा	जारी
45.	ऊप से 2	डयुल्ड	शिडयूल्ड
46.	,, 1	अध्क्ष	अध्यक्ष
,,	,, 33	सरकार	प्रकार
49.	ऊपर से 1	(समाज कल्य मंत्री)	(श्री ओंकारलाल चौहान)
50.	,, 16	अकारलाल	ओंकार लाल
56.	नीचे से 19	किया	दिया
62.	,, 15	न	नल
65.	शीर्ष 3	11मार्च	14 मार्च
67.	नीचे से 16	खि ाप	खिलाफ
68.	नीचे से 11	त्र	पत्र
75.	ऊपर से 1	(उत्तर)	(कृषि मंत्री)
76.	,, 1	अध्यक्षप	अध्यक्षीय
77.	शीर्ष	अध्यक्षीय	अध्यक्षीय व्यवस्था
,,	ऊपर से 3	गरियाकाटर	गलियांकोट
78.	,, 10	श्रीमतब कल	श्रीमती कमला
142.	नीचे से 8		
175.	ऊपर से 8	इसका मैंने	——
225.	,, 2	कौंसियनैस	कान्शंस
234.	नीचे से 1	भानुकुमार	श्री भानु कुमार
286.	ऊपर से 4	सुबा	सुबहा
298.	,, 14	गई	हुई
323.	,, 9		
340.	नीचे से 15	दिया है।	दिया है। न तो
359.	ऊपर से 7		
403.	नीचे से 6	केवड़ी	केकड़ी
421.	,, 15		
437.	ऊपर से 6	पूर्व	पूर्ण